

छत्तीसगढ़ विधान सभा की अशोधित कार्यवाही



(अधिकृत विवरण)



पंचम विधान सभा

त्रयोदश सत्र

मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2022
(फाल्गुन 24, शक सम्वत् 1943)

[अंक 07]

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2022

(फाल्गुन 24, शक् संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिव कुमार डहरिया) :- अध्यक्ष जी, आज आपके जैकेट जोरदार चमकथे ।

अध्यक्ष महोदय :- सादा है भइया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ओकरे सेती कहत हौं ।

अध्यक्ष महोदय :- सादा कहां ले चमकही गा ।

वनमंडल कोरबा अंतर्गत 2019 - 20 व 2020 - 21 में कराये गए तालाब निर्माण में किये गए भुगतान

के संबंध में जानकारी बावत

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

1. (*क्र. 927) श्री ननकी राम कंवर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वनमंडल कोरबा में वर्ष 2019 - 20 व 2020 - 21 में किस किस रैंज अंतर्गत किस मद से तालाब का निर्माण हुआ है और उस तालाब में कार्यरत कितने मजदूर को कितनी कितनी राशि भुगतान की गयी है? वर्षवार बताये ? (ख) क्या उक्त तालाब का निर्माण कार्य जेसीबी मशीन से करवाया गया? यदि हाँ तो जेसीबी मशीन किसकी थी?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) कोरबा वनमंडल में वर्ष 2019-20 व 2020-21 में कोरबा एवं करतला परिक्षेत्र अंतर्गत कराये गये तालाब/डबरी निर्माण कार्य का मदवार व कार्यरत मजदूरों को भुगतान की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	मद का नाम	कार्य का	स्थल का नाम	कार्यरत मजदूरों	मजदूरों को भुगतान की
------	-------------------	-----------	----------	-------------	-----------------	----------------------

			नाम		की संख्या	गई राशि (लाख में)
2019-20	कोरबा	कैम्पा	तालाब निर्माण	ओ.ए. 1302 भैस मा	39	1.79
2019-20	कोरबा	कैम्पा	तालाब निर्माण	पी 1008 कोरको मा	51	1.53
2019-20	कोरबा	कैम्पा	तालाब निर्माण	पी 978 बासीनखार	42	1.45
योग:- (2019-20)					132	4.77
2020-21	करतला	कैम्पा	डबरी निर्माण	पी 1013	67	1.15
2020-21	करतला	कैम्पा	डबरी निर्माण	ओ.ए. 1452	37	1.15
2020-21	कोरबा	विभागीय	तालाब निर्माण	ओ.ए. 1278 बुंदे ली	257	15.18
योग:- (2020-21)					361	17.48
कुल योग:-					493	22.25

(ख) निविदा में पाये गये न्यूनतम दर पर जे.सी.बी.मशीन का प्रयोग किया गया है। जे.सी.बी मशीन महामाया सेल्स कटघोरा, मदयंती एसोसिएट कोरबा एवं मिथलेश कुमार गुप्ता नोनबिरा की थी।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जंगलों में तालाब किस मकसद से बनाया जा रहा है ? लोग कहते हैं कि हाथियों के लिए है, हाथियों के तैरने के लिए । मेरा निवेदन है कि तालाब सही ढंग से बनाएं, जो तालाब बन रहा है, उसमें आप भैंसा नहीं धो सकते। आप हाथी के लिए बना रहे हैं, इसकी थोड़ा सा जांच करवा लीजिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आदमी धोए ला जाथे का वहां ।

श्री ननकीराम कंवर :- अरे, अब आपको क्या समझोगा ? हर बात समझ में तो आती नहीं । बोल लेते हैं, इसलिए बोल लीजिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन समय बर्बाद क्यों करते हैं । मैंने तो छोटा सा प्रश्न किया है ।

अध्यक्ष महोदय :- उनका कहना है कि काफी गहराई होना चाहिए ।

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, तालाब बनाने का मकसद यह है कि वाटर रिचार्ज हो । पानी स्टोर रहता है तो वाटर रिचार्ज होता है, उसका लेवल ऊपर आता है और वन्य प्राणियों के पीने के भी काम आता है । इसलिए इसको बनाया जाता है ।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं छुईढोढा और कोलगा गया था, मंत्री जी कह रहे हैं कि पानी नीचे जमीन में जाएगा, यह बात ठीक है, पानी नीचे जाना चाहिए । लेकिन उसमें पानी रहेगा तब जाएगा ना । जो तालाब बना है, वह छोटे से नाले में है और जंगली एरिया है । यह मेरा दावा है कि वह पहले पानी में ही टूट जाएगा । इसलिए बनाने से कोई फायदा नहीं है और उसमें कुछ मजदूरों का पेमेंट भी नहीं हुआ है । मजदूर इसीलिए काम नहीं करते क्योंकि आपके यहां पेमेंट में बहुत घपलेबाजी होती है । आपको याद होगा पिछले वर्ष मैंने पेमेंट के लिए कहा था तो यहां तो कहा गया कि पेमेंट कर दिया गया है, बाद में डी.एफ.ओ. मैडम जांच करने गई तो गांव में किसी भी पेमेंट नहीं किया गया था, वह प्लांटेशन का था । बाद में उन्होंने कहीं से मैनेज करके, क्योंकि पैसा तो पहले बंट चुका था इसलिए कहीं से मैनेज करके पैसा दिया गया और ऐसा एक गांव में नहीं, तीन-चार गांव के प्लांटेशन का था । इस तरह से न हो, क्योंकि अभी तक मेरे पास शिकायत नहीं आई है लेकिन मजदूरों से आप काम नहीं करा रहे हैं, यह शिकायत जरूर आई है । इसको थोड़ा दिखवा लीजिए ।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं दिखवा लूंगा ।

नरवा विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

2. (*क्र. 1069) श्री बघेल लखेश्वर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2020-21 व 2021-22 में बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में वन विभाग के द्वारा नरवा विकास योजनान्तर्गत कहां-कहां, क्या-क्या कार्य स्वीकृत हुये? (ख) क्या इन कार्यों को प्रावधानित नियमों के तहत न होने संबंधी कोई शिकायत अथवा सूचना विभाग को प्राप्त हुई है? (ग) प्रश्नांश "ख" के परिपेक्ष्य में ही यदि हां तो विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) वर्ष 2020-21 व 2021-22 में बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में वन विभाग के द्वारा नरवा विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों का स्थलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार दर्शित है। (ख) स्वीकृत कार्यों को प्रावधानित नियमों के तहत न होने संबंधी कोई शिकायत अथवा सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी नरवा विकास अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन के संबंध में पूछा था। माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है लेकिन आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस मद से नरवा विकास किया गया था और कितनी राशि से किया गया था ?

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, कैम्पा मद से इसका निर्माण कार्य हुआ है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- कितनी राशि ?

श्री मोहम्मद अकबर :- राशि के बारे में पूरी सूची है । कांकेर में 2285 लाख, कौडागांव में 547 लाख, नारायणपुर में 1282 लाख, बस्तर में 447, यह पूरी सूची मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय विधायक जी, ये प्रश्न की सूची कल ले लेते हैं या आज यहां आने के बाद लेते हैं ?

श्री लखेश्वर बघेल :- पहले भी ले लेते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- तो फिर घर से थोड़ी तैयारी करके आया करें कि क्या प्रश्न पूछना है ?

श्री लखेश्वर बघेल :- जी । पूरी तैयारी है सर । मंत्री जी, इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई थी क्या ?

श्री मोहम्मद अकबर :- कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

श्री बघेल लखेश्वर :- जी। अध्यक्ष जी, दिनांक 13.01.2022 को दैनिक भास्कर में लंबा-चौड़ा समाचार नरवा, गरुवा, घुरुवा, बाड़ी के बारे में छपा था। उसी के आधार पर मैंने प्रश्न लगाया था।

अध्यक्ष महोदय :- पेपर में जो छपा है, आप उसके आधार पर प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री बघेल लखेश्वर :- सर, लेकिन एक लंबा-चौड़ा इतनी कार्य हुई है। इस कार्य को जनप्रतिनिधि से लोकार्पण, शिलान्यास करायी गयी थी क्या?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों के आधार पर कुछ होता नहीं है। लेकिन हमारे विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री बघेल लखेश्वर :- मैंने यह कहा कि किसी जनप्रतिनिधि से अनुशंसा करायी गयी थी क्या? लोकार्पण करायी गयी थी क्या? उसका इतने बड़े लंबे-चौड़े कार्यान्वयन किये।

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न निर्माण के संबंध में, लोकार्पण के संबंध में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद। श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू।

पानी टंकी निर्माण, पाईप लाईन विस्तार एवं नल कनेक्शन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

3. (*क्र. 901) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 2019-20, 2020-21, 2021-22 में कुल कितनी पानी टंकी निर्माण, पाईप लाईन विस्तार एवं घरों में नल कनेक्शन हेतु कितने ग्रामों में कितनी राशि की स्वीकृति मिली है? उक्त कार्य निविदा राशि से कितने प्रतिशत कम या अधिक में अनुबंध कर कार्यादेश जारी किया गया, कितने कार्य पूर्ण, अपूर्ण एवं अप्रारंभ एवं व्यय राशि है, ग्रामवार जानकारी दें? (ख) उक्त स्वीकृत कार्यों में क्या कार्यादेश पश्चात अन्य योजना में समायोजन किया गया है, यदि हां तो किस योजना में कितने कार्यों एवं राशि की किसके आदेश के पश्चात परिवर्तन किया गया है, किस योजना में परिवर्तन किया गया है?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) धमतरी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कुल 83 पानी टंकी निर्माण कार्य, 344323 मीटर पाईप लाईन विस्तार एवं कुल 27209 घरों में नल कनेक्शन हेतु 138 ग्रामों के लिए रुपये 8849.26 लाख राशि की स्वीकृति प्राप्त है। उक्त कार्य निविदा राशि में प्रतिशत कम या अधिक एवं एकमुस्त दर में अनुबंध कर कार्यादेश जारी किया है, की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ¹** अनुसार है। 145 कार्यादेश योजनाओं में से वर्तमान में कोई भी योजना पूर्ण नहीं है। 127 योजना के कार्य अपूर्ण (प्रगतिरत) एवं 18 योजनाओं के कार्य अप्रारंभ है। ग्रामवार व्यय राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) जी हाँ। उक्त स्वीकृत कार्यों में से कार्यादेश पश्चात अन्य योजना में समायोजन किया गया है। उक्त स्वीकृत योजनाओं में से नाबार्ड मद में स्वीकृत 04 योजनाओं के कार्यादेश पश्चात राशि रुपये 96.02 लाख का नाबार्ड मद में राशि अप्राप्त होने के फलस्वरूप जल जीवन मिशन योजना में परिवर्तन किया गया है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर (ख) में उन्होंने स्वीकार किया है कि उक्त स्वीकृत कार्यों में से कार्यादेश पश्चात् अन्य योजना में कार्यों को समायोजन किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि किन कारणों से इसे समायोजन किया गया? कितने कार्यों का समायोजन किया गया? किसके आदेश के पश्चात् समायोजन किया गया? और कौन से दिनांक को समायोजन किया गया?

¹ परिशिष्ट "एक"

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) :- माननीय अध्यक्ष जी, जो जवाब में है कि चार कार्यों का समायोजन किया गया है। वह चारों कार्य पहले नाबार्ड से किये जा रहे थे। फिर जे.जे.एम. (जल जीवन मिशन योजना) आया, उसको जे.जे.एम. में समाहित करके उससे राशि लेकर आगे का कार्य किया जा रहा है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर मुझे ऐसा नहीं मिला है। अभी आप जो मौखिक बता रहे हैं, उसमें आपने स्वयं दो साल पहले हमें एक स्वीकृति पत्र दिया था, जिसमें धमतरी विधान सभा में 14 टंकी स्वीकृत हुई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं उसके भूमि पूजन में गई थी। पानी टंकी बनने के पश्चात् आपने उसे दूसरी योजना में समायोजन किया, तो किस आधार पर आपने इन 10 टंकियों को दूसरी योजना में समायोजन किया। आपने 4 टंकी को तो नाबार्ड में किया, यह आपने उत्तर में दिया है, लेकिन जो 10 टंकी बनी हैं, वह क्यों समायोजन किया, किसके आदेश पर और कौन से दिवस को किया?

अध्यक्ष महोदय :- वह टंकी बन चुकी है या नहीं बनी है?

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, टंकी बन चुकी है। टंकी बनने के बाद इन्होंने दूसरी योजना में समायोजन किया है और यह आश्चर्य की बात है कि टंकी बनने के पश्चात् जब दूसरी योजना में समायोजन किया गया तो वह ठेका कैसे एक ही व्यक्ति को मिला है? कौन से समय पर मिला है? क्योंकि वह तो टंकी बनकर तैयार होगी 14 की 14 टंकी?

अध्यक्ष महोदय :- वहां भुगतान हो गया था?

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, भुगतान भी हो गया।

श्री गुरु रुद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, टंकी के अलावा वहां पर पंप हाऊस बनता है। उसके अलावा पाईप लाईन का विस्तार होता है। कुल मिलाकर पूरी योजनाओं को कंप्लीट करने के लिए गांवों में चार-पांच प्रकार की योजनाएं होती हैं और जे.जे.एम. आने से पहले योजनाएं अलग थी। पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिनीमाता अमृत धारा योजना शुरू किये। इसमें बी.पी.एल. परिवारों को मुफ्त कनेक्शन दिया जा रहा था। अब जे.जे.एम. आया। पहले 45 लीटर प्रति व्यक्ति का था, अब 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी का है। जो कंडीशन को देखते हुए चीजों का विस्तार किया गया है। जब चीजों का विस्तार किया जाता है, तब उसको नई योजनाओं में शामिल किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- थैंक यू।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, मेरा प्रश्न वह नहीं है। आप गरीबों की मदद कर रहे हैं, Central government की योजना है, हम भी खुश हैं। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि किसके कहने पर यह कार्यादेश जारी हुआ? जो 14 टंकी बनकर तैयार है, उसके बाद उसे आप दूसरी योजना में समायोजन करते। यदि आप जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो मैं जल जीवन मिशन की पूरा

गाइडलाईन लेकर आई हूं। आप कहे तो मैं सदन के पटल पर रखती हूं। आपने कौन-सी गाइडलाईन का पालन किया है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं बताना चाहती हूं, Central government की जो योजना है, उसका इन्होंने एक भी गाइडलाईन का पालन नहीं किया है। सबसे पहले गांवों में जल समितियां गठित होनी चाहिये। आप बताइये, क्या आपने जल समितियां गठित की हैं? आपने तो पहले टंकी बनवा दी है। आपने पानी टंकी के लिए टेण्डर लगवा दिया है। आपने कौन सी जल समिति गठित की है?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्न करिये। प्रश्न क्या है, आप यह बताइये।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या इन्होंने गांवों में जल समितियों का गठन किया है? दूसरा प्रश्न यह है कि गांवों का एक्शन प्लान्स ग्राम समितियां लेती हैं, तो क्या ग्राम समितियों ने एक्शन प्लान बनाकर आपके विभाग को दिया है? मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि लागत राशि ग्राम समितियों के अकाउंट में जमा होनी थी तथा समितियों द्वारा ठेकेदारों को भुगतान करना था, लेकिन यह तीनों काम नहीं हुआ है, आप इसका उत्तर दे दें तो मैं आगे का प्रश्न करूं।

अध्यक्ष महोदय :- अब आगे आपको चांस नहीं मिलेगा।

श्री गुरु रुद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्न में ही उत्तर है। यह पहले खुद ही बोल रही हैं कि इन्होंने न भूमि-पूजन किया। उस समय जे.जे.एम. नहीं आया था तो वह पहले राज्य मद से वह कार्य स्वीकृत हुए थे, तो उस समय नियम अलग थे, अब जे.जे.एम. के आने के बाद से नियम अलग हुए हैं। तो काम को आगे बढ़ाने के लिए जब जे.जे.एम. आया, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा, जब गांव में उस योजना का जब विस्तार किया गया तो उस नियम के तहत उस योजना को सम्मिलित करके उस कार्य को आगे बढ़ाया गया। इसमें तो वह स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धरमलाल जी कौशिक।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत स्पष्ट है। मैं नियम जानना चाहती हूं कि कैसे किया ?

अध्यक्ष महोदय :- क्या बोलूं? मैं तो आपको को बोला रहा हूं।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है। मैं अपने प्रश्न का नियम जानना चाहती हूं कि आपने कैसे किया?

अध्यक्ष महोदय :- आपको अपने क्योश्चन के बारे में पूछना है। प्रश्न क्रमांक-4.

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रश्न का नियम जानना चाहती हूं कि किस आधार पर किया?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायिका का कहना यह है कि जो पुरानी टंकी बनी, वह पुरानी टंकी पुरानी योजना से बनी, राज्य सरकार की योजना से बनी। केंद्र सरकार की

नई योजना आ गई तो जल जीवन मिशन आ गया। उनकी यह चिंता है कि पुरानी योजना का पैसा जो टंकी बनी है उसको नई योजना में जोड़कर भुगतान किया जा रहा है।

श्री गुरु रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने कहा पुरानी योजना के तहत कार्य स्वीकृत हुआ, जिसमें पानी टंकी बनी। उसके बाद जे.जे.एम. आया। जे.जे.एम. के नॉन्स के तहत जे.जे.एम. का आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो आधा हमारे राज्य मद का भी है। तो दोनों को मिलाकर योजना को संचालित किया जा रहा है। फाइनल पेमेंट तो तब होगा जब थर्ड पार्टी का उसमें इंस्फेक्शन होगा। तो योजना पहले कम्प्लीट तो हो जाए। पहले योजना कम्प्लीट तो हो जाए। योजना अभी तक कम्प्लीट ही नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, नहीं-नहीं हो गया। धरमलाल कौशिक जी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, मुझे यह बताइये कि ठीक है आपने समायोजना कर दिया। ठीक है। मैं भी स्वीकार करती हूं कि आपने समायोजन कर दिया। आप यह बताइये कि एक ही टंकी का दोनों विभाग से कैसे पैसा निकलेगा? एक ही ठेकेदार को कैसे यह दोनों काम मिलेंगे? आपने पहले एक टंकी एक ठेकेदार से बनवा दी फिर आपने उसे दूसरी योजना में समायोजना किया। फिर समायोजन के बाद कैसे उस ठेकेदार को जल जीवन मिशन में वह काम मिल गया ? फिर आपने फिर उसे पेमेंट कर दिया। यह माजरा क्या है, मुझे बताये?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वही ठेकेदार पुरानी टंकी बना रहा है और वही ठेकेदार नई टंकी बना रहा है। वही ठेकेदार दोनों टंकियों को बना रहा है। उसको कैसे काम मिल जा रहा है? वही पुराना ठेकेदार उसी गांव का पुरानी टंकी को बना है और वही ठेकेदार जल जीवन मिशन के तहत फिर काम कर रहा है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जल जीवन मिशन यदि बताते हैं तो जल जीवन मिशन की एक भी गाईडलाइन का पालन नहीं किये हैं। आपने तो ग्राम समिति ही गठित नहीं की है। जल जीवन मिशन में आपकी ग्राम समिति ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी, क्या आपका प्रश्न तैयार नहीं है? चलिये न तो फिर। यह तो चर्चा करना चाहती हैं। यह कोई चर्चा का नहीं है। आप प्रश्न करिये।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समिति ही पूरे निर्णय लेंगे। लेकिन कहीं पर भी न कोई विज्ञापन, न कहीं पर कोई ग्राम समितियां बनी हैं। पूरा पैसा सीधे समितियों के खाते में जाना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आप डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं ठेकेदारों को तो कौन-से सेंट्रल गवर्नमेंट की जल जीवन मिशन की योजना का उल्लंघन है कि नहीं है? मुझे आप यह बताइये।

श्री गुरु रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समितियां सभी जगह बनी हैं। उसके अलावा...

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां नहीं बनी हैं। मैं प्रदेश का नहीं जानती। मेरे धमतरी जिले में कहीं पर भी समितियां नहीं बनी हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, इनके जगह आप विशेष ख्याल रखकर जांच करा लीजिए, आप देख लीजिए। उसकी समीक्षा कर लीजिए। चलिये, धरमलाल कौशिक जी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अनुमति दे दीजिए कि वह एक बार जांच करा लेंगे धमतरी जिले में।

अध्यक्ष महोदय :- जी-जी। कौशिक जी, आप तैयार होइये न। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अकबर जी का।

आमंत्रित निविदाओं में अनियमितता

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

4. (*क्र. 1050) श्री धरम लाल कौशिक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या दिनांक 29 दिसंबर, 2020 के परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्याम -31 क्रमांक 892 में विभाग के द्वारा यह बताया गया था कि 37 निविदाओं में से 33 निविदाओं में अनियमितता पाई गई ? यदि हां तो क्या अनियमितता पाई गई थी, इसके लिए कौन दोषी हैं, नाम/पदनाम बतावें ? उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई है ? किस-किस को जांच अधिकारी बनाया गया है व उन्होंने क्या निष्कर्ष दिए व किन निविदाओं में जांच नहीं की गई व क्यों ? (ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त अवधि के पश्चात प्रश्न दिनांक तक जो निविदाएं सामग्री क्रय हेतु आमंत्रित की गई हैं, उसमें भी भंडार क्रय नियम के पालन नहीं किए गए हैं, यदि हां तो किन-किन निविदाओं में भंडार क्रय नियम का पालन मुख्य रूप से निविदा के प्रकाशन के पश्चात फॉर्म बिक्री के लिए दी जाने वाली अवधि भंडार क्रय नियम के अनुसार ना होना तथा निर्धारित समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन न करना संबंधी अनियमितता पाई गई है ? ऐसी कौन कौन सी निविदाएं हैं, इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं, नाम बतावें व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी हाँ, 37 निविदाओं में से 33 निविदाओं में अनियमितता पाई गई। इन 33 निविदाओं में भंडार क्रय नियम का पालन नहीं किया गया है। इसके लिए 06 भारतीय वन सेवा एवं 03 राज्य वन सेवा के अधिकारी दोषी पाये गये (पुनरीक्षित प्रपत्र-अ में दर्शित है) है। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। किसी को जांच अधिकारी नहीं बनाया गया है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(विकास/योजना) एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा समस्त निविदाओं का परीक्षण कर निष्कर्ष के आधार पर भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन होना पाया गया। (ख) प्रश्नांश “क” की अवधि के पश्चात् आमंत्रित निविदाओं में से 02 निविदाओं में अनियमितता होना पाया गया (पुनरीक्षित प्रपत्र-ब में दर्शित है) 02 निविदाओं में फार्म बिक्री के लिए दी जाने वाली अवधि नियमानुसार नहीं पायी गयी। निर्धारित समाचार पत्रों में प्रकाशन की अनियमितता कहीं नहीं पायी गयी। दोषी अधिकारियों के नाम संलग्न सूची में दर्शित है। उनके विरुद्ध अखिल भारतीय (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सामग्री व क्रय अन्य कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित की गई थीं। उसमें 37 में 33 जो निविदाएं हैं वह जो निविदा है उसमें अनियमितता पाई गई और इसके लिए 6 आई.एफ.एस. के अधिकारी और 3 राज्य के अधिकारी को दोषी पाया गया। यह वर्ष 2020 का है जब मैं उस समय प्रश्न लगाया था तब। उसके बाद बीच में फिर एक प्रश्न लगा। फिर आज यह प्रश्न लगा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- कोरोना हो गया था।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह वर्ष 2020 से अभी तक दोषी तो पाया गया लेकिन दोषी पाये जाने के बाद भी उसके ऊपर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, वह कार्रवाई नहीं हुई है। मैं मंत्री जी से उसमें जानना चाहता हूं कि आपने स्वीकार किया है कि दोषी पाये गये हैं तो उनके खिलाफ मैं कब तक कार्रवाई की जाएगी?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें अनियमितता पाई गई है। इसमें उसको सो-कॉस नोटिस सबको जारी किया गया है। उनका अभी उत्तर आना है और जो उसमें कमियां पाई गई थीं, उसमें यह था कि 30 दिन की अवधि निविदा में होना चाहिए तो 30 दिन के बदले 21 दिन दिया था। तो इस मामले में उनको सो-कॉस नोटिस जारी किया गया है। दूसरी बात यह है कि यह किसी शिकायत के आधार पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अपर प्रधान मुख्य संरक्षक रूटिन में जो जांच करते हैं तो उन्होंने स्वयं जांच करके अनियमितता को सामने लाया है और उसके आधार पर यह कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो नोटिस जारी किया गया है, जब विधान सभा में प्रश्न लगा, तब नोटिस जारी हुआ। जब-जब प्रश्न लगता गया तो अलग-अलग तिथियों में नोटिस जारी हुआ। नोटिस जारी हुए काफी समय हो गए हैं। नोटिस का जवाब कब तक आ जाएगा, कुछ समयावधि निर्धारित करेंगे क्या ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब के लिए उनको 15 दिन का समय दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- नोटिस अभी जारी हुआ है क्या ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नोटिस पहले भी जारी हुआ था, अभी दोबारा जारी हुआ है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार पहले के नोटिस का भी जवाब नहीं आया है, एक भी नोटिस का जवाब नहीं आया है। मंत्री जी को ज्यादा मालूम होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न आ गया तो जवाब जल्दी आ जाएगा ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष जी, जवाब नहीं आया है, उन्होंने जवाब के लिए 15 दिन की समयावधि बतायी है । मंत्री जी बोल रहे थे कि उसमें दो दिन का है, चार दिन का है । मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि या तो उसमें दो बातें हैं । भंडार क्रय का जो नियम है, या तो उसको समाप्त कर दिया जाए क्योंकि दो-चार दिन का महत्व नहीं है तो उसकी आवश्यकता नहीं है । मतलब जब चाहें, तब सप्लाई करते रहें । यदि वह नियम है तो उसका पालन होना चाहिए इसीलिए वह दोषी पाया गया है क्योंकि वह समय पर नहीं किया । मंत्री जी, मैंने इस प्रश्न को किया है । यह केवल 4-5 जिले बीजापुर, जगदलपुर, धमतरी का मामला है, लेकिन बांधी जी ने प्रश्न लगाया है मतलब एक जिले का मामला और है, बलरामपुर जिले का भी है । पूरे प्रदेश में कमोबेश लगभग यही स्थिति है । इसलिए मैं चाहता हूं कि नियम है तो उसका पालन होना चाहिए । 2020 से केवल दोषी पाये गए और उसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई तो हम ऐसा नहीं मानते कि मंत्री जी उसको बचा रहे हैं या विभाग उसको बचा रहे हैं । यदि आपको जो भी कार्यवाही निर्धारित करनी है तो आपने जवाब के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया है तो 15 दिन के बाद जवाब आने के बाद मैं कितने दिनों के अंदर उनके ऊपर कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आने के बाद निश्चित रूप से कार्यवाही होगी । मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो नियम है, उन नियमों का पालन हम लोग सुनिश्चित कराएंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल पूछा था, मैंने ही इस विषय को पहले लिया था । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने प्रश्न लगाया था । इसी प्रश्न में 22 और 1, 15.3 की स्थिति में देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 22 में भी है। पूरे 37 के 37 निविदा बोगस हैं । मैं तो समझ रहा था कि 4 निविदा अच्छा किए होंगे । पूरे 37 की 37 निविदाएं गड़बड़ हो गईं । क्या पूरे 37 निविदा गड़बड़ होने के पीछे कोई इंटेंशन है, मानवीय गलती है या जान-बूझकर यह धंधा कर रहे हैं, गलत करने का, अपने चहेते को निविदा दिलाने का काम किया गया है, आप यह बताने का कष्ट करें क्योंकि यह आश्चर्यजनक है कि पूरे 37 के 37 निविदा गलत हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी निविदा में नोटिस जारी हुआ है, उनका उत्तर लेना जरूरी है, यह प्रक्रिया है और उसी का इंतजार कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा 37 का 37 निविदा गलत है । आपने एक बार अवसर दे दिया, दोबारा अवसर दे रहे हैं । माननीय मंत्री जी को तो कार्यवाही करनी चाहिए, वे बहुत सक्षम मंत्री हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी स्वीकार किया कि विधान सभा प्रश्न लगने के बाद पहली नोटिस जारी हुई, दोबारा प्रश्न लगा तो दूसरी नोटिस जारी हुई । पहली नोटिस जारी हुई, उसमें जवाब देने के लिए कितना समय निर्धारित था, वह नोटिस कितनी तारीख को जारी हुई और दूसरी नोटिस किस तारीख को जारी हुई ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तिथि भी मैं आपको जानकारी में दे दूंगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी नोटिस जारी होता है तो उसमें समय-सीमा निर्धारित होता है । अगर समय में अधिकारी ने जवाब नहीं दिया तो आपको कार्यवाही करनी चाहिए । विधान सभा प्रश्न लगने के बाद नोटिस जाये तो यह तो अधिकारी को बचाने वाली बात हो गई ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आश्चर्यजनक है कि 37 के 37 निविदा गलत पायी गई ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने बता दिया न । यहां भी नोट है, वहां भी नोट है । सब जगह नोट है ।

वन विभाग द्वारा अवैध रेत परिवहन के दर्ज प्रकरण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

5. (*क्र. 1076) श्रीमती छन्नी चंदू साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021- 22 में वन विभाग द्वारा कितने रेत परिवहन के अवैध प्रकरण दर्ज किए गए ? कृपया परिक्षेत्रवार बतावें ? (ख) उक्त प्रकरणों में से कितने प्रकरणों पर कार्यवाही की गई एवं कितने प्रकरणों में जांच के पश्चात छोड़ दिया गया ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में वन विभाग द्वारा बाघनदी परिक्षेत्र अंतर्गत अवैध रेत परिवहन के 01 प्रकरण दर्ज किया गया है। (ख) उक्त प्रकरण

में भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कार्यवाही करते हुए 10,000/- (दस हजार रुपये) मुआवजा राशि अधिरोपित कर वाहन को निर्मुक्त किया गया।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न लगायी थी, उसमें माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है कि बाघनदी परिक्षेत्र अंतर्गत अवैध रेत परिवहन में 01 प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण में भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कार्यवाही करते हुए 10,000 रुपये की मुआवजा राशि अधिरोपित कर वाहन निर्मुक्त किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि जो एक प्रकरण दर्ज किया गया है, वह कौन सी गाड़ी का है और सी तारीख को प्रकरण दर्ज किया गया है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकरण भारतीय वन सेवा अधिनियम 1927 की धारा 33 (1) (ख) का उल्लंघन हुआ था। आप जिस गाड़ी के विरुद्ध हुई कार्यवाही की जानकारी चाह रहे हैं, वह मैं बता देता हूँ। पी.ओ.आर. क्रमांक- 10228/21 अपराधी का नाम नरोत्तम वल्द दयालू, जब्त माल का विवरण- 1 ट्रेक्टर ट्राली सी.जी. 08 पी-5393 है।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 4.12.2021 को भरी वाहन माजदा खड़ी थी। किसी जिम्मेदार व्यक्ति के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से शिकायत की थी। 3 दिनों तक माजदा गाड़ी खड़े होने पर भी वन विभाग ने कार्रवाई क्यों नहीं की ? यह मैं माननीय मंत्री जी से जनना चाहती हूँ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न था, उसका उत्तर दे दिया गया है। यह कोई दूसरी नई बात कर रहे हैं।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी सिलसिले में पूरे सदन में यह बात गुंजी है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि 3 दिनों तक गाड़ी खड़े होने के बावजूद उस माजदा गाड़ी का प्रकरण क्यों नहीं बनाया गया ?

अध्यक्ष महोदय :- आपने शिकायत की थी ?

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिकायत की थी।

अध्यक्ष महोदय :- किसको ?

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वन विभाग वाले को की थी और कलेक्टर साहब को शिकायत लगाई थी।

अध्यक्ष महोदय :- इनकी शिकायत पर जांच क्यों नहीं हुई , आप जरा देख लीजिये।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि कोई शिकायत संज्ञान में आये, पेपर सामने आये तब तो कोई कार्रवाई हो पायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- देख लीजियेगा, बोल रहा हूँ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस मामले में प्रश्न लगा है, उसका जवाब दे दिया गया है। 10 हजार रुपया जुर्माना हुआ, नाम बताया दिया, दिनांक और गाड़ी का नंबर बता दिया। अब इसमें कोई नया प्रश्न आ रहा है तो यदि आप जानकारी में लायेंगे तो मैं उसमें दिखवाता हूँ।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा प्रश्न है। यह दुर्भाग्य की बात है कि 3 दिनों तक गाड़ी खड़े होने के बाद भी वन विभाग के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यह तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। यदि जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के द्वारा शिकायत करने के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है तो यह दुर्भाग्य की बात है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री लालजीत सिंह राठिया।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने जो प्रश्न किया, उसका उत्तर तो आ गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, एक महिला सदस्य मामला उठा रही है। उस गाड़ी वाले को किसका संरक्षण था ? विधायक की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वह किसकी गाड़ी थी ? आपको यह तो स्पष्ट करना चाहिए।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मैंने जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर मिल जाये।

अध्यक्ष महोदय :- आपने जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर तो मिल चुका है। आप जो अतिरिक्त प्रश्न कर रहे हैं, वह किसी नये प्रश्न पर आधारित है। इसलिए उनको जब तक शिकायत नहीं मिलेगी, जांच नहीं हो सकती।

धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित नवीन 200 k.v सब स्टेशन निर्माण

[ऊर्जा]

6. (*क्र. 937) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हाटी में 200 k.v.का सब स्टेशन निर्माण कार्य प्रस्तावित है यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया जावेगा एवम कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र जिला-रायगढ़ के ग्राम हाटी में 200 के.व्ही. नहीं अपितु 220/132/33 के.व्ही. क्षमता का सब स्टेशन निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। जिस हेतु चयनित 17.775 हेक्टेयर भूमि में से 6.25 हेक्टेयर भूमि निस्तार पत्रक में “छोटे झाड़ का जंगल” मद

में दर्ज होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भूमि का गैर वानिकी उपयोग हेतु अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए वन विभाग में अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् प्रस्तावित सबस्टेशन निर्माण हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर टेंडर जारी करने की कार्यवाही की जावेगी। चूँकि वर्तमान में सबस्टेशन निर्माण हेतु चयनित भूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु अनुमति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः वर्तमान में सबस्टेशन निर्माण का कार्य कब प्रारंभ किया जावेगा तथा कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, यह बताना संभव नहीं है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 220/132/33 के.व्ही. क्षमता का सब स्टेशन लगना है। वह कब तक लग जायेगा ? उसकी प्रशासकीय स्वीकृति हुई है या नहीं हुई है ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र जिला रायगढ़ के ग्राम हाटी में 220/132/33 के.व्ही. क्षमता का सब स्टेशन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इसके लिए भूमि का चयन किया गया है। जो 17.775 हैक्टेयर की भूमि है और उसमें से 6.25 हैक्टेयर भूमि निस्तार पत्रक में छोटे-बड़े झाड़ का जंगल है। वन विभाग से लगातार पत्राचार जारी है। जैसे ही अनुमति मिलती है, वैसे ही टेण्डर की प्रक्रिया शुरू की जायेगी।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि पत्थलगांव, जशपुर जिले से लाईट आती है और धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, करतला, रामपुर तक लाईट जाती है। पत्थलगांव से लाईट आने के कारण हमारे क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या रहती है। सब स्टेशन निर्माण के लिए जो जमीन प्रस्तावित किया गया है, इसमें जनप्रतिनिधि और हम सब मिलकर चयन किए हैं। वहां पर जंगल नहीं है। खाली जमीन है। पेड़-पौधे, झाड़, पेड़ नहीं हैं। इसलिए क्या माननीय मुख्यमंत्री जी वन विभाग को निर्देशित करेंगे उस जमीन के लिए जल्दी एन.ओ.सी. दिया जाये, ताकि वह कार्य प्रारंभ हो सके ?

श्री भूपेश बघेल :- बिलकुल अध्यक्ष महोदय। चूँकि पूरी प्रक्रिया चल रही है। हमको जितनी जल्दी अनुमति मिलेगी, वैसे ही टेण्डर की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। मैं आपकी चिंता से सहमत हूँ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- जी, धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- तेल भी होगा और राधा भी नाचेगी सर । (हंसी)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- अऊ तै बाहर रहिबे, जिहां ले नाचही।

अध्यक्ष महोदय :-चलिये संतराम जी ।

श्री अरुण वोरा :- आपके लिये नाच न आये, आंगन टेढ़ा ।

अध्यक्ष महोदय:- संतराम जी, आप इसमें क्यों उलझ रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हलचल आ गई है । आ गई है कि नहीं ।

वन मंडल कांकेर अंतर्गत प्रतिकात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण मद से कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

7. (*क्र. 147) श्री सन्त राम नेताम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) वन मंडल कांकेर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रतिकात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन योजना प्राधिकरण के आधार से 2020-21 में कितने हेक्टेयर भूमि से लैंटाना उन्मूलन का कार्य कौन-कौन से परिक्षेत्रों में, किन-किन स्थानों पर, कितने हेक्टेयर में किस अवधि, कितनी लागत से कराये गए? (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार प्रश्नांकित अवधि में कराये गये लैंटाना उन्मूलन कार्य में क्या कोई अनियमितता पाई गई? इस संबंध में महालेखाकार से कराये गये अंकेक्षण में कोई आपत्ति दर्ज की गई हो तो बिंदुवार अंकेक्षण रिपोर्ट का विवरण प्रदान करते हुए किसे दोषी माना गया तथा सत्यापित अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी प्रदान करेंगे?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) वनमंडल कांकेर के अंतर्गत कैम्पा मद से 2020-21 में लैंटाना उन्मूलन कार्य की परिक्षेत्रवार, स्थलवार लागत की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ²** में दर्शित है। (ख) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) छत्तीसगढ़ रायपुर की आपत्तियां दिनांक **08.01.2021** की प्रति **संलग्न प्रपत्र-ब** है, इन आपत्तियों के संबंध में वन मंडलाधिकारी, कांकेर द्वारा अपना अभिमत भेजा जा चुका है। किसी के दोषी होने तथा कार्यवाही के संबंध में वर्तमान में कोई निष्कर्ष नहीं है।

श्री सन्त राम नेताम :- मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था, उनके प्रश्न में यह आया है, वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में परिक्षेत्र चारामा, सरोना, नरहरपुर में लैंटाना उन्मूलन कार्य में कुल 2 करोड़ 21 लाख 39 हजार 400 रुपये का व्यय होना बताया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि लैंटाना उन्मूलन में कार्य कौन से महीने में कराना उचित होता है और कौन से महीना में सही है ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, मैंने इसके पहले पिछले लैंटाना में कहा था कि लैंटाना क्या है, विभागीय अधिकारी लैंटाना के बारे में बताये कि लैंटाना क्या है ? उसका बॉटिकल नेम क्या है, छत्तीसगढ़ी नाम क्या है, हिन्दी का नाम क्या है ? यह सब किसी ने मुझे आज तक बताया नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- लैंटाना का छत्तीसगढ़ी शब्द बता देना भई ?

श्री मोहम्मद अकबर :- खरपतवार।

श्री रविन्द्र चौबे :- झुंझकुर।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह हिन्दी शब्द है ?

² परिशिष्ट "दो"

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लैंटाना बहुवर्षीय झाड़ी प्रजाति है जो कि लगभग 200 वर्ष पूर्व ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दक्षिण अफ्रीका से आकामेंटल हेच प्लाण्ट के रूप में घेरा लगाने के लिए लाई गई थी। वर्तमान में लैंटाना झाड़ी ब्रिटिश कॉलोनी वाले शहरों एवं कस्बों से होते हुये वन क्षेत्रों में तेजी से फैल गई...।

अध्यक्ष महोदय:- नहीं, नहीं। मुझे दे दीजिएगा। मैं पढ़ लूंगा। आप उनके प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। यह तो मैं पढ़ लूंगा।

श्री सन्त राम नेताम :- लैंटाना कौन से महीने में लगाना सही रहेगा ?

श्री मोहम्मद अकबर :- अगस्त से अक्टूबर।

श्री सन्त राम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वन विभाग द्वारा लैंटाना में करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हाऊस में इसे सुरक्षित रखने के लिए, देखभाल के लिए क्या उपाय करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आपने लैंटाना देखा है क्या ?

श्री सन्त राम नेताम :- मैं लैंटाना देखा हूँ, तभी तो प्रश्न लगाया हूँ। कांकेर में पाया जाता है, वहां 2 करोड़ 21 लाख का लगाया गया है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने लैंटाना के देखभाल के व्यवस्था की बात की है, उसका देखभाल कैसे होगा, उसको तो निकालना पड़ता है। उसको निकालकर उसका उन्मूलन किया जाता है। देखभाल की जरूरत नहीं है, सही ढंग से निकल जाये, यह देखना है।

श्री सन्त राम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, अगर हम लगा रहे हैं, किस कारण से लगा रहे हैं ? उसका क्या फायदा है, कैसे उसको सुरक्षित रखेंगे ? यह मेरा प्रश्न था। आप बता दीजिए ? आप लैंटाना लगा रहे हैं तो उसका फायदा क्या है ? इससे हमको फायदा क्या हो रहा है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले बात तो यह है कि लैंटाना लगाया नहीं जाता, वह अपने आप हो जाता है। उसका उन्मूलन किया जाता है तो देखभाल कैसे करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय आशीष कुमार छाबड़ा।

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन हेतु प्रावधानित/ स्वीकृत राशि

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

8. (*क्र. 435) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन अन्तर्गत कितने ग्रामों को शामिल

किया गया है? उक्त हेतु कितनी राशि प्रावधानित है तथा स्वीकृत की गई है ? (ख) प्रश्नांश "क" अन्तर्गत स्वीकृत ग्रामों में किस-किस एजेंसी द्वारा कार्य किया जा रहा है और उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन अंतर्गत समस्त 195 ग्रामों को शामिल किया गया है। उक्त ग्रामों हेतु स्वीकृत की गई राशि की जानकारी एवं ग्राम, जहां योजना तैयार की जा रही है की जानकारी “पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-अ” अनुसार है। (ख) प्रश्नांश “क” अंतर्गत स्वीकृत ग्रामों में कार्य करने वाले एजेंसी एवं उन्हें भुगतान की गई राशि का विवरण “पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-ब” अनुसार है।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :-माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जल जीवन मिशन के तहत अपने विधान सभा की जानकारी माननीय मंत्री जी से चाही थी । माननीय मंत्री जी ने विस्तार से उसकी जानकारी दी थी । माननीय मंत्री जी, मैं एक-दो गांव का पूछना चाहूंगा, बेरला ब्लॉक के बारगांव और मोहभट्टा में कार्यादेश कब जारी किया था, कब तक पूर्ण होना था, वर्तमान में क्या स्थिति है ? बेरला ब्लॉक के मोहभट्टा में और बारगांव में, दो गांवों के बारे में जानकारी मांगी है ।

श्री गुरु रुद्र कुमार :- अध्यक्ष जी, जितने भी गांव है, इसमें पूरे के पूरे गांव की जानकारी दी हुई है ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि बेरला ब्लॉक के मोहभट्टा और बारगांव में लगातार अनियमितता की शिकायत पाई गई थी । जिसमें जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनका गांव बारगांव पड़ता है, उनके द्वारा भी दो-तीन बार शिकायत की गई थी । समाचार पत्रों में लगातार आया है । मैं निवेदन करता हूँ कि उसकी जांच करा दें ।

श्री गुरु रुद्र कुमार :- जी, मैं दिखवा लूंगा ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न और है । इसमें बहुत सारे कार्य निविदा दिखा रहे हैं, जल्द से जल्द उसकी निविदा बुलाई जाये और कार्य पूर्ण कर लिया जाये, ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके । लगभग एक-डेढ़ साल से स्वीकृति मिल गई है, लेकिन अभी तक निविदा प्रक्रिया जारी है । जल्द से जल्द उसको पूरा करवा लें ।

श्री गुरु रुद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष जी, कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनी हुई है, निविदा समिति के माध्यम से बुलाई जाती है, मैं फिर भी दिखवा लूंगा कि जल्द से जल्द हो जाये ।

अध्यक्ष :- चलिये, चन्द्रा जी ।

जिला जांजगीर चाम्पा में जिला खनिज न्यास संस्थान (डी.एम.एफ.) मद की राशि

[खनिज साधन]

9. (*क्र. 1057) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला जांजगीर चाम्पा में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 31 जनवरी 2022 तक जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.) मद की बैठक कब कब हुई? (ख) जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.) के अध्यक्ष एवं सदस्य कौन-कौन हैं? (ग) जिला जांजगीर चाम्पा को प्रश्नांश "क" की अवधि में जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.) मद में कितना राशि प्राप्त हुई है? (घ) प्राप्त राशि से प्रश्नांश "क" की अवधि में किन-किन की अनुशंसा पर कार्यों की स्वीकृत प्रदान की गयी है, कार्य का नाम, स्वीकृत राशि सहित बतायें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में वित्तीय वर्ष 2021-22 (31 जनवरी, 2022 तक) में दिनांक 10.08.2021 को शासी परिषद् की बैठक संपन्न हुई। (ख) कलेक्टर, जांजगीर-चांपा जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.) के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जानकारी “संलग्न प्रपत्र-अ” अनुसार है। (ग) जिला जांजगीर-चांपा को प्रश्नांश “क” की अवधि में 112 करोड़ 73 लाख 20 हजार रुपये जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.) निधि में राशि प्राप्त हुई। (घ) प्रश्नांश “क” की अवधि में शासी परिषद् के अनुमोदन पश्चात् कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई। कार्य का नाम एवं स्वीकृत राशि की जानकारी “संलग्न प्रपत्र-ब”³ अनुसार है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला जांजगीर-चांपा के डी.एम.एफ. मद के संबंध में मेरा प्रश्न है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिला जांजगीर-चांपा में जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.) में 112 करोड़ 73 लाख 20 हजार रुपये राशि प्राप्त हुई। कार्य स्वीकृति की बड़ी लंबी सूची है। यह जो कार्य स्वीकृत हुआ है क्या इस कार्य का शासी परिषद् के द्वारा अनुमोदन किया गया है ? क्योंकि पिछली बैठक दिनांक 10-08-2021 को हुई है। उस समय प्रभारी मंत्री अध्यक्ष थे, उनके बाद शासी परिषद् के अध्यक्ष में परिवर्तन हुआ, कलेक्टर अध्यक्ष बने। क्या यह राशि शासी परिषद् के अनुमोदन के बाद खर्च की गई है ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया यही है कि शासी परिषद् में अनुमोदन के पश्चात् ही स्वीकृति हो। कई बार परिस्थिति यह आती है कि जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर स्वीकृत कर दिया जाता है और बाद में कार्योत्तर स्वीकृति ले ली जाती है। अब जब दूसरी बार बैठक होगी तो उसमें आपसे अनुमोदन करायेंगे।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपके जिले का मामला है और उस

³ परिशिष्ट "तीन"

बैठक में आप भी थे।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे क्यों फंसा रहे हो भई ? (हंसी)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस बैठक में आप भी थे। उस बैठक में केवल कार्ययोजना बनी थी। अध्यक्ष महोदय के द्वारा विधायकों को कहा गया कि कि आप लोग 2-2 करोड़ की सूची दे दें, हम 2 करोड़ रुपये की सूची दिये तो वह स्वीकृत नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रशिक्षण के नाम पर 16 करोड़ 21 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। (शेम-शेम की आवाज) डी.एम.एफ. में कृषि के क्षेत्र में 9 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था लेकिन 14 करोड़ 42 लाख रुपये खर्च किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 17 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था लेकिन 29 करोड़ 67 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। यह तमाम में केवल सामग्री क्रय की गई है। यात्री प्रतीक्षालय बनाया गया है, नलकूप खनन किया गया है, मोटर पंप की स्थापना की गई है। इनकी कार्य एजेंसी कौन है, सिंचाई विभाग है। पी.एच.ई., पी.डब्ल्यू.डी., आर.ई.एस. कोई कार्य एजेंसी नहीं है। सिंचाई विभाग ये तमाम काम के कार्य एजेंसी है। ओपन जिम का सामान खरीदी किया गया, विद्युत लगाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या 2019 के बाद डी.एम.एफ. मद की जो राशि जांजगीर-चांपा जिले में खर्च गई है, क्या उसका कभी ऑडिट कराया गया है ? अगर इतनी गंभीर महत्वपूर्ण बात आ रही है तो क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायत आयेगी तो निश्चित रूप से जांच कराई जायेगी। जब कोई शिकायत ही प्राप्त नहीं होगी तो जांच किस प्रकार से होगी। यदि शिकायत आयेगी तो निश्चित रूप से किसी पर्टिक्यूलर केस में यदि कहीं निर्माण कार्य में गुणवत्ता विहीन निर्माण हो रहा है या और किसी प्रकार की शिकायत होगी तो शिकायत आने पर उस पर कार्यवाही होगी।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्माण कार्य तो हुआ ही नहीं है, केवल खरीदी हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- आप लिखित में शिकायत कर दीजिए।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशिक्षण हुआ है। सामाजिक परंपराओं के लिए प्रशिक्षण, जूट बैग निर्माण के लिए प्रशिक्षण, ग्राम क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण, राजमिस्त्री को प्रशिक्षण, अगरबत्ती बनाने के लिए प्रशिक्षण, फिनाईल निर्माण का प्रशिक्षण के लिए 16 करोड़ 21 लाख रुपये जांजगीर-चांपा जिला में प्रशिक्षण के लिए खर्च किया गया है। इन चीजों का उपयोग नहीं होता, केवल प्रशिक्षण में 16 करोड़ 21 रुपये खर्च किये गये हैं। यह पूरा बंदरबाद है। कलेक्टर महोदय अध्यक्ष हैं, वह कुछ भी कर दें, कहीं भी कर दें, शासी परिषद का कहीं कोई अनुमोदन नहीं है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से उस दिन भी निवेदन किया था। हम जब उस शासी परिषद में नहीं थे तो कम से कम लोगों को जवाब देने से बचते थे, आज हम क्या जवाब दें ? ठेकेदार जाकर काम कर रहे हैं, कहीं बोर्ड

नहीं लगा है। कौन ठेकेदार है, कौन सा विभाग है ? जबकि डी.एम.एफ. में स्पष्ट है कि पहले बोर्ड लगायें, कार्य की लागत राशि बतायें, कार्य एजेंसी कौन है, यह बतायें। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े दिल के आदमी हैं। 20 लाख का काम 50 लाख तक के लिए ग्राम पंचायत को अधिकृत किये हैं। 20 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख का, साढ़े 6 लाख का यात्री प्रतीक्षालय ठेकेदार बना रहा है। साढ़े 4 लाख का जिम ठेकेदार लगा रहा है। 5 लाख की बिजली ठेकेदार लगा रहा है। अध्यक्ष महोदय, डी.एम.एफ. में पूरा बंदरबाट हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में यह बात आ रही है। इसको शिकायत मान करके कृपया जांच की घोषणा कर दीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये जब कोरोना काल था तब सबसे ज्यादा काम स्वास्थ्य विभाग में काम हुआ है, और यह बात बिल्कुल सही है कि चांपा-जांजगीर जिले में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उसमें दूसरे मैदानी जिलों की अपेक्षा में कमी है। इसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वह स्वास्थ्य विभाग में दिया गया है वह है 30 करोड़ 89 लाख रुपये। दूसरा, कृषि क्षेत्र में 14 करोड़ 73 लाख रुपये, शिक्षा के क्षेत्र में 14 करोड़ 67 लाख रुपये और कौशल विकास में 12 करोड़ 30 लाख रुपये, वह जिसकी प्रशिक्षण की बात कह रहे हैं। भौतिक अधोसंरचना 1733 लाख, ऊर्जा एवं जल विभाजक में 505 लाख, युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये 335 लाख रुपये। अब इसमें यदि आपको कहीं भी एक particular शिकायत मिलती है तो मुझे लिखकर दे दें यह कलेक्टर को बता दे या अधिकारियों को दे।

श्री अजय चंद्राकर :- कलेक्टर के बारे में ही तो शिकायत है।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं, जनरल में थोड़ी न होगा, आपने generalize कहा। यदि particular किसी केस में शिकायत है तो निश्चित रूप से हम जांच करने में पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन शिकायत तो आये, आप तो general बात कर रहे हैं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं तो कलेक्टर को शिकायत कर चुका हूं। एक नहीं अनेक पत्र भी लिख चुका हूं कि D.M.F. मद से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुये (शेम-शेम की आवाज)। शासी परिषद का सदस्य हूं इसलिये कृपया करके मुझको भी कॉपी उपलब्ध करवाया जाये। उन्होंने कॉपी उपलब्ध नहीं करवाया, मैंने जब विधान सभा में प्रश्न लगाया, तब जाकर यह चीज हमारी जानकारी में आयी कि यह खर्चा हुआ है नहीं तो यह हमारी जानकारी में भी नहीं था। आप बोल रहे हैं तो मैं आपसे इसकी व्यक्तिगत भी शिकायत करूंगा क्योंकि कलेक्टर से शिकायत करने का कोई औचित्य नहीं है, न वह जांच करेंगे क्योंकि सकल करम करने वाले वही है, तो जांच कहाँ से करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- सकल करम क्या होता है ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सकल करम का मतलब यही बंदरबाट।

मैं आपसे केवल यही आश्वासन चाहता हूँ कि जांच करवा दीजिये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये माननीय सदस्य जो इस प्रकार से कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत सीनियर सदस्य हैं और चंद्रा जी गंभीर मामले भी उठाते हैं। तो मैं यह आग्रह करूंगा कि आपको किसी क्षेत्र में किसी विभाग के द्वारा कहीं किये गये कार्यों की शिकायत मिली है तो मुझे दीजिये मैं उसकी जांच करवाऊंगा। लेकिन बिना बताये आप वेग में कहेंगे कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सब की जांच करवायें तो ऐसे में संभव नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है। चंदेल जी।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल-बिल्कुल, मैं शिकायत करूंगा और मेरा अंतिम प्रश्न है इसमें प्रभावी क्षेत्र, प्रत्यक्ष प्रभावी और अप्रत्यक्ष प्रभावी, तो यह दोनों क्षेत्र के लिये D.M.F. मद के गाइडलाइन के जो मापदण्ड हैं, क्या यह राशि खर्च की गयी है और क्या उस मापदण्ड का पालन किया गया है ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मापदण्ड बना है, उसके अनुसार ही स्वीकृति होती है और कार्य होते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल जी।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासी परिषद की बैठक में हम सब लोग थे और आप भी थे। प्रभारी मंत्री जी उस समय अध्यक्ष थे बाद में कलेक्टर, अध्यक्ष बने। पूरे कोरोना काल में, आपने कोरोना के लिये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा instrument खरीदा, वह ठीक है। लेकिन पूरे कोरोना काल में 16 करोड़ रुपये का प्रशिक्षण हो गया (शेम-शेम की आवाज), वहां पर प्रशिक्षण का विषय आया भी नहीं था कि हमको प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय :- आप भाषण मत दीजिये, आप प्रश्न करिये कि क्या पूछना चाहते हैं। क्या कोरोना काल में प्रशिक्षण हुआ है, आप यह पूछ रहे हैं ?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न यह है कि क्या कोरोना काल में प्रशिक्षण हुआ है और किसकी अनुमति से हुआ है और किसने अनुमोदन किया था ?

अध्यक्ष महोदय :- इसमें तो कलेक्टर अध्यक्ष हैं तो आपका अनुमोदन क्यों चाहिये ?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, तो कलेक्टर अकेले थोड़ी करेंगे। परिषद का अनुमोदन चाहिये न।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। श्री सौरभ सिंह जी, आप पूछ ले, मंत्री जी एक साथ जवाब दे देंगे।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो D.M.F. का कानून है और D.M.F. की जो गाइडलाइन है, उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि प्रतिवर्ष ऑडिट होगा और वह ऑडिट रिपोर्ट website के माध्यम से सार्वजनिक की जायेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि

जांजगीर-चांपा जिले की ही बात कर लीजिये बाकी जिलों को छोड़ दीजिये। अंतिम बार कब ऑडिट हुआ था और उस ऑडिट की रिपोर्ट कब सार्वजनिक हुई ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी जानकारी अलग से दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- थैंक्यू।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि एक, ऑडिट नहीं हुआ है, किसी जिले में भी नहीं हुआ है और दूसरा, मेरा निवेदन है कि पूरे प्रदेश में जो website में भी खर्चा हो रहा है, वह website में अपलोड होना चाहिये, मेरा आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इसको कृपापूर्वक करवा लें तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा, चीजें बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आ जायेगी कि कहां पर क्या-क्या हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 10, प्रकाश शक्राजीत नायक।

रायगढ़ जिले में वन भूमि व्यपवर्तन के तहत उद्योगों एवं खदानों को दी गई भूमि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

10. (*क्र. 769) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2019 से जनवरी, 2022 तक कुल कितनी भूमि विभाग द्वारा वन भूमि व्यपवर्तन के तहत उद्योगों और खदानों को दी गयी है ? कुल कितनी भूमि में वैकल्पिक वृक्षा रोपण किया जा चुका है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2019 से जनवरी, 2020 तक प्रश्नाधीन अवधि में वन भूमि व्यपवर्तन के तहत उद्योगों और खदानों को नहीं दी गई है। अतएव उक्त अवधि में वैकल्पिक वृक्षारोपण का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में आया है और मैं माननीय मंत्री जी से एक छोटा-सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि तमनार ब्लॉक में जो महाजेनको कंपनी है, उसको जो कोल ब्लॉक आबंटित की गयी है, उसमें क्या वन भूमि आ रही है कि नहीं आ रही है ?

अध्यक्ष महोदय :- इतना छोटा-सा प्रश्न ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न था कि रायगढ़ जिले में वर्ष 2019 से जनवरी, 2022 तक कुल कितनी भूमि विभाग द्वारा वन भूमि व्यपवर्तन के तहत उद्योगों और खदानों को दी गयी है ? तो इसमें कोई भूमि नहीं दी गई है।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल उसी तारतम्य में पूछा है कि तमनार ब्लॉक में महाजेंटों कंपनी को कोल ब्लॉक में वन भूमि आ रही है या नहीं आ रही है, मेरा इतना

छोटा सा सवाल है। अगर कोल ब्लॉक में वन भूमि आ रही है तो आ रही है और यदि नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह था कि कितना दिया गया। अब कौन सी वन भूमि कोल ब्लॉक में आ रही है या नहीं आ रही है तो एकदम अचानक से पूछ देंगे तो कैसे बताया जा सकता है।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न तैयार करके अगली बार पूछना।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछ ही रहा हूँ। वहां पर कोल ब्लॉक आवंटित हुई है, उसमें आपने जवाब दिया है कि वन भूमि नहीं आयी है। मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कोल ब्लॉक में वन भूमि आयी है या नहीं आयी है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लोग प्रश्न की तैयारी करके आते हैं और तैयारी करके आने के बाद प्रश्न पूछते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब पूरक प्रश्न पूछते हैं तो उसको देखते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि आपका संरक्षण मिलना चाहिए और वह बराबर तैयारी करके आते हैं। इसलिए सारे प्रश्न लगते हैं। हमारे प्रश्नकाल का महत्व है, यहां एक-एक सदस्य तैयारी करके आते हैं तो आपका संरक्षण नहीं मिलेगा तो प्रश्न पूछना संभव नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय :- जब वह कह रहे हैं कि वैकल्पिक वृक्षारोपण का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्नाधीन अवधि में वन भूमि व्यपवर्तन के तहत उद्योगों और खदानों को नहीं दी गई है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसा मंत्री जी का जवाब आता है, लेकिन उसका औचित्य है और यदि नहीं है तो हम संशोधन करके पूछते हैं तो हमें आपका तो संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं तो संशोधन कुछ ऐसा कर रहे हैं कि यहां उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर ...।

अध्यक्ष महोदय :- यदि आपको कोई विशिष्ट जानकारी है तो आप बताइये ?

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। यहां पर उत्तर में आया है कि कोई वन भूमि आवंटित नहीं की गई है जबकि तमनार ब्लॉक के महाजेनको कंपनी को भूमि आवंटित की गई है, उसके बदले में रायगढ़ के नटवरपुर से जमीन भी प्रतिपूर्ति के लिए ली गई है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि वहां वन भूमि आवंटित की गई है या नहीं की गई है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायगढ़ जिले में वर्ष 2019 से जनवरी 2022 तक प्रश्नाधीन अवधि में वन भूमि व्यपवर्तन के तहत उद्योगों और खदानों को नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय :- अब कैसे करेंगे ? रेणु जोगी जी।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लिया गया ऋण

[आवास एवं पर्यावरण]

11. (*क्र. 206) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से कुल कितनी राशि का ऋण लिया गया है? क्या इस प्राधिकरण को अगस्त, 2021 में बैंक से डिमांड नोटिस जारी किया गया था? (ख) क्या जनवरी 2022 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अटल नगर विकास प्राधिकरण का कब्ज़ा सूचना प्रकाशित की है? यदि हाँ, तो इस सूचना पर शासन द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं? (ग) 01 फरवरी, 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का कुल कितना ऋण है? इस पर कितने वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाएगा?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र -"अ" ⁴ अनुसार। जी हां। (ख) जी हां। ऋणों के पुनर्गठन हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर लेख किया गया है। (ग) वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में कुल ऋण 84,223 करोड़ है। जानकारी संलग्न प्रपत्र-"ब" अनुसार है।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय वन मंत्री जी से जानना चाहा है कि अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रायपुर से कुल कितनी राशि का ऋण लिया गया है? क्या जनवरी 2022 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अटल नगर विकास प्राधिकरण का कब्ज़ा सूचना प्रकाशित की है? यदि हाँ, तो इस सूचना पर शासन द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं? और मेरा तीसरा प्रश्न इसी में है कि 01 फरवरी, 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का कुल कितना ऋण है? इस पर कितने वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय :- आपने इसका उत्तर दिया है, आपने नहीं देखा।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अभी जो भी जानकारी चाही है, वह पूरा उत्तर के साथ में ही है।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी, पर मेरे पास इस प्रश्न के तीन उत्तर आये हैं। माननीय वन मंत्री जी के द्वारा संशोधित उत्तर और इसी प्रश्नोत्तरी में अतारांकित प्रश्न क्रमांक

⁴ परिशिष्ट "चार"

9(275) में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जवाब दिया गया है मैं तीनों उत्तरों का उल्लेख करना चाहूंगी पहले आपने कहा है कि अप्रैल 2019 में आहरित राशि 369 करोड़ रुपये ली गई थी और उसका उपयोग किन कार्यों में किया गया, इसका उल्लेख नहीं किया गया है फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का अतारांकित प्रश्न का उत्तर आया है, वर्ष 2019 से 2022 तक 31,750 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया था जिस पर 14,262 रुपये का ऋण या ब्याज का भुगतान किया गया है और अभी-अभी मेरे पास आपके पुनर्निरीक्षण प्रश्न का जवाब आया है। वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में कुल ऋण 84,223 करोड़ रुपये है। इसमें तीनों उत्तरों में कौन सा सही है और इस ऋण का उपयोग अटल नगर विकास प्राधिकरण में कहाँ किया गया है, कृपया आप बताने की कृपा करें ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो, तीन प्रश्नों को लेकर इसमें जानकारी मांगी गयी है और विभाग अलग-अलग हैं। मान लो, इनको यदि स्पेसीफिक जानकारी चाहिए तो मैं जानकारी दे दूंगा लेकिन अभी दूसरा प्रश्न जो मेरे सामने नहीं है तो मैं उसको न पढ़ सकता हूँ, न उसका उत्तर दे सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने दो बार माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ लिया है, उसके बाद क्यों वन मंत्री जी के पीछे पड़े हैं ?

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि तीन अलग-अलग उत्तर आ गए हैं। इसमें कौन सा उत्तर सही है। आखिरी उत्तर में सबसे अधिक ऋण 84,223 करोड़ रुपये का है, बीच में करीब 40 करोड़ रुपये का है और शुरू में आपने कहा कि वित्त विभाग के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उसका क्या उपयोग हुआ है? मैं अंतिम प्रश्न यह भी पूछूंगी कि यूनियन बैंक का जो ई.एम.आई. और ऋण भुगतान करना था, वह समय पर नहीं हो पाया है तो क्या कब्जा नोटिस, डिमांड नोटिस आदि अटल नगर विकास प्राधिकरण को दिया गया है, कृपया बताएं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा वर्ष 2017 में 200 करोड़ रुपये, वर्ष 2018 में 179 करोड़ रुपये का ऋण लिया। 179 करोड़ रुपये के ऋण को लेकर उस समय 203 करोड़ रुपये की रिटेल बिल्डिंग नाम का व्यावसायिक परिसर बना दिया। ब्याज, जमीन मूल्य जोड़कर 262 करोड़ रुपये का बिल्डिंग बना जो बिक नहीं रहा है और इसके कारण यह राशि नहीं पटाई जा सकी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, आप तत्कालीन सरकार का उपयोग कीजिए न, उसमें भाजपा का नाम लगाना जरूरी था क्या ? ऋण को तत्कालीन सरकार ने लिया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए और कुछ पूछना है।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- जी। कांग्रेस की सरकार वर्ष 2018 में बन गयी थी, तब यह ऋण वर्ष 2019 में लिया गया है और इसका क्या उपयोग हुआ है, मैं यही जानना चाहती हूँ। इसका जो भुगतान है, कब्जा नोटिस, डिमांड नोटिस और अभी भी ई.एम.आई नहीं चुका पा रहे हैं, शायद कई वजहों से शासन के पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके लिए आप उस नई राजधानी से कैसे पैसा लाकर इन सब ऋणों को चुकता करेंगे, उसमें आपकी क्या प्लानिंग है ? मैं यह भी कहना चाहूंगी, मैंने कल ही किसी अखबार में देखा कि अधिकारियों, मंत्रियों, राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के काफी बड़े-बड़े घर बन रहे हैं। खैर, विधायकों को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आपकी कृपा से हम लोग जहां भी रह रहे हैं, रह रहे हैं। इस पैसे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। इससे अभी जो किसानों की जमीन अधिग्रहित की थी, उसका भी मुआवजा उनको प्राप्त नहीं हुआ है। यह जो उनकी पांच मांगें हैं, उनमें यह भी एक प्रमुख मांग है। उसके बारे में उनको मुआवजा कब तक दिया जाएगा, कृपया बताएं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन अलग-अलग बातें हैं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगणों के बंगले के बारे में है। एक किसानों के मुआवजा के बारे में है और एक नया रायपुर में जो निर्माण हुआ है उसके बारे में है। अब मैं एक-एक लाईन में तीनों जानकारी दे देता हूँ। तत्कालीन सरकार के समय जो बहुत अधिक निर्माण कार्य हुआ है वह 10,000 रुपये से ज्यादा राशि से 1 वर्गफुट का निर्माण हुआ है यदि उसको उदाहरण के तौर पर देखा जाये तो अंबुजा मॉल के पास की भी उतनी दर नहीं है। अब इतना महंगा निर्माण विक्रेता मात्र 10 प्रतिशत क्षेत्र बिक पाया है और इसके कारण वह राशि जमा नहीं हो पायी है। दूसरी बात यह कि वह एन.आर.डी.ए. की राशि नहीं है, लोकनिर्माण विभाग के द्वारा उसका निर्माण होता है, उससे उसका कोई लेना-देना नहीं है। तीसरी बात यह कि किसानों के मुआवजा के संबंध में आपने जो बात कही उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीन बार जो एक उपसमिति बनायी थी, जो मंत्रिमण्डल की समिति थी उसमें मैं स्वयं, माननीय रविन्द्र चौबे जी एवं माननीय शिव डहरिया जी हम लोगों ने 3 दौर की बैठक की। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी एक-बार की बैठक उनसे हुई थी। हमने उनकी 8 में से 6 मांग स्वीकार कर ली है और आज सदन के माध्यम से भी आग्रह है कि वे अपने आंदोलन को समाप्त कर लें।

अध्यक्ष महोदय :- श्री डमरूधर पुजारी।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपके वित्तीय साधन अटल नगर विकास प्राधिकरण में किस प्रकार बढ़ाने की योजना है कि आपका जो इतना बड़ा, लंबा-चौड़ा कर्ज लिया गया है उसका भुगतान शीघ्र हो सके या हम लोग हमेशा कर्ज में ही डूबे रहें तो यह एक बहुत चिंताजनक विषय है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिये कार्ययोजना बनायी गयी है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री डमरूधर पुजारी।

तैदूपत्ता संग्रहण, वितरण एवं विक्रय

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

12. (*क्र. 1061) श्री डमरूधर पुजारी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) प्रदेश में कितनी वनोपज समितियों के द्वारा 01 जनवरी 2019 से 10 फरवरी, 2022 की स्थिति में तैदूपत्ता के संग्रहण और वितरण/विक्रय का कार्य किया जाता है ? वर्षवार जिलेवार बतावें। (ख) इनमें से कितनी समितियों के कितने तैदूपत्ता संग्राहकों को कब-कब बोनस, कितना-कितना वितरित किया गया है और कितना बोनस, कब से वितरित किया जाना शेष है व क्यों ? इन्हें कब तक बोनस वितरण किया जाएगा ? कंडिका 'क' अवधि में तैदूपत्ता संग्राहक को अंतिम बार बोनस/प्रोत्साहन राशि का वितरण किस वर्ष के लिए किया गया है और किस-किस वर्ष का किया जाना शेष है, इन्हें कब तक किया जावेगा ?

वन मंत्री(श्री मोहम्मद अकबर) : (क) प्रदेश में 01 जनवरी 2019 से 10 फरवरी 2022 की स्थिति में कुल 901 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा सीजन 2019, 2020, एवं 2021 का संग्रहण किया गया है और विक्रय का कार्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया गया है। वर्षवार एवं जिलेवार संग्रहण एवं विक्रय की जानकारी **संलग्न प्रपत्र**⁵ में दर्शित है । (ख) वर्ष 2019 सीजन हेतु लाभ वाली 597 समितियों के 8.34 लाख संग्राहकों को राशि रुपये 71.11 करोड़ का प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरित किया जाना है, जिसमें से दिनांक 13.10.2021 से 10.02.2022 के मध्य रुपये 66.05 करोड़ एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से संग्राहकों के बैंक खातों में वितरण हेतु राशि का हस्तांतरण किया गया है । शेष प्रोत्साहन पारिश्रमिक के वितरण हेतु संग्राहकों के बैंक खातों की जानकारी प्राप्त कर हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है, जिसे यथा शीघ्र पूर्ण किया जावेगा । वर्ष 2020 सीजन हेतु 452 लाभ वाली समितियों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के वितरण योग्य राशि की गणना की जा रही है । राशि का वितरण कार्य यथा शीघ्र किया जावेगा । वर्ष 2021 सीजन के विक्रय की पूर्ण राशि एवं वार्षिक लेखा प्राप्त नहीं हुआ है । विक्रय की पूर्ण राशि तथा वार्षिक लेखा प्राप्त होने के पश्चात् प्रोत्साहन पारिश्रमिक की गणना कर वितरण कार्य यथा शीघ्र प्रारंभ किया जावेगा । वर्ष 2022 सीजन का संग्रहण कार्य अप्रैल 2022 से प्रारंभ होना है । अतः प्रोत्साहन पारिश्रमिक के वितरण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तैदूपत्ता बोनस के विषय में अपना प्रश्न लगाया था और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि चूंकि आपने अपने उत्तर में बताया है कि वर्ष 2020 और 2021 के तैदूपत्ता बोनस का भुगतान नहीं हुआ है तो यह भुगतान कब तक किया जायेगा और भुगतान नहीं होने के क्या कारण हैं ?

⁵ परिशिष्ट "पांच"

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बोनस का भुगतान पूरा विक्रय के बाद और पूरा हिसाब-किताब मिलान के बाद ऑडिट होगा और ऑडिट के बाद ही उसको दिये जाने की प्रक्रिया है। जैसे ही ऑडिट होगा, भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार इतने दिनों से तैदूपत्ता बोनस का भुगतान नहीं कर रही है। ब्याज सहित इसका भुगतान कब तक ग्राहकों को किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- क्या आप समय-सीमा बता सकते हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑडिट के तत्काल बाद।

अध्यक्ष महोदय :- जैसे ही ऑडिट हो जायेगा उनके पैसे का भुगतान हो जायेगा। डॉ. लक्ष्मी धुव जी। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्न के जवाब में आया है कि वर्ष 2019 के सीजन का ही 5 करोड़ रुपये बचा है, ऑडिट हो गया है तभी तो वह भुगतान हुआ है। 71 करोड़ के विरुद्ध 67 करोड़ का भुगतान किया गया है। आज माननीय मंत्री जी के जवाब में आया है कि 5 करोड़ रुपये वर्ष 2019 के सीजन का ही बचा है तो उस 5 करोड़ का कब भुगतान होगा ? ऑडिट हो गया, सब-कुछ हो गया तो उसका कब भुगतान होगा ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो वर्तमान वर्ष के बारे में जो वर्ष 2021 वाले की ऑडिट की बात है और जहां तक आप वर्ष 2019 का चाहते हैं तो मैं बता देता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने इसको कल तो पूछा था।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संग्रहण वर्ष 2019 सीजन में तैदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक हेतु वितरण योग्य राशि 71.15 करोड़ में से व्यय राशि 49.59 लाख घटाकर वितरण योग्य राशि 70.65 का वितरण किया जाना है जिसमें आज दिनांक तक राशि 66.56 करोड़ की राशि के वितरण हेतु बैंक को प्रेषित किया जा चुका है और शेष 4.9 करोड़ की राशि कई संग्राहकों के बैंक खाते नहीं खोले जाने के कारण लंबित है। बैंक को प्रेषित राशि में से राशि 5.56 करोड़ संग्राहकों के सही बैंक खातों की जानकारी प्राप्त होने के साथ ही उनको दे दिया जायेगा।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- अब क्या आपति है भई ? डॉ. लक्ष्मी धुव।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गरियाबंद जिले में कितने तैदूपत्ता संग्राहकों को बोनस का वितरण किया जाना है, माननीय मंत्री जी कृपया राशि सहित जानकारी दें।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानकारी देंगे तो उसको हम जितनी जल्दी हो सके करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- চলিয়ে, गरियाबंद का है उनको दे दीजियेगा।

श्री मोहम्मद अकबर :- जी ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी ।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- वे आपको जानकारी दे रहे हैं ।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में ऑडिट कब तक होगा?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको जल्दी कराने का प्रयास करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी ।

कृषि पम्प हेतु लंबित स्थायी/अस्थायी कनेक्शन

[ऊर्जा]

13. (*क्र. 279) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने कृषि पम्प स्थायी व अस्थायी कनेक्शन हेतु लंबित हैं ? इनमें से कितने आवेदन 01 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) पम्प कनेक्शनों की स्वीकृति की घोषणा के पश्चात 31 जनवरी, 2022 तक कितने लंबित पम्पों को कनेक्शन दिया गया है तथा कितने शेष हैं और उन्हें कब तक कनेक्शन दिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) दिनांक 31 जनवरी 2022 की स्थिति में सिहावा विधानसभा क्षेत्र में अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन हेतु लंबित आवेदनों की संख्या निरंक है। स्थाई कृषि पंप कनेक्शन हेतु उक्त विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड मगरलोड में 192 तथा नगरी में 420, इस प्रकार कुल 612 आवेदन लंबित हैं। इनमें से 01 वर्ष से अधिक अवधि के लंबित आवेदनों की संख्या निरंक हैं। लंबित 612 आवेदनों में से विद्युत लाइन विस्तार कार्य हेतु 437 तथा आवेदकों द्वारा औपचारिकतापूर्ण करने हेतु 175 आवेदन लंबित हैं (ख) सदन में दिनांक 02.03.2021 की घोषणा के अनुरूप दिनांक 31 जनवरी 2022 तक विद्युत लाइन विस्तार कार्य हेतु लंबित सभी 713 पंपों जिनमें विकासखण्ड मगरलोड में 330 तथा नगरी में 383 विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। दिनांक 31.01.2022 के पश्चात् औपचारिकतापूर्ण किये गये लंबित 437 कृषि पंपों के लाइन विस्तार के कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में किये जाने के प्रयास हैं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष डेम से पानी न देने के कारण जो किसान हैं, उन्होंने डबल फसल बोया था तो अपने विद्युत कनेक्शन के लिए बहुत चिंतित थे, लेकिन माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का आश्वासन मिला है और उस आगामी वित्तीय वर्ष तक हो जायेगा। तो मैं इस उत्तर से संतुष्ट हूँ।

राजनांदगांव जिले में जल आवर्धन योजना के तहत स्वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

14. (*क्र. 971) श्री दलेश्वर साहू : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या राजनांदगांव जिले में जल आवर्धन योजना संचालित है? यदि हाँ तो जनवरी, 2022 तक उक्त योजना के तहत कहाँ कहाँ कार्य स्वीकृत किये गये हैं, स्वीकृत कार्य कब प्रारम्भ हुआ है और कब तक पूर्ण किया जाना था? अपूर्ण कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने का क्या कारण है? स्वीकृत कार्यों की कार्य प्रगति एवं शेष कार्य की कार्यवार, योजनावार जानकारी दें?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : जी हां, राजनांदगांव जिले में जल आवर्धन योजनाएं संचालित हैं। ग्रामीण संचालित आवर्धन योजनाओं की सूची “पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-अ” अनुसार है। शहरीय संचालित आवर्धन योजनाओं की सूची “पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-ब” अनुसार है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनवरी 2022 तक रेट्रोफिटिंग/आवर्धन जल प्रदाय योजनाओं के स्वीकृत कार्य, उनका प्रारंभ होने का दिनांक, पूर्ण करने का समय, अपूर्ण कार्य की जानकारी एवं पूर्ण नहीं होने के कारण, कार्य की प्रगति एवं शेष कार्य की कार्यवार, योजनावार जानकारी “पुस्तकालय में रखें प्रपत्र- स” अनुसार है।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न जल आवर्धन से संबंधित है। राजनांदगांव और डोंगरगांव का है। एक डॉ. रमन सिंह का इलाका है और एक मेरा इलाका है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिए। समय समाप्त हो रहा है।

श्री दलेश्वर साहू :- मेरा अपने कार्यकाल में मैं भी चालू नहीं करवा पा रहा हूँ। वे भी मुख्यमंत्री होते हुए भी अपने कार्यकाल में अपनी ही योजना का प्रारंभ नहीं करा पाये और ये लेट होने का क्या कारण है ? मेरा प्रश्न समाप्त होने पर इसे जांच करवायेंगे क्या ? साहब, मैंने पिछले वर्ष भी ध्यानाकर्षण लगाया था, पर आश्वासन देने के बावजूद भी उसकी जांच नहीं हो पायी। क्या उनकी जांच करवायेंगे क्या ? मैं अपने कार्यकाल में प्रारंभ कर पाऊंगा क्या ? मंत्री जी जवाब देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, ठीक है। मंत्री जी।

श्री गुरु रुद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष जी, जांच कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस कार्य को हम इनके कार्यकाल में पूर्ण करके देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। पुन्नूलाल मोहले जी। प्रश्न संख्या 15. आप भी जल्दी करिए।

नवा रायपुर प्रभावित किसानों के लिए गठित सशक्त समिति

[आवास एवं पर्यावरण]

15. (*क्र. 1002) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क)नवा रायपुर, अटल नगर के प्रभावित भूमिस्वामियों के लिए गठित सशक्त समिति की 11वीं व 12वीं बैठक में क्या-क्या निर्णय लिया गया था? (ख)कंडिका अनुसार सशक्त समिति की 11वीं,12वीं बैठक में लिए गए निर्णयों में कितने का क्रियान्वयन किया जा चुका है? (ग)जिन-जिन निर्णयों का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका है उसका कारण क्या है एवं कब तक क्रियान्वयन कर लिया जावेगा ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र ⁶ अनुसार । (ख) 11 वीं बैठक में लिये गये 12 निर्णयों में से 09 तथा 12वीं बैठक में लिये गये 22 निर्णयों में से 19 का क्रियान्वयन किया जा चुका है। (ग) शेष प्रकरणों में कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समिति की रिपोर्ट में बैठक में 12 निर्णयों में से 09 निर्णय लिया गया और तथा 22 निर्णयों में से 19 में निर्णय लिया गया। ये जो बकाया निर्णय लिये गये हैं, कौन-कौन से निर्णय अभी तक नहीं हुए, उसके बारे में बतायेंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर के साथ ही पूरा दिया गया है कि किसका हुआ है और किसका नहीं हो पाया है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- वह मुझे पहले मालूम है। नहीं हो पाया उसके बारे में जानकारी चाह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- वह भी दिया गया है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- नहीं, हुआ है।

श्री मोहम्मद अकबर :- उसमें दोनों है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- नहीं है।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप देख लीजिए न।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं देख लिया हूं। जो निर्णय नहीं हुआ है, उसे बताइए न। 3 निर्णय कौन-कौन से नहीं हुए, मुझे बता दीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो नवा रायपुर, अटल नगर विकास प्राधिकरण में जो आंदोलन चल रहा है, ये जिस बैठक का आप उल्लेख कर रहे हैं, ये आप लोगों के

⁶ परिशिष्ट "छः"

समय का है और वह क्रियान्वयन नहीं होने के कारण ही आंदोलन हुआ है। उसमें जो उनकी 8 मांगें थीं, उनमें से हमने जो 6 को पूरा किया है, क्या आप से जानना चाहते हैं ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हां, जानना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- जानना चाहते हैं ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हां, जी।

अध्यक्ष महोदय :- महाराज, वह तो सभी जगह छपा है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- 3 बताइए।

अध्यक्ष महोदय :- फटाफट बता दीजिए।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- बबा ला पढ़े ला नहीं आवे न।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पहली मांग है ग्रामीण बसाहट का आवासीय पट्टा का वितरण, अब आपके समय का उसमें वी.डी.पी. यानी विलेज डेव्हलपमेंट प्लांट जिस गांव में होगा, उसके आधार पर ही पट्टा दिया जायेगा। तो उस समय वह पट्टा नहीं दिया जा सका है। विलेज डेव्हलपमेंट प्लांट के कारण। क्योंकि विकास हुआ नहीं और पट्टा दे नहीं पा रहे हैं। तो इस सबको हटाते हुए और इस सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो जहां बसा है, उसे पट्टा दे दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- हो गया, ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- धनेन्द्र साहू जी। प्रश्न संख्या 16

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय मेरा एक प्रश्न और है।

अध्यक्ष महोदय :- बोलिए न जल्दी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- नया रायपुर में प्रभावित किसानों को वार्षिक बोनस कब से नहीं दिया गया है और कब तक दे दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- उसे अलग से बता दिया जायेगा। आप उनके कक्ष में चले जाइएगा। प्रश्न संख्या 16.

प्रश्न संख्या 16 : XX XX

छग स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बिजली बिल की बकाया राशि की वसूली

[ऊर्जा]

17. (*क्र. 884) श्री अरुण वोरा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क). प्रदेश में 31 दिसम्बर, 21 की स्थिति में छग स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का कितने शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रों के उद्योगों पर 10 लाख से अधिक का बिजली का बिल बकाया है? जिलेवार जानकारी दें?, (ख). प्रश्नांक (क) की अवधि अनुसार बकाया राशि की वसूली के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं कितनी राशि की वसूली हुई?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रदेश में दिनांक 31 दिसम्बर 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के 1231 शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं तथा 154 निजी क्षेत्रों के उद्योगों पर राशि रूप 10 लाख से अधिक का बिजली बिल बकाया है। बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं के संख्या की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र⁷** अनुसार है। (ख) उत्तरांश "क" में उल्लेखित अवधि दिनांक 31 दिसम्बर 2021 की स्थिति में बकाया राशि की वसूली के लिये छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने हेतु प्रारंभिक नोटिस जारी किया गया तत्पश्चात् बकाया राशि जमा न करने की स्थिति में 79 उपभोक्ताओं के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही की गई है, 12 उपभोक्ताओं को बी फार्म, 21 उपभोक्ताओं को सी फार्म, तथा 21 उपभोक्ताओं को आर.आर.सी. जारी किया गया। 29 प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं। उपरोक्त में से कुल 164 उपभोक्ताओं से 4,782.95 लाख की वसूली की गई है। उपभोक्ताओं से वसूली हेतु की गई कार्यवाही तथा वसूली गई राशि की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** के कॉलम क्रमांक 7 से 13 में दर्शित हैं।

श्री अरुण वोरा :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति में प्रदेश में कुल 1385 उपभोक्ताओं के 21 करोड़ 59 लाख 41 हजार बकाया राशि के विरुद्ध 164 उपभोक्ताओं से 4782.95 लाख की वसूली की गई है। शेष उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और इसके लिए क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है? साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न और कर लेता हूं। रायपुर जिले में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के 1 करोड़ से अधिक बकाया राशि के कितने उपभोक्ता हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- एकाध और कर लीजिए ताकि 12 बज जाये। (हंसी)

श्री अरुण वोरा :- वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के आय-व्यय की क्या स्थिति थी ?

अध्यक्ष महोदय :- और स्पष्ट करें। (हंसी)

⁷ परिशिष्ट "सात"

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 लाख से अधिक बकाया राशि वाले शासकीय सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के उपभोक्ताओं को दिनांक 11.03.2022 की स्थिति में प्राप्त राशि का विवरण :- शासकीय एवं सार्वजनिक क्षेत्र- 1231, निजी क्षेत्र के उद्योग 154 जो बकाया की जानकारी शासकीय एवं सार्वजनिक क्षेत्र के 711 करोड़ का है और निजी क्षेत्र का 447 का। वसूली की गई राशि, उसमें संख्या सार्वजनिक क्षेत्र में 156 वसूली की गई राशि 25.29 करोड़। निजी क्षेत्र में 59 की वसूली की गई और 111.91 करोड़ की वसूली की गई। इस प्रकार से कुल संख्या 1385 और जो राशि है 2 हजार 159.42।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय :

12.00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ सोन्डिहा कोल कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सोन्डिहा कोल कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 पटल पर रखता हूँ ।

(2) छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 पटल पर रखता हूँ ।

(3) वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 37/14/वित्त/विआप्र//चार/2021

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 37/14/वित्त/विआप्र//चार/2021, दिनांक 29 जुलाई, 2021 पटल पर रखता हूँ ।

(4) छत्तीसगढ़ लोक आयोग का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ लोक आयोग का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखता हूँ ।

(5) छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 पटल पर रखता हूँ ।

(6) छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2019-20

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2019-20 पटल पर रखता हूँ ।

(7) राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 पटल पर रखती हूँ ।

(8) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2020-21

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2020-21 पटल पर रखता हूँ ।

(9) छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखता हूँ ।

समय :

12.02 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)

पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि नवा रायपुर में जो किसान आंदोलनरत् हैं, उनमें से कल एक किसान आंदोलन में भाग लेने आते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हुई । दो महीने से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं । सियाराम पटेल नामक किसान की मृत्यु 11 तारीख को हुई । मृत्यु का कारण धूप, पानी की कमी और सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, यह मृत्यु का एक बड़ा कारण था । कल आंदोलन में भाग लेने के लिए आते समय रास्ते में एक किसान की मृत्यु हुई । माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, जब वे विपक्ष में थे,

कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए उस स्थान पर गए थे, माननीय टी.एस.सिंहदेव साहब, माननीय धनेन्द्र साहू, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आदरणीय पुनिया जी । सारे लोग उस आंदोलन को समर्थन देने गए और आज उनकी मांगों को क्यों नहीं मान रहे हैं ? पहले सार्वजनिक रूप से कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम सारी मांगों को पूरा करेंगे । आज मुख्यमंत्री जी पीछे क्यों हट रहे हैं ? लखीमपुर में जाते हैं तो किसान को 50 लाख रूपए मुआवजा देकर आते हैं और छत्तीसगढ़ के किसान के साथ भेदभाव करते हुए 4 लाख रूपए दे रहे हैं । मृतक के परिवार को कम से कम एक करोड़ मिलना चाहिए। उस परिवार के एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी देना चाहिए । इस विषय पर हमारा स्थगन है, आप उसको ग्राह्य करके चर्चा कराएं, मैं आपसे निवेदन करता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरुद) :- माननीय अकबर जी, पश्चिम दिशा की ओर देखकर बोल रहा हूं इसलिए और ज्यादा सत्य बोल रहा हूं । आप उसको समझ जाएंगे । पश्चिम दिशा की ओर देखकर बोल रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भूपेश बघेल जी की राजनीति किसानों पर केंद्रित है, हमने ऐसा किया, आपने यह बनवाया, हमने वह बनवाया । लेकिन तथाकथित किसान नेता के राज में वहां पर किसान मर रहे हैं और कांग्रेस ने जिस आंदोलन को नैतिक रूप से समर्थन दिया था, कहां गई उसकी वह योजना और कहां गए वो शब्द और कहां गए आपके आश्वासन? नैतिकता और विश्वसनीयता यह होती है, जिसे आप खो चुके हैं और खो रहे हैं । इसलिए माननीय आप ही एक अपेक्षा हैं, इसलिए हमने सूचना दी है उसको पूरा ग्राह्य करते हुए किसानों का मरना रोका जाना चाहिए । उसके लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए । यह दिल्ली के बारे में क्या-क्या बात करते थे, उसकी संवेदनशीलता देखिये कि तीनों कानून वापस लिये गये लेकिन यहां फुर्सत नहीं है । किसानों के बारे में ए.सी. कमरे में रोज बैठक हो रही है और वे चिलचिलाती धूप में मर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया, हो गया। सुन लिये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण स्थगन दिया है। सबसे बड़ी बात कि यह किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। छत्तीसगढ़ की सारी अर्थव्यवस्था किसान के ऊपर आधारित है और खेत के ऊपर आधारित है और वही किसान, जो इस छत्तीसगढ़ का अन्नदाता है और भूमि पुत्र है। जो छत्तीसगढ़ की रीढ़ है, वही किसान आज नवा रायपुर में आंदोलन कर रही है और यह आंदोलन 70 दिन से ऊपर हो गये। लेकिन न उनसे वार्ता हो रही है, न बातचीत हो रही है और न ही उनकी समस्या का समाधान के विषय में सरकार आगे बढ़ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने स्थगन दिया है, सदन की कार्यवाही रोक करके उस पर चर्चा कराये।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी शून्यकाल की सूचना है कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान में पहले टेबलेट के द्वारा जो राशन का वितरण होता था, आज उसको EPOS के द्वारा किया जा रहा है और अभी उसका पूरा सिस्टम ठीक से बैठा नहीं है, जिसके कारण सर्वर डाउन

रहता है, कई दुकानों में बिजली नहीं है और उसके चलते कई दुकानों में बहुत विवाद की स्थिति बन रही है। चार-पांच जगह के जो राशन विक्रेता हैं, उनको मारपीट किया गया है। लंबी-लंबी लाईन लग रही है। तो मेरा आग्रह इसमें यह था कि जब तक EPOS का जो सिस्टम है, पूरे प्रदेश के राशन दुकानों में जब तक ठीक से वह संचालित नहीं हो जाता, उसका इंस्टालेशन नहीं हो जाता, तब तक अभी जो टेबलेट के द्वारा राशन का वितरण का काम था। माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि उसके चलते पूरे कई दुकानों में रोज देखते हैं, रोज पेपर में आ रहा है..।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मोहले जी।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- एफ.आई.आर. हो रहा है। तो अभी टेबलेट का जब तक EPOS पूरा इंस्टाल न हो जाए, तब तक पूरा टेबलेट के माध्यम से ही राशन देने का काम निरंतर काम चलता रहे।

उपाध्यक्ष महोदय :- मोहले जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुंगेली जिला के मदनपुर हायर सेकण्डरी स्कूल में पर्याप्त स्कूल भवन नहीं होने से बच्चों को परेशानी हो रही है। बच्चे बाहर में बैठकर पढ़ते हैं। अतः हाई स्कूल हेतु भवन की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री धरम लाल कौशिक जी। ध्यानाकर्षण।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनकपुर, जिला-कोरिया, ग्राम पंचायत नेरूवा, पंचायत सचिव छत्रपाल सिंह ने Suicide note लिखा है और उस Suicide note लिखकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया। उसमें उन्होंने वहां के जो जनपद पंचायत के सी.ई.ओ. है, वहां के जो पंचायत इंस्पेक्टर है और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है। उनके नाम से उन्होंने Suicide note में आरोप लगाया है कि दूसरे पंचायत सचिव से पचास हजार ले करके उनका ट्रांसफर किया, उसको प्रताड़ित किया जा रहा था और लगातार उसको हतोत्साहित किया जा रहा था और उनके प्रताड़ना से तंग आकर उस पंचायत सचिव ने फरवरी में ...।

श्री अजय चंद्राकर :- कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष (व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अजय जी, आप किसी के नाम का जिक्र क्यों कर रहे हैं? हम लोग भी एक किसान के Suicidal note में आपके क्षेत्र में गये थे। मैं और अकबर भाई गये थे। डॉ. रमन सिंह जी के कोपरिया के पास डेहरी गांव में Suicidal note में डॉ. रमन सिंह का नाम लिखा था। ऐसा थोड़ा होता है।

श्री अजय चंद्राकर :- कार्रवाई कर न त कौन मना करे हावय। तुंहर सरकार आ गय त करना कर्रवाई।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- एकर बर तो बनेच हावय। हो जाय त मुआवजा देहे बर पहुंच जाय। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- जेकर मन के ऊपर एक नान कन आदमी हर चिट्ठी लिखे हे तेन हर कार्रवाई के घोषणा करय हिम्मत हावय त। राजनीतिक तौर पर ऐती तेती मत घुमा।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फरवरी की घटना है। लगभग 27-28 दिन हो गई है। अभी तक उसमें एफ.आई.आर. नहीं हुआ है। उसकी जांच नहीं हुई है। कल लगभग तीन-चार हजार लोग, वहां के सब लोग परिवार के साथ में थाने में बैठे हुए थे और थाना में बैठने के बाद में अभी भी एफ.आई.आर. नहीं हुआ है। ये बोल रहे हैं कि अभी जांच बाकी है। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे क्षेत्र में लोग आक्रोशित हैं। पूरे प्रदेश में जो पंचायत सचिव हैं, इस बात को लेकर उनके मन में आक्रोश है...

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- कि एक पंचायत सचिव को जिस प्रकार से आत्महत्या करने के लिये उनको प्रताड़ित किया गया है और इस सरकार में एफ.आई.आर. भी दर्ज नहीं की जा रही है। इस बार को लेकर लोगों में आक्रोश है।

उपाध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह जी।

श्री अजय चंद्राकर :- इसी विषय में ..।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक विधायक के पति खिलाफ बिना जांच के गिरफ्तारी हो सकती है। आत्महत्या करने वाला लिख कर दे रहा है, कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष उसमें शामिल है। लोग आंदोलनरत हैं और उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है।

श्री अजय चंद्राकर :- कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आखिर शासन है या क्या है? सरकार ने सिर्फ दोषियों को बचाने का ठेका ले रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये बैठिये आप लोग। श्री बृजमोहन अग्रवाल जी।

श्री अजय चंद्राकर :- इतना गंभीर मामला है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने कल एक किसान के द्वारा आत्महत्या किये जाने का मुद्दा उठाया था। हमने इस पर स्थगन का प्रस्ताव किया मरने का और आज फिर एक किसान उस आंदोलन में आते हुए उसकी मृत्यु हो गई। इस मुद्दे को लेकर हम चाहते हैं कि यह गंभीर मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप उपस्थित हैं, आपसे आग्रह है कि ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, सौरभ सिंह जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उपस्थित हैं आपसे आग्रह है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में 70 दिन-71 दिन तक कोई आंदोलन चला हो, यह कभी नहीं हुआ है। सरकार को संवेदनशीलता के साथ मे उस मुद्दे के ऊपर में किसानों के साथ बातचीत कर उस आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। मैंने रायपुर शहर में गोल बाजार, जो डेढ़ सौ साल पुराना बाजार है, उस बाजार को

उजाड़ने के लिए उस बाजार के जो डेढ़ सौ साल पुराने दुकानदार हैं उनके ऊपर में टैक्स लगाया जा रहा है। बनाया उन्होंने हैं निर्माण टैक्स लगाया जा रहा है और लगभग डेढ़ सौ करोड़ रुपये उनसे वसूलने की कोशिश की जा रही है। वह लगातार आंदोलनरत् हैं। परंतु नगर-निगम के अधिकारी उनको जाकर नोटिस देते हैं। नोटिस देकर हम खाली करवा देंगे, हम तोड़वा देंगे, पैसा पटाओ। तो रायपुर शहर में यह अति चल रही है और यूजर चार्ज के नाम पर यहां के लोगों को लूटा जा रहा है। दिल्ली में, बंबई में, भोपाल में, इंदौर में इतना यूजर चार्ज नहीं है वह रायपुर में वसूला जा रहा है। इसके बारे में मैंने स्थगन, ध्यानाकर्षण दोनों दिया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसके ऊपर में चर्चा करवाएं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये। अब ध्यानाकर्षण सूचना। धरमलाल कौशिक जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- सौरभ जी बोलो न...

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सौरभ जी को बोलने दो।

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया, वह बोल रहे हैं, उनको बोलने दो। हो गया। वह मना कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी कुछ तो बोलते जाओ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जो जिक्र कर रहे थे, हमारी छत्तीसगढ़ का सुदूर विकासखण्ड भरतपुर सोनहट का जनकपुर विकासखण्ड वहां पर एक सचिव 50,000 रुपये के लिए उससे राशि ली गई और दूसरे को पदस्थ कर दिया गया। उससे 50,000 रुपये पैसा ले लिया गया उसके बाद वह सुसाईड करता है। सुसाईड नोट में नाम लिखता है एफ.आई.आर. नहीं होता। पंचायत का एक छोटा सा कर्मचारी सचिव, उसके खिलाफ इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। इस ढंग से उससे पैसा लेकर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है और एक व्यक्ति को अपनी जान देनी पड़ गई और उसके परिवार के लोग वहां पर आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करने के बाद एफ.आई.आर. नहीं हो रहा है। तो यह बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, ध्यानाकर्षण की सूचना। धरमलाल कौशिक जी।

समय :

12:12 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

प्रदेश में चलित ग्रामीण चिकित्सा इकाई व 108 संजीवनी एम्बुलेंस के अनुबंध में संबंधित फर्मों के द्वारा शर्तों का पालन नहीं किया जाना

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण का सूचना इस प्रकार है प्रदेश में चलित ग्रामीण चिकित्सा इकाई व 108 संजीवनी एक्सप्रेस एंबुलेंस के अनुबंध में संबंधित फर्मों के द्वारा शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में अनेक शिकायत होने के बाद भी शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा जिन पर जांच की गई है उसमें जांच प्रतिवेदन

को दबा कर रखा गया है। जुलाई 2020 में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट है कि ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई की सेवा प्रदाता कंपनी, जय अंबे ईमरजेंसी सर्विसेस/सम्मान फाउंडेशन के द्वारा 2012 पंजीकृत वाहन सीजा-04-एच.डी. 7204, सीजी-04 एच.डी. 7212 बीजापुर, कोण्डागांव, राजनांदगांव आदि जिलों में किया जा रहा है। कार्यरत मेडिकल स्टॉफ की जानकारी व बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं दी गई। अनेक वाहनों ने निर्धारित 20 किमी की दूरी तय नहीं की गई है। 30 ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई में निर्धारित उपकरणों का नहीं होना, कार्यरत चिकित्सा के संबंध में टी.डी.एस., वेतन भुगतान, बैंक ट्रांसफर स्टेटमेंट, आदि में हेरा फेरी करना, कोंडागांव के चिकित्सक डॉ. मनोज कश्यप द्वारा स्वयं के शैक्षणिक दस्तावेज न देकर डॉ. जगन्नाथ पटेल के दस्तावेज देना तथा एजेंसी द्वारा दस्तावेज किसी और के देना और कार्यरत कोई और होना जैसी अनियमितता की गई है। इन सभी अनियमितताओं में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इसी प्रकार 108 संजीवनी एक्सप्रेस में भी निर्धारित 300 की संख्या में वाहन निर्धारित समय पर उपलब्ध न कराना, निर्धारित मॉडल उपलब्ध न कराना, चिकित्सकों व मेडिकल स्टॉफ में फर्जी दस्तावेज देना, निर्धारित रिस्पांस अवधि में वाहन न पहुंचना। ऐसी अनेक अनियमितताएं की जा रही हैं जिससे आम जनता में भारी रोष व्याप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

वनमंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- यह कथन सत्य नहीं है कि प्रदेश में ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई व 108 संजीवनी एक्सप्रेस एंबुलेंस के अनुबंध से संबंधित फर्मों के द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा जांच प्रतिवेदन को दबा कर रखा गया है, जबकि तथ्य यह है कि ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई सेवा हेतु प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित अनुशंसा के अनुरूप सेवा प्रदाता संस्था पर अनुबंध में वर्णित नियम एवं शर्तों के अनुरूप सेवा का संचालन नहीं किये जाने पर संस्था को नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन हेतु कार्यवाही करते हुए पुराने के देयकों से नियमानुसार कटौती की गई है तथा 108 संजीवनी एक्सप्रेस सेवा हेतु समय-समय पर जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र रायपुर की समीक्षा रिपोर्ट की अनुशंसा पर हस्ताक्षरित अनुबंध के आधार पर कुल रु. 52,15,440 राशि की मासिक देयकों से नियमानुसार कटौती की गई है तथा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाता है।

ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई की सेवा प्रदाता कंपनी जय अंबे ईमरजेंसी सर्विसेस/सम्मान फाउंडेशन के द्वारा पुराने वाहनों का संचालन किये जाने पर संस्था के मासिक देयकों से नियमानुसार पेनाल्टी राशि रु. 27,72,000 की कटौती की गई है, साथ ही उक्त वाहनों को संस्था द्वारा नये वाहनों से बदला गया।

यह कहना सत्य नहीं है कि कार्यरत मेडिकल स्टाफ की जानकारी व बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं दी गई। प्रत्येक माह कार्यरत चिकित्सकों की जानकारी व कोरोना वायरस महामारी के कारण बायोमेट्रिक

अटेंडेंस की जगह HR-one के माध्यम से कर्मचारियों का अटेंडेंस लिया जाता है जो कि रियल टाइम बेस है ।

यह कथन सत्य नहीं है कि 30 ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई में निर्धारित उपकरणों का नहीं होना पाया गया, जबकि तथ्य यह है कि ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई में कुल 68 प्रकार के उपकरण उपलब्ध होते हैं एवं जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा उपकरण हेतु रियेजेंट आदि प्राप्त कर सेवा का संचालन किया जा रहा है ।

यह कथन सत्य नहीं है कि कार्यरत् चिकित्सक के संबंध में टी.डी.एस. वेतन भुगतान, बैंक ट्रांसफर स्टेटमेंट, आदि में हेरा-फेरी होती है, जबकि तथ्य यह है कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा संस्था में कार्यरत् चिकित्सकों को भुगतान नहीं किया जाता है, जबकि हस्ताक्षरित अनुबंध के आधार पर मासिक देयकों का भुगतान संस्था को किया जाता है ।

कोण्डागांव के चिकित्सक डॉ. मनोज कश्यप द्वारा स्वयं के शैक्षणिक दस्तावेज न देकर डॉ. जगन्नाथ पटेल के दस्तावेज देना तथा एजेंसी द्वारा दस्तावेज किसी और के देना और कार्यरत् कोई और होना, जैसा अनियमितता की गई है । इन सभी अनियमितताओं में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, जिस पर संस्था पर कार्यवाही करते हुए डॉ. मनेज कश्यप एवं अन्य गैर एम.बी.बी.एस. डॉक्टर रखने पर माह सितंबर 2020 से नवंबर 2021 तक राशि रु. 26,04,936 की कटौती की गई है।

यह कथन सत्य नहीं है कि 108 संजीवनी एक्सप्रेस में निर्धारित 300 की संख्या में वाहन निर्धारित समय पर उपलब्ध न करना, निर्धारित मॉडल उपलब्ध न करना, चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ में फर्जी दस्तावेज देना, निर्धारित रिस्पोस अवधि में वाहन न पहुंचना जैसे अनेक अनियमितताएं की जा रही हैं । जबकि वस्तुस्थिति यह है कि 108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा में सभी नवीन 300 एम्बुलेंस राज्य में संचालित एवं निर्धारित मॉडल 30 ए.एल.एस.एम्बुलेंस तथा 270 बी.एल.एस. एम्बुलेंस उपलब्ध है ।

108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा जिसमें 30 ए.एल.एस. एम्बुलेंस तथा 270 बी.एल.एस. एम्बुलेंस उपलब्ध है । 108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा के द्वारा प्रतिवर्ष लाभान्वितों की संख्या में वृद्धि हो रही है । अतः सरकार द्वारा 108 संजीवनी एक्सप्रेस एवं एम्बुलेंस एवं ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई के सुचारु एवं नियमित संचालन के कारण इसके संबंध में आम जनता में किसी भी प्रकार का रोष व्याप्त नहीं है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने शुरू में कहा कि यह कथन सत्य नहीं है और उसके बाद में सारे कथन को सत्य मान लिया । सभी बातों को मानने के बाद आपने डॉक्टर पटेल के स्थान पर दूसरे डॉ. मनोज कश्यप पर आपने पेनॉल्टी लगाई । नये वाहनों का पंजीयन 2017 के बाद हुआ था, लेकिन 2012 के वाहन हैं, उसमें भी आपने पेनाल्टी लगाई और आपने लगभग

सारी बातों को स्वीकार किया है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि यदि ग्रामीण चिकित्सा इकाई के लिए या 108 के लिए यह कहा गया कि वह गाड़ी 2017 के बाद का मॉडल होना चाहिए और 2012 के बाद के मॉडल के लिए आपने पेनॉल्टी लगाई, उसके बाद में उसके साथ में वाहन भी बदला गया। यह जो एग्जिमेंट हुआ था, उसके आधार पर आपने पेनॉल्टी तो लगा दी, लेकिन पेनाल्टी लगाया, उनके ऊपर अतिरिक्त क्या कार्यवाही की गई? यदि स्वास्थ्य विभाग ने कंडीशन लगाया तो यह मानकर चलिए कि पुराने वाहन उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए कहा गया कि सन् 2017 के बाद की वाहन आनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि केवल आर्थिक दण्ड लगाना ही पर्याप्त नहीं है। जिन्होंने गलती की है, ऐसे कम्पनियों के खिलाफ और कोई कार्रवाई करेंगे क्या?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 2 बातें हैं। माननीय नेता जी ने पहले यह कहा कि यह कथन सत्य नहीं है। तो मैं दोबारा कहता हूँ कि हाँ, मैंने जो कहा है, इसलिए बिल्कुल सही लिखा है। मैं पढ़कर सुना देता हूँ कि क्यों ऐसा लिखा गया है। यह कथन सत्य नहीं है कि प्रदेश में ग्रामीण चलित चिकित्सा इकाई 108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्ब्युलेंस के अनुबंध से सम्बन्धित फर्मों के द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही नहीं होती। हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए यह कहना सही नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात कि जो अनुबंध है, अनुबंध में दण्ड का प्रावधान है, वह उसको किया गया है माननीय नेता जी, इसके बाद भी आप जैसा चाहेंगे, इसमें और कोई कार्रवाई जो अनुबंध है, उसके अनुरूप होना है, तो आप जैसे जानकारी में लायेंगे, तो हम निश्चित रूप से करायेंगे।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात डाक्टर का है। बी.ए.एम.एस डाक्टर और एम.बी.बी.एस. डाक्टरों की कितनी संख्या होनी चाहिए? आपने जवाब में स्वीकार किया है कि डॉ. मनोज कश्यप द्वारा स्वयं के शैक्षणिक दस्तावेज ना देकर जगन्नाथ पटेल का दस्तावेज दिया गया। वास्तव में देखा जाये तो यह घोर अपराध है। जिनको गाड़ी में बैठाया जाना है, आपने जिनका एग्जिमेंट किया, उनको ना बैठाकर दूसरे को बैठाया। आपने उसमें भी पेनाल्टी ही किया है। तीसरी बात नये और पुराने वाहन की है, आपने सभी को स्वीकार किया है। यह जो डाक्टर वाले मामले में पेनाल्टी किया है, मैं समझता हूँ कि पेनाल्टी ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने धोखा दिया है। यदि वह ईलाज किया होता तो मरीजों के ऊपर क्या असर होता? तो इसमें क्या कोई अतिरिक्त कार्रवाई करेंगे?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैधानिक स्थिति में क्या किया जा सकता है, मैं इसको दिखवा लेता हूँ।

श्री धरमलाल कौशिक :- ठीक।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जय अम्बे बहुत खतरनाक है। ये कोयले का भी काम करता है और एम्ब्युलेंस-108 भी चलवाता है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 30 गाड़िया हैं, जिनमें से 6 गाड़ियों में बी.ए.एम.एस. डाक्टर रखना है और शेष में एम.बी.बी.एस. डाक्टर रखना है। तो क्या आपके पास बी.ए.एम.एस. डाक्टरों की सूची है या आप उपलब्ध करा देंगे ? कितने लोगों की पोस्टिंग की गई ? उनकी उपस्थिति हेतु कोई बायोमेट्रिक से उपस्थिति दर्ज हुआ है क्या ? जिसके कारण उनके वेतन में कटौती की स्थिति आई ?

दूसरी बात, जिनके संचालन के लिए यह सेवा है, जिन उद्देश्यों को लेकर किया जा रहा है, हम उसमें ओ.पी.डी. बढ़ायेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। कितने दिन में कितने मरीजों को देख रहे हैं और उसमें से कितने गंभीर हैं, कितने साधारण किस्म के मरीज हैं और क्या ओ.पी.डी. स्तर के मरीज हैं ? वह डिटेल उपलब्ध हो सकता है क्या ? ताकि इसकी उपयोगिता सिद्ध हो। इसके पीछे कितना खर्च हो रहा है ? एक एम्ब्युलेंस के पीछे कितना सेटअप में कितने रुपये खर्च हो रहे हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 30 वाहनों में एम.बी.बी.एस. डाक्टर और 24 डाक्टर से कम होने पर कटौती का प्रावधान है। अनुबंध अनुसार नॉन एम.बी.बी.एस. डाक्टर भी हो सकते हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- कितनी संख्या में हो सकता है ? 30 के 30 डाक्टर, हम एक तरफ अनुबंध के अनुसार पेमेन्ट कर रहे हैं, 30 एम.बी.बी.एस. डाक्टरों के हिसाब से पेमेन्ट कर रहे हैं और उनको यह भी आप्शन दे रहे हैं कि आप बी.ए.एम.एस. डाक्टर भी रख सकते हैं। तो क्या वह वेतन के सम्बन्ध में अनियमितता नहीं कर रहा है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 30 वाहनों में एम.बी.बी.एस. डाक्टर, 24 से कम निर्धारित है। 24 डाक्टर से कम होने पर कटौती का प्रावधान है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- तो अभी वर्तमान में कितने हैं ? यदि अभी 24 से कम हैं तो कितने हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- डाक्टरों की सूची उपलब्ध करा दीजियेगा।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको उपलब्ध करा दूंगा।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- और डॉक्टरों की सूची उपलब्ध करा दीजिए ।

श्री मोहम्मद अकबर :- आपको उपलब्ध करा दूंगा ।

सभापति महोदय :- पुननूलाल मोहले जी ।

श्री पुननूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मई 2020 में वाहन 7243 जी.पी.एस. रिपोर्ट के सेवा प्रदाता 28 दिन वाहन और 7296 में 16 दिन इस प्रकार 18 वाहनों में 227 दिनों का अंतर पाया गया । उसका फर्जी भुगतान किया गया, यदि हां तो क्या कार्यवाही की है बतायें ।

श्री मोहम्मद अकबर :- एक बार फिर से जरा ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- क्या यह सही है कि रिपोर्ट में मई 2020 वाहन क्रमांक 7083 में जी.पी.एस. रिपोर्ट या सेवा प्रदाता के प्रतिवेदन में 28 दिन वाहन क्रमांक 7296 में 16 दिन इस प्रकार 18 वाहनों में 227 दिनों का अंतर पाया गया है। उसका फर्जी भुगतान लिया गया है। यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वाहनों के अंतर के बारे में जो उपलब्ध नहीं थे, उसमें उसको दण्ड दिया गया है। उसका इसमें उल्लेख किया गया है।

सभापति महोदय:- श्रीमती इंदू बंजारे जी।

(2) विधान सभा क्षेत्र पामगढ़ के थाना शिवरीनारायण अंतर्गत ग्राम सलखन निवासी एक व्यक्ति की हत्या की जाना।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है जिला जांजगीर-चाम्पा के विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ के थाना शिवरीनारायण अंतर्गत ग्राम सलखन के निवासी स्व. रोशन दास महंत पिता श्री छतदास महंत उम्र 20 वर्ष को दिनांक 03.08.2021 को शाम 7 बजे अपने घर से गांव में घूमने के लिए बाहर गया था। जिसका शव दिनांक 04.08.2021 को सुबह 8.00 बजे ग्राम सलखन के पानी टंकी के पास हास्पिटल के पीछे चित्त अवस्था में अर्धनग्न स्थिति में मिला, जिसमें उनका बायां पैर टूटा हुआ था। हाथ, पेट एवं चेहरे में चोट के निशान थे। रिपोर्ट थाना शिवरीनारायण में दर्ज है, लेकिन अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है। इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की आशंका जताई गई है, लेकिन जिन लोगों ने हत्या की है, उनको आज पर्यन्त चिन्हांकित नहीं किया गया। मृतक के परिवार वाले हत्या की शंका जता रहे हैं। मृतक के परिवार वालों को न्याय नहीं मिलने से उनके परिवार एवं क्षेत्र के आम जनमानस में भयानक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला जांजगीर-चाम्पा के विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ के थाना शिवरीनारायण क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सलखन निवासी स्व.रोशन दास महंत पिता श्री छतदास महंत उम्र 20 वर्ष दिनांक 03.08.2021 को शाम लगभग 07.00 बजे अपने घर से घूमने जा रहा हूँ कहकर निकला था। रात्रि तक घर वापस नहीं आने से परिजनों द्वारा आस-पास पता तलाश की गई। दिनांक 04.08.2021 को ग्राम कोटवार पुनीदास द्वारा मृतक के परिजनों को सूचना दी गई, कि रोशन दास मृत अवस्था में गांव की पानी टंकी के पास अर्धनग्न हालत में पड़ा

है। सूचना पर मृतक के चाचा रामायणदास ने थाना शिवरीनारायण जाकर रिपोर्ट किया, जिस पर मर्ग क्रमांक 61/2021 एवं अपराध क्रमांक 307/2021 तथा 302, भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना स्थल से भौतिक साक्ष्यों का संकलन किया जाकर, आस-पास के निवासियों, संदेहियों से पूछताछ किया गया एवं मृतक के मोबाईल, सीडीआर, मोबाईल डाटा

रिकवरी एवं टॉवर डम्प का एनालिसिस किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप अधीक्षक, मुख्यालय द्वारा घटना का पर्यवेक्षण किया गया है। सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए विवेचना जारी है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपी की सूचना देने के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा 5 हजार रुपये पुरस्कार की उद्घोषणा की गई है।

पुलिस द्वारा घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मर्ग एवं हत्या का प्रकरण साथ-साथ पंजीबद्ध कर गंभीरतापूर्वक प्रकरण की विवेचना की जा रही है। विवेचना में मिलने वाले साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी। पुलिस के द्वारा पूर्णदक्षता एवं निष्पक्षता से अपराध की विवेचना की जा रही है, फलस्वरूप मृतक के परिवार एवं क्षेत्र की जनता में कोई रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्रीमती इंदु बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और माननीय मंत्री जी के जवाब में है कि विवेचना जारी है। यह घटना 03.08.2021 को हुई थी और अभी 15.03.2022 हो गया है, मतलब 6 महीने बीत चुके हैं लेकिन आज तक आरोपियों का पता नहीं लगा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि इसका क्या कारण है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई प्रकार के प्रकरण रहते हैं, कुछ प्रकरण में हम 01 दिन में हल करते हैं, किसी प्रकरण में 02 दिन, किसी प्रकरण में महीना, दो महीना और किसी प्रकरण में साल भर से भी ज्यादा समय लगता है। इस प्रकरण में हम लोग शांत नहीं बैठे हैं। जो हमारे गोपनीय कार्य हैं, उसको मैं यहां बता भी नहीं सकता। अलग-अलग दिशाओं में, अलग-अलग ढंग से विवेचना जारी है और उम्मीद करते हैं कि इसको बहुत जल्दी कवर कर लेंगे।

समय

12.32 बजे

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

उपाध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा।

01. श्री नारायण चंदेल
02. श्री सौरभ सिंह
03. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
04. श्री संतराम नेताम
05. डॉ. लक्ष्मी धुव

समय

12.33 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अष्टम एवं नवम् प्रतिवेदन

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अष्टम एवं नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

01. श्री धरमलाल कौशिक
02. श्रीमती छन्नी चंदू साहू
03. श्री बघेल लखेश्वर
04. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
05. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव

समय

12.34 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 1 सन् 2022)

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 1 सन् 2022) के पुरःस्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 1 सन् 2022) के पुरःस्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 1 सन् 2022) का पुरःस्थापन करता हूँ।

(2) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन विधेयक), 2022, (क्रमांक 3 सन् 2022)

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022, (क्रमांक 3 सन् 2022) के पुरः स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022, (क्रमांक 3 सन् 2022) के पुरः स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022, (क्रमांक 3 सन् 2022) के पुरः स्थापन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने इस विधेयक पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 01 घण्टे का समय निर्धारित किया है, मैं समझता हूँ कि सदन सहमत है।

समय :

12.36 बजे

वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों पर चर्चा

- (1)
- | | |
|------------------|--|
| मांग संख्या 28 - | राज्य विधान मण्डल |
| मांग संख्या 13 - | कृषि |
| मांग संख्या 14 - | पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय |
| मांग संख्या 16 - | मछलीपालन |
| मांग संख्या 54 - | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय |
| मांग संख्या 23 - | जल संसाधन विभाग |
| मांग संख्या 45 - | लघु सिंचाई निर्माण कार्य |
| मांग संख्या 75 - | जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं |
| मांग संख्या 57 - | जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं। |

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया के सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 28 राज्य विधान मण्डल के लिये - उनहत्तर करोड़, तिरालीस लाख, साठ हजार रुपये।

मांग संख्या - 13	कृषि के लिये - पांच हजार तीन सौ छः करोड़, उनसठ लाख, बत्तीस हजार रुपये।
मांग संख्या -14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय के लिये - चार सौ अड़सठ करोड़, अठासी लाख, सात हजार रुपये।
मांग संख्या - 16	मछलीपालन के लिये - तिरासी करोड़, बयासी लाख, छप्पन हजार रुपये।
मांग संख्या - 54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिये - दो सौ बहत्तर करोड़, बारह हजार रुपये।
मांग संख्या - 23	जल संसाधन विभाग के लिये - एक हजार एक सौ बयासी करोड़, उनसठ लाख, तिहत्तर हजार रुपये।
मांग संख्या - 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिये - सात सौ उनसठ करोड़, पैंसठ लाख, तैंतीस हजार रुपये।
मांग संख्या - 75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये - छः सौ नवासी करोड़, इकहत्तर लाख रुपये तथा
मांग संख्या - 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये - दो करोड़ रुपये तक की राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्ताव की सूचना पृथक वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये माने जायेंगे।

मांग संख्या - 28

राज्य विधान मण्डल के लिये

1. श्री धरम लाल कौशिक - 1

मांग संख्या - 13

कृषि

1. श्री धरम लाल कौशिक - 9
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल - 34
3. श्री पुन्नूलाल मोहले - 5
4. श्री अजय चंद्राकर - 3

- | | | | |
|----|-------------------|---|---|
| 5. | श्री ननकीराम कंवर | - | 1 |
| 6. | श्री नारायण चंदेल | - | 4 |

मांग संख्या - 14

पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय

- | | | | |
|----|----------------------|---|---|
| 1. | श्री धरम लाल कौशिक | - | 4 |
| 2. | श्री बृजमोहन अग्रवाल | - | 9 |
| 3. | श्री पुन्नूलाल मोहले | - | 1 |
| 4. | श्री नारायण चंदेल | - | 2 |

मांग संख्या - 16

मछलीपालन

- | | | | |
|----|----------------------|---|---|
| 1. | श्री धरम लाल कौशिक | - | 1 |
| 2. | श्री बृजमोहन अग्रवाल | - | 3 |
| 3. | श्री अजय चंद्राकर | - | 3 |
| 4. | श्री नारायण चंदेल | - | 2 |

मांग संख्या - 54

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय

- | | | | |
|----|----------------------|---|---|
| 1. | श्री धरम लाल कौशिक | - | 5 |
| 2. | श्री बृजमोहन अग्रवाल | - | 3 |
| 3. | श्री अजय चंद्राकर | - | 3 |

मांग संख्या - 23

जल संसाधन विभाग

- | | | | |
|----|----------------------|---|----|
| 1. | श्री धरम लाल कौशिक | - | 5 |
| 2. | श्री बृजमोहन अग्रवाल | - | 13 |
| 3. | श्री पुन्नूलाल मोहले | - | 1 |
| 4. | श्री अजय चंद्राकर | - | 6 |
| 5. | श्री ननकीराम कंवर | - | 1 |

- | | | | |
|----|-------------------|---|---|
| 6. | श्री नारायण चंदेल | - | 4 |
| 7. | श्री सौरभ सिंह | - | 4 |

मांग संख्या - 45

लघु सिंचाई निर्माण कार्य

- | | | | |
|----|----------------------|---|---|
| 1. | श्री धरम लाल कौशिक | - | 2 |
| 2. | श्री बृजमोहन अग्रवाल | - | 4 |
| 3. | श्री पुन्नूलाल मोहले | - | 8 |
| 4. | श्री अजय चंद्राकर | - | 4 |
| 5. | श्री सौरभ सिंह | - | 1 |

ग संख्या- 75

जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

- | | | |
|----|--------------------|----|
| 1. | श्री अजय चन्द्राकर | 01 |
|----|--------------------|----|

उपाध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री बृजमोहन अग्रवाल।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी, सिंचाई मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी के विभाग की मांगों पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो वह स्वस्थ रहे, मस्त रहे और प्रसन्न रहें। मैं इस बात की कामना करता हूँ। आजकल हम लोग, हमारे सब लोग कृषि मंत्री जी को मिश्री लाल जी के नाम से संबोधित करते हैं, मिश्री भईया के नाम से संबोधित करते हैं क्योंकि हम लोग उनसे चर्चा करते हैं, हम लोग यह सोचते हैं कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी के नजदीकी हैं, खास हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह एक तरह से लगभग मुख्यमंत्री जी की तरह ही हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल:- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में और सदन के बाहर विधायक हैं क्योंकि संसदीय कार्यमंत्री भी है तो विधायकों की समस्याओं को लेकर हम लोग लगातार बातचीत करते हैं। हमको लगता है कि हमने माननीय रविन्द्र चौबे जी तक बात पहुँचा दी तो वह पूरी हो जाएगी। परन्तु मुझे नहीं मालूम है कि विधायकों का क्या अनुभव है?

श्री ननकीराम कंवर :- मीठ लबरा महाराज।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह बातचीत करते हैं, सुनते हैं और उसके बाद कहते हैं कि माननीय बृजमोहन भाई तोर काम कइसे नइ हो ही। ओखर बाद में मालूम नइ का होथे।

माननीय मंत्री जी, आप सौम्य, सरल हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। परन्तु मुझे लगता है कि आपको कुछ प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। आपके ऊपर लोगों का इतना विश्वास है और उस विश्वास के साथ में कोई अपने क्षेत्र के काम बताते हैं, कोई अपने व्यक्तिगत काम बताते हैं तो उन कामों को प्राथमिकता के आधार पर कैसे किया जा सकता है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना तो आसान नहीं होता है। हम आपसे आसानी से मिल लेते हैं, आपको कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए, जिस सिस्टम के माध्यम से जनप्रतिनिधियों और जनता के काम आसानी से हो सके, क्योंकि आप हमारे आज के नहीं, पिछले 40 सालों से मित्र भी हैं। हम आपके शुभचिंतक भी हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से उस दिशा में आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब तो हम लोग जिस पड़ाव पर आ गये हैं उस पड़ाव पर हमारी ख्याति, हमारा नाम, हमारा सम्मान बढ़े। यही हम लोगों की कामना होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कृषि मंत्री, सिंचाई मंत्री भी हैं और माननीय मंत्री जी किसान भी हैं। किसान होने के नाते, आपसे पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी-बड़ी उम्मीदें थीं कि आप शासन में आएं तो निश्चित रूप से किसानों के लिए कुछ नया लायेंगे, कुछ नया करेंगे। परन्तु क्या हो रहा है ? कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि 2500 रुपये धान की कीमत देकर, किसानों को खरीद लिया है, किसानों को गिरवी रख लिया है। आप जरा अपने विभाग को उठाकर देखें, उसकी समीक्षा करें कि 2500 रुपये के अलावा किसानों को क्या मिल रहा है ? आप 15 साल की चर्चा करते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। आज किसानों की क्या हालत हो रही है ? आज 2500 रुपये में भी धान का रेट 1940 रुपये, 1960 रुपये हो गया ? किसानों को 500 रुपये मिल रहा है, शुरुआत में 750 रुपये मिलता था, यह किसानों का 250 रुपये कौन खा रहा है, उस पर डकैती कौन डाल रहा है, उसके लिए कौन दोषी है ? आपने कभी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि किसानों का 300 रुपये सपोर्ट प्राइज बढ़ गया है तो हमको सपोर्ट प्राइज भी जो राजीव गांधी न्याय योजना में 9 हजार रुपये दे रहे हैं, उसमें दे दीजिए। आप जरा बताईए कि 2500 रुपये से कितना रुपये होता है, आप कितना रुपये दे रहे हैं, पहले उनका 11,500 रुपये होता था, आपने बाद में 10 हजार रुपये घोषणा की, अब उसको 9 हजार रुपये कर दिया है। यह एक क्विंटल के पीछे 2500 रुपये कौन खा रहा है। किसानों का पैसा भी खाते हैं, उस पर डकैती भी डालते हैं, फिर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। आपने यह 2500 देकर क्या किसानों को खरीद लिया है ? सड़क के ऊपर में कौन चलता है, किसान नहीं चलता है तो कौन चलता है ? स्कूलों में कौन पढ़ता है, कॉलेज में कौन पढ़ता है, सामुदायिक भवन किसके लिए बनते हैं, बिजली किसको मिलती है, प्रधानमंत्री आवास किसको मिलता है ? अगर आप 21, 22 लाख किसानों का धान खरीदने की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं परंतु

उन्हीं 18 लाख किसानों का अगर सर से छत छीनने की कोई जिम्मेदार है तो आप हैं और कोई दूसरा नहीं है। क्या प्रधानमंत्री आवास किसको मिलता, यह किसानों को मिलता ? आज उनको नहीं मिल रहे हैं। किसान अब इस बात को समझ रहा है। राजधानी का किसान आंदोलन इसका परिणाम है। यह आपको दिखाई दे रहा है। बड़े-बड़े किसान नेता बनते हैं कि कांग्रेस किसानों की पार्टी है और बाकी सब क्या हैं ? कांग्रेस किसानों के लिए काम कर रही है तो बाकी सब क्या कर रहे हैं ? एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो किसानों की सबसे बड़ी शोषक पार्टी है। (शेम-शेम की आवाज) जो किसानों को गुमराह कर उनका शोषण करती है। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप लोग बार-बार 15 साल, 15 साल की बात करते हैं, चलो चर्चा कर लेते हैं। एक दिन का समय रख दो, हमने 15 साल में क्या काम किया, आपने 3 साल में क्या किया? आपने 50 साल में क्या किया, हमने 15 साल में क्या किया ? आपको मालूम है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो छत्तीसगढ़ का बजट 9,270 करोड़ रुपए था ? 9 हजार करोड़ रुपए का बजट था, उस बजट को 94 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचाने का काम किसने किया ? आपने तीन साल में 1 लाख 4 हजार करोड़ रुपए पहुंचा दिया तो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने कितने का बजट बढ़ाया, 9 हजार करोड़ रुपए का बजट बढ़ा दिया तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अपने जवाब में बताएंगे कि वर्ष 2018-19 में किसानों के लिए कितना बजट था, आज आपने कितना बजट रखा है ? किसानों के लिए कौन सी बढ़ोतरी कर दी ? किसानों की पेट को कांटकर, उनकी स्कूल को कांटकर, उनकी सड़क को कांटकर, उनकी बिजली को कांटकर, उनके पानी को कांटकर, आप 2500 रुपए दे रहे हैं तो किसानों का कोई भला नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि आय बढ़ गयी। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो प्रति व्यक्ति आय 13 हजार रुपए थी, 92 हजार रुपए तक प्रति व्यक्ति आय किसने पहुंचाया ? हमारे शासन में 15 साल तक पहुंचा ? आज आप 1 लाख 4 हजार रुपए कर दिए तो क्या बहुत बड़ी बात कर दिए ? यह सब आंकड़ों का खेल है। जब हम सरकार में आए तो विद्युत पंप के 72 हजार कनेक्शन थे और जब हम सरकार छोड़कर गए तो 4 लाख 50 हजार पंप के कनेक्शन छोड़कर गए। आपने पिछले तीन सालों में कितना पंप का कनेक्शन दिया है ? मेरे प्रश्न के उत्तर में पहले दिन जवाब आया है। सोलर और इलेक्ट्रिक पंप के कनेक्शन मिलाकर लगभग 90 हजार पंप के कनेक्शन बाकी हैं और 90 हजार पंप का कनेक्शन देना है तो 900 करोड़ चाहिए और आपने केवल 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । क्या किसानों को पम्प के कनेक्शन मिल जायेंगे ? आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो बीज का उत्पादन कितना था ? 45,000 क्विंटल था । हमने बीज के उत्पादन को 10 लाख 50,000 क्विंटल तक पहुंचा दिया था ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपके बीज का उत्पादन कम हो गया है । मेरे पास आपके प्रतिवेदन की कॉपी है । उस प्रतिवेदन में आप बता रहे हैं । उद्यानिकी फसल का उत्पादन कितना था 14 लाख मीट्रिक टन । हमने कितना पहुंचाया ? 102 लाख मीट्रिक टन । आपने उसमें कौन सी

बढ़ाती कर दी ? कौन सा ईजाफा कर दिया ? मछली उत्पादन 1 लाख 10,000 मीट्रिक टन था, हमने उसको 3 लाख 75,000 मीट्रिक टन तक पहुंचाया और उसमें भी छत्तीसगढ़ में मछली उत्पादन इतना छोटा राज्य होने के बाद भी देश के तीसरे नंबर पर यह छत्तीसगढ़ राज्य आया था, आज छठवें पर पहुंच गया । कैसे पहुंच गया ? क्यों नहीं हो रहा है ? क्योंकि आप कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं । धान खरीदी । उस समय वर्ष 2000 से 2003 तक आप भी मंत्री थे । आपने मैक्सिमम कितनी खरीदी की थी ? 5 लाख मीट्रिक टन । आज हमने उसको 15 सालों में 70 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाया है । आप बड़ी-बड़ी डींगें हांक रहे हैं । चलिये बताइये कि दलहन का उत्पादन कहां चला गया ? तिलहन का उत्पादन कहां चला गया ? ओनहारी का उत्पादन कहां चला गया ? आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं । 2500 रुपये देकर यदि आपने 30,000 मीट्रिक टन धान का उत्पादन बढ़ा भी दिया तो किसानों को इससे फायदा नहीं हुआ है । अगर किसान दलहन पैदा करता, तिलहन पैदा करता, ओनहारी पैदा करता, अगर वह नगदी फसलें पैदा करता तो इससे ज्यादा फायदा होता । देखिये, लालच में किसान धान के खेत में केवल धान पैदा कर रहा है । उसकी आय नहीं बढ़ रही है, आपने छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा नुकसान किया है । अगर छत्तीसगढ़ का किसान धान के अलावा नगदी फसलों को पैदा नहीं करेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं बनने वाली है और आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं । हम 1 लाख 5000 मीट्रिक टन धान खरीदेंगे और खरीदा कितना केवल 97,000 मीट्रिक टन। आपने पूरा क्यों नहीं खरीदा ? 70,000 किसानों को टोकन मिल गया उनका धान क्यों नहीं खरीदा ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने 2 लाख किसानों का धान क्यों नहीं खरीदा? आपका टारगेट पूरा क्यों नहीं हुआ ? अगर टारगेट पूरा नहीं होता तो सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए ? या अपनी पीठ थपथपानी चाहिए ? वर्ष 2003 तक आप भी मंत्री थे न । किसान ऋण लेता था तो कितने ऋण पर उसको ब्याज लगता था ? पूरे हिंदुस्तान में किसानों को जीरो परसेंट ब्याज में लोन देने वाली कोई सरकार थी तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी । (मेजों की थपथपाहट) आपने इस काम को नहीं किया । जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, आपकी सरकार थी तो किसान कितना लोन लेता था ?

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि इस प्रदेश का बेस है, आधार है और जब कृषि मंत्री जी के बजट भाषण पर चर्चा चल रही है तो एक भी मंत्री नहीं हैं, सब गायब हैं । क्या आपसे नाराज हैं ? आप पीछे पलटकर देखिये न एक भी मंत्री नहीं हैं ।

श्री दलेश्वर साहू :- कृषि मंत्री जी तो बैठे हुए हैं । इतने जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हुए हैं, वे अकेले काफी भारी हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे मिश्री भैया को कह दिया है कि मिश्री भैया आप अकेले ही झेलो ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, अग्रवाल जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कृषि विभाग के बजट की चर्चा होती है न तो अधिकारी दीर्घा खाली नहीं रहता है । कृषि विभाग में सबसे ज्यादा अधिकारी हैं । आपके पास में कृषि है, पशुपालन है, मछलीपालन है, कुक्कुट पालन है । मंत्री जी, मैं इस विभाग का मंत्री रहा हूँ । हमारी धमक होनी चाहिए, विभाग के लोगों में डर होना चाहिए तब तो वे काम करेंगे नहीं तो स्वेच्छाचारिता करेंगे । (शेम-शेम की आवाज)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष डर के लिये काम करता था । हम जनता की सेवा के लिये काम करते हैं, बेसिक यही अंतर है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, बैठिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपके जमाने में 300 करोड़ रुपये किसान लोन लेता था, हमने उस लोन को 4500 करोड़ रुपये तक पहुंचाया। आपने क्या पहुंचा दिया ? किसान कितना ज्यादा लोन लेने लगा। सिर्फ 500 करोड़ रुपये ज्यादा। 2500 रुपये देने के बाद भी।

संसदीय सचिव, स्कूल शिक्षा मंत्री से संबद्ध (श्री द्वारिकाधीश यादव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 साल में कितने किसानों का कर्जा माफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उसे भी थोड़ा बताइए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा है कि किसानों का पैसा खाने वाली सरकार है। ढाई-ढाई लाख रुपये तो आप उसके प्रधानमंत्री आवास का खा रहे हैं। 13, 18 लाख आवास। अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को आपने जितना नुकसान आपने पहुंचाया है, मैं भी आउंगा। जितना आपने कर्जा माफ नहीं किया है, उतना आप ब्याज पटा रहे हो। कर्जा माफी से ज्यादा आप ब्याज पटा रहे हो। आप यहां बड़ी-बड़ी बात करते हो।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मात्र 15 साल में 1 से 2 करोड़। अउ 2 घंटा में 9 हजार करोड़।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- 8 हजार के कर्जा ला माफ करके किसान का कतेक मुड़े हो, इहू ला तो बताओ। किसान ला कतेक मूड़े हो, इही ला बता दे ते हा। एक डहार ले बांट देस अउ बाकी डहार ले छिन डारेस।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप तो बताइए कि 15 साल में किसानों का कितना मीट्रिक टन धान खरीदते थे ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- वैसी भी हमर मिश्री भैया हा दुखी हावय। हमर मिश्री भैया दुखी हावय।

श्री देवन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बात तो सही है कि ठीक है विपक्ष कोई न कोई आरोप लगायेंगे, लेकिन जो प्रशंसा योग्य बात है, जैसे किसानों का कर्जा माफ हो या 2500 रुपये का जो कमिटमेंट है, उसे पूरा करने का हो, उसकी तो विपक्ष को प्रशंसा करनी चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी आपको आपके विभाग के लोग कुछ भी आंकड़े दे दे, परंतु आप वास्तविकता में पता करिए कि पिछले 3 साल में सिंचाई की क्षमता बढ़ी नहीं है। पिछले 3 साल में सिंचाई क्षमता में कमी हुई है। वे आपको निर्मित क्षमता बता देते हैं। वास्तविक क्षमता को नहीं बताते। क्योंकि इस विभाग को मैंने देखा है। मैं जानता हूं। निर्मित सिंचाई क्षमता 26 प्रतिशत थी, हमने उसे 36 प्रतिशत किया। आज 3 साल में आप अगर अपने दिल पर हाथ रखकर देखेंगे तो एक भी सिंचाई योजना पूरी नहीं हुई है। 1 एकड़ का रकबा भी नहीं बढ़ा है। आपके टेंडर नहीं हुए हैं। आपके काम नहीं हुए हैं। जब वर्ष 2003 में आपने सरकार छोड़ी तो सिंचाई की पूर्ण योजनाएं 418 थीं। हमने उसको बढ़ाकर 2 हजार 419 योजनाओं को पूरा किया। कृषि पशुपालन महाविद्यालय 4 थे, हमने उसको बढ़ाकर 31 किया। आप 15 साल, 15 साल, 15 साल कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ का ये जो स्वरूप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, यह छत्तीसगढ़ जो बदला हुआ देख रहे हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल नहीं होती तो आपकी यह स्थिति नहीं होती। इतने किसानों की आय नहीं बढ़ती। इतना उत्पादन नहीं बढ़ता। इतनी अच्छी सड़कें नहीं बनतीं। इतने अच्छे स्कूल नहीं बनते। इतने कॉलेज नहीं खुलते। माननीय डॉ. रमन सिंह जी ने सामान्य बजट की चर्चा में जवाब देते हुए बताया था कि 15 साल में कितना-कितना काम हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने शुरुआत में कहा कि 70 दिनों से किसान आंदोलनरत हैं। एक किसान की मृत्यु परसों हो गयी। एक किसान की मृत्यु आज हो गयी। ये लखीमपुर खीरी के किसान आपके क्या लगते हैं? मैं तो कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या लगते हैं? क्या उसके लिए उत्तरप्रदेश की सरकार नहीं है। क्या उसके लिए दिल्ली की सरकार नहीं है। आपने छत्तीसगढ़ में मृत किसानों को छत्तीसगढ़ में आत्महत्या करने वाले किसानों को आपकी नीतियों के कारण, आपके कर्मों के कारण हजारों किसानों ने अवसाद के कारण आत्महत्या की है, आपने उनको कितना मुआवजा दिया है ? इस सरकार को शर्म करना चाहिए । उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए 50-50 लाख रुपये लखीमपुर खीरी में देकर आते हैं और छत्तीसगढ़ के किसान को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है । ज्यादा होता है तो 4 लाख बोल देते हैं कि 4 लाख दे देंगे । क्या उत्तर प्रदेश के किसान की जान की कीमत ज्यादा है, छत्तीसगढ़ के किसान की जान की कीमत कम है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है माननीय, हाथरस का बलात्कार बड़ा बलात्कार और बलरामपुर, कौंडागांव का बलात्कार छोटा बलात्कार । लखीमपुर का किसान मरता है तो उसकी कीमत 50 लाख और

छत्तीसगढ़ का किसान मरता है तो 4 लाख । कल आंदोलन में जाते हुए एक किसान बारले भी मर गया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, बड़ी-बड़ी बात करने वाली यह सरकार आखिर छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ न्याय क्यों नहीं करती ? चौबे जी, आप तो किसान हो, किसान हितैषी हो, सरल हो, सीधे हो खड़े होकर घोषणा कर दीजिए कि छत्तीसगढ़ में भी मरने वाले किसानों को एक-एक करोड़ रूपया दिया जाएगा, कर दीजिए घोषणा । होइए, होइए, घोषणा करिये ना ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप बैठ जाइए तब तो वे खड़े होंगे । अब खड़े हो ही जाइए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप बोलिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- यानी कुल मिलाकर आपके पास जवाब नहीं है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बृजमोहन जी बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं । मैं थोड़ा समय चाहता हूं, मैं समाज के लिए बात कर रहा हूं । 15 सालों तक आपकी सरकार रही तो आपने मछुवारों के लिए क्या कार्ययोजना बनाई ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं अभी उस पर आउंगा ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सबसे बड़ी बात यह है कि इन 3 सालों में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार ने मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- वाह, वाह ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- यह सबसे बड़ी बात है । उसके बाद शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं, चाहे मछुवारों को मछली बीज देने की हो या जाल या मोटर साइकल की हो । लगातार इस सरकार ने देने का काम किया है और मछुवारों में एक नई क्रांति का संचार हुआ है, आज वे आत्मनिर्भर और आत्म सक्षम बन रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सरकार उधार के बोझ से दबी हुई सरकार है, झूठ के संस्कारों से पली हुई सरकार है, जिम्मेदारियों से भगोड़ी सरकार है । इस राज्य सरकार के कृषि बजट पर चर्चा करना सड़े-गले कपड़े को सिलने जैसा है । कृषि मंत्री जी ज़रा बताइए कि किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रही है ? किसानों को बीज क्यों नहीं मिल रहा है, किसानों को ड्रिप क्यों नहीं मिल रहा है, किसानों को नेट-शेड हाऊस क्यों नहीं मिल रहा है, किसानों को यंत्र क्यों नहीं मिल रहे हैं ? क्या कारण है ? यूरिया के लिए तो आप आरोप लगा देते हैं, बाकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना । आप व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं । इसके लिए कौन दोषी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज़रा बताइए गांव के लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए या नहीं । गांव में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, सारी की सारी सरकारी जमीन हमारी है । वृक्षों को काटा जा रहा है, आखिर कैसे काम चलेगा ? अभी कल ही माननीय

अजय चन्द्राकर जी, माननीय अकबर जी से आग्रह कर रहे थे कि 17 गांवों में वृक्षारोपण किया जाए। कृषि विभाग की योजना थी कि गांव के एक क्षेत्र को वृक्षारोपण करके उसका हराभरा बनाया जाए, आपने उस योजना को बंद कर दिया। आप गांव-गांव में किसानों की जमीनों को बेचने का काम कर रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, मेरे ही प्रश्न के जवाब में आपने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। मंत्री जी, कर्जा किसको बोलते हैं? जो 5 साल, 10 साल, 20 साल से जो किसान कर्जा नहीं पटा पा रहा है, उसको दोबारा कर्ज नहीं मिलता है। उसकी व्यवस्था कि उसकी कई पुश्ते कर्ज के बोझ में दबी रहेगी। यह बड़ा अजीब है। पुरानी सरकारों ने हमारी सरकार के समय में भी सुंदरलाल पटवा जी की सरकार के समय में भी 10 हजार रुपये तक का कर्जा माफ हुआ था, पर वह अल्पकालीन नहीं हुआ था। अल्पकालीन के साथ-साथ पुराने कर्जे माफ हुए थे। आप तो अजीब काम करते हैं। अगर आप पुराने कर्जे को देख लेंगे, नेशनलाईज बैंकों के कर्जों को देख लेंगे तो वह कर्जा क्या आपने माफ किया? नेशनलाईज बैंकों का सिर्फ 33 प्रतिशत कर्जा माफ हुआ है। 66 प्रतिशत नेशनलाईज बैंकों का कर्जा माफ नहीं हुआ। किसानों के पुराने कर्जे माफ नहीं हुए। सिर्फ अल्पकालीन कर्जे माफ हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आप बड़ी-बड़ी बात करते हो।

(माननीय मंत्री, श्री कवासी लखमा जी के सदन में प्रवेश करते ही उनके द्वारा हंसने पर)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह दादी की हंसी है क्या?

श्री नारायण चंदेल :- पीछे-पीछे।

एक माननीय सदस्य :- पीछे से आया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप बड़ी-बड़ी बात करते थे। आपको मालूम नहीं कि आपने कितने किसानों को ऊपर पहुंचा दिया। आज किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- उपाध्यक्ष जी, थोड़ा हम लोग बृजमोहन साहब जी का सम्मान करते हैं। वे उम्र के हिसाब से चिल्लाये नहीं। तो ज्यादा चिल्लाओ मत। गला चिर-फट जाएगा तो क्या होगा फिर। इसलिए आप थोड़ा आराम से बात करिये। वे भी श्यान हैं और आप भी श्यान हैं। आप चिल्ला रहे हैं और आपके बाजू वाला सो रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत गुरुर था छत को छत होने पर, पर एक मंजिल और बन गई तो छत जो है वह फर्श हो गई। इसलिए आप अपने काम पर गुरुर मत करो। अच्छा काम करने वाले और बहुत लोग हैं। जो जनता जिस दिन चाहती है, वह अर्श से फर्श पर लाकर पटक देती है। सिर्फ अपने गुरुर में रहोगे तो चलने वाला नहीं है। आज छत्तीसगढ़ की जनता कितनी दुःखी है। सिर्फ बड़ी-बड़ी बात, असत्य कथन सिर्फ समाचार पत्रों में छपवाने के लिये। इससे काम नहीं चलने वाला है। समाचार पत्रों में आप कितना भी छपवा लो, विरोधी दल के समाचारों को रूकवा लो, उसके बाद भी होता है। हमारे समाचार रूकवाये जाते हैं। मैंने स्वामी आत्मानंद स्कूल के संबंध में ध्यानाकर्षण

उठाया था। समाचार पत्रों को फोन गये कि इस योजना के बारे में समाचार नहीं छपना चाहिये। यह होता है। यदि समाचार पत्रों में नहीं छपेगा तो कुछ नहीं होगा, पर जनता तो एक-एक योजना को भुगतती हैं, उसको जानती हैं, उसको देखती हैं। छत्तीसगढ़ में नया मॉडल विकसित कर रहे हैं। कौन सा मॉडल? लूट का मॉडल कृषि में? नकली खाद-बीज बांटने का मॉडल? किसानों के पैसे को उसका ब्याज कमाने के लिये चार किश्त में देने का मॉडल? किसानों के पंपों के लिए कनेक्शन के लिए तरसाने का मॉडल? गोधन न्याय योजना में जरा मंत्री जी अगर आप मेरे को जवाब में बता देंगे। आप 25 हजार लोगों का गोबर खरीद रहे हैं, उसमें 1000 लोग ऐसे हैं, आपका 25 प्रतिशत पैसा सिर्फ 1000 लोगों के खाते में गया है। वे कौन लोग हैं? आप जरा बतायें, क्या रायपुर के गौशालाओं में गोबर खरीदा जा रहा है, दुर्ग में खरीदा जा रहा है, भिलाई में खरीदा जा रहा है, बिलासपुर में खरीदा जा रहा है, रायगढ़ में खरीदा जा रहा है? पिछली एक साल से शहरों में गोबर खरीदी बंद है। गोधन न्याय योजना की बात करते हैं। यह गोधन न्याय योजना है। क्या गांव की गाय, गाय है और शहर की गाय क्या बी.जे.पी. है?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- गांव कैसे बीजेपी हो जाएगी?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां तो फिर क्यों नहीं खरीद रहे हैं? शहर में सब गौठान पालने वाले। शहर में गौ पालने वाले...

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- बृजमोहन जी, जो आप गाय बोल रहे हो न, शहर के और गांव के। गांव में भी खरीदी बंद हो गई है। चौबे जी, एक बार आप दिखवा ले, जरा आप शुरू किये थे और अभी आप देख नहीं रहे हो तो खरीदी बंद हो गई है।

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीय बड़े भैया, माननीय बृजमोहन जी ने कहा कि शहर की गाय बीजेपी हो गई। क्या आप सदस्यता अभियान चलाये हो? (हंसी)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- क्या गांव के गाय कांग्रेसी हो गये?

श्री रविन्द्र चौबे :- माने, यह गौमाता में भी आप ऐसा विभाजन, बृजमोहन जी आप ऐसा क्यों सोचते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय :- बोलिये।

श्री कवासी लखमा :- उपाध्यक्ष जी, हमारे जो अग्रवाल साहब को थोड़ा समझाइये। यह बीजेपी-बीजेपी, गाय को भी बीजेपी बना रहे हैं। आप यह बांटने का काम बंद कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये बैठिये। अग्रवाल जी, बोलिये। समय हो गया है। आधा घंटा हो गया। 2 घंटा का समय है।

श्री कवासी लखमा :- वह गाय कैसे बीजेपी होगा और साथ में वह डी.पुंदेश्वरी क्या आई है फ्रंटलाइन वाले किसी को नहीं पूछ रही है। वह बस्तर में अकेले घूम रही है। कोई पूछने वाला नहीं है। यह क्या हो गया है ? आप उसका गुस्सा इधर मत उतारो, उधर ही गुस्सा उतारो भाई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की 70 प्रतिशत से ज्यादा आबादी खेती-किसानी से जुड़ी हुई है। यह उनके मुद्दे का मामला है, उनकी समस्याओं का मामला है, उनके जुड़ हुए हितों का मामला है। मैंने पहले कहा क्या जो प्रधानमंत्री नल-जल योजना है उसका फायदा किसानों को नहीं मिलने वाला है ? मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि 48 लाख घरों में नल के कनेक्शन लगेंगे।

श्री कवासी लखमा :- हां, लगेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- लगेंगे। तुम नहीं लगा रहे हो। तुम्हारे कका दिल्ली से पैसा भेज रहे हैं और उस पैसे को भी खाने का काम कर रहे हो।

श्री दलेश्वर साहू :- उसमें कितना शहर है ? छत्तीसगढ़ का कितना शहर जा रहा है, उनका भी तो खयाल करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी मेरा जवाब मिला है मेरे को। वर्ष 2023 तक छत्तीसगढ़ के 48 लाख घरों में नल लगना था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया। छत्तीसगढ़ सरकार के पास में पैसा नहीं है तो किसानों को पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए कि नहीं चाहिए ?

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- अग्रवाल जी, था नहीं है। उनको पर्याप्त है।

श्री शिवरतन शर्मा (भाठापारा) :- भाई साहब, गुरु जी हमको मालूम है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है।

श्री कवासी लखमा :- किसको मिल रहा है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- हम लोग जातनते हैं कि वह कहां जा रहा है। आपको तो अनावश्यक रूप से बदनाम करने की साजिश की जा रही है और आप कम से कम इस बात को समझो भैया। आप जगत गुरु हो और जगत गुरु को बदनाम करने की व्यवस्था यह सरकार कर रही है या कुछ मिल रहा होगा तो आप बता दो ? हमारी जानकारी में तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, लखमा जी, बैठिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- तुमको तो पीने के लिए छाछ मिल रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 48 लाख घरों में मेरे प्रश्न के जवाब में पहले दिन दिया है 18 प्रतिशत खाली सिर्फ काम हुआ है तो क्या किसानों को शुद्ध पेयजल नहीं चाहिए ? बताइये भैया, विधायक बंधुओं, किसानों को चाहिए कि नहीं चाहिए ? (चाहिए की आवाज) बीमारी का सबसे बड़ा कारण दूषित जल होता है। यह सरकार किसानों के घरों में पानी पहुंचाने की योजना में भी भ्रष्टाचार करना, उसको लेट करना, राज्य की निधि नहीं देना।

श्री कवासी लखमा :- क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह कंगाल सरकार है और पैसा नहीं देने के कारण किसानों के घरों में नल नहीं लग रही है। हम पूरी पीढ़ी की पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। गांव-गांव में शराब, गांव-गांव में अवैध गांजा, गांव-गांव में चरस, क्यों भैय्या, 70 प्रतिशत आबादी किसानों की है तो क्या उनके बच्चे बर्बाद नहीं हो रहे हैं ? क्या वह बच्चे शहरों में पढ़ने के लिए नहीं आते हैं ? आप छोड़िये, नेशनल हाइवे में, कस्बों, ग्राम पंचायत तक दारू, गांजा, अफीम, शराब, चरस, यह आसानी से एविलेबल हो गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल जी, आप कितने समय लेंगे ? कृपया बताएं क्योंकि आधा घंटा हो गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, आधा घण्टा नहीं हुआ है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम वक्ता हैं और बोलने वालों की आप सदन में देख रहे हैं कि वैसे भी कम है। कृषि में तो बहुत लोगों को बोलना चाहिए और आपको पर्याप्त समय देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- नाम तो बहुत ज्यादा नहीं है न ? नाम बहुत ज्यादा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, एक मिनट बृजमोहन जी।

श्री कवासी लखमा :- नेता जी, यह कृषि के बारे में बोलना छोड़कर दारू-दारू का नाम ले रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनो तो, मैं चिढ़ा नहीं रहा हूं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

श्री कवासी लखमा :- अगर दारू का समय आएगा तो इधर आना। अभी काहे जाते हैं। इधर समय है। इनके ऊपर क्यों कर रहे हैं यह दारू वाले थोड़ी न है। यह दारू छूते भी नहीं हैं। यह पंडित आदमी हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है यदि आप माननीय अध्यक्ष जी से चर्चा कर लीजिए, आपके पास बहुत विषय हैं और आपको सभी बजट को पारित करवाना है। यदि आप सबकी स्वीकृति से व्यवस्था बनाएं कि दोनों तरफ से एक-एक सदस्यों को बोलना देते हैं, लेकिन पर्याप्त विषय आ जाए। आपके पास 8 विभाग हैं और सभी में दो-दो लाइन बोलेंगे तो समय चाहिए। ऐसी व्यवस्था करवाना है क्योंकि आसंदी तो अपना काम करेगी।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जल संसाधन विभाग में पूरी चर्चा होनी चाहिए। आदरणीय बृजमोहन जी बेहद सम्मान से बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, हम लोग उसको सुन रहे हैं, लेकिन आसंदी की मर्यादा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने कहा कि आसंदी की मर्यादा है। यह आपकी और मेरी बात है। यह तय कर लें कि आप एक-एक सदस्यों को बोलने का मौका दें, लेकिन पूरा बोलेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको बजट पारित करवाने की जल्दी है, अपने खिलाफ नहीं सुनना है, अपनी वस्तुस्थिति को नहीं जाननी है, शत्रुमुर्ग रहना है, आत्ममुग्ध रहना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, खिलाफ नहीं सुनना है, ऐसा नहीं है । आपकी आलोचना में हमें अच्छा लगता है । आपके सुझाव आते हैं तो हमें अच्छा लगता है । आपको जो बोलना है, वह आप बोलिए न । आपके सुझाव आने चाहिए । बृजमोहन जी बोल रहे हैं तो अजय चन्द्राकर जी, आपको क्या आपत्ति है ?

श्री दलेश्वर साहू :- थोड़ा संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए बोलिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, कम से कम अपने दिवंगत नेताओं का तो सम्मान किया करो । राजीव गांधी न्याय योजना नहीं, वह अन्याय योजना है । आप किसानों के साथ में अन्याय कर रहे हो । मैं अपनी बात कहूंगा। आप अपने नेताओं का, बेचारे दिवंगत नेताओं को तो आप अपमान कर ही रहे हैं । जो इस दुनिया में हैं, आपके नेता हैं, उनको भी आप कैसे गुमराह करते हैं, वह भी मैं बताऊंगा । आप कैसे अन्याय कर रहे हैं । प्रधानमंत्री आवास का मकान बनाकर नहीं दे रहे हैं, क्या यह किसानों के साथ अन्याय नहीं है ? आप शुद्ध पेयजल नहीं दे रहे हैं, क्या यह किसानों के साथ अन्याय नहीं है ? आप अवैध शराब बिकवा रहे हैं, क्या यह किसानों के साथ अन्याय नहीं है ? आप अवैध गांजा बिकवा रहे हैं, क्या यह किसानों के साथ अन्याय नहीं है ? आप चरस बिकवा रहे हैं, क्या यह किसानों के साथ अन्याय नहीं है ? आप पंप कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, क्या यह किसानों के साथ अन्याय नहीं है ? आप धान को सड़ा रहे हैं यह किसानों की गाड़ी कमाई का अपमान और उनके साथ अन्याय नहीं है ? आप कृषि यंत्र नहीं दे रहे हैं, क्या यह किसानों के साथ अन्याय नहीं है ? आप बीज नहीं दे पा रहे हैं, क्या यह किसानों के साथ अन्याय नहीं है ? आप खाद नहीं दे पा रहे हैं, क्या यह किसानों के साथ अन्याय नहीं है ? आप नकली बीज खाद वालों पर कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं, क्या यह किसानों के साथ अन्याय नहीं है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब बजट पर चर्चा हो रही थी तो हमारे नेता जी धरम लाल जी ने कह दिया कि कांग्रेस है तो ऐसा है, कांग्रेस है तो ऐसा है तो मुख्यमंत्री जी बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे । अगर कांग्रेस नहीं होती तो देश उससे पहले आजाद हो जाता । अगर कांग्रेस है तो भारत के टुकड़े हुए हैं । अगर कांग्रेस है तो भगत सिंह जी को फांसी लगी है । मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ, उसको आप पढ़ लीजिएगा । अगर कांग्रेस है तो चन्द्रशेखर आजाद शहीद हुए हैं । अगर कांग्रेस है तो तो सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को अपने जूते के नीचे नहीं ला पाए । अगर कांग्रेस है तो तो कश्मीर का हिस्सा पी.ओ.के. होकर पाकिस्तान में नहीं चला जाता ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि अगर कांग्रेस है तो भारत के टुकड़े हुए। मैं निवेदन करूंगा कि इसको माननीय सदस्य वापस ले लें।

सदन को सूचना

उपाध्यक्ष महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि सभा सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

उपाध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लाबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री शिवरतन शर्मा :- उमेश जी, आप जो विलोपित करने के लिए बोल रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति ने सन् 1946 में विभाजन को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल जी, जल्दी समाप्त करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- बृजमोहन जी, एक मिनट। अब जब 1946 का बता दिए तो रविन्द्र चौबे जी जानते हैं कि कांग्रेस की इतिहास की भूमिका में लिखा है कि कांग्रेस डोमेनियम स्टेट की मांग के लिए ही बनी है। स्वतन्त्रता की मांग के लिए कांग्रेस बनी ही नहीं थी।

श्री शिवरतन शर्मा :- कांग्रेस का संस्थापक ही अंग्रेज है, विदेशी है। विदेशी नहीं, अंग्रेज। तो कांग्रेस अंग्रेजों से आजादी कैसे दिलायेगी ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कांग्रेस है तो भ्रष्टाचार है। कांग्रेस है तो कश्मीर में धारा 370 है। कांग्रेस है तो इस देश के करोड़ों रामभक्तों के लिए राम मन्दिर है। कांग्रेस क्या है ? किसलिए कांग्रेस बनी थी ? आज बड़ी-बड़ी बात करते हैं। ठीक है, आप अपनी बात करो, वहां तक समझ में आता है। आज कांग्रेस है तो लखीमपुर खिरी में 50-50 लाख रुपये किसानों को मिलेगा और छत्तीसगढ़ में 4-4 लाख रुपये मिलेगा। क्योंकि वहां का किसान बड़ा है, छत्तीसगढ़ का किसान छोटा है। बड़ी-बड़ी बात करते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। काहे का भरोसा है भैया ? कर्ज माफ होगा, उसका भरोसा है ? खाद-बीज मिलेगा, इसका भरोसा है ?

श्री दलेश्वर साहू :- किसानों का विश्वास जीता है, यह भरोसा है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस है तो एक मंत्री भी गायब है। मुख्यमंत्री है तो एक मंत्री गायब है। यह भी कांग्रेस है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब प्रतिवेदन खोला तो सबसे पहले नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी दिखा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार अपनी फलेगशीप की योजना लाती है। बड़ा-बड़ा विज्ञापन देती है, बड़ा-बड़ा प्रचार करती है। परन्तु उन योजनाओं का इतना बुरा हाल है कि गांव-गांव में लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जब हम गांवों में जाते हैं तो हमको लोग ले जाते हैं चलो भैया, हम गौठान दिखाते हैं, गौठान का क्या हाल है ? रविन्द्र चौबे जी, मुख्य सड़कों पर जो गौठान बने हैं, जरा वहां जाकर देख लीजिये। डहरिया जी, तोर इहां लखौली मा बने हे, का हाल-चाल हे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- एकदम अच्छा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चल, मैं देखे बर चलहूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- एकदम अच्छा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उहां एक गरूवा नइ हे। ओमा चारा भरे हे। अतेक बुरा हाल हे। आप अच्छा काम करिये, आप गौ माता की सुरक्षा करिये, रक्षा करिये। हम आपका स्वागत करेंगे, आपको माला पहनायेंगे। परन्तु सड़क-सड़क पर, जगह-जगह पर गाय है। जब हम एयरपोर्ट रोड पर जाते हैं, अभी हम लोग मन्दिर हसौद की तरफ से होकर विधानसभा आ रहे हैं। क्या हालत है ? हर तरफ गरूवा, गाय एक्सीडेंट।

उपाध्यक्ष महोदय :- आदरणीय, समय का ध्यान दीजियेगा। जल्दी समाप्त करियेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, आप खुद गौठानों की समीक्षा कर लीजिये। आप 8 हजार गौठान की बात कर रहे हैं। मैं इस सदन में दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 सौ से ज्यादा गौठान लाइव नहीं हैं। आपने पैसा बर्बाद किया है। आपने सैकड़ों करोड़ बर्बाद किया है। वहां पर जानवर नहीं हैं। वहां पर बहुत गंदगी है। जानवर, गौ माता सड़कों पर आकर क्यों बैठती है ? क्योंकि उनको साफ-सुथरा जगह मिलता है, उनको सूखा जगह मिलता है। आपके गौठानों की हालत बदतर है। गौठानों के नाम पर यह बड़ा स्कैण्डल है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माइक्रो मायनर योजना, मंत्री जी, आप जरा बता दे। हमारी सरकार के समय वर्ष 2017-18 में तालाब बनाने के लिए 24 करोड़ का प्रावधान था, अभी आपने 17 करोड़ का प्रावधान किया है, क्या किसानों को तालाबों की आवश्यकता नहीं है ? आपने प्रावधान क्यों कम किया है ? आपकी बाड़ी योजना क्या है, शाकम्भरी योजना है । बेचारे छोटे-छोटे सब्जी-भाजी वालों की बाड़ी पर आपने कितना बजट कम किया ? वर्ष 2017-2018 में 40 करोड़ का बजट था, आज आपने 13 करोड़ कर दिया है, क्या यही है, नरवा गरूवा घुरवा और बाड़ी ?

श्री दलेश्वर साहू :- सब्जी वाले धान में चले गये हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दलेश्वर जी, आप तो बड़े किसान हो, आप सब्जी, भाजी, पैदा करने वाले किसान हो, आप उन्नत किसान हो, आप तो यह बात मत करिये, आपकी बाड़ी कहां चली गयी ? क्या शाकम्भरी योजना बाड़ी के तहत नहीं आती है ? किसान समृद्धि योजना के लिए कितना पैसा रखा है, 5 करोड़ । वर्ष 2017-2018 में कितना था, 15 करोड़ 85 लाख रुपया । क्यों भई क्या होता है इसमें ? 5 हजार नलकूप खोदने के लिए यह योजना है, उसमें आपने पैसे कम कर दिये ? 10 करोड़ रुपये कम कर दिये ? जैविक खेती मिशन, बड़ी-बड़ी बात करते हो, हम कम्पोस्ट खाद बनायेंगे, आज जैविक खेती मिशन में हमारे समय पर 30 करोड़ रुपये होता था, आज आपने उसको 18 करोड़ रुपया कर दिया ?

सभापति महोदय :- अग्रवाल साहब, समाप्त करियेगा । 40-45 मिनट हो गये । 45 मिनट ज्यादा हो गया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 10 मिनट और है ।

सभापति महोदय :- 10 मिनट नहीं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ । प्लीज ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी तो मैं कृषि पर बोल रहा हूँ ।

सभापति महोदय :- बाकी दूसरे के लिए छोड़िये ना ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रथम वक्ता को पर्याप्त समय मिलना चाहिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्यानिकी में छत्तीसगढ़ ने लम्बी छलांग लगाई थी, आपके आने के बाद उद्यानिकी विभाग लगभग बन्द पड़ा हुआ है । माननीय अध्यक्ष महोदय, खाली उद्यानिकी विभाग में कौन सा काम हो रहा है, सप्लाई का काम हो रहा है । किसानों के लिए नेट-सेट हाऊस नहीं बन रहे हैं । ग्रीन हाऊस नहीं बन रहे हैं, उनको ड्रिप स्प्रिंकलर नहीं मिल रहे हैं, उनको मल्टिंग शीट नहीं मिल रही है । मंत्री जी पिछले वर्ष के 261 करोड़ में 61 करोड़ खर्च हुये हैं, 200 करोड़ रुपये उद्यानिकी विभाग के खातों में पड़े हुये हैं, यह पिछले तीन सालों से है । क्यों नहीं हो रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार के पास में बजट नहीं है ? क्या छत्तीसगढ़ के किसानों को सब्जी-भाजी पैदा नहीं करना चाहिये ? फल-फूल पैदा नहीं करना चाहिये ? माननीय सभापति महोदय, मैं तो छत्तीसगढ़ के किसानों को बधाई देना चाहता हूँ, वे स्ट्राबेरी पैदा कर रहे हैं, वह नाशपत्ती पैदा कर रहे हैं, अब तो मैनापाट में एप्पल के ऊपर भी प्रशिक्षण चल रहा है । वह आलू पैदा कर रहे हैं, उनकी खेती को बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप आलू से सोना पैदा कर रहे हो । आप आलू से सोना बना रहे हैं ।

सभापति महोदय :- चलिये, अब बन्द करिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज यह हालत हो गयी है कि जो हमारे उद्यानिकी विभाग के किसान हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जितनी योजनायें हैं, वह लगभग बन्द है । किसी में सुविधा नहीं मिल

रही है । हमारा सब्जी पैदा करने वाला किसान भी धीरे-धीरे सब्जी पैदा करना बंद करके धान पैदा करना शुरू कर रहा है ।

सभापति महोदय :- श्री मोहन मरकाम ।

श्री कवासी लखमा :- धान में 2500 रुपये मिल रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दादी समझ में नहीं आयेगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- दादी आप छांछ पियो, प्रसन्न रहो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, बसंत पंचमी से चल रहा है फुल्ली । फुल्ली को आपसे ज्यादा कौन जानेगा, बताईये ।

सभापति महोदय :- दोनों साथी हैं । सब जानते हैं । अजय भाई आपको जानते हैं, मेरे को जानते हैं । पूरा प्रदेश । चलिये बंद करिये । अग्रवाल जी बंद करिये । मोहन मरकाम जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017-2018 में 14 हजार किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना में प्रमोट किया गया था । उनको सुविधा दी गई थी। आज सिर्फ 300 हेक्टेयर में दी जा रही है। नदी, कछार में पहले 5500 कृषकों को लाभान्वित किया गया था, आज आप 1277 कृषकों को लाभान्वित कर रहे हैं। community fencing के लिए आप कितना पैसा दे रहे हैं? पिछले दो-तीन वर्षों का आपने जो बजट रखा, उसका 20 प्रतिशत भी खर्च नहीं हुआ है। बड़े-बड़े बजट प्रावधान रखने से क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल जी, कृपया समाप्त करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संरक्षित खेती के लिए 2017-18 में 106 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान था, अभी आपने 5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। छत्तीसगढ़ को अगर हमको नई दिशा में ले जाना है, छत्तीसगढ़ के किसानों को समृद्ध बनाना है, छत्तीसगढ़ के किसानों की आय बढ़ानी है तो हमको किसानों को integrated agriculture की ओर ले जाना होगा ताकि वह किसान धान का, दलहन का, तिलहन का उत्पादन भी करे, वह मछलीपालन, मुर्गीपालन, पशुपालन भी करे, वह फलोद्यान भी लगाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन भैया, आपको धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- बहुत लेट हो गया है। आपको बोलते हुए 50 मिनट हो रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलने के लिए बहुत कुछ है। छत्तीसगढ़ में 99 लाख गौवंशी, 11 लाख भैंसवंशी पशु हैं। आपने कभी उनकी गणना की है ? छत्तीसगढ़ में हम पशुओं की नस्ल परिवर्तन के लिए जो काम करते थे, उस काम में कितनी कमी आई है। आप जरा आंकड़े निकालकर देख लें, मेरे पास आंकड़े हैं। आपके विभाग का प्रतिवेदन मेरे पास है। हमारी सरकार ने

हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी योजना लाई थी कि अगर कोई हमारा ठेठुआर, राउत का लड़का डेयरी खोलेगा तो वह 12 लाख रुपये की डेयरी खोल सकता है, 6 लाख रुपये उसको सब्सिडी के रूप में मिलेगा। आज वह 6 रुपये की सब्सिडी बंद हो गई है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- बृजमोहन भैया, रविन्द्र भैया के नेतृत्व में नस्ल सुधार का कार्यक्रम चल रहा है। अगर उसकी जरूरत हो तो इनको बताईयेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज छत्तीसगढ़ में डेयरी विकास का कार्यक्रम बंद हो गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जरा बताईये कि आपने पिछले 03 साल में जब से आप आये, आपने बड़ी-बड़ी बात की कि हम सिंचाई का प्रतिशत बढ़ायेंगे, सिंचाई क्षमता को दोगुनी करेंगे। आपको कितना बजट मिला ?

उपाध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन भैया, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरा नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया, आप बहुत समय तक बोल लिये, बाकी सदस्यों को भी बोलना है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करूंगा। माननीय मंत्री जी, आप भी छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हो, आपको जानकारी है, क्या बोधघाट परियोजना बन सकती है ? अभी बस्तर में कितनी सिंचाई हो रही है। मजाक, मजाक। इस सदन में डॉक्टर साहब ने, मैंने बोला, हम बनायेंगे, हम बनायेंगे। यह webcast company कौन है ? आपको मालूम है कि इस webcast company को मैंने फाईल में लिखा था कि इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाये। मैंने लिखा था, इसका यहां की जल नीति बनाकर छत्तीसगढ़ का प्रतिवेदन देना है, उसने नहीं दिया। वह कंपनी हमारा पैसा खाकर भाग गई। यह webcast company सरकारी नहीं है। आप कम से कम इस सदन में गलत जवाब मत दो।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, कृपया समाप्त करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अभी सिंचाई विभाग में दो मिनट बात करूंगा। webcast company केन्द्र सरकार में empanelled है, वह सरकारी नहीं है। वहां के लिए लोन, जितना आप चाहो मिल जायेगा। 41 करोड़ रुपये में ठेका दिया है, कितना ले लिया है, यह मालूम नहीं है। वह कंपनी की योग्यता आपने 12 करोड़ रुपये दे दिया है। वह कंपनी योग्य नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप वहां पर बैठे हो, मैं आपसे ही जानकारी चाहता हूं कि पूरे बस्तर में वर्तमान में कितने किसान सिंचाई की सुविधा लेते हैं, हम कितने हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं ? 2 लाख 36 हजार हेक्टेयर में बोधघाट परियोजना से सिंचाई होगी। कृषि विभाग के पास तो आंकड़े हैं। क्या उतना एरिया वहां पर एग्रीकल्चर के लायक है ? जब कृषि जमीन ही नहीं है तो कहां से 2 लाख 36 हजार हेक्टेयर में होगी ? कोई भी अधिकारी कुछ भी आंकड़े बता दें, हम उसकी घोषणा कर दें, हमको अपने दिमाग को तो apply

करना चाहिये। आज आपकी विश्वसनीयता के ऊपर मैं प्रश्न चिन्ह लगता है क्योंकि वह योजना नहीं बन सकती। आपने कहा था रेहा-रटेन, उसका क्या हुआ ? नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, मुझे मालूम है। आपके पास पैसा होगा तब तो करोगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया बंद करिये। श्री मोहन मरकाम जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समापन करूंगा, और आपके निर्देश पर जल्दी कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- दो मिनट, दो मिनट करते करते तीन मिनट हो गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम भी रात को 9.30 बजे तक बैठते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिये, तथ्यों के संग मैं बोल रहे हूँ, उतना उनको भी बोलने दीजियेगा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग कम बोल लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं, समय निर्धारित किया गया है, इसलिये। आपका भी नाम है, उसके बाद आप भी बोलेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, तो बाकी को कम कर दीजियेगा। साहब मैं तो दो मिनट बोलूंगा, मेरे को शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरे में बजट डाले नहीं है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, तो शिकायत कर लूंगा।(व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अरपा-भैंसाझार का क्या हुआ, क्यों पूरा नहीं हो रहा है ? उसका 100 प्रतिशत हेड वर्क पूरा हो गया, 75 प्रतिशत नहर का काम पूरा हो गया है, उसके बाद भी उसके माध्यम से सिंचाई क्यों नहीं हो रही है ? आपने पिछले भाषण में बड़ी-बड़ी बात कही थी। केलो परियोजना, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, आपको अपना मद देना है। हम वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकते हैं, हम उसको क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं ? आपकी जो रूची सिंचाई सुविधा में भी होनी चाहिये, उसमें भी 100 प्रतिशत हेड का काम हो गया है, 75 प्रतिशत लहरों का काम हो गया है, उसके बाद भी आप उसको पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? यह सरकार कंगाली की हालत में है, यह सरकार बदहाली की हालत में है। आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा था कि आने वाले 2023 तक सिंचाई विभाग के 70 प्रतिशत कर्मचारी रिटायर हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये हो गया। बंद करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बस एक मिनट में समाप्त करूंगा। आपने कहा था कि 70 प्रतिशत कर्मचारी रिटायर हो जायेंगे, आपने नई भर्तियों के लिये क्या किया, क्या योजनाएं बनाई ? खाली प्रभारवार में पूरा विभाग चल रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि यह वरिष्ठ मंत्री है, हम लोग इनके ऊपर विश्वास करते हैं, हम लोग कॉलेज के जमाने के मित्र हैं लेकिन इनके पास में जो विभाग है, उन विभागों के लिये खाली मीठी-मीठी बात करके घुमाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- इसीलिये यह विभाग आपके बाद उनको मिला है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह जैसे किसानों को लुभाते हैं, उनको भुलावा देते हैं, वैसे ही इनके साथ भी व्यवहार हो रहा है। कोई विभागों का बजट नहीं बढ़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- थैंक्यू। बृजमोहन भैया, आपको धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह जो कृषि बजट है, यह कृषि बजट किसानों को नीचे ले जाने वाला है, पीछे ले जाने वाला है और अगर छत्तीसगढ़ में सिंचाई की योजनाएं नहीं बनेंगी, तो हम किसानों के भविष्य को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। चाहे पशु-पालन हो, चाहे मछलीपालन हो, चाहे वह कृषि हो, चाहे सिंचाई हो, सबके मामले में छत्तीसगढ़ पिछले 3 सालों में पीछे गया है। इसलिये मैं इस बजट का विरोध करता हूं और आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- थैंक्यू। श्री मोहन मरकाम जी।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री रविन्द्र चौबे जी के वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान मांग संख्या 28,13,14,16,54,23,45,75 और 57 मांगों का समर्थन करते हुये, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोहन मरकाम जी, पटल पर रख दे, पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समर्थन करने के लिये किसी तथ्य की जरूरत नहीं है, विरोध क्यों कर रहे हैं इसके लिये तथ्य की जरूरत है। क्योंकि हमारा कटौती प्रस्ताव रहता है। समर्थन के लिये भाषण की जरूरत नहीं है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है। छत्तीसगढ़ में लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या खेती किसानी करती है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, डॉ. रमन सिंह जी के शासन काल में छत्तीसगढ़ के किसानों को कटोरा पकड़ा दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में लगभग 15 हजार किसान कर्ज के बोझ में दबने के कारण आत्महत्याएं कर लिये थे। माननीय वरिष्ठ सदस्य बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे थे कि कांग्रेस नहीं होती तो यह होता, वह होता। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय डॉ. रमन सिंह जी, माननीय अजय चंद्राकर जी, कांग्रेस के जिस स्कूल में पढ़े-लिखे, कांग्रेस के जिस स्कूल में पैदा हुये, वह कांग्रेस की देन है। यदि कांग्रेस नहीं होती तो हम अंग्रेजों के तलवे चाटते होते। कांग्रेस नहीं होती तो हम अंग्रेजों के गुलाम होते। देश की आजादी से लेकर, देश के नवनिर्माण और देश के विकास में कांग्रेस पार्टी का जो योगदान है, यह 135 करोड़ देश की जनता जानती है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे थे कि सरकार की प्राथमिकताएं नहीं हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता छत्तीसगढ़ का अन्नदाता, छत्तीसगढ़ का किसान है। खेती

किसानी लाभ का धंधा, काम हो गया है। माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे जी के नेतृत्व में जो खेती किसानों का काम हो रहा है, उसी का परिणाम है कि आज लगभग 9 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन बढ़ाया, फिर से किसान लोग खेती किसानों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमने नारा दिया था "वक्त है बदलाव का" हर क्षेत्र में सुखद बदलाव हो रहा है। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में फुड पार्क योजना पर तेजी से कार्य कर रही है। हर जिले में फुड पार्क बन रहे हैं। प्रदेश में लगभग 200 फुड पार्क बनेंगे। माननीय डॉ. रमन सिंह जी के 15 सालों के कार्यकाल और माननीय मोदी जी के 8 सालों के कार्यकाल में जो काम नहीं हुआ। आज हमारी सरकार के 3 सालों के कार्यकाल में हो रहा है। लगातार हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए काम कर रही है। आज हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बातें कह रहे हैं आज लगातार छत्तीसगढ़ के अन्नदाता, छत्तीसगढ़ के किसान काम कर रहे हैं। हम वर्ष 2022-23 का बजट देखते हैं वर्ष 2021-22 के बजट की तुलना में 1,414 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के क्षेत्र में 9 हजार 271.776 करोड़, पशु पालन में 581.29 करोड़, मछली पालन में 181.94 करोड़, जल संसाधन में 3 हजार 395 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हम क्या देखते हैं कि पिछले वर्ष में ही हमारी सरकार ने 17 लाख 96 हजार किसानों का 8 हजार 754 करोड़ रुपये का कृषि ऋण माफ किया है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है। डॉ. रमन सिंह और उनकी सरकार ने तो बड़े-बड़े वायदे किये थे, यह उनका घोषणा पत्र है। तात्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, तात्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी की सरकार के यह बड़े-बड़े वायदे हैं। इन्होंने बड़े-बड़े वायदे किये थे कि हम यह करेंगे, हम वह करेंगे। 15 सालों में तात्कालीन सरकार, डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने किसानों का एक रुपया माफ नहीं किया। मैं माननीय माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, यह छत्तीसगढ़ के किसानों की हितैषी सरकार है, जिन्होंने 2 घण्टे के अंदर छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए पहला हस्ताक्षर किया। धान खरीदी 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीफ वर्ष 2018 के धान हेतु 15 लाख 77 हजार किसानों को 6 हजार 22 करोड़ रुपये की बोनस की राशि को तत्काल भुगतान करने का काम किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐतिहासिक निर्णय है। देश की पहली सरकार है। अगर किसी में 2500 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदने की हिम्मत है तो कांग्रेस की सरकार माननीय माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी 15 सालों तक कृषि मंत्री रहे, मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया? बस्तर के विकास का नया अध्याय शुरू करते हुए नारंगी वन क्षेत्र में से 30,439 हेक्टेयर भूमि राजस्व मद में वापस दर्ज करके वहां के लोगों को पट्टा देकर, वहां खेती किसानों करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में 7 हजार रुपए वार्षिक सहायता के तहत 3,54,513 किसानों को, मजदूरों को 71 करोड़ 8 लाख रुपए भुगतान

करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह कांग्रेस की सरकार है जो छत्तीसगढ़ के अन्नदाता, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार आजादी के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था "जय जवान जय किसान"।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, अभी लाल बहादुर शास्त्री की जगह में जिन्ना का फोटो लगा था।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में अगर हरित क्रांति की देन है तो श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी की देन है। चाहे वह भांखड़ा नांगल बांध हो, चाहे हीराकुंड बांध हो, अनगिनत सिंचाई का रकबा बढ़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता किस मुंह से कहते हैं कि आज कांग्रेस ने क्या किया ? अगर अन्न का भंडार है तो कांग्रेस की सरकारों की देन है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के तलवे चांटते थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे। यह जो वीर सावरकर कहते थे, यह वीर सावरकर नहीं, यह तो अंग्रेजों से 10 बार माफी मांगे थे और कहते थे कि मैं अब कोई धरना प्रदर्शन अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ नहीं कहूंगा। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनका चाल चरित्र देख लीजिए। आज यह किस मुंह से कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया ? कांग्रेस इस देश की वह पार्टी है, देश के विकास, देश के नव निर्माण, देश की प्रगति पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री से लेकर, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह जी से लेकर पी.वी. नरसिम्हा राव जी ने देश के लिए काम किया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 100 जन्म लेना पड़ेगा ? वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि हम किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2022 तक दोगुनी करने की बात कहां गयी ? आप दो बार सत्ता में आए, इन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे डॉ. रमन सिंह जी हों, श्री अजय चंद्राकर जी पढ़ लें, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में क्या लिखी है ? आज मोदी जी की सरकार को 8 साल हो रहे हैं, आपने क्या किया है, आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। आप देश की जनता को गुमराह करके सत्ता में बैठे हैं, मगर देश की जनता भी आपको देख रही है।

श्री रामकुमार यादव :- एमन सिर्फ अपने मन के बात ला करथैं, पब्लिक मन के बात ला भुला गेहे।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार ने देश के किसान, खेत और खलिहान के खिलाफ घिनौना षड़यंत्र किया था और तीन काले कानून लाये थे। देश के किसान और अन्नदाता के लगातार आंदोलन के कारण, जो बहुत अच्छा कानून कहते थे, ढिंढोरा पीटते थे, उस कानून को भी भारतीय जनता पार्टी ने वापस ले लिया। आज केन्द्रीय भाजपा सरकार तीन काले कानूनों के माध्यम से देश के हरित क्रांति को खत्म करने का साजिश रचा था।

श्री सौरभ सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब में आपको 13 सीट मिली है। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं देश के किसानों, देश के अन्नदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो तीन कृषि कानून को ऐतिहासिक कानून कहते थे, उस कानून को भी वापस लेना पड़ा। कहने का मतलब है कि मोदी जी की सरकार ने थूक को चाटने वाला जो काम किया था, यह भारतीय जनता पार्टी की चाल और चरित्र है।

श्री सौरभ सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, वेस्टर्न यू.पी. में हम पूरी सीट जीते। आपको पंजाब में 13 सीटें मिली। मालवा में आपको 87 सीटों में एक भी सीट नहीं मिली।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के भाग्य विधाता किसान तथा खेत मजदूर के मेहनत को चंद उद्योगपति, पूंजीपतियों को गिरवी रखने का भारतीय जनता पार्टी ने षडयंत्र किया था, देश का अन्नदाता जाग गया था और कहीं न कहीं उस षडयंत्र को बेनकाब करके भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला दिया।

समय :

1.50 बजे

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे थे कि आप सबको पता है कि संघीय ढांचे का उल्लंघन कर संविधान को रौंदकर संसदीय प्रणाली को दरकिनार कर बहुमत के आधार पर बाहुबली मोदी सरकार 3 कृषि कानून लाये थे लेकिन उसको भी वापस लेना पड़ा। देश के किसान, खेत मजदूर मण्डी में तथा मण्डी मजदूर यूनियन कर्मचारी ट्रांसपोर्ट व लाखों-करोड़ों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता लेकिन मोदी सरकार के द्वारा कहीं-कहीं इसे वापस लेने से यह सिद्ध हो गया कि वह देश के अन्नदाताओं के साथ षडयंत्र रच रहे थे। संघीय ढांचे में फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र सरकार हमारे हिस्से का जो पैसा देती है, वह कोई एहसान नहीं कर रही है। आज जीएसटी और अन्य करों से लगभग 24,000 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ राज्य को लेना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे जीएसटी का पैसा जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिये खर्च होता, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिये खर्च होता। अगर हमें आज कर्ज लेना पड़ रहा है तो हमने यहां के अन्नदाताओं, यहां के किसानों, यहां के बेरोजगारों, यहां के अन्य वर्गों के लिये लोन लिया है, छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिये लिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि जो लोन लेकर कंबल ढंककर मलाई खाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। यह भारतीय जनता पार्टी के नेता हमें क्या बतायेंगे ?

माननीय सभापति महोदय, आज लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और हमें लगता है कि हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है और हम लगातार काम कर रहे हैं। फूड

कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया में साढ़े 15 करोड़ किसानों के खातों में एमएसपी पर फसल खरीदी जाती है लेकिन मुट्ठी भर चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिये जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया था कहीं न कहीं आज भारतीय जनता पार्टी की चाल और चरित्र उजागर हो गया है। हमारे पास जो आंकड़ें हैं उन आंकड़ों के हिसाब से हम यह कह सकते हैं कि हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी 9 सांसद और 14 विधायक कांग्रेस की सरकार के साथ जिस ढंग से षडयंत्र कर रहे हैं। 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की बात होती थी, केंद्र सरकार उसकी सहमति देती है लेकिन 24 लाख मीट्रिक टन चावल ही छत्तीसगढ़ से खरीदा जाता है यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल-चरित्र है। छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ लगातार इन्होंने अन्याय करने का काम किया है। मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार को, माननीय रविन्द्र चौबे जी की सरकार को, माननीय कवासी लखमा जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज कहीं न कहीं केंद्र सरकार जितनी भी साजिश रचे लेकिन हमारी सरकार टस से मस नहीं हो रही है और छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के साथ खड़ी है।

माननीय सभापति महोदय, कहीं न कहीं हमारी सरकार द्वारा लगातार सिंचाई में राहत देने के लिये 5 ईएसपी तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजना के तहत भी बजट में प्रावधान किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोदो-कुटकी, रागी का क्रय निर्धारित समर्थन मूल्य में भी हमारी सरकार खरीद रही है। आज हम देखते हैं कि हमारी सरकार जो लगातार काम कर रही है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो बातें बोल रहे थे, आज हम देखते हैं कि परिणामी बजट में देख लीजिये कि कृषक समग्र विकास योजना में 94 करोड़, माईक्रो योजना में 17 करोड़, शाकम्भरी योजना के लिए भी प्रावधान किया है। माननीय सभापति महोदय, जैविक खेती मिशन के लिए 18 करोड़, फसल प्रदर्शन योजना के लिए 5 करोड़, नेशनल मिनरल ऑफ आई.एल.सी. के लिए 13 करोड़, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए 60 करोड़, मृदा स्वास्थ्य में सुधार एवं मृदा उर्वरक में वृद्धि के लिए 21 करोड़, कृषि यांत्रिकी मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों के अनुदान के लिए 84 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 130 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 100 करोड़, एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन के लिए 100 करोड़ और साथ ही साथ धान आधारित द्विपक्षीय क्षेत्र दलहन एवं तिलहन के उद्देश्य के लिए 100 करोड़ लगातार हमारी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। मछली पालन। जो लाखों परिवार यहां मछली पालन करते हैं, मछली पालन को भी कृषि का दर्जा देकर लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन की बात है। हमारी सरकार कांग्रेस सरकार की देन है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मोदी जी का भी एकाक बार नाम ले लीजिए।

श्री मोहन मरकाम :- चाहे गंगरेल बांध हो, बांगो बांध हो, दुधावा बांध से मिनीमाता बांध हो, यह कांग्रेस की देन है। अगर छत्तीसगढ़ में कृषि का रकबा बढ़ा है तो कांग्रेस की सरकारों ने दी है, उसी का परिणाम है। आज छत्तीसगढ़ में अगर हम फसल लेते हैं तो वह कांग्रेस की सरकार की देन है। मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी से पूछना चाहता हूँ। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 10 प्रतिशत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के शासन में सिंचाई का रकबा नहीं बढ़ा। आज हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। जल संसाधन विभाग में भी लगातार योजनाएं बना रही हैं। वृहद एवं लघु परियोजनाओं के निर्माण के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिए 46 करोड़ रुपये का प्रावधान है। महानदी परियोजना समूह के लिए 198 करोड़ का प्रावधान है। उसके साथ-साथ जितने भी बड़े या लघु मध्यम परियोजनाएं हैं, उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और आने वाले दिनों में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार काम कर रही है। नरवा, घुरवा, गरवा, बाड़ी की बात हो रही है। देश की पहली सरकार है। अगर अगला कोई विश्व युद्ध होगा तो पानी को लेकर होगा। आज हमारी सरकार वैज्ञानिक सोच के साथ नरवा यानी नदियों का नालों का रिचार्ज, जल स्तर कैसे ऊपर बढ़े, इसके लिए वैज्ञानिक ढंग से काम कर रही है। 3 सालों में हमारी सरकार के कार्यकाल में जो वाटर लेवल बढ़ा है, नदियों में जो वाटर लेवल बढ़ा है तो यह हमारी सरकार की सोच है। वर्ष 2000 से वर्ष 2003 के बीच माननीय भूपेश बघेल साहब तत्कालीन सिंचाई मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक कार्ययोजना एक लंबी सोच के साथ बनायी थी, आज सरकार में आने के बाद उसे कार्यरूप में परिणत करके आज दिखा दिया कि हमारी सरकार की क्या सोच है। आज रायपुर जैसे शहर में 700 फीट में भी पानी नहीं मिलता। जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। इसीलिए हमारी सरकार की सोच है कि जल स्तर कैसे बढ़े, नदी नालों का रिचार्ज कैसे हो, जल स्तर बढ़ाने के लिए नरवा, घुरवा, गरवा, बाड़ी योजना के माध्यम से आज काम कर रही है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारती की आत्मा गांव में बसती है ।

समय :

2.00 बजे

गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा । आज गांवों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है । शासन की महत्वाकांक्षी योजना, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, एन.जी.बी.जी. की मुख्य गतिविधियों के रूप में बड़ी संख्या में गोठानों का निर्माण किया जा रहा है, गोठान के माध्यम से ग्राम स्तर पर न सिर्फ पशुओं का उचित व्यवस्थापन कर फसल को क्षति से बचाया जा सके । देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी साहब उत्तरप्रदेश के चुनाव में कहते हैं और आवारा पशुओं की देखभाल के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हैं । माननीय प्रधानमंत्री जी इंदौर में गोबर गैस प्लांट का उद्घाटन करते हैं ।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मॉडल को देखकर देश के प्रधानमंत्री भी प्रभावित होकर गोबर गैस प्लांट बनाते हैं। सभापति जी, हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। अब तक 10591 गोठान स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत गोठानों में 8,343 गोठानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इन गोठानों में पशु उपचार, बधियाकरण एवं नस्ल सुधार जैसे विभागीय कार्य किये जा रहे हैं। वर्ष 2021-22 में इन गोठानों में 94,147 कृत्रिम गर्भाधान, 31,766 वत्स उत्पादन, 1 लाख 45 हजार 976 बधियाकरण, 6.41 लाख पशु उपचार, 7.8 लाख कृमि नाशक दवापान तथा 30.8 लाख टीकाकरण कार्य किये। ये ऐतिहासिक पशुधन के उपचार के साथ-साथ उसका विकास कैसे हो, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। सभापति जी, गोठान में पशुओं का पौष्टिक चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चारागाह विकास किया जा रहा है। गोठानों में 6,484 चारागाह स्वीकृत किये गये हैं। जिसमें 30 लाख 9 हजार 778 क्विंटल हरा चारा उत्पादन किया गया है, इस प्रकार पशुओं को सूखा चारा के लिए ग्रामीणों को पैरा दान के लिए प्रेरित कर 15.60 लाख क्विंटल पैरा दान कराया गया है। यह हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, उसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में पशु संवर्धन एवं नस्ल सुधार को प्राथमिकता से लिया जा रहा है, जिसमें विभाग के पशु संवर्धन हेतु एक राज्य स्तरीय केन्द्रीय वीर्य संग्रहण, 5 संभाग स्तरीय वीर्य संग्रहण, 22 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 248 कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र।

श्री अरुण वीरा :- अजय जी सुनिये ना, क्या बोल रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- आप सुनते जाइए ना। आपके प्रथम वक्ता माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने एक घंटा।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप जो बोल रहे हैं, उन सारी चीजों को तो हमने प्रतिवेदन में पढ़ लिया। प्रतिवेदन से हटकर कुछ बोल रहे हैं तो बताइए। कुछ नया हो तो बताओ ना।

श्री मोहन मरकाम :- आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको तो कुछ दिखता नहीं है ना। मैंने पहले ही नया सुनाया। (व्यवधान)

श्री शैलेश पाण्डेय :- शिवरतन भइया बैठिये, जब अध्यक्ष जी कुछ कह रहे हैं तो आपको सुनना चाहिए। (व्यवधान) ऐसा नहीं होता, आप हमारे अध्यक्ष जी को डिस्टर्ब कर रहे हो।

सभापति महोदय :- टोकाटाकी न करें।

श्री मोहन मरकाम :- अगर कांग्रेस न होती तो अजय चंद्राकर जी, डॉ. रमन सिंह जी इस सदन के सदस्य नहीं होते। यह कांग्रेस है तो सब कुछ है। कांग्रेस है तो आप बोलने लायक बने हैं, यह कांग्रेस की देन है। सभापति महोदय, हमारी सरकार प्रदेश में 21-22 में 3.4 लाख कृत्रिम गर्भाधान किये गये, जिसमें गाय एवं 3 लाख नाटो का बधियाकरण किया गया है। सभापति महोदय, पशुओं की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की रक्षा हेतु लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हितग्राही मूलक योजनाओं

के माध्यम से पशुपालकों का आर्थिक उन्नयन किया गया है। इस प्रदेश में कुक्कूट पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कूट इकाई योजना अंतर्गत 28 दिवसीय 45 लाख रंगीन चूजे देने का प्रावधान है। बैकयार्ड कुक्कूट इकाई योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में राशि 5.17 करोड़ का प्रावधानित था, जिसमें 5,939 इकाईयों का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-23 में राशि 5.71 करोड़ का प्रावधानित किया गया है, जिसमें 19 हजार 977 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जायेगा। आप सुन लीजिये, आपको भी अगर मूर्गी के चूजें चाहिये तो हमारी सरकार उसके लिए भी व्यवस्था की हैं। माननीय सभापति जी, प्रदेश में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शूकर पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान पर शूकर त्रियोजना संचालित हैं, जिसमें उन्नत नस्ल का दो मादा शूकर एवं एक नर शूकर दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मरकाम जी, किताब में लिखा हुआ है? प्रतिवेदन में लिखा हुआ है?

श्री मोहन मरकाम :- नहीं-नहीं, आपने पढ़ा नहीं न। आपने पढ़ा नहीं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमने इसको पढ़ लिया है।

श्री अमितेश शुक्ल :- रंजना जी को इस किताब को पढ़ाओ न। रंजना इसको पढ़ेंगी, इसलिए बता रहा हूँ।

श्री मोहन मरकाम :- इसीलिए मैं बता रहा हूँ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप बोलते हैं शोषण कर रही है, शोषण। इसीलिए बताना पड़ रहा है।

श्री मोहन मरकाम :- इसीलिए बताना पड़ रहा है कि हमारी सरकार ने क्या किया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अमितेश जी, आपने इस बुक को पढ़ा है या नहीं?

श्री अमितेश शुक्ल :- मैं आपका भाषण सुनते ही समझ जाता हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तो फिर आईये, भोजन कर लीजिये।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, इसके लिए वर्ष 2021-22 में करोड़ का प्रावधान था। प्रदेश में बकरी वंश के संवर्द्धन हेतु अनुदान योजना के लिये एक बकरा दिये जाने का प्रावधान है। इसके लिए वर्ष 2021-22 में 0.41 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें भी इसके लिए प्रावधान किया गया है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु उन्नत नस्ल की बछिया के भरण-पोषण हेतु चार से चौदह माह की आयु तक पशु आहार अनुदान पर दिये जाने का प्रावधान किया गया है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, यह अनुदान हमारी सरकार दे रही है, जिसके लिए 2.52 करोड़ प्रावधानित है।

श्री अरुण वीरा :- माननीय बृजमोहन जी। अध्यक्ष जी, सुनिये न। हमारे अध्यक्ष मरकाम जी बोल रहे हैं कि आपने दुग्ध उत्पादन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया।

श्री मोहन मरकाम :- वे ध्यान नहीं दिये, इसीलिये सरकार उसके लिये 2.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मरकाल जी, अरुण वीरा जी बोल रहे हैं कि उनकी घर की गाय में दूध नहीं आ रहा है। आप उसकी व्यवस्था करिये।

श्री मोहन मरकाम :- वह गाय आपके शासनकाल का दिया हुआ है। (हंसी) माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार वर्ष 2022-23 में भी 2.2 करोड़ रुपये की राशि प्रावधानित किया है, जिसमें 1,484 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जायेगा। राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत दूधारू पशुओं के क्रय हेतु इकाई लागत 1.40 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए 6.6 प्रतिशत तथा सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पशुपालकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। वर्ष 2021-22 हेतु 14.7 करोड़ के विरुद्ध अद्यतन 544 डेयरी इकाईयों की स्थापना की जायेगी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो बात कह रहे थे। सभापति जी, तत्कालीन कृषि मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के गोठानों में, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता संचालित कर रहे थे, उसमें 400 से अधिक गायों की मौत हो गई थी। गौ हत्या का पाप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर पड़ा। इसीलिए वे 14 सीटों में सिमट गए। गौमाता, जो गाय को माता का दर्जा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता गौ का चारा ही खाती थे।

सभापति महोदय :- चलिये, और कितना समय लेंगे? आधा घंटा हो गया।

श्री मोहन मरकाम :- ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हम चारा चोर कह सकते हैं। वह तत्कालीन डॉ. रमन सिंह जी की सरकार थी। मैं माननीय बृजमोहन जी से पूछना चाहता हूं।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- ओ मंदिरों के पड़सा ला खा देहे अउ अपने मंदिर के पड़सा ला।

श्री मोहन मरकाम :- आप कृषि मंत्री थे और और आपके गांव के गोठान में 400 से अधिक गायों मौत हो गयी थी। हां, मौत हो गई थी। इसीलिए गौमाता की हत्या का पाप आप लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को लगा। इसीलिए आज कहते हैं यह सिर्फ और सिर्फ गौमाता को राजनीतिक नाम से उपयोग करते हैं। राम नाम सपना, प्रभु का माल अपना। राम नाम सपना, पराया माल अपना। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल-चरित्र रहा है। आज छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 जनता जानती है कि..।

श्री रामकुमार यादव :- एला छत्तीसगढ़ी मा कथे-ऊपर मे राम-राम अऊ तरी में कसई कस।

सभापति महोदय :- बैठिये-बैठिये।

श्री मोहन मरकाम :- ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते कुछ है और करते कुछ हैं इसीलिए आज हमारी सरकार ने लगातार गाय को गौमाता का दर्जा देकर 9000 से अधिक गोठानों का निर्माण किया। गोठानों से वर्मी कंपोस्ट को निकालकर जो खेती-किसानी के काम हो रहे हैं और लगातार कभी

सपने में भी नहीं सोचा होगा आज छत्तीसगढ़ स्वच्छतम राज्यों की श्रेणी में अगर आता है जो गोबर पड़े रहते थे, गोबर इकट्ठा करके जो गरीब तबका है।

सभापति महोदय :- चलिये आधा घंटा हो गया, सीमित करिये। खत्म करिये।

श्री मोहन मरकाम :- वह 3-3 लाख रुपये तक गोबर को बेचकर इनकम अर्जित कर रहा है यह सरकार का नियत है। सरकार का विजन है। मैं पूछना चाहता हूं नरवा, गरूवा, घुरूवा की बात हो, गौशाली की बात हो और जिस ढंग से गांजा, चरस, दारू की बात आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी कर रहे थे, पहले तो ठेकेदारों के माध्यम से दारू बिक्री होती थी। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार करती थी। आप ही ने तो अपने हाथों में सरकार को लिया ताकि वर्ष 2018 का चुनाव में हम फिर से दिखे। एम्बुलेंस, पुलिस गाड़ी में दारू पहुंचाकर छत्तीसगढ़ की भोली-भाली जनता को हम बेवकूफ बना सके। मगर छत्तीसगढ़ की भोली-भाली जनता आपके चाल और चरित्र को समझ चुकी थी, इसीलिए 15 सीटों, 14 सीटों में सिमटा दिये और आने वाले उप चुनाव खैरागढ़ है वह भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 71 सीटों के साथ छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने वाली अगर कोई सरकार होगी, तो कांग्रेस की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार होगी। माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप खसकना मत, दो मिनट सुनना।

श्री मोहन मरकाम :- भात नई खाये हो, भात खा के आवत हो न सुने बर।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने, हमारे माननीय कृषिमंत्री के स्वास्थ्य, दीर्घायु, स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए अपनी बात शुरू की। मैं निश्चित रूप से अपनी भावनाएं जोड़ता हूं कि आप यशस्वी रहें। आपका जन सेवा का इतिहास है और बढ़िया अच्छे से छत्तीसगढ़ की जनता की आप सेवा करें। मैं संसदीय कार्य विभाग। मोहन मरकाम जी कहां चल दिये ? मोहन मरकाम जी को खोजकर ले आइये भैया, उनसे कुछ जरूरी चीजें पूछनी है। मैं संसदीय कार्य विभाग से बोलूंगा तो मेरे खयाल से माननीय मंत्री जी, मैं जिन लोगों को पहचानता हूं संसदीय कार्य विभाग का कोई आदमी मुझे नहीं दिख रहा है। उधर से कोई नहीं दिख रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- उनको आप कहां से खोजेंगे ?

श्रममंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- मैं बैठा हूं न, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। आप क्यों चिंता कर रहे हो, मैं बैठा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, मोहन मरकाम जी को आज तक के भाषण के बाद मैं एक मिनट भी इस सदन में रुकते नहीं देखा हूं। वह भाषण देते ही कागज इकट्ठा करते हैं और रवानगी ले लेते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नहीं, उनको भूख लग रही थी।

श्री धर्मजीत सिंह :- क्या भूख, रोज भूख लगती है क्या ? आप लोग कितना भूखाए हो ? बताओ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- उनकी जिम्मेदारी बहुत है साहब।

श्री धर्मजीत सिंह :- इतना भी भूखाना ठीक नहीं है। उनको सुनना चाहिए न। जब हम लोग आप लोगों की बात सुने तो आप हमारी भी बात सुनो।

श्री सौरभ सिंह :- अब 17 महीना बचा है ए डहर जल्दी भरना है। 17 महीना भर बचे हे उही मा पेट ला भरना है।

श्री शैलेश पाण्डेय :- उनकी जिम्मेदारी बहुत अधिक है।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक तो आप लोगों का नंबर लगता नहीं है। हर बात में मोहन मरकाम जी बोलते हैं। किसी दिन बोला करो कि हम लोगों को भी ले जाए।

श्री शैलेश पाण्डेय :- मीटिंग में गये हैं। मीटिंग में गये हैं। इसके बाद मीटिंग है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय आप बहुत सिजन्ड आदमी हैं। आपके कांग्रेस में, आज जब बात शुरू हो रही थी तो आप सिर्फ...।

कृषिमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- देखो भैया, चर्चा छत्तीसगढ़ के बजट के कृषि और सिंचाई के डिमाण्ड पर हो रही थी। बृजमोहन जी ने तो आज सन् 1885 में ए.ओ.ह्यूम साहब ने कांग्रेस की स्थापना क्यों की, वहां से शुरू किया है और क्या आप उससे भी आगे इतिहास में जाना चाहेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, उससे पहले कांग्रेस नहीं थी न । मोहन मरकाम जी कांग्रेस के बारे में कितना जानते हैं । बापू की 150 जयंती के अवसर पर मरकाम जी टी.व्ही. में इंटरव्यू दे रहे थे तो मैंने उनकी बातों को सुना है। वैसे हमारे चन्नी साहब बहुत खड़े होते हैं । यदि आप बता दें तो मैं दो मिनट इंतजार करके आपको बेस्ट लेजिस्लेटर का ईनाम दूंगा । ए.ओ. ह्यूम कहां के थे और उनका जन्म कब हुआ था । अगर कांग्रेसी हैं तो उनका पूरा नाम बता दीजिए । तैं कांग्रेसी हस त ओकर पूरा नाम और जन्म स्थान बता देना गा ।

सभापति महोदय :- मूल विषय पर अपनी बात कहें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं शुरूआत कर रहा हूं । मरकाम जी टी.व्ही. के इंटरव्यू में 5 आन्दोलन का नाम नहीं बता सके थे । महात्मा गांधी जी ने कौन-कौन से पांच प्रमुख काम किये, उसको नहीं बता पाये । चन्नी साहब, आपसे दूसरा प्रश्न कर देता हूं । आप सावरकर का नाम लेते हो न । हमारे ऐसे सैकड़ों नायक हैं, जिनका नाम ले दूंगा ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पंजाब में चन्नी तोर का हाल करिस, तेन ला देख ले। दू सीट में सिमटे हव ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तैं सुन तो, तोर काहीं आलोचना करथों का ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं तोला बताथव कि पंजाब में दू सीट ही मिले हे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बोलहूँ तो जल्दी-जल्दी बोलहूँ ।

श्री अमितेश शुक्ल :- ए.ओ. ह्यूम यूनाईटेड किंगडम में पैदा हुए थे ।

समय :

3:16 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, मैं अपनी बात संसदीय कार्य विभाग से शुरू करते हुए आपको बहुत छोटी-छोटी बात बोलता हूँ । सभापति जी, मैं आसंदी के लिए, विधान सभा के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। मैं यह जानता हूँ कि इस सदन में कुछ सदस्य जो लेजिस्लेशन के प्रति गंभीर हैं, चिंतित हैं, जानते हैं, उनमें से यदि प्रमुख हस्ताक्षर किसी को कहा जाये तो उनमें से एक माननीय श्री रविन्द्र चौबे जी हैं । चौबे जी 7 बार के निर्वाचित सदस्य हैं । मुख्यमंत्री जी 5 बार निर्वाचित सदस्य हैं । अब उनकी कार्य क्षमता पर फ्रस्टेशन दिख रहा है, यह बड़ी तकलीफदेय है । इस सरकार की पहली घटना क्या है ? अपरिपक्वता, जो दोहराना नहीं चाहिए । जब सबसे पहले चर्चा हुई थी तो आसंदी ने बोलने के लिए नाम पुकार दिया था, पर मंत्री का प्रतिवेदन नहीं बंटा था तो टी. एस. सिंहदेव जी को खड़े होकर क्षमा मांगनी पड़ी । माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जितनी घोषणाएं हुईं, वह मैं पटल में रख दूंगा । वे कितनी गंभीरता से लेते हैं । यह विधान सभा की गरिमा का सवाल है । इसी सत्र में छन्नी साहू के साथ दुर्व्यवहार हुआ । 13 दिन का बजट सत्र है, आप कॉल-शकधर किसी किताब को भी पढ़ लीजिए, उसमें उल्लेख है कि विधान सभा सत्र सरकार के परामर्श से ही आहूत होगी। सरकार चाहती क्या है ? कम दिन का सत्र बुलाना । मतलब क्या है ? आपकी निर्भरता ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ज्यादा है । आपकी सोच का अभाव है कि आप कानून नहीं बना पा रहे हो, आपके दिशा तय नहीं हो पा रही है । यह साबित करती है । सत्र की कमी, शिवरतन शर्मा जी, छन्नी साहू जी, शैलेश पांडे जी, प्रमोद शर्मा जी विधायकों के अपमान करने की एक एजेंसी बन गई है कि विधायक को अपमान करना एकजीक्वल टू लेजिस्लेशन ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि शासन से निर्देशित किया जाता है कि एस.पी. कलेक्टर को इन विधायकों का फोन आएगा तो फोन भी नहीं उठाए । सरकार का विरोध करने में यह स्थिति है । माननीय मंत्री जी, यहां से निर्देशित किया जा रहा है कि इन-इन विधायकों को फोन कलेक्टर को नहीं उठाना है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, हमने परसों राष्ट्रकुल की बधाई दी । राष्ट्रकुल के तहत बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए, आज भी दुनिया कमजोर माने, अच्छा माने, बुरा माने, लोकतंत्र चिरस्थायी है, उस दिन से, जिस दिन से 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ । उससे पहले भारत शासन

एकट जब लागू हुआ, जब से अभिभाषण हुआ, तब से जिस तरह से आप अभी आप चल रहे हैं। आप संसदीय मामलों में जो फ्रस्टेड दिख रहे हैं, आप सर्वश्रेष्ठ संसदीय कार्यमंत्री साबित होंगे और आप 7वीं बार विधायक बने हैं। इस तरह के कार्यों के समर्थन के लिए आप 7 बार चुनाव नहीं जीते हैं, जिस तरह के कार्यों के लिए आप समर्थन कर रहे हैं। मैं आपको छोटी-छोटी बात बता देता हूँ। वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली में छाया विधायक विपक्ष का होता है। सत्तारूढ़ दल का तो छाया विधायक नहीं होता है। यदि वह हमारे विधायक साथी रहें, छाया विधायक के कार्ड का एकट जारी कर दूंगा, आप तो प्रीविलेज में चर्चा नहीं कराएंगे। यदि आप छाया विधायक के प्रीविलेज में चर्चा करवाएंगे तो मैं कल संकल्प लगाता हूँ। आपने कहाँ से, कौन सी प्रणाली विकसित कर दिया, इनके मान-सम्मान की कमी के लिए आप छाया विधायक बनाने लगे। छाया विधायक क्या होता है, छाया मंत्री-मण्डल क्या होता है? इसकी मन की अवधारणा है। मैं आपको उस दिन बोला था। वहाँ कन्वेन्सन में ज्यादा किताब छपती है, नियम पर कम किताब छपती है, हमने जिस प्रणाली को अपनाया है, उसमें। मैं उसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मुंगेली जिले में एक कार्यक्रम हो रहा था। उस कार्यक्रम में एक मंत्री जी थे। उसमें कांग्रेस पार्टी के जो संचालक थे, उसने कहा कि यह हमारा यह परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे मंत्री जी के संग यहाँ पर 3-3 छाया विधायक उपस्थित हैं। भगवान उनको बुद्धि ही नहीं दिया है कि छाया विधायक यानि एक का जमानत जब्त हुआ है, एक 22 हजार वोटों से हारा है।

श्री सौरभ सिंह :- सभापति जी, एक छाया विधायक का पोर्ट्रेज बना हुआ है। ये इन्दू बंजारे जी बैठी हैं, छाया जिला पंचायत सदस्य तक बन गये हैं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- छाया पंच बना लो, छाया सरपंच बना लो।

श्री सौरभ सिंह :- ये इन्दू बंजारे जी सदस्य बैठी हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- दिल्ली से पुनिया जी, इनके नेता आये थे, इनका बेटा भी बुरी तरह से हार गया है। वही छाया विधायक बनाकर गये हैं। वाह पुनिया जी।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- भैया बिलकुल ठीक बोल रहे हैं। छाया जिला सदस्य और छाया विधायक भी हैं।

श्री नारायण चंदेल :- मंत्री के साथ मैं छाया की तरह रहते हैं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- छाया पंच, छाया सरपंच।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- छाया मुख्यमंत्री नहीं हैं, बता रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- ये आपके 13-14 जो छाया हैं, भयंकर उत्पात कर रहे हैं। जरा उनको रोककर रखिये।

श्री अरुण वोरा :- भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो पराजीत हो जाते थे, वह ऐसा करते थे।

सभापति महोदय :- बैठिये, आप लोगों की बारी आयेगी तो बोलियेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है..।

श्री रविन्द्र चौबे :- इन्दू जी, सही में छाया लिखा था या विधायक की साया लिखा था। (हंसी)

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय मंत्री महोदय, छाया विधायक और छाया जिला सदस्य लिखा था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने छाया विधायकों को साया बना दिया है। यह अच्छी बात नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, सदन की सर्वोच्चता में प्रश्नचिन्ह लगता है। माननीय, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। दूसरी बात, जो आपसे अपेक्षा है, आप उधर थे, तो संसदीय सचिव के लिए कोर्ट गये थे कि इसकी नियुक्ति गलत है। कोर्ट ने क्या-क्या कहा है, उस फैसले की कापी हम लोगों के पास भी है। आप कम से कम इस मामले को हल कीजिये। हमारे विधायक साथी हैं, आप जो अधिकार पावर दोगे, जैसा करोगे, हम आपको सहमति दे देंगे। वह हमारे विधायक साथी हैं। उन लोग ना बोल सकते, ना लिख सकते, ना भाग ले सकते, ना प्रश्न कर सकते। वह क्यों चुनकर आये हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं कुछ छोटी-छोटी बात बोल देता हूँ। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, जो सदन में इन साढ़े तीन सालों में सत्रों से लेकर सब में हुआ। बोधघाट परियोजना के सर्वे से बात शुरू कर देता हूँ। आपने साढ़े तीन साल में बोधघाट परियोजना की सर्वे तक की निविदा जारी नहीं की है। आपने चैलेंज के तौर पर क्या छाती ठोका था। आप कम से कम सेवा ग्राम की तरह नक्शा दिखा देते कि बोधघाट ऐसे बनेगा, कहकर आप कम से कम सेवा ग्राम की तरह नक्शा दिखा देते। आप हम लोगों को नक्शा दिखाते रहते हो, सेवा ग्राम कर नक्शा दिखाये, वैसे ही मान लेते। इसी पर मोहन मरकाम जी भाषण दे देते कि हमारी सरकार ने 40 करोड़ खर्च करके बोधघाट के नक्शे बनवाया।

अब छोटी-छोटी दूसरी बात, आप मेरे साथ रायगढ़ चलेंगे क्या ? आपके प्लाण्ट का सर्वेक्षण करने चलेंगे क्या ? आप रेडी टू इट बनाने वाले हैं, आप 1 तारीख से रेडी टू इट देने वाले हैं।

श्रीमती अनिला भैंडिया :- अभी कृषि विभाग के चर्चा चलत है या महिला विकास के चर्चा चलत है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं अभी बीज विकास निगम पर बोल रहा हूँ।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- ओ हा महिला बाल विकास विभाग के काम है।

श्री सौरभ सिंह :- बीज विकास निगम के साथ ज्वाइंट वेचर है।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- साड़ी पहन के जाबे का ? मैं तोर संग जाय बर तैयार हव।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उसको छोड़ दीजिये, यह गंभीर बात है। आप 1 अप्रैल से देने वाले हैं। आप मेरे साथ उस प्लांट को देखने चलने वाले हैं क्या ? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप मुझे मत ले जाईये, नेता प्रतिपक्ष को ले जाईये। जब भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था तो पटवा जी और अर्जुन सिंह जी संयुक्त रूप से गये थे। इसी तरह आपके प्लांट को देखने के लिए मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष जी को भेज दीजिये। क्या वहां 1 तारीख से उत्पादन हो जायेगा ? यदि नहीं होगा तो क्या दुष्परिणाम होने वाला है, बताऊ ? वह 74 प्रतिशत वाले दोनों सेठ रेट तय करेंगे। आप छत्तीसगढ़िया हैं, घर में नांगर है कि नहीं है, पूजा होती है कि नहीं होती है, इसी में पड़े रह जायेंगे । आप मुझे सुराजी गांव की परिभाषा जरूर बतायेंगे । मैं सुनना चाहता हूँ कि सुराजी गांव का कांसेप्ट है क्या ? नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी में जो आपने खर्च किया है, प्राधिकरण से खर्च किया है, 14 वे वित्त आयोग से, 15 वें वित्त आयोग से, मूलभूत से, ओबीसी प्राधिकरण से, आदि से खर्च किया है । फ्लेगशिप योजना है तो इसमें बजट क्यों नहीं रख लेते ? दूसरे क्षेत्र में जब छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता, पंचायत में जो आप पैसा देते हो, उसका निर्देश नहीं दे सकते, जबरदस्ती आप दूसरे क्षेत्र के विकास को क्यों प्रभावित कर रहे हैं ? दूसरा, आपके मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे तो अच्छी बात है, आप परिसर में है तो भी विषय के लिए दूसरे को अधिकृत कर देते हैं । उस दिन आप शुक्रवार को कर दिये थे । सभापति महोदय, आप यह बताईये कि आत्मनिर्भर गोठान क्या है ? किस गोठान को आप आत्मनिर्भर मानते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि 8 हजार बने हैं, उसमें 2500-2700 आत्मनिर्भर हो गये हैं । यह आत्मनिर्भरता क्या है, मैं यह सीखना चाहता हूँ । आप जरूर बताईयेगा । जिला जांजगीर में एक संयंत्र है, उसके ऊपर जल कर का लाखों रुपया बकाया है । उसमें भी आपने नया अनुबंध कर लिया । सूक्ष्म सिंचाई 74 की 74, आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा, दो मेरे यहां बन रहा है, निरीक्षण में आप देखने चलेंगे क्या ? दुलना, धनेन्द्र भईया का भी लगा है । देखने चलेंगे तो आपका ऐसा स्वागत गांव वाले करेंगे, आप खुश हो जायेंगे। कल तो मैं आपको बताया कि जितना आपने स्वीकृत किया है, सूक्ष्म सिंचाई 74 की 74 आपकी वैसी पड़ी है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, साहब, आप किशत क्यों नहीं पटा रहे हो, कल भी मैंने बात की, इसलिए उसमें लंबा बात नहीं करूंगा । अब आप यह बताईये कि किसानों के मसीहा 2500 में धान खरीद रहे हैं, नहीं मालूम, किसानों के लिए क्या-क्या कर रहे हैं, वह कृषि बजट परिणामी बजट पढ़ रहे हैं । मैं एक चीज पढ़ता हूँ, वर्ष 2019-2020 में 3.21 प्रतिशत जी.डी.पी. में योगदान । जब आप आये तो, वर्ष 2020-2021 में 5.48 आर्थिक सर्वेक्षण खोलकर पढ़ लीजिए, वर्ष 2021-2022 में 3.88 प्रतिशत, अभी अनुमानित 16 प्रतिशत आप बता रहे हैं, इससे पहले वर्ष 2016-2017 में 21 प्रतिशत और 13 प्रतिशत था, इतनी सारी आप सुविधायें दे रहे हैं, जी.डी.पी. में किसानों का प्रतिशत क्यों घट रहा है ? आप उसको बतायेंगे ।

सभापति महोदय :- परमानेंट जवाब है, कोरोना ।

श्री रविन्द्र चौबे :- उत्तर तो आप ही दे दिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप अपना प्रतिवेदन पढ़ लीजिए, मैं एक सेकण्ड के लिए खोलूंगा, पड़त भूमि 5 करोड़ हेक्टेअर से ज्यादा, साढ़े तीन साल में एक भी योजना बता दीजिए? पड़त भूमि के लिए हमने योजना बनाई । कर्जा लेकर पैसा लुटा रहे हो ना, भूमिहीन मजदूरों को 60 हजार देंगे । यदि उसको ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दे देते, एक-एक एकड़ जमीन तो वह साढ़े तीन लाख लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाते । उसके लिए एकाध योजना बताना ? आपने गोबर आवंटन 36 करोड़ किया है, एक आदमी को 4600 रुपया पड़ता है । मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 35-35 हजार रुपया कमा रहे हैं । वह भी पशु मालिकों को दे रहे हो, चरवाहा को नहीं दे रहे हो । चरवाहा हम लोग लगाते हैं, हमन बईला चरवारा कथन । पाहटिया कबो, बईला चरवाहा कबो, अलग-अलग सिस्टम है, कौन से मद से 25-25 हजार रुपया कमा लिये हैं । मेरी समझ में नहीं आया । चूंकि उस दिन बोल चुका हूँ, इसलिए इसमें नहीं बोलूंगा । अब यह बताईये कि आप जीरो परशेंट ऋण देते हैं, किसान आज भी बाजार से मुक्त क्यों नहीं हुये हैं ? उसका बड़ा कारण आपको बता देता हूँ, आप कर नहीं रहे हो, नाबार्ड ऋण के शेड्यूल जब तय करती है, इसके लिए इतना पैसा, दुर्भाग्य है कि वह बाजार मूल्य से जुड़ी नहीं है । उसकी तकनीकी समिति हर जिला स्तर में है, प्रदेश स्तर पर है, दुर्भाग्य से आप उसकी बैठक भर नहीं करते । कृषि का उत्पाद ट्रेक्टर यदि 15 लाख में मिलता है तो आपको ट्रेक्टर के लिए 15 लाख ही फायनेंस करना है, उसमें 10 लाख नहीं करना है । रोटर बेटर 1.50 लाख में मिलता है, मतलब उसका रेट 1.5 लाख ही होगा, 1 लाख नहीं देंगे । बाजार से मुक्त इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं, शोषक से इसीलिए मुक्त नहीं हो पा रहे हैं । अब आप बोलते हैं कि किसान कल्याण परिषद बनाये हैं । आप एकात प्रतिवेदन रख देते कि क्या कल्याण किये हैं, क्या अनुशंसा किये हैं। पशु प्रजनन जैसी चीज जो वर्षों से चल रही है, उसको आप राज्यपाल जी के अभिभाषण में बोलवाये हो। जैसे एकदम नई घटना है।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह किसान कल्याण हम घनाराम जी के समय से देख रहे हैं। अभी बलौदाबाजार वाले हैं। ये अर्नामेंटल लोग हैं। इनको भाषण कराने के लिए खड़ा करते हैं और यह लोग स्तुतिगान करते रहते हैं। यह हुआ, वह हुआ। कल्याण के बारे में तो कभी विचार करते ही नहीं है, क्या विचार करेंगे, इन्हीं का कल्याण नहीं हो रहा है तो किसान का कल्याण क्या करेंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- अब आपने पशु प्रजनन को करवा दिया। जब डॉक्टर साहब की सरकार में पशु प्रजनन नीति बनी तो मैं उसमें आपत्ति लगाया था और कुछ चीजें जुड़वाया था जो स्वीकार कर ली गईं। उसको हम लोगों ने अभिभाषण में कभी नहीं लाया है। वह सरकारी तौर पर भी होती है, एन.जी.ओ. के तौर पर भी होती है। आप अभिभाषण में लाये हैं, इसका मतलब यह है कि आप लोगों का योगदान है, विभाग का नहीं है। वह गिर ब्रांड, थार पारकर कोई भी नया लाये होंगे, मेरे को लगता है कि उसमें इधरी का योगदान ज्यादा है इसलिए आप लोग उसको राज्यपाल जी के अभिभाषण में लाये। अब थोड़ा

सा आपके घोषणा पत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। इसको पढ़ने के बजाय आपको समर्पित कर देता हूँ। जो 60 वर्ष का होगा उसको 1 हजार हजार, 75 वर्ष को होगा उसको 1500 रुपये करेंगे। 250 प्रोसेसिंग यूनिट, अभी हम 110 जगह तक पहुंचे हैं। उसमें भाषण में पंजाब में चुनाव प्रचार हो गया। उसमें सरकार चली गई। उस दिन मुख्यमंत्री जी ने उसका उल्लेख कर दिया। जो बात आ गई है उसको बार-बार नहीं बोलेंगे। प्रायमरी से सेकेण्डरी तक एग्रीकल्चर को शिक्षा में शामिल किया जायेगा। आप क्षमतावान आदमी हैं, मैं प्रश्नचिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। इसमें घोषणा पत्र में जितने चीजें हैं, आपके रहते हुए कैसे वह राज्यपाल जी के अभिभाषण में आया, मुझे नहीं मालूम है कि हमने आत्मसात किया है। जब आपने आत्मसात कर लिया तो आप जैसे सक्षम मंत्री यह जरूर बतायेंगे कि साहब यह स्थिति है। अब थोड़ा सी allied sector में बात करना चाहता हूँ। आपने मछलीपालन को दर्जा दिया। आपको एक बात बता देता हूँ। कुरुद छोटी सी जगह है, लेकिन मछली का रेट कुरुद में खुलता है। धान का रेट हम खोलते हैं। मोटा धान का नहीं, सुगंधित धान का यह खोलता है, मतलब भाटपारा मंडी में खुलता है। जो 5-7 लाइव मंडी है उसमें मेरे यहां 10 हजार आवक होगी। allied sector में आपने यह तय कर लिया है कि 92 लाख क्विंटल, 5 हजार क्विंटल, 10 लाख टन क्विंटल धान खरीदूंगा, किसानों की उन्नति मतलब धान बोना है। आप एक बात मुझे बताइये आप मेरे से बड़े किसान हैं। 44 इंच 110 सेन्टीमीटर से जहां ज्यादा बारिश होती है और जो भरी नहीं है, धान को छोड़ दूसरी कौन सी खेती लेते हैं, आप यह बताइये। दूसरी फसल के लिए उसको बढ़ाना है, जब आप भरी तोड़ दिये तो अध्ययन करवाने के लिए आप कृषि सलाहकार रखिये। चन्द्रकांता संतति के उपन्यास में हो होता था न, ऐसा जादू घूमाकर निकाला कि नरवा, गरवा, घुरूवा बाड़ी निकला। आपसे आग्रह है कि आप यह देखिये, इस बात की थोड़ी सी चिंता कीजिए।

सभापति महोदय :- चलिये माननीय समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एकात लाइन बोलूंगा। मैं तो आज चल रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ। चलते-चलते थोड़ी-थोड़ी सबकी बात मिक्सिंग है। एम.आर.पी. में आपका हेड भर खुला है। आप बजट प्रावधान करते हैं। मैं एम.आर.पी. में कामा ही नहीं देखा हूँ। एम.आर.पी. का बजट कब बंद होगा, वह आप लोगों के ऊपर है, सरकार में जो विभाग देखते हैं। लेकिन काम एक भी नहीं दिखता है। अर्थात् आप जैसे पॉवरफुल आदमी को भी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलती या बजट कटौती में सबसे पहले आप हाथ उठा देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। माननीय सभापति महोदय, एजुकेशन में आप यह देखेंगे कि यूक्रेन युद्ध के कारण जो सबसे बड़ा संकट 40 प्रतिशत गेहूं का हो रहा है। जो चीजें बाजार से रिलेटेड हैं और उसकी आधुनिकतम जो टेक्नालॉजी है, उसके शोध के लिए, उसको किसानों तक पहुंचाने के लिए एक शब्द का उपयोग होता है, "Farm to fork"। मतलब खेत से किचन तक पहुंचाने के बीच में जितनी गड़बड़ियां हैं, उसको हटायेंगे और उसका value addition करेंगे। तो आप बड़े प्रसन्न हैं लगता है, आपके मस्तक की चमक बढ़ जाती है कि हम इतना धान पैदा कर रहे हैं ऐसे गर्व से बताते हैं कि जैसे

आप छत्तीसगढ़ का कल्याण कर रहे हैं। मैं चुनाव के लाभ-हानि से किंचित नहीं डरता। आप जो धान-धान बोल रहे हैं और 2500, 2500 रुपये बोल रहे हैं, आपकी तीसरी पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं या आप ही 10 साल बाद कहेंगे कि साहब हमसे यह सबसे बड़ी गलती हुई कि हमने एलाईट सेक्टर को या नगद फसल को या दुनिया में जो मांग है, अपने आप को उसके अनुरूप तैयार करने में असफल रहे और उसका परिणाम यह है कि एक जगह में मोड़कर रखा हूं, देखिये, आपने किसान समृद्धि नलकूप के बारे में कहा है, 2021-22 में आपका लक्ष्य 1388 नलकूप का है, आपने 47 दिया है, आप क्या नगद फसल बढ़ायेंगे, बताइये आप क्या नगद फसल बढ़ायेंगे ?

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एक क्षमतावान आदमी, जो छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े है। 100 करोड़ का बजट है तो आप हां में हां मिला देते हैं, विद्युतिकरण में पिछले साल 100 करोड़ का बजट था। मुख्यमंत्री जी ने कहा 37 हजार है, जिसकी औपचारिकता पूरी हो गयी, मैं उनको बिजली दूंगा। यह कोई भी आई.ए.एस. यहां पर बैठा होगा या आप अपनी चीफ इंजीनियर को बुला लीजिये, वह 100 करोड़ रुपये में 37 हजार को कनेक्शन दे देंगे तो मैं मान जाऊंगा, आप जो सजा दोगे कर लूंगा। 1 लाख से ऊपर पम्प के आवेदन लंबित है, यदि आप 100 करोड़ रुपये रखते हैं तो 11 साल के ऊपर, एक दशक के बाद आप खेती पर बात करिये, जितना आप उसका रकबा बढ़ायेंगे। अब एलाईट सेक्टर में दूध की कमी है, इतना है उतना है, यह थोड़ा स्वार्थ वाली बात है। मैंने आपको मिल्क ग्रुप के लिये आवेदन दिया तो आपने उसको बेमेतरा में खोल दिया। इस साल फिर चिट्ठी लिखा कि मिल्क ग्रुप को दे, एक आत मिल्क ग्रुप सही बने, उसकी चीजें सही हो और वह जुड़े, तो कहीं अता पता नहीं है। नरवा, गरूवा, घुरूवा और बारी और 25 सौ रुपये में धान खरीदते हैं। आपके में 10 प्रतिशत किसान तो धान ही नहीं बेच पाये, 70 हजार टोकन वाले नहीं बेच पाये, तो इनसे बाहर निकलिये। जो नवाचार दुनिया में घट रहा है उससे जोड़िये। इस अपेक्षा के साथ कि आप अच्छा करेंगे, कृषि क्षेत्र का भला करेंगे, समय की मर्यादा है, मैं आपको शुभकामनाएं देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय :- धन्यवाद।

सदन को सूचना

एस.एम.सी. हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड आई.व्ही.एफ. रिसर्च सेंटर द्वारा "कार्डियक कैम्प" का आयोजन

सभापति महोदय :- विधान सभा स्थित लॉबी कक्ष में आज मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2022 को एस.एम.सी. हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड आई.व्ही.एफ. रिसर्च सेंटर द्वारा "कार्डियक कैम्प" केम्प प्रातः 11.00

बजे से सायं 05.00 बजे तक आयोजित है। समस्त माननीय सदस्य से अनुरोध है कि शिविर का लाभ लें।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री आदरणीय श्री रविन्द्र चौबे जी के विभाग की अनुदान मांगों के समर्थन में अपनी बात रखूंगा। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी के दीर्घकालीन राजनीति और जनता की सेवा के अनुभव और छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश में लंबे समय से राजनीति कर रहे एक पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में मैं उनको मानता हूँ और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व अपने इस कार्यकाल में अपने विशाल, विराट, राजनीतिक और जनसेवा के अनुभव को जनता में समर्पित करने का एक प्रयास किया है। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, विपक्ष के साथी बहुत सारी बातें कर रहे थे। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में कई बार मंत्री रहे हैं। आज मैं आपके सामने यह चीज कह रहा हूँ कि देश में किसानों की बात करना किसने शुरू की ? देश में खेती-किसानी की बातें कौन करता था ? मैं आज विपक्ष के साथियों से पूछता हूँ कि जब वर्ष 2014 में आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, वह अभी थे, पता नहीं कहाँ चले गये? जब माननीय मोदी जी बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार चलाना है तो यहां पर 4 सालों तक वर्ष 2014 से 2018 तक डबल इंजन की सरकार चल रही थी तब बतायें कि यहां पर उन्होंने क्या किया? और केन्द्र सरकार ने कितना पैसा दिया? अगर विपक्ष के साथी यह कह रहे थे कि कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने क्या किया? जब देखो तो कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने यहां पर जो 15 सालों शासन, राज किया है उस शासनकाल में 10 साल हमारी सरकार केन्द्र में थी, कांग्रेस की भारत सरकार ने उन 10 सालों में जो आपको सहयोग किया, इतनी देर से आप उस पर ही गरज रहे थे। आप बताइये मुझे कि 4 सालों में क्या मिला? आप कहते हैं कि हमने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किसने बनाया? इस देश में भाखड़ा नंगल बांध किसने बनाया? इस देश में सरदार सरोवर बांध किसने बनाया? इस देश में हीरा कुण्ड बांध किसने बनाया? इस देश में नागार्जुन सागर बांध किसने बनाया? आप बताइये। यह कांग्रेस ने बनाया और कांग्रेस की सरकार ने बनाया और कांग्रेस के नेताओं ने बनाया ? आज कांग्रेस नहीं होती तो आप वहां नहीं बैठे होते। यह सबसे महत्वपूर्ण है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय पाण्डे जी, आप भाखड़ा नंगल बांध की बात कर रहे हैं। आप भाखड़ा नंगल बांध के इतिहास को पढ़ना, उसके निर्माण में प्रताप सिंह कैरो के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। भ्रष्टाचार को सार्वजनिक मान्यता किसी व्यक्ति ने दी तो माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने दी, प्रताप सिंह कैरो का बचाव करते हुए दी। यह भाखड़ा नंगल बांध का इतिहास है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :-माननीय सभापति महोदय, यह गलत बात है। इनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- आपने बाबू जगजीवन राम का नाम सुना है? बाबू जगजीवन राम हरितक्रांति के प्रणेता माने जाते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप लोग आर.एस.एस. वाले अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, इस तरह की बातें क्या जानोगे? यह आर.एस.एस. का इतिहास है कि यह अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे। आपको मालूम है या नहीं?

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसा है, आप जहां बैठो हो, यह कांग्रेस अंग्रेजों की पैदाईश है। आपको मालूम है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अंग्रेजों की पैदाईश के पार्टी में हो, वह अंग्रेजों की मुखबरी की बात करते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आर.एस.एस. के लोग अंग्रेजों की मुखबरी करते थे और तलवे चाटते थे। आपको मालूम नहीं है। नेहरू जी के बारे में बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- तो मुसोलिनी के यहां कौन लोग जाते थे?(व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय शर्मा जी बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, यह बताइये कि हम नेहरू जी तक नहीं जाते। फिरोज गांधी लोग कितने भाई, कितने बहन थे? चलिए आप यह बता दीजिए? आप नहीं जानते क्या? आप हां या नहीं बोलिए?

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य आप बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, मैंने फिरोज गांधी के बारे में पूछा।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, जिस कांग्रेस ने देश को चलाया, देश की सेवा की, एक लम्बे समय तक देश की सेवा की। आज उस कांग्रेस के ऊपर यह लोग कीचड़ उछालने में बिल्कुल नहीं चुकते हैं क्यों? क्योंकि इनको सत्ता चाहिए। माननीय अजय चन्द्राकर जी मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ -

"कि बेवफा लोग बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे"

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय पाण्डे जी, मैं बोलेला ला भुला गेव कि उतेरहा ओलहा समझथस ?ते ओला पूछ लेबे नइ समझत होबे ता? यदि आप नहीं समझते तो आप उनसे पूछ लेना।

श्री शैलेश पाण्डे :- जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन यह इस साल बोले हैं कि रबी फसल को एम.एस.पी. में खरीदेंगे। आप पूछ लीजिए, यह मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो पहली तो तें भाषण देथस खेती में तो उतेरहा अउ ओलहा ला समझा।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, जब हमारी सरकार आयी आज इस देश में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में वर्तमान की बात करते हैं तो इस देश में किसानों, मजदूरों की बात कौन कर रहा है ? क्या आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय चौबे जी, ओला उतेरहा समझाए बर तुतारी लगाए ला पड़ही।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने इस देश में कभी भी किसानों की बात नहीं की। आज अगर देश के सबसे लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के ब्राण्ड एम्बेसडर हैं और माई-बाप, वह सबकुछ हैं। मान लिया, लेकिन उन्होंने कभी देश में हरितक्रांति, किसानों की बात नहीं की। वह जब सत्ता में आए तो काला धन, जी.एस.टी. देखने लगे। वह जनता से टैक्स कैसे लेना है, टैक्स कैसे वसूलना है इसकी बात करने लगे। उन्होंने कभी गरीब, आम आदमी, महिलाओं, किसानों की बात नहीं की। आज देश में वर्तमान स्थिति जो है डीजल, पेट्रोल, रसोईगैस का दाम यह किसकी देन है ? अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल कम कीमत में मिल रहा ।

श्री अजय चंद्राकर :- पाण्डे जी, बायोडीजल की वसूली...।

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति महोदय, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल कम कीमत पर मिल रहा है तो आज पूरे देशवासियों को डीजल पेट्रोल के दाम क्यों महंगे पड़ रहे हैं ? इसलिए क्योंकि किसानों को इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई सरोकार नहीं है। अगर हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज हमारे मंत्री श्री रविन्द्र चौबे जी ने किसानों की बात की है, अगर हमने 9 हजार करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया, अगर हम लोगों ने 2500 रुपए समर्थन मूल्य देकर 22 लाख किसानों से धान खरीदा तो हमने क्या गलत किया ? आपके पास 15 साल थे, आपने यह काम क्यों नहीं किया ? आपके पास भी सरकार थी, आपको भी जनता ने बहुमत दिया था लेकिन आपने नहीं किया ? आपको रोड बनवाना, बिल्डिंग बनवाना, पूंजीगत व्यय करना, यह ज्यादा अच्छा लगता है। यह हमेशा आपकी मंशा रही है। लेकिन आपने आम आदमी को मजबूत बनाया जाए, गरीब आदमी को मजबूत बनाया जाए, मजदूर आदमी को मजबूत बनाया जाए, यह आपने कभी नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, यह पूंजीपतियों को बढ़ावा देने की सरकार थी। यह कभी किसानों की हितैषी नहीं रहे, आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आज मैं जानता हूं, हमारे बहुत सारे सदस्य श्री अजय भैया किसानों की बात करते हैं, एक लाख रुपए की जूते पहनते हैं, 1 लाख रुपए की जूते पहनकर आप किसानों की बात करते हो, यह कहां की बात है। यह तो धोखा देने की बात है। यह बात पूरा प्रदेश जान चुका है। माननीय सभापति महोदय, मैं मूल बात में आता हूं। जल ही जीवन है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, पाण्डे जी, अजय चंद्राकर जी एक लाख रूपए का जूता पहनकर किसान की बात करते हैं। क्या आप कभी किसी की खेत में गये ?

श्री शैलेश पाण्डे :- हां।

श्री शिवरतन शर्मा :- अजय चंद्राकर जी ने एक प्रश्न किया था, ओल्हा उतेरा क्या होता है, बता दें। उसका उत्तर नहीं आया है। चलिए, मैं दूसरा प्रश्न कर लेता हूं, ओल्हा उतेरा रबी की फसल है कि खरीफ फसल है। आप बता दो। जो लिखकर दिया गया है, उसको मत पढ़ें न। आपकी पीड़ा को हम समझते हैं। आप कितना भी पढ़ोगे, आपका सी.आर. नहीं सुधरेगा।

श्री मोहन मरकाम :- अभी प्रश्नकाल नहीं है।

श्री शैलेश पाण्डे :- आप बैठिए न। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, मैं अपनी बात को जल संसाधन विभाग में रखूंगा। हमारे प्रदेश में महानदी, गोदावरी नदी है, यह जो दो नदियों का कछार है, वह सबसे बड़ा कछार है जहां पर महानदी में 56 प्रतिशत और गोदावरी में 28 प्रतिशत जल है, इन दोनों कछारों में सबसे ज्यादा जल रहता है और हमारी छत्तीसगढ़ की जो जमीन है, यही कछार हमारे किसानों के पास निकलती है। मैं इसमें आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारे पास जो सतही जल है, जिसे हम सर्फेस वाटर कहते हैं, हमारे पास सर्फेस वाटर 48,296 एम.सी.एम. है, यह हमारे पास सर्फेस वाटर है। अगर हम केन्द्रीय भू-गर्भ जल विभाग की रिपोर्ट देखें तो हमारा भू-गर्भीय जल 11,630 एम.सी.एम. है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि आज जब बरसात का सीजन आता है तो हम लाखों एम.सी.एम. पानी बहा देते हैं। यहां पर शासन के वरिष्ठ और बुद्धिमान अधिकारी बैठे हुए हैं। हमारे पास जमीन के नीचे केवल 11 एम.सी.एम. पानी है, हमारे पास सतही जल केवल 48 हजार एम.सी.एम. है। यह ज्यादा नहीं होता है। आज हमारी क्षमता कितनी है, यह आपको पता है, आज प्रदेश में जो जल संरक्षण की क्षमता है, चाहे वह एनीकट हो, चाहे वह डैम हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके पहले एक और डाटा देना चाहता हूं। हमारे पास 146 ब्लाक हैं जिसमें 110 ब्लाक जो हैं, वह अभी तक जल से सुरक्षित हैं। 27 ब्लाक आंशिक रूप से संकट में हैं और 9 ब्लाक ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से संकट में हैं। माननीय सभापति महोदय, यह सदन की जानकारी में जरूर होनी चाहिए। मैं दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं। आज हमारी जो महानदी, तादुला, पैरी, कोडार, जोंक, बांगों, खारून, मनियारी परियोजनाएं हैं, यह छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे बड़ी-बड़ी परियोजनाएं हैं और 6 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। मैं उनको भी बताऊंगा। आदरणीय सौरभ भैया, इन सबका जोड़ करते हैं तो हमारे पास मात्र 5 हजार एम.सी.एम. पानी होता है जिसको हम संरक्षित कर सकते हैं। यह कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। आज अगर हम खेती करते हैं...।

श्री सौरभ सिंह :- महाराज, आप अंडरग्राउंड का हिसाब लगा रहे हो, सर्फेसियल वाटर का हिसाब लगाओ न जो महानदी और उड़ीसा में जा रहा है, उसका हिसाब लगाईए न।

श्री शैलेश पाण्डे :- मैं उसी बात पर, अंतिम में आऊंगा, क्योंकि बजट वहीं पर आना है। मैं बजट की बात आखिरी में ही करूंगा। सौरभ भैया, क्योंकि यह बातें आखिरी में बजट पर लेकर आऊंगा। आप देखिए कि यह सारी चीजें हैं। आप सब मिला लेंगे तो वृहद परियोजनाएं जिस पर ये कहते हैं कि हमारी केंद्र की सरकार ने पैसा दिया था जिसके कारण आप 5 हजार 95 एम.सी.एम. पानी इकट्ठा कर सकते हैं। जो छोटी-छोटी परियोजनाएं हैं, लघु सिंचित वह लगभग 2000 हैं। यदि हम उसमें देखते हैं तो हम वहां पर 1000 एम.सी.एम. से ज्यादा पानी संरक्षित नहीं कर सकते हैं। यानी कि कितना हुआ? यानी कि हम केवल 6000 एम.सी.एम. पानी संरक्षित कर रहे हैं। यदि हम निर्माणाधीन परियोजनाओं की बात करते हैं, अरपा-भैंसाझार की तो केवल 22 एम.सी.एम., केलो परियोजना 61 एम.सी.एम., सोंदूर 179 एम.सी.एम. और यदि हम सारे औद्योगिक बैराज जोड़ लेते हैं तो 275 एम.सी.एम. इतना पानी हमारे पास केवल छत्तीसगढ़ में है। जबकि आज भी हमारा जो बोया हुआ रकबा है, उस रकबे के केवल 38 परसेंट क्षेत्र में ही हम सिंचाई कर पाते हैं। बाकी जो 62 परसेंट बचा हुआ है उसमें हम अभी तक नहीं पहुंच पाये हैं। यह हमारे लिये एक चुनौती है। हमारी सरकार आयी, केंद्र में हमारी सरकार थी। उसने किसानों को बढ़ावा दिया। छत्तीसगढ़ में डैम बनवाये, छत्तीसगढ़ के बैराज के लिये पैसा दिया, हमारी सरकार आयी तब उसने और बढ़ाया और आज लगभग-लगभग खरीफ की फसल में 13 लाख हैक्टेयर में हम लोग सिंचाई कर पाते हैं और लगभग-लगभग 9 लाख हैक्टेयर में रबी की फसल में कर पाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जब इनकी सरकार थी। आपको याद होगा कि इन्होंने रबी की फसल में पानी देने से मना कर दिया था। इन्होंने कहा था कि हम किसानों को पानी नहीं देंगे, हम उद्योगों को पानी देंगे। माननीय मोहन मरकाम जी, आपको याद होगा कि अखबार में बड़ा-बड़ा हेडिंग आया था। ये किसानों के लिये कभी नहीं सोचते थे। ये उद्योगों के लिये सोचते थे। जो किसान है वह हमारी दो फसलें क्यों नहीं ले पाता है उसका कारण यह था क्योंकि एक तो वह भगवान भरोसे रहता था कि पानी कब गिरेगा, जब गिरेगा तब मैं खेती कर पाऊंगा। आज हम 40 परसेंट में ही तो सिंचाई कर रहे हैं, 60 परसेंट में तो सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। आज भी नहीं कर पा रहे हैं तो वह 60 परसेंट किसान अपने निजी सोर्स से सिंचाई करते हैं या फिर वर्षा ऋतु का इंतजार करते हैं। इन्होंने कभी भी सहयोग नहीं किया। आज अगर हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश रबी की फसल में कमजोर है तो यदि उसका कोई जिम्मेदार है तो यह भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्षों की सरकार है। वे कभी भी रबी की फसल में पानी देने के लिये हां नहीं भरते थे। किसानों के लिये कभी भी कमिटेड नहीं थे और आज भी इसीलिये हमारे यहां का किसान गरीब है। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, माननीय रविन्द्र चौबे जी की सरकार, हमारे मंत्रिमण्डल के सभी माननीय मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिये जो फैसले लिये, यहां के अन्नदाताओं के लिये वे बहुत अच्छे फैसले थे। मैं समझता हूं कि अगर

हम इसी दिशा में चलेंगे तो आने वाले 20 से 25 सालों बाद छत्तीसगढ़ का जो किसान है वह किसान बहुत अच्छी स्थिति में आ जायेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश सिंचाई के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति में आ जायेगा और हम बोये हुए रकबे में लगभग-लगभग 80 परसेंट सिंचाई कर पायेंगे। इसके लिये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारा बजट दिया है। नाबार्ड की योजनाएं भी हैं उससे भी हमारे पास बहुत सारा बजट आता है।

माननीय सभापति महोदय, 3 बड़े जिले और 3 सबसे छोटे जिले आज ये हमारे लिये एक चुनौती हैं। आपको समझना होगा कि आज छत्तीसगढ़ में वे 3 जिले कौन से हैं जहां पर हम सबसे ज्यादा सिंचाई कर पा रहे हैं। सबसे पहला जिला माननीय अध्यक्ष महोदय जी का जांजगीर जिला है। जहां हम 90 प्रतिशत सिंचाई कर रहे हैं, दूसरा बिलासपुर जिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जांजगीर जिला, रायगढ़ और कोरबा ये आपके बांगो डेम हैं उससे चल रहे हैं जिसकी क्षमता कितनी है? लगभग-लगभग 2800 एम.सी.एम. और बिलासपुर जिला जहां हम 82 प्रतिशत सिंचाई करते हैं, हमारे पास क्षमता कितनी है? हमारे पास मात्र 200 एम.सी.एम. की क्षमता है, जो हमारे पास डेम है लेकिन हम उस 200 एम.सी.एम. से भी काम करते हैं। हमारा अरपा-भैंसाझार बन रहा है, हम उसमें लगभग 25,000 हैक्टेयर सिंचाई कर ले जाते हैं। वह एक अच्छी योजना है। दूसरी जो चुनौती हमारे सामने है वह चुनौती यह है कि दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर ये हमारे माननीय अध्यक्ष जी के जिले हैं। यहां पर सिंचाई 1.3 परसेंट, 1.45 परसेंट, 1.39 परसेंट, आज हमको जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। माननीय कृषि मंत्री, जल संसाधन मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बस्तर संभाग के लिए सोचा तो। उन्होंने बस्तर संभाग के लिए जो परियोजना लायी, उस परियोजना के माध्यम से आज हम भले वह 22 हजार करोड़ की योजना हो, उसे बनने में 20 साल लग जाये, लेकिन उस योजना के कारण बोधघाट योजना का लगभग 3 लाख हैक्टेयर हमारा रकबा बस्तर संभाग में बढ़ जायेगा। यह हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त कीजिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- बस, 2 मिनट।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- सर, एक मिनट। पाण्डे जी, आराम से बोलिए। हड़बड़ी कुछ नहीं है। सभापति महोदय बहुत दयालू हैं, वे समय देते हैं। पाण्डे जी, आप मुझे यह बताइए कि अहिरन नदी का पानी खूंटाघाट से होकर बिलासपुर तक आपके क्षेत्र तक कब आयेगा? इसके बारे में जरा आप मेरा ज्ञान बढ़ाइए। अहिरन नदी का पानी खूंटाघाट डेम में कब आयेगा और वहां से बिलासपुर तक कब पहुंचेगा?

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, आदरणीय धर्मजीत भैया, हम सबके मार्गदर्शक, संरक्षक बहुत अच्छी बात हमेशा करते हैं और मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि उनकी चिंता बहुत ही जाहिर है। जायज है और आप जो कह रहे हैं, उसके लिए माननीय मंत्री जी ने

दो बार प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया है और वह प्रस्ताव लगभग-लगभग साढ़े 700 करोड़ का प्रस्ताव है और वह प्रस्ताव जैसे ही भारत सरकार स्वीकृत कर देती है तो वह काम शुरू हो जायेगा और उस काम में मुझे लगता है कि उस परियोजना में 8 से 9 साल, 10 साल जरूर लगेगा, क्योंकि वह बड़ी परियोजना है। 800 करोड़ की परियोजना रहेगी। तो उसमें उतना टाइम भी लग सकता है। अभी उसका आधा काम अमृत मिशन में हुआ है, जो हम इस तरफ लेकर आ रहे हैं, लेकिन वह काम करीब-करीब में समझता हूं केन्द्र सरकार की अनुमति हो जायेगी। माननीय सभापति महोदय, हमें चिंता करनी है। हम सब विधायक छत्तीसगढ़ में चुनकर आते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आये, चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी से चुनकर आये, बहुजन पार्टी से चुनकर आये, मैडम आये, कोई भी आये, आज हमारी चिंता यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा का जो पानी है, उसे हम किस प्रकार से संरक्षित करें, किस प्रकार से हम अपनी सिंचाई का रकबा बढ़ाते जायें, उसके लिए हम अपनी प्रदेश सरकार से केन्द्र सरकार से अगर आपकी सरकार केन्द्र में है तो आप पैसा दिलाइए न। आप बड़ी-बड़ी परियोजना का पैसा दिलाएं। अभी आदरणीय धर्मजीत भैया ने अहिरन नदी की जो बात बोली, आप साढ़े 700 करोड़ रुपये क्यों नहीं देते हो? अगर आप दे देंगे तो वह हमारे काम आयेगा। वह जो 200 एम.सी.एम. का पानी, जिसे हम पीने के लिए भी और लेने के लिए भी तैयार हैं, उसे उद्योगों को भी दिया जा रहा है, खारून नदी का, खारंग का पानी, उसका पानी पूरा उपयोग में आ सकता है।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त कीजिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि आज बस्तर संभाग के लिए हमें चिंता करनी है। बस्तर संभाग के लिए हमें बोधघाट परियोजना का काम करना है, क्योंकि उससे बस्तर में हमारे जो किसान साथी हैं, उनका काम हो पायेगा। नवीन कार्यों के लिए 300 करोड़..।

श्री शिवरतन शर्मा :- शैलेश जी, बोधघाट परियोजना का काम शुरू करना है। क्या 5 साल में उसका सर्वे करा पाओगे? आपने सिंचाई का रकबा 5 साल में डबल करने की बात की थी। 5 साल में 3 साल निकल गया। चौथा बजट आ गया। कितना रकबा बढ़ा, जरा यह बता दो। बजट प्रावधान में कितना किया, यह बता दो।

सभापति महोदय :- चलिए, बैठिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, आदरणीय शिवरतन भैया ने जो बात कही है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कम से कम हमारी सरकार कमिटेड तो है। हमने कहा तो। हमने कहा तो कि हम यह काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में बोला है तो हम इस काम को जरूर करेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है, जब जनघोषणा पत्र बना रहे थे न तो केवल यही लिखना भूल गये थे कि चांद को पृथ्वी में ले आयेंगे। सूरज की गर्मी समाप्त कर देंगे। यही लिखना भूल गये थे। बाकी सब लिख दिये थे।

सभापति महोदय :- पाण्डे जी, समाप्त करिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- सर, आखिरी एक मिनट। ये शिवरतन भैया के लिए एक शेर मार देता हूं। माननीय सभापति महोदय, "बेवफा लोग बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे, बेवफा लोग बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे, एक शहर अब इनका भी होना चाहिए। सभापति महोदय, 300 करोड़ रुपये नवीन कार्यों के लिए दिये। हमारे मुख्यमंत्री जी ने वृहद योजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपये, नाबार्ड से 690 करोड़ रुपये, 931 करोड़ रुपये लघु सिंचाई के लिए दिया, 125 करोड़ रुपये तटबंध के लिए दिया। वृहद और मध्यम परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये दिया। हमारी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। हमारी सरकार की कोशिश है और कोशिश रहेगी भी कि हम सबको मिलकर काम करना है और अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो जल स्तर है, जल संरक्षण है और जो सिंचाई क्षमता है, भराव क्षमता, उसे बढ़ाना है। आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका पूरे दिल से आभारी हूं और मैं माननीय मंत्री जी की मांगों का समर्थन भी करता हूं। सभापति महोदय, धन्यवाद।

सभापति महोदय :- सौरभ सिंह जी।

समय

3.00 बजे

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा लाये गये अनुदान मांगों के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, बहुत सारे सदस्यों ने बोला समय की सीमा है।

श्री मोहन मरकाम :- विरोध में बोलना है तो बोलोगे ही ना, और तो कुछ बोल नहीं सकते।

श्री सौरभ सिंह :- तो आप थोड़े ही हमारे पक्ष में बोलोगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- पर लिखा हुआ नहीं पढ़ेंगे ना।

श्री सौरभ सिंह :- लिखा हुआ नहीं पढ़ेंगे और जो बोलेंगे वह सच बोलेंगे। माननीय सभापति महोदय, पशुपालन विभाग छोटा सा विभाग है, लेकिन नरवा, गरवा, घुरवा, बारी के एक बहुत बड़े कम्पोनेंट का विभाग माननीय मंत्री जी के पास है और टोटल बजट कितना, 581 करोड़। 581 करोड़ के बजट में पूरे छत्तीसगढ़ के पशुधन की व्यवस्था कर लेंगे? सभापति महोदय, 581 करोड़ में से 244 करोड़ रूपए सिर्फ पशु औषधालय के लिए दिया गया है। उसमें पशु औषधालय के लिए 40 प्रतिशत बजट है। माननीय मंत्री जी अभी यहां नहीं हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि पिछले 3 सालों में छत्तीसगढ़ में कितने नये पशु औषधालय खुले? भवन विहीन स्थानों पर कितने नये पशु औषधालय के भवन बने, कितने पशु औषधालयों की मरम्मत की गई? सारे विधायक प्रश्न लगाते हैं उन औषधालयों में कितने पशु चिकित्सक, ड्रेसर और उसके नीचे के कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। सभापति जी, एक पशु

चिकित्सालय के डॉक्टर की ड्यूटी आप गौठानों में लगाकर रखते हैं तो वह अपना ओ.पी.डी. कैसे देखेगा ? वह अपना ओ.पी.डी. नहीं देख सकता क्योंकि वह तो सुबह से लेकर शाम तक गौठानों में जा रहा है । गौठानों में क्या व्यवस्था है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है । इस तरह पशु औषधालय विभाग की व्यवस्था चल रही है । जो कॉपी-पेस्ट चल रहा है, वह कॉपी-पेस्ट चल रहा है, अगर इसको माइन्सूटली एनालिसिस करेंगे तो 581 करोड़ रुपए में से कितना परसेंट खर्च हुआ, इसका भी कोई हिसाब-किताब नहीं है ? सभापति महोदय, आदरणीय अजय चंद्राकर जी डेयरी की चर्चा कर रहे थे । पशुधन एक ऐसी जगह है, जिसमें एक किसान के लिए अतिरिक्त आय की व्यवस्था हो सकती है। चाहे वह नौकरी कर रहा है, चाहे वह खेती कर रहा है, धान की खेती कर रहा है, अन्य खेती कर रहा है । वह एक गाय, दो गाय अपने घर में रखता है तो उसमें अतिरिक्त आय की व्यवस्था हो सकती है । लेकिन सरकार ने न तो कोई नया मिल्क रूट बनाया, न तो सरकार ने कोई दूध का नया प्रसंस्करण केन्द्र बनाया, जो देवभोग का पैसा रूकता था, वह पैसा अब ठीकठाक मिलने लगा । हमारे यहां बहुत सारे प्रायवेट डेयरी वाले हैं । जो प्रायवेट डेयरी की संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके साथ टाईअप करके काम क्यों नहीं किया जा सकता। किसान को यह पता रहेगा कि मेरा दूध सुबह 8 बजे के पहले मेरे गांव में बिकेगा तो वह किसान अतिरिक्त गाय रखेगा । अब उसके एलाइट सेक्टर में काम होगा । वह गाय खरीदेगा तो चारा खरीदेगा, चारा खरीदेगा तो फिर इंश्योरेंस करेगा, इंश्योरेंस खरीदेगा तो फिर दवाई की व्यवस्था करेगा । पूरा एलाइट सेक्टर तब वर्कआउट करेगा जब आप डेयरी प्रोडक्ट में दूध खरीदी की व्यवस्था 8 बजे के पहले करेंगे । चाहे वह सहकारिता के सेक्टर से व्यवस्था हो या प्रायवेट सेक्टर से । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले तीन सालों में न तो कोई नया मिल्क रूट बना, कोई नया कलेक्शन सेंटर बना, कोई नया चिलिंग यूनिट नहीं बना, डेयरी के क्षेत्र में कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं आया । सभापति महोदय, केन्द्र की सरकार आई, माननीय मोदी जी की सरकार आई तो इंडीजिनेस कैटल ब्रिड पर बहुत बड़ा काम हो रहा है । जो हमारे भारत की गौ-श्रंखला है उस पर काम करे । गिर, साहिवाल, लालसिंधी, थारपार्कर, कांग्रेज, ऑगोल किसी पर भी काम हुआ । हर-एक वेरायटी की अपनी एक खासियत है । इसलिए यह चालू किया गया कि जो हॉल्सियन-सेल्सियन का सिस्टम था, जिस पर डेयरी डेवलपमेंट किया गया, वह भारत में फेल था । जो इंडीजिनेस वेरायटी है, उस वेरायटी में बच्चे ज्यादा देती है, दूध ज्यादा देती है, खर्चा कम लगता है, व्यवस्थाएं कम लगती हैं । लेकिन सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की । सभापति महोदय, जब विभागीय प्रतिवेदन पढ़ते हैं तो उसमें बकरी की फोटो आती है। कड़कनाथ की फोटो आती है। पर उसकी क्या व्यवस्था है। अगर मैं आज किसान हूं, मेरे को उन्नत नस्ल की बकरी चाहिये तो मैं कहां जाऊंगा? किसके पास जाऊंगा। क्या व्यवस्था है, क्या Budgetary allocation है? एक लाख का Budgetary allocation है। तो मैं कहां जाऊंगा? जमनापाली बकरी कहां से आ रही है? किस ढंग की बकरी आ रही है? पहले जमनापाली की बकरी बंटती थी। पर आज

तीन सालों में जमनापाली बकरी का कोई पता नहीं है। कहां है? आदिवासियों क्षेत्र में कैसे बकरियों का नस्ल सुधार होगा, यह बहुत बड़ी चीज है। उनकी पूरी व्यवस्था एक बकरी से चलती है। एक बकरी से दो बकरी और दो बकरी से 10 बकरी और 10 बकरी से 15 बकरी और 15 बकरियों में व्यवस्था चलती है। उस पर कोई व्यवस्था नहीं है। कड़कनाथ की हम बात कर रहे हैं। बस्तर में कड़कनाथ होता है। छत्तीसगढ़ में तीन साल में कड़कनाथ के लिये क्या व्यवस्था करेंगे? कड़कनाथ के लिये कोई कार्ययोजना बनी है?

माननीय सभापति महोदय, पोल्ट्री के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का विस्तार हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में पोल्ट्री के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का विस्तार है। पर उस प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करके उसको किसानों के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाये। छोटे-छोटे किसानों के लिए कैसे छोटे-छोटे पोल्ट्री सेंटर बनाये जाये, उसके लिए कुछ बजट में प्रावधान है? 580 करोड़ रुपये, आप क्या इनको सब्सिडी देंगे। कितनी सब्सिडी देंगे। सब्सिडी के तहत कोरोना महामारी के समय अप एंड डाउन हुआ रेट और जिस रेट का उन्होंने नुकसान सहन किया, उस रेट के लिए क्या व्यवस्था की गई है? यह कोई व्यवस्था नहीं है। आज केन्द्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड में बढ़ाकर डेयरी और फिशरीश को जोड़ा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कितने डेयरी वाले हैं, कितने ऐसे जो डेयरी संचालक हैं, कितने हमारे राउत समाज के लोग हैं, जिन लोगों का किसान क्रेडिट कार्ड बना है? उसके लिए क्या कार्ययोजना दी जा रही है। उन लोगों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कहीं पर बैठक हो रही है क्या? उनके लिए क्या अतिरिक्त व्यवस्था दी है? क्या उनको कैटल लोन मिल रहा है? क्या चारा के लिए उनको के.सी.सी. का रिवोल्विंग लोन मिल रहा है। उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? नियम ही समझ में आता है। डेयरी उद्योग में तो विकास योजना के लिए तो 8 करोड़ का प्रावधान है, यह केन्द्र शासित योजना है। इस योजना के तहत उनको सब्सिडी देना है। वह सब्सिडी मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। जो सब्सिडी में खेल होता है और वह सब्सिडी किस ढंग से बांटी जाती है, किस हिसाब से बांटी जाती है? उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार अपनी बहुत पीठ थपथपाती है कि हम मनरेगा के तहत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मनरेगा में बहुत ऊंचे दर्जे का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कभी उन्होंने यह कहा कि कितने डेयरी के शेड बने, कितने गाय के शेड मनरेगा से बने, कितने बकरी के शेड मनरेगा से बने निजी हितग्राहियों को। इस पर समीक्षा की आवश्यकता है। हम लोग जिला पंचायत में सारे विधायकों को आवेदन देते हैं। 10 बकरी का शेड बना दो, 20 बकरी का शेड बना दो, 50 बकरी का शेड बना दो, पर मनरेगा से बकरी का कोई भी, गाय के शेड का कोई भी कहीं पर भी उसकी स्वीकृति नहीं होती। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा

कि इस पर माननीय मंत्री जी ध्यान दे। एक और विभाग है, मछली पालन। मैं दो ही विभागों पर बोलूंगा। उसका बजट 181 करोड़ है।

श्री मोहन मरकाम :- मछली पालन के पीछे क्यों पड़े हो ठाकुर जी?

श्री सौरभ सिंह :- मैं इसलिए पड़ा हूँ, क्योंकि आपकी सरकार की सोच बदलनी चाहिये। किसानों का अतिरिक्त आय इन्हीं एलाइड सेक्टरों से आयेगा और जो माननीय अजय चंद्राकर जी बोल रहे थे न कि किसान की खेती, जब तक आप खेती का डायवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे और किसानों को अतिरिक्त आय कैसे प्रतिदिन व्यवस्था होगी, यह दोनों सेक्टर से ही आय आय की अतिरिक्त व्यवस्था हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, मैंने के.सी.सी. की बात की। के.सी.सी. इसमें आ गया। सी. प्रोडक्शन के लिये सबसे बड़ी समस्या आज कोई भी किसान के पास एक छोटी सी डबरी है। एक एकड़ की डबरी, दो एकड़ की डबरी। पर उसके पास समस्या क्या है, कि बीज कहाँ से लायेगा। सभापति महोदय, 50 परसेंट टाइप बीज फेल हो जाता है। कभी वह बीज के लिए बंगाल वाले के पास जाता है। जो बीज के लिये वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो फिशरीस इंस्पेक्टर ब्लॉक के लेबल में बैठे हुए हैं। जो डिप्टी डायरेक्टर जिले के लेबल में बैठे हुए हैं, उनके पास प्रोडक्शन का न कोई डाटा है, न समय में बीज मिलता है कि इस समय यह बीज डालना है या इस वेरायटी के लिये भी बीज डालना है, उसके लिए भी कोई नहीं है। किसान मांगता है कि मैं ऐसे डालूंगा। उनके पास एक स्टैंडर्ड फार्मेट है रोहू कतरा मिगरल। उसके बीयोंड सरकार बाहर नहीं जा रही है। आपको यह रिसर्च करना चाहिये कि इंडियन फिशरीश में क्या चलेगा, तालाब में क्या चलेगा, किस तरह से हम को-इंडीजरेस वेरायटी को प्रमोट कर सकते हैं। यह छत्तीसगढ़ की बहुत सारी फिशरीश की इंडीरेस वेरायटी है। उनका कैसे प्रमोशन हो सकता है। उनकी कैसे व्यवस्था हो सकती है। धर्मजीत भैया यहां पर नहीं है। नहीं तो इनकी जो तालदा की जो मछली है, जो खुड़िया बांध में होती है वह मछली का स्वाद ही अलग होता है। पर उसका प्रमोशन के लिए क्या? तो कितना बीज का प्रोडक्शन हो रहा है? किस प्रकार के बीज का प्रोडक्शन हो रहा है। आपकी सरकार प्रोटीन कंटेंट की बात करती है न कि हम कुपोषण हटाएंगे तो कुपोषण हटाने के लिए भी इन दो सेक्टर की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए फीश और मिल, माननीय सभापति महोदय, इस पर क्या काम किया जा रहा है ? आज भी छत्तीसगढ़ में मछली आंध्रप्रदेश से आ रही है। हम छत्तीसगढ़ में इंडीजीनस क्यों नहीं बढ़ा सकते ? छत्तीसगढ़ में नरवा है, छत्तीसगढ़ में तरिया है, छत्तीसगढ़ में नदिया है। हम प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा सकते ? और आपके रहते अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा ? बजट का अगर मैं लगभग बोलू तो 40 परसेंट भाग मत्स्य पालन का, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैक्शिप योजना चालू हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट की उस फ्लैक्शिप योजना में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपये खर्चा किया है।

खाद्यमंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- सौरभ भाई, आप पंडित जी से मछली का टेस्ट पूछ रहे हैं। चौबे जी से। आपके तरफ भी मंत्री बने थे तो बृजमोहन अग्रवाल जी, जिनका मछली से कोई लेना-देना नहीं है। इनको भी लेना-देना नहीं है। अगर आपको पूछना है तो बगल वाले से पूछ लो।

सभापति महोदय :- चलिये, मंत्री जी।

श्री सौरभ सिंह :- मंत्री जी योजना बना लेते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैक्सिमम एलोकेशन इस पर हुआ है। 181 करोड़ रुपये के बजट पर 87 करोड़ रुपये मत्स्य योजना, अब योजना को...

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, दो मिनट बोल रहा हूं। इस योजना पर जो पैसा खर्च हुआ है। इस पर आपने बजट का एलोकेशन किया है। केंद्र सरकार इस पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है और आपका बजट 87 करोड़ रुपये का है। इसके जो हेड्स हैं इस हेड्स पर समीक्षा करके कुछ इसपर बजट बढ़ाइये। इसपर जब बजट बढ़ेगा तब तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट 20,000 करोड़ रुपये खर्चा कर रही है और हमारे पास यहां पर सबसे ज्यादा, राजस्थान में तो मछली हो नहीं सकती है, हिमाचल में तो मछली हो नहीं सकती है, नॉर्थ ईस्ट में तो मछली नहीं हो सकती है। हिली एरियास में, तो मछली तो हमारा क्षेत्र है। हमारा रेल फॉल हाई है तो इस पर क्या व्यवस्था की जा सकती है ? जो अप्रूवड एक्टिविटीज हैं माननीय सभापति महोदय रिजरवायर में पेंस बनाना, केज बनाना, ट्रांसपोर्टेशन में देख रहा था उसमें आप ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं कि वह जो ट्रांसपोर्टेशन की जो मशीनें हैं, ट्रांसपोर्टेशन की ट्रक हैं, वन संपदा में आप उसी को बांट रहे हैं। एक ही एरिया में काम हो रहा है। पर आप ट्रक तो बांट रहे हैं जो बेसिक चीज है जो प्रोडक्शन बढ़ाने वाली बात है उसपर कोई कार्य योजना नहीं बन रही है। पॉण्ड एरिया, केंद्र सरकार ने पॉण्ड एरिया इन्क्रीस करने के लिए लगभग 10,000 हेक्टेयर के लिए अतिरिक्त पैसा दिया है। उस पैसे का यहां पर उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है ? बायोफ्यूल यूनिट्स हैं और सबसे बड़ी चीज है फीश के मार्केट बनने चाहिए। फीश के मार्केट के लिए सब्सिडी आ रही है। फीश के मार्केट की योजना होनी चाहिए। किसान अगर अपना मछली का उत्पादन करेगा तो वह बेचेगा कहां ? और उपभोक्ता को उचित मूल्य में मछली मिलनी चाहिए। उस पर क्या व्यवस्था हो रही है ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देख रहे हैं और केंद्र सरकार की बड़ी फ्लैक्शिप योजना है एफ.पी.ओ.। फारमर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया क्योंकि एग्रीकल्चर पर था फीशरीज में भी फारमर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनना है और कितने बने हैं कितने नहीं बने हैं कितने फीशफीट के प्लांट बने हैं ? कितने आइस के कोल्ड स्टोरेज बने हैं इन सारी चीजों पर व्यवस्था करने की आवश्यकता है। छोटी अलाइट सर्विटीज होंगे तो फिर वह नरवा, गरुवा, घुरुवा, बाड़ी में ही सारी बातें घुमकर रह जाती है। कुछ नया करके दिखाइये, मेरा यहीं आवेदन है। आपके बोलने के लिए समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- थैंक्यू। दलेश्वर साहू जी।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों पर चर्चा मांग संख्या-28, 13, 14, 19, 54, 23, 45 मांग संख्या - 75, 57 के समर्थन में अपनी बात रखना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम को मैं शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ। जो कृषि बजट और किसानों...।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- दलेश्वर भैया, आप अपन फार्म हाऊस के बारे में भी मंत्री जी ला बता दीहू पपीता, करेला, अदरक सबके बारे में।

श्री दलेश्वर साहू :- मैं सब बताहूँ। मोला बताये के जरूरत नइ हे। मोर फार्म हाऊस मा जा चुके हे अऊ देख के भी आए हस।

सभापति महोदय :- चलिये, चंद्रा जी आपकी भी बारी है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील, किसान का पुत्र होने के नाते इस बजट को केंद्रित रूप से सारे किसानों के हित के लिए बनाया गया है और उसका परिणाम भी हम लोगों को, सब लोगों को दिख रहा है। बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चन्द्राकर जी, बार-बार फीगर की बात करते। बृजमोहन जी, अजय चन्द्राकर जी ने कहा कि आपने किसान समृद्धि योजना में बजट कम कर दिया, लघु सिंचाई योजना में बजट कम कर दिया, शाकम्बरी योजना में बजट कम कर दिया, कृषि पम्पों में बजट कम कर दिया। आपने इतनी योजना में टारगेट कम कर दिया, पैसा कम कर दिया तो विकास कैसे होगा। हमारा तो सीधा-सीधा कहना है कि हम फीगर और टारगेट में नहीं जाएंगे। किसान का जो हित हो सकता है, उनके हित के लिए हर दल अपने-अपने हिसाब से तैयारी करता है, अपनी-अपनी योजना बनाता है कि किसान और बाकी लोगों की खुशहाल जिन्दगी कैसे हो। मैं उसी क्रम को दोहराना चाहता हूँ। चाहे वह कृषि ऋण माफी योजना हो, चाहे सिंचाई कर माफी योजना हो, चाहे किसान की भूमि लौटाई गई हो, हर साल धान खरीदी का नया रिकार्ड, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना। मंत्री जी ने कृषि विभाग के लिए हम लोगों को और पूरे प्रदेश को जो बजट दिया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है, जिससे किसानों के दिलो-दिमाग में एक खुशहाल जिन्दगी बीत रही है।

सभापति महोदय, अभी विपक्ष के साथी बोलते हैं कि ये होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता, ऐसा कभी डॉयलाग चल रहा है? मैं एक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहूंगा कि डॉ. रमन सिंह की भाजपा की सरकार में और भूपेश सरकार में क्या-क्या अंतर है? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह गोस्वामी तुलसीदास ग्रंथ में लिखा है कि दरिद्रता की पहचान के लक्षण क्या है? उन्होंने वर्णन किया है कि समय में दाढ़ी न कटाना, समय में नाखून न काटना, यह उनके ग्रंथ की कुछ कंडिकाओं में से यह कंडिका भी है। किसानों के चेहरे में 15 सालों से जो लक्षण दिखाई दे रहा था, मैं वही तुलनात्मक

अध्ययन् करना चाहूंगा । किसान उस समय 15 सालों में अपना दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं कटवा पाता था । दुखी होने के कारण उनके पास समय नहीं रहता था । अब भूपेश जी के सरकार में किसान अपना दाढ़ी भी बनाता है, बाल भी काला करवाता है । यह तुलनात्मक अध्ययन् है । दूसरा, उस समय किसान ले-देकर मोटर साईकल खरीदता तो था, पर वह बीमा नहीं करवा पाता था, ठीक से पेट्रोल नहीं भरवा पाता था । अभी जाकर देखो, आज वह किसान मोटर साईकल भी खरीदता है और समय में बीमा भी करवाता है और अपने परिवारों को लेकर होटलों में भी जाता है । यह तुलनात्मक अध्ययन् है ।

सभापति महोदय, किसानों ने 15 सालों में भरोसा खो दिया था और हमारे भूपेश सरकार में किसानों ने भरोसा पाया है, यह अंतर है । कर्ज के कारण किसान रात में नहीं सो पाता था । अब 15 सालों के बाद तीन साल से किसान सोने लगा है। यह मैंने देखा है, पढ़ा है और हमने आब्जर्व किया है । क्या किसान की चमक से हमको लेना-देना है या फिगर से लेना देना है ? यह हुआ, यह नहीं हुआ, इससे क्या लेना-देना है ? आज आप देखिए कि किसान के दिलों में कितनी खुशी है, कितनी खुशहाल जिन्दगी है, उनका परिवार कितना खुश है और किसान आज कांग्रेस सरकार पर भरोसा कर रही है । मैं एक बात और कहना चाहूंगा । मोटर साईकिल बनाना वाला करोड़पति है, जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता । गुड़ाखू मंजन बनाने वाला करोड़पति है, जिसको हम उपयोग नहीं करेंगे तो भी हमारा जीवन चल सकता है । दारू बनाने वाला भी करोड़पति है, जिसके बिना हमारा जीवन चल सकता है । आज किसान ही है, जिसके बिना हमारा जीवन ही नहीं चल सकता, वह अन्न पैदा करने वाले किसान की जिन्दगी को आंकलन करने का प्रयास किया गया है, जिसके बिना सारी दुनिया ही मिट जाएगी, ऐसे किसानों की चिन्ता करने वाली हमारी भूपेश सरकार हैं, भूपेश भैया हैं, जिसने चिंतन किया, वह बताएगा । आज हमारे बजट जो इंगित है, वह दारू बनाने वाले से, मंजन बनाने वाले, मोबाईल बनाने वाले, मोटर सायकल बनाने वाले के लेवल में लाने का हमारी सरकार का प्रयास रहेगा। यह मैं आपको बताना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, 7 बार के अनुभवी विधायक, हमारे कृषि मंत्री जी हैं और भूपेश भैया ने उनके हाथ में कृषि विभाग का बागडोर दिया है। वह निश्चित रूप से अपने सूझ-बूझ के साथ बिगड़े हुए सिस्टम को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि एक बार वायरस आ जाये तो निकालने में कितना टेंशन होता है, सबको मालूम है। हमारे भूपेश भैया और रविन्द्र भैया उस वायरस को निकालने को निकालने में लगे हुए हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ, मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि कृषि विभाग को दूर तक ले जाने और किसानों के हित में काम करने के लिए लगे हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, वैसे ही चौबे जी के हाथों में जल संसाधन विभाग का बागडोर है। वे हर चीजों में बहुत चिंतन और मनन करते हैं। चाहे सिंचाई सुविधा के विस्तार की बात हो, उन्होंने बीजापुर में महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी योजना के साथ जिला खनिज न्यास के साथ अभिसरण करके

एक बड़ा योगदान दिया है। जल आवंटन प्रक्रिया प्रणाली को आनलाईन करने से इस सिस्टम में बड़ा सुधार हुआ है। झनियाबांध की ऊंचाई बढ़ाने और फीडर नहर निर्माण कार्य में दिशा देने का प्रयास किया है। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में कोलबिरी सिंचाई परियोजना को गंगा कछार के अन्तर्गत 208 करोड़ रुपये की लागत की इस परियोजना के माध्यम से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में एक नया आयाम देने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना तृतीय चरण में है। योजना का मुख्य उद्देश्य जल प्रबंधन योजनाओं का संचालन करने के लिए देश व्यापी डाटा बेस तैयार करने, ज्ञान एवं संवर्धन आधुनिकीकरण करने के साथ आकड़ों की जानकारी सुदृढ़ीकरण करना और इनके माध्यम से आगे भविष्य की तैयारी करने का है। सूक्ष्म सिंचाई योजना जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में है। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला मुख्यालय के अन्तर्गत ग्राम पोड़ी पथरी के 220 कृषकों के 180 हैक्टेयर रकबे की सूक्ष्म ड्रिप पद्धति से खरीफ और रबी फसल को सिंचित किये जाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई योजना लागू किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, हम देखते हैं कि हमारे कांग्रेस के पास अनुभवी लोग हैं, जो सारी योजनाओं को बहुत सुचारु रूप से संचालित कर रहे हैं बंदरबांट में कमी किए हैं। उससे किसानों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपने अपने योजना को बंदरबांट होने से रोकने के लिए थोड़ा सा खींचने का प्रयास किया है। बजट कम करके इसमें और क्या अच्छा भला हो सकता है, ऐसा उनका प्रयास रहा है। खाली फिगर गिनाने से लेना देना नहीं है। आप उनके चेहरे की चमक देखिये। आप उनके चेहरे का मुस्कान देखिये, उनके परिवार की खुशहाली, सुख-समृद्धि जिन्दगी को देखने का प्रयास करिये। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले समय में जितने भी किसान परिवार, व्यापारी, मजदूर हैं, निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस के साथ है, हमारे भूपेश भाई के साथ हैं। रविन्द्र चौबे जी के साथ हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आप सब लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा। मेरी चौबे जी से थोड़ी सी मांग है। बजट में लगातार दूसरी बार आया हुआ है। लोगों की गातापार जलाशय की बहुत मांग है। उन लोग चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने रिकमण्ड भी कर दिया है, अधिकारीगण भी बैठे हुए हैं, दो योजना ऐसी है, जो मेरे गांव से लगा हुआ है। चौबे जी, एक प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद बना रहेगा। मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से किसानों के हित काम करेंगे। किसान आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। आपका एक नया दिशा देने का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इन्हीं बातों को कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, कृषि मंत्री जी, सिंचाई मंत्री जी, पशुधन, मछली पालन मंत्री जी के विभागों के अनुदान मांगों का विरोध कर रहा हूँ। इस पूरे मंत्रिमंडल के सर्वाधिक अनुभवी, बहुत वरिष्ठ नेता, हम सबके राजनीतिक गुरु, आदरणीय श्री रविन्द्र चौबे जी के विभाग से मैं उम्मीद करता था कि

हम लोगों के क्षेत्र में कृषि के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने के लिए, हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखा था, लेकिन बजट में आपने ठीक से प्रावधान नहीं कराया है। पता नहीं, क्यों नहीं कराया है, आप अगर बोल देते तो आपकी बात तो मुख्यमंत्री जी भी नहीं काटते। वित्त मंत्री भी नहीं काटते हैं। आप ध्यान नहीं दिये। सभापति महोदय, मुझे आपका भाषण याद आ रहा है जिसमें आपने कहा था कि जिस तरह से बेमेतरा का जिला, खेती के लिए अग्रणी और कैश क्राप के लिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख जिले में उसकी गिनती होना शुरू हुई है, उसी तरह से बेमेतरा से बिल्कुल सटा हुआ, लगा हुआ, मुंगेली का जिला, हमारे खेती के लिए आप उसको तरक्की करेंगे। मुंगेली में आगर नदी भी है, मनियारी नदी भी है, कई एनीकट भी पहले से बने हैं, आपने भी कुछ बनाया है। खुडिया डैम सन् 1930 में अंग्रेजों ने उसे राहत कार्य में बनाया था, उसमें लाखों एकड़ में सिंचाई होती है, मैंने इस विधान सभा में एक बार बोला था कि खुडिया डैम की मरम्मत कराना बहुत जरूरी है। राजेन्द्र शुक्ला जी, सिंचाई मंत्री मध्यप्रदेश में थे, तब वह बांध थोड़ा एक किनारे में फुटा हुआ था या फुटने वाला था। हम लोगों को याद है, हम लोग उस समय एम.एल.ए. नहीं थे, शुक्ला जी ने वहां पर एक निर्माण कराया था। मैंने जब विधान सभा में बोला तो आपने एक हाई पॉवर टीम भेजी। उस टीम से मेरी मुलाकात भी खुडिया डैम के रेस्ट हाऊस से हुई। उन्होंने बताया कि खुडिया के मरम्मत के लिए मंत्री जी का निर्देश है, मुझे समझ में नहीं आया, हो सकता है कि मुझे बजट-वजट भी देखना नहीं आता है। कैसे-कैसे क्या-क्या लिखते हैं, कुछ समझ में आता नहीं है। अगर आया हो तो आप कृपा करके बता दीजिएगा। नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, यह बता दीजिएगा। आया होगा तो आपका स्वागत है, नहीं आया होगा तो आपसे फरियाद है कि आप जरा कृपा करके ख्याल कर लीजिएगा। माननीय सभापति महोदय, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, पशु चिकित्सा विभाग का प्रतिवेदन पढ़ रहा था। उसमें सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी जो तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारी होता है, उसके 2155 स्वीकृत पद हैं। उसमें से 1299 कार्यरत हैं। तृतीय वर्ग के 800 लोग खाली हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण पशुधन की मजबूती के लिए इनका वहां पर रहना बहुत जरूरी है। आपका सबसे आखरी पेज में पशु उत्पादों का वार्षिक दुग्ध उत्पादन टन, वर्ष 2020-2021 में 1747 टन, वर्ष 2021-2022 में 1893 टन यानी कि एक साल में 40-50 टन आप उत्पाद बढ़ा पा रहे हैं, यह आपके विभाग की सक्षमता पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। अण्डा उत्पादन लाख में, वर्ष 2020-2021 में 18,554 लाख टन, वर्ष 2021-2022 में 19,450 लाख टन, प्रोग्रेस बहुत अच्छा नहीं है। बाकी और भी हैं, प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन उपलब्धता, ग्राम में इस प्रकार है। वर्ष 2020-2021 में 154 ग्राम है और 10 ग्राम आपने बढ़ाया है, वर्ष 2021-2022 में 164 ग्राम किया है। यह आपके विभाग का प्रदर्शन है, जिसे बहुत ही संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में पशुपालन और डेयरी पालन को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। दो पशुओं की इकाई में 1 लाख 40 हजार रुपये देते हैं, उसमें सामान्य को आपने

50 परशेंट लिखा है। एस.टी.एस.सी. को 66.6 परशेंट अनुदान है। अभी यह बंद है, डेयरी का नाम नहीं चल रहा है। मैंने पिछले साल भी बोला था कि डेयरी के लिए जो प्रावधान होना चाहिये था, वह हो नहीं रहा है। उसके लिए पैसा है या नहीं है, आप जरा बताईयेगा। वर्ष 2020-2021 में वित्तीय लक्ष्य 16.39, उपलब्धि है 15.17, वर्ष 2021-2022 में 1407, 683 और भौतिक है 80, यह प्रोग्रेस भी ठीक नहीं है, मेरा मतलब है, एक ऐसा विभाग जो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधा जुड़ा हुआ है, उस पर आपको मीटिंग लेना चाहिये, माननीय वहां के विधायकों से, अन्य जनप्रतिनिधियों से भी एक-एक बैठक लीजिए। आप स्वयं नहीं जा सकते हैं तो आपके अधिकारियों को बोलिये। वह नहीं जा सकते हैं तो कलेक्टर मीटिंग लें और सलाह मशविरा करके हम इसको कैसे गति प्रदान कर सकते हैं, हम कैसे सीमित साधन में ज्यादा उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, उसको हमको देखना चाहिए। यह नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी, गौठान भी आपका है, मैं इसे अपमान करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर इसका आप ठीक से हल करेंगे तो इसकी उपलब्धि भी मिल सकती है। लेकिन मैं आज तक जितने गौठानों को देखा हूं उसको सन्नाटा बटे पराठा ही देखा है। वहां मेरे को एक भी गाय, गरुआ नहीं दिखा, बिल्कुल खाली सन्नाटा है, बुरा हाल में देखा हूं। वहां का जो कुछ भी है वह टूट भी गया है। 2-4 अच्छा होगा तो नहीं कह सकता। जो सबसे खराब है वह मैं आपको दे दूंगा और जो अच्छा है, आप अपने कलेक्टर को बोल दीजिए, हम दोनों आदान-प्रदान कर लेंगे। आप वैसे ही हर विधायक को बोल दीजिए। जो सबसे अच्छा है वह आप दिखवा दीजिए और जो सबसे बुरा है, हम दिखवायेंगे। जो अच्छा है उसकी हम तारीफ कर देंगे और जो बुरा है उसको आप ठीक करा दीजियेगा। आप यह करवा दीजियेगा। अचानकमार में भी नरवा बना है, नरवा का उपचार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार का दो-तीन बार दौरा हुआ तो मैं पूछा कि वह कैसे गये थे। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, वह देखने गये थे। हमको भी एकात बार थोड़ा सा दिखवा दीजिये न। हम भी देखना चाहते हैं, पर हम कहां जायें, वह कहां बना है, यही नहीं मालूम है। आप कृपा करके निर्देश कर दीजिए कि एकात बार हमको भी वहां पर दिखवा दीजिए कि कहां पर कौन सा नरवा बना, उसमें कैसे पानी रूका, बरसात के बाद उसकी क्या स्थिति है, यह सब देखना जरूरी है। यह अच्छी बात है। आज से 40-45 साल पहले बदौरा गांव का बता रहा हूं, पंडरिया के जंगल का एक गांव बदौरा है। उस गांव में वन विभाग ने एक छोटा सा स्टापडेम टारबांध सरीखे बनाया था, वह आज भी वहां पर जिंदा है, उसमें पानी भरा है। अगर ऐसा कुछ है तो हमें खुशी लगेगी। अगर खाली बुकिंग हुआ है और खाली नरवा के आंकड़े दिये जा रहे होंगे तो उसमें सुधार की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, फुड पार्क खोलने की भी आपकी घोषणा है। फुड पार्क कहां-कहां खुलेगा, वह जगह आपने चिन्हित किये होंगे, उसमें लोरमी, मुंगेली है या नहीं, मुंगेली जिले में फुड पार्क खोलने का है या नहीं। क्योंकि अगर हमारे यहां फुड पार्क खोलेंगे तो हमारे यहां के लोग भी आर्थिक तरक्की वाली खेती और फसल लेंगे। आपकी एक योजना है हालांकि यह ऊर्जा विभाग की है लेकिन

इसका कृषि से सीधा संबंध है। जो नदी के किनारे लाईन खींचेंगे, यह बहुत कारगर योजना हो सकती है। क्योंकि लाईन के कारण कई जगह फसल लेने में, सिंचाई करने में दिक्कत होती है। अगर नदी के किनारे लाईन की कोई योजना है तो वह कैसे लागू होगी, उसको कौन क्रियान्वित करेगा, वह योजना कब तक लागू होगी, इसकी आप एक मीटिंग कलेक्टर के माध्यम से, बिजली विभाग के माध्यम से हर जिले में कराएंगे तो हम लोग सलाह भी देंगे और हमारे नदी-नालों में जो किसान आजू-बाजू दोनों किनारों पर हैं, उनको फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, दुग्ध उत्पादन के लिए मैंने आपसे कहा था कि दुग्ध उत्पादन बढ़ना चाहिए, उसकी शिक्षा भी बढ़नी चाहिए। माननीय मंत्री जी आज से 50 साल पहले रामहेपुर में जब राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल जी पहली बार 1967 में विधायक बने थे, उसके पहले से भी, हमारे वहां के ठाकुर साहब ठाकुर राम सिंह हैं, उन्होंने वहां जमीन दान दी है। 80 एकड़ जमीन आज भी है। उस जमाने में उन्होंने कृषि हाईस्कूल शुरू किया था। मैं जब वहां से निकलता हूं तो बहुत अफसोस होता है। उनके जमाने का पूरा भवन जीर्ण-शीर्ण हो गया है। वहां जमीन आज भी उपलब्ध है। आप या तो उसको कृषि विभाग से बनवा दीजिए या आदरणीय मुख्यमंत्री जी आये हैं तो कृपा करके संज्ञान ले लें। वहां एक भवन बनवाईये। कोई दानवीर उस जमाने में जमीन दान दिया है तो वहां पर भवन बनना चाहिए। वहां पर अगर आप दुग्ध महाविद्यालय खोल देंगे या फिशरिज का खोल दीजिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, आपकी ही कृपा से हमारे यहां कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई है। इस बात को मैं पूरे जनता के बीच में जाकर बोला, अखबारों में, टेलीविजन में, विधानसभा में बोला, आगे भी बोलूंगा, जिंदगी भर बोलते रहूंगा कि उसको आपने खुलवाया। इसलिए उसका सारा श्रेय आपको जाता है। एक यह भी खोल दीजिए न, जिंदगी भर के लिए आपका नाम रहेगा और यह कोई फिसरिस या डेरी टेक्नॉलाजी का। तो वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हमारे यहां कोई मिनरल्स नहीं है, हमारे यहां कोई फैक्ट्री नहीं है। सर, मैं बस खत्म कर रहा हूं, बस खत्म कर रहा हूं, आप बैठिये (विधान सभा प्रमुख सचिव की ओर देखते हुये)। मैं समझ गया, इतने सालों में इतनी body language मैं समझता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत भैया, हम यह पूछ रहे थे कि आप आज कल दूध पीते हैं कि कुछ और पीते हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- आजकल तो दूध ही पीना पड़ रहा है, बाकी चीज तो बंद है, अब आप बोलोगे तो एक-आत दिन पी लेंगे और मैं कोई काम छुप कर नहीं करता, आप जानते हैं, कई बार तो आपके संग बैठे हैं, पिये हैं, फिर पी लेंगे। (हंसी) अभी तो होली है, कोई दिक्कत नहीं है एक पैग में क्या रखा है, पी लेंगे। यह पीने खाने की चीज है, इसमें कोई बुराई थोड़ी न है, पी लेंगे। पी-खाकर हुल्लड़ मत करिये, यह उसका दूसरा सिद्धांत है, उसको देखिये।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी मैंने आपसे निवेदन किया था कि लोरमी में एक अनुविभागीय अधिकारी कृषि का कार्यालय था, वह पिछले भाजपा के शासन काल में बंद कर दिया गया। मैंने आपसे आग्रह किया था तो आपने कहा था कि हम खोल देंगे, तो उसको कृपा करके खोल दीजिये और आपने महाविद्यालय खोला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं बैठकर आपको लिखकर दिया, आपने घोषणा की, बजट में आया, मुझे बहुत खुशी है। उसके लिये हमने 150 एकड़ जमीन दिलवायी है। तो कृपा करके महाविद्यालय भवन को बनवाने की शुरुआत कर दीजिये ताकि हमारे लोगों को यह लगे कि हां, महाविद्यालय भवन भी यहां पर कोतरी में बनेगा।

माननीय सभापति महोदय, कृषि और पशु के बारे में बोलने के बाद, सिंचाई विभाग के बारे में थोड़ी बात कर लूं, आप खुड़िया जलाशय की मरम्मत का काम जरूर करवाईयेगा, जैसा आपने बोला है। अरपा-भैंसाझार परियोजना की लागत 1141.90 करोड़, आपने अपने प्रतिवेदन में लिखा है। योजना के पूर्ण होने पर 25 हजार हेक्टेयर सिंचित होगा, यह आपने लिखा है। शीर्ष कार्य 100 प्रतिशत हो गया है, आपने यह भी लिखा है। नहर का कार्य 90 प्रतिशत हो गया है, आपने यह भी लिखा है। लेकिन सिर्फ 12 हजार 800 हेक्टेयर में अभी सिंचाई हो रही है। शीर्ष कार्य 100 प्रतिशत हो गया, 90 प्रतिशत irrigation का, नहर के लाइन का काम हो गया तो यह 12 हजार 800 का मतलब होता है कि 12 हजार हेक्टेयर। आपके प्रोजेक्ट के लागत के मुताबिक 12 हजार हेक्टेयर में क्यों सिंचाई नहीं हो रही है, उसके लिये कौन दोषी है, कहां पर गड़बड़ी हुई है ? यह प्रोजेक्ट बी.जे.पी. के शासनकाल में शुरू हुआ, वह अभी तक चल रहा है तो कृपा करके इसको संज्ञान में लेकर इसको दिखवाईये, क्योंकि यह बहुत बहुप्रतिक्षित मांग है। माननीय नेता जी के तखतपुर के और आस-पास के एक-दो जगह में इसकी सिंचाई की सुविधा मिलेगी। तो इसमें कहीं कोई गड़बड़ी का अंदेशा है, मैंने एक-दो बार कोशिश की थी पर मुझे ठीक से जवाब नहीं आया। आपके पेज नं. 14 में irrigation के मामले में आपने एक फोटो छापा है। मनियारी नदी और घोंघा का, संगम स्थल मनियारी नदी में निर्मित बिरकोनी एनिकट कम काजवे निर्माण, पहले सूखा था अब 4 किलोमीटर में पानी भरा है। मैं चाहता हूं कि यह जहां पर है, या तो बिलासपुर जिले में होगा, या मुंगेली जिले में होगा। क्या आपके क्षेत्र में है, बिरकोनी में (माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धरम लाल कौशिक की ओर इशारा करते हुये) ? तो आप जरा एक बार अपने अधिकारियों को बोलकर हम लोगों को दिखवाईये, अगर पानी भरा होगा तो हम आपको फोन करके और पत्र लिखकर बधाई देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक अहिरण नदी का पानी खूंटाघाट में लाने की योजना आपने बनाई। बिलासपुर के लोगों को बताया गया कि अहिरण का पानी खूंटाघाट में आयेगा, खूंटाघाट का पानी बिलासपुर के लिये आयेगा, तो उसकी क्या स्थिति है, इसको आप जरूर एक्सप्लेन कीजियेगा, ताकि हम उसमें आगे के लिये कुछ कर सकें। एक कन्सरी एनिकट आपके समय में ही आपने बनवाया है। मैं अभी 8-15 दिन पहले वहां गया था। तो जब मैं वहां गया था तो मुझे गांव वाले वहां एनिकट के पास ले गये एनिकट के ठीक किनारे में गांव

वालों का शमशान है, तो एनिकट का पानी इतना आने लगा कि उसमें से कई लाशें बह रही हैं, उनके शमशान को प्रभावित कर रहा है। यह मैं बिल्कुल मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पर आंख से देखकर, खड़े होकर और फिर यह बोल कर आया था कि मैं आपको बताऊंगा। आपके बारे में बोला था और मेरा यह सौभाग्य भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी उपास्थित हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वहां पर एक छोटा सा रिटर्निंग वॉल बनवा दीजिये ताकि उनका शमशान घाट सुरक्षित रहे। कनसरी गांव के पास बने हुये एनिकट के पास उस गांव के शमशान घाट के किनारे में एक रिटर्निंग वॉल जरूर बना दीजिये। अभी सिंचाई विभाग में एक और योजना अच्छी चल रही है, जिसमें कुछ village bridge जैसा बनाते हैं, वी.सी. ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे टेक्नीकल मालूम नहीं है लेकिन जो चौड़ी नहर है। लम्बाई से घूमकर मत आना पड़े करके, नहर के ऊपर एक छोटा ब्रीज बना देते हैं तो एक डिंडोल करके गांव है, उसमें 6 गांवों के लोगों को आना-जाना पड़ता है, वह ब्रीज बहुत छोटा है, टूट गया है, पुराना है, वह अंग्रेजों के जमाने का है तो उसमें एरिगेशन का एक छोटा सा ब्रीज बनवा दीजिएगा, जिसमें गांव के लोग आवागमन कर सकें। लोरमी बीच बस्ती के अंदर एक पुराना सिंचाई विभाग का पुल है, उसके कारण ट्रेफिक में बहुत व्यवधान हो रहा है तो उसे थोड़ा चौड़ा करकर बनावा दीजिएगा। यह हो गया।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी कुल मिलाकर हमारा क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है, वहां सिंचाई की सुविधा है हमारे किसानों को आपका मागदर्शन चाहिए, आपका संरक्षण चाहिए। उन्हें ऐसी पैदावार, फसल करने के लिए प्रोत्साहित करिये। मुझे एक चीफ इंजीनियर मिले थे, मैंने उनसे पूछा, उसे आप ही ने भेजा था, वह मुझसे खुडिया डेम के बारे में बात करने आये थे। वह बोले कि पानी तो बहुत भरा रहता है, मगर वहां रबी की फसल का प्रचलन नहीं है। उसके लिए भी हमको गांव में गोष्ठी, बैठक कराना चाहिए। जब तक के हमारे लोग खेती किसानी में मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारा प्रदेश मजबूत नहीं बनेगा और आप खेती किसानी के लिए ध्यान दे रहे हैं इसलिए हम इतनी बात भी कह रहे हैं। कृपा करके, हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए भवन दे दीजिए। मैं आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में निवेदन कर रहा हूँ कि रामहेपुर गांव में जहां ठाकुर रामसिंह जी ने आज से 50 साल पहले एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की थी, वहां आप या तो फिशरीज कॉलेज की घोषणा कर दीजिए या डेयरी टेक्नालॉजी के कॉलेज की घोषणा कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं समझता हूँ कि आपकी यह घोषणा, हमारे लोरमी क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान होगी। जब यह दोनों घोषणाएं क्रियान्वित होंगी तो वहां पर आपका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में हमेशा-हमेशा के लिए लिखा जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे खोल दीजिए। आपके ही छत्तीसगढ़ में खुलेगा। साहब, आपका नाम होगा। वक्त तो आते जाते रहता है, लेकिन यह नाम रह जाता है जैसे वर्ष 1980 में जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने लोरमी और पण्डरिया में एक साथ कॉलेज खोला। आज भी जब लोरमी, पण्डरिया कॉलेज की बात होती है तो अर्जुन सिंह का नाम लेते हैं। आज भी जब एग्रीकल्चर कॉलेज की बात होती है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

और माननीय रविन्द्र चौबे जी का नाम लेते हैं। आज भी जब लालपुर के तहसील की बात होती है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्व मंत्री जी की बात होती है। यह भी जब कॉलेज खुलेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी और आपका नाम होगा, इसलिए आप यह कॉलेज खोल दीजिए। यह हमारी मांग हैं। हम मांग ही तो कर सकते हैं। यह करना नहीं करना, आपके हाथ में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका मुंगेली जिले से बहुत गहरा नाता है आपका ननिहाल है और आप माता कौशल्या के नाम से ननिहाल का सम्मान कर ही रहे हैं तो वह भी तो आपके लिए माता कौशल्या की आपकी नगरी है तो उसका ख्याल रखिये। आप मेरी मांगों को जरूर पूरा करियेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा, अगर आप ऐसा कर देंगे तो। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय चौबे जी, एक बात कहनी थी। एक तो जांजगीर के पास हमारा सोठी एनीकट बना था, वह बह गया था तो उसको थोड़ा दिखवा लेते। मेरा एक सुझाव है, यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। जैसे आपने जांजगीर के लिए स्वीकृत किया था, हर जिले में एक किसान सदन की स्वीकृति मिल जाती और वह बन जाता तो बेहतर होता।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक(रायगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे जी की अनुदान मांगों पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है अगर हम छत्तीसगढ़ के बजट में धान, धान की कीमत की बात न करें तो यह गलत होगा। आज हमारी सरकार किसानों के हित में निर्णय लेते हुए, वर्ष 2022-23 के बजट में 20 हजार 400 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। यह पिछले वित्तीय वर्ष से 1424 करोड़ रुपये अधिक है। अभी हमने विपक्ष के साथियों का भाषण सुना, वह कह रहे थे कि आपने 2500 रुपये की कीमत देकर, किसानों को बंधन बना लिया है क्या ? मुझे याद है जब पहली बार हम लोग चुनाव जीतकर आये, उस समय 2500 रुपये समर्थन मूल्य मिला और लोगों का कर्ज माफ हुआ तो मैं एक महाराजपुर गांव में गया था, जब मैं वहां पर पहुंचा तो उस गांव में एक साथ 19 शादियां हो रही थी और मैंने यह पूछा कि यहां एक साथ 19 शादियां क्यों हो रही है ? तो वह बोले कि आपकी सरकार के कारण यहां 19 शादियां हो रही है तो उन्होंने कहा कि आपकी सरकार के कारण 19 शादियां हो रही है, आपने कर्ज माफ किया, आपने धान की 2500 रुपए कीमत दी तो जो शादी पिछले साल होने वाली थी, उसको भी इस साल कर रहे हैं, जो शादी इस साल होने वाली थी, उसको इस साल कर रहे हैं और जो शादी अगले साल होने वाली है, उस शादी को इस साल करने वाले हैं। माननीय सभापति महोदय, यह 2500 रुपए कीमत जब किसानों को मिला तो उनका घर खुशहाल हुआ, उनका जीवन खुशहाल हुआ, उनके घर में जो तंगी थी, वह दूर हुई। हमारी सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है और हमारी सरकार के निर्णय से किसान खुश हैं। जब पूरे

विश्व में कोरोना का कहर था तो छत्तीसगढ़ एक अकेला ऐसा राज्य था जहां कोरोना के कहर से यहां के बाजार दूर थे, यहां कोरोना के समय में हमारी बाजार आबाद थी। यह किसानों को 2500 रूपए कीमत देने के कारण हमारे छत्तीसगढ़ की जो जी.डी.पी. थी, उसमें कमी नहीं आई, वह लगातार स्थिर रही। बल्कि कोरोनाकाल में हमने पूरे देश में अपनी स्थिति को पूरा संभालकर रखा और हमारे छत्तीसगढ़ में कोरोनाकाल में हमारे किसान भाई, हमारे जो गांव के साथी थे, वह गाड़ी, ट्रैक्टर खरीदे, वे शादी भी किए और वे गहना भी खरीदे। वे सबकुछ किए। यह सब 2500 रूपए कीमत के कारण ही संभव हुआ था। अभी मैं सुन रहा था, आप 2500 रूपए दे रहे हो तो बंधक थोड़ी बांध लिए हो, हम लोग 2500 रूपए दे रहे हैं तो दे रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, जब हम 2500 रूपए कीमत दे रहे हैं तभी किसानों का रुझान खेती की ओर गया है, तभी किसानों का ध्यान खेती में गया है। हम लोगों ने धान खरीदी में लगातार रिकार्ड बनाया है। आज विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि आप लोगों ने 1 लाख 5 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था, खरीद नहीं पाए। हम लोग 60 लाख टन से आगे बढ़कर 97, 98 लाख टन तक धान खरीदी की है और हमारे किसान बिना लाईन में लगे धान बेचे हैं। हमारे गांव के सब किसान खुश हैं और सभी के परिवार खुश हैं। हमने लगातार धान की कीमत में 2500 रूपये दिया और साथ ही साथ मक्का, सोयाबिन, गन्ना, चना के अलावा, रागी, कोदो-कुटकी जैसे जनजातीय फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी क्रय किया। इसको भी हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ दिया।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2020-21 में जिस रकबे के किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया था, यदि वह सामान्य धान के बदले, सुगंधित धान, फोर्टिलाइज्ड धान, अन्य अनाज, दलहन, तिलहन, उद्यानिकी फसल वृक्षारोपण करता है तो प्रति एकड़ 10 हजार रूपए देने का ऐलान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रविन्द्र चौबे जी ने किया है। हम लोग प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज उपलब्ध करा रहे हैं और किसानों के समग्र विकास योजना में 130 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा है। हमारी सुराजी ग्राम योजना नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी के बारे में विपक्ष के साथी लगातार उसकी उलाहना देते हैं। सारंगढ़ विधानसभा में एक नवापाली गांव है, वहां पर एक नाला है, उस नाले में पानी को रोक-रोक कर जो गांव के किसान गर्मी फसल में खेती कर रहे हैं, जो खेती ले रहे हैं, यह लोग एक बार वहां जाकर देखें। पहले उस नाले में पानी नहीं रूकता था, जब से यह नरवा योजना आई है, वहां पर पानी रूकना शुरू हो गया है और हमारे किसान वहां पर लगातार खेती कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं गोधन न्याय योजना की बात करूं। इसमें हमारे विपक्ष के साथी पहले गाय को खाली पकड़वाने में ध्यान रखते थे, आज गोधन न्याय योजना के कारण हमारी जो छुट्टा गाय थी, जो छुट्टा पशु थे, वह एक जगह एकत्रित हो रहे हैं और हमारे पशुपालकों को लगातार उनका लाभ मिल रहा है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से हमारी महिलाएं बहनें, जैविक खाद का उपयोग

कर रही है, जैविक खाद बना रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्राम लोहरसिंग में एक गांधी नायक नाम का किसान है जिन्होंने अपनी पूरी खेत में जैविक खाद का उपयोग किया है, उन्होंने डी.ए.पी. और रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया है। उसका धान का जो उत्पादन है, वह बढ़ गया, यह फायदा हो रहा है। हम लोगों को जैविक खाद की तरफ आना जरूरी है। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि गौठान के माध्यम से जैविक खाद का उत्पादन हो और हमारे प्रदेश में रासायनिक खाद से दूरी हो और जैविक खाद की तरफ किसानों का रुझान हो और इसका फायदा भी लगातार दिख रहा है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में 10,590 गौठान जो अभी चालू हैं। उनमें से 8119 गौठानों का काम पूरा कर लिया गया है और गौठानों में आने वाले पशुओं में 1 लाख 86, 641 कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया गया है। गौधन न्याय योजना के तहत 63 लाख 89 हजार क्विंटल गोबर क्रय कर सभी विक्रेताओं को लगभग 127 करोड़ 69 लाख रुपये की राशि भुगतान की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, सौर सुजला योजना। खुले में जल स्रोत तथा नल के ऊपर से सिंचाई को बढ़ावा देने के लिये सिंचाई पम्पों का परिचालन और सौर उर्जा के माध्यम से करने के लिये यह महती योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 57 हजार से अधिक कृषि पम्पों की स्थापना की गयी है। डेयरी विकास में भी महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। अगर मैं हमारे सिंचाई विभाग की बात करूं तो हमारे प्रदेश में 16 प्रमुख नदियां और कई नाले हैं जिसमें बांध और एनीकट का निर्माण कर किसानों की खेती होती है, वहां पानी पहुंचाया जा रहा है। पिछली सरकार ने एनीकट और बैराज का निर्माण तो किया लेकिन उनका उपयोग किसानों के लिये नहीं किया बल्कि उसका उपयोग उद्योग वालों के लिये किया। हमारी सरकार इसके लिये लगातार प्रयास कर रही है कि इन स्रोतों से किसानों तक पानी पहुंचे।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय सभापति महोदय, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। हमारे प्रदेश में ऐसे बहुत सारे बांध हैं जिसमें सिंचाई क्षमता के लिये काम किया जा रहा है। ऐसे सिंचाई बांध जो किसी कारण क्षतिग्रस्त हो गये हैं उनको सुधारने का कार्य किया जा रहा है। 42,000 हैक्टेयर में सिंचाई की क्षमता निर्मित और 3 लाख हैक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है जिसके कारण मनियारी, अरपा, केलो इन सब कार्यों से हमारे किसानों को लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित कराना चाहूंगा कि बरमकेला विकासखण्ड में लगभग 7 से 8 बांध हैं। बरसात में वहां पानी भर नहीं पाता है, यदि हम महानदी से पानी का उद्वहन करके उन टैंकों में पानी भरें तो किसानों को लगभग 9000 हैक्टेयर में खरीफ में पानी मिलेगा और गर्मी में लगभग 7 से 8000 हैक्टेयर में रबी में पानी मिलेगा। माननीय मंत्री जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि यह जो छोटी सी योजना है अगर हम महानदी

से पानी को उद्वहन करते हैं और उन 7-8 टैंकों को भर देते हैं तो बरमकेला विकासखण्ड का अधिकांश एरिया दो फसलीय हो जायेगा और वहां किसानों को लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि विभाग के बजट के संबंध में बोलना चाहता हूं। किसानों का पहले मिट्टी का परीक्षण होता है, वह मिट्टी का परीक्षण होता है तो उस परीक्षण में यह बताया जाये कि कौन सी भूमि में कौन सी फसल की उपज होगी। वह सब्जी के लिये अच्छा होगा, धान के लिये होगा या रबी की फसल के लिये होगा। किसानों की फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ेगा और कौन से खाद की आवश्यकता है इन बातों पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और उसे अनिवार्य किया जाये। जब तक अनिवार्य नहीं किया जायेगा तब तक चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम छत्तीसगढ़िया हैं, छत्तीसगढ़ की फसल है तो मैं एक फसल का उदाहरण देना चाहता हूं। हम पुरानी फसल बोते थे, गुरमितिया धान, भेदरी धान, भुरऊ धान, सफरी, दुबराज ऐसे धान हैं। उस धान के बारे में भूल गये हैं। हम आधुनिक खेती के बारे में सोच रहे हैं, वह धान ऐसा है कि पानी से उसका उत्पादन ज्यादा होता है तो उस धान के बारे में भी हम सोचें। यदि हम धान के उत्पादन के बारे में सोचते हैं तो यह हमारे हित में होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वह धान आधुनिक धानों की बजाय ज्यादा स्वादिष्ट होता है, अच्छा रहता है, पौष्टिक रहता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं पशुपालन के बारे में बोलना चाहता हूं। हम पशुपालन की दृष्टिकोण से गौठान बना रहे हैं लेकिन गौठानों में जानवर नहीं हैं। वह बाहर में हैं, कुछ किसान अपने घर में रखते हैं तो गौठान में पहले कोठा बनाने की योजना थी। कोठा बनाया जाये ताकि जो गरीब आदमी हैं जो कि अपने मकान में कोठा नहीं बना सकता तो कोठा बनाने के लिये अनिवार्य हो। जिन किसान पालकों ने चाहे गौधन न्याय योजना हो, अन्य योजना है जिन्होंने कर्जा लिया है। ऐसे किसानों को अनिवार्य किया जाये कि वे अपने घर में कोठा बनायें। अब कोठा बनाने के बाद उसका कोठा बन गया है तो पशुपालन के अब उनके पास गौठान है तो उन्होंने गाय पालन या भैंसी पालन या मुर्गी पालन के लिए ऐसी अलग-अलग योजना के लिए अपना कर्जा लेते हैं। ऐसे में गौठान तो बना है गौठान में जानवर नहीं है। गौठान में गांव की भाषा में बिजरा की आवश्यकता है। अगर भैंसी है तो। भैंसा है तो गोल्लर की आवश्यकता है अर्थात् सांड की आवश्यकता है। मुर्गी है तो मुर्गे की आवश्यकता है। तो गौठान में ऐसे बड़े जानवरों को रखा जाये, जिससे गांव के लोग इधर-उधर भटकते हैं, जाते हैं, नहीं होता। इसे अनिवार्य सोचा जाये। माननीय मंत्री जी, आप समय दें। बिजरा रखना जरूरी है। गोल्लर रखना जरूरी है। बड़ा कुकरा रखना जरूरी है।

सभापति महोदय :- तोर राहत ले का जरूरत है। (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मुझे जरूरत नहीं है। लोगों को और पशुपालकों को जरूरत पड़ेगा। इनकी आवश्यकता है। यह अनिवार्य सेवा होनी चाहिए। क्योंकि ये निःशुल्क देते थे। पहले सांड निःशुल्क दिया जाता था। उसे आपने कम कर दिया है। तो जिन लोगों ने जिन पशुधन का पालन किया है, वैसे पशुपालक के लिए अनिवार्य है और पहले लोगों को मुर्गी पालक को मुर्गी का अंडा पहले देते थे। उस मुर्गी के अंडे को भी बंद कर दिये हैं। आप मिनीकिट देते थे। आपने मिनीकिट को भी बंद कर दिया है। तो मिनीकिट किसान की योजना होती है सेट तो आपसे करने कौन आयेगा भेंट। तो उस योजना को लागू करना चाहिए। मिनीकिट लागू करनी चाहिए। प्रदर्शन योजना लागू करते थे। किसानों के लिए 50-50 एकड़ में खेती करने के लिए। नये-नये बीजों का उत्पादन, प्रशिक्षण वगैरह दिया जाता था। वह कम हो गये हैं। आप इन्हें भी करें। खाद की कमी है। अब खाद की कमी में आप यहां गोबर तो खरीद रहे हैं, लेकिन गोबर खरीदने के बाद वह किसान जमा करता है या पशुपालक जमा करता है, जमा करने के बाद वह किसमें जाता है, ग्राम पंचायतों में गया। टाइम हुआ। कॉल हुआ। वह सूख जाता है। कंपोस्ट खाद की विश्वसनीयता कम हो जाती है, गुणवत्ता कम हो जाती है तो उसे जल्दी किया जाये, क्योंकि वह आपकी योजना है। गरवा, घुरूवा और बाड़ी तो घुरूवा में कम से कम वह कंपोस्ट खाद बने और लोगों को आधुनिक खेती के लिए जो रासायनिक खाद का ज्यादा उपयोग करते हैं, इनमें भी उनकी योजना को अनिवार्य रूप दिया जाये। यह अनुरोध मैं आपसे करता हूं। एक नदी के पानी को दूसरी नदी में लेकर पूर्णतः बारहमासी पानी से किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए खुडिया बांध का पानी है और अमरकंटक की नदी नर्मदा से अगर पानी को लाया जाये तो लोगों को रबी फसल और खरीफ फसल के लिए 12 महीना पानी मिलेगा। हमारे माननीय विधायक धर्मजीत जी ने कहा था कि एक खुडिया बांध है। अब खुडिया बांध 1930 से बना है। उसमें सिल्ट जमा हुआ है और नहर में भी कम पानी आता है। रबी फसल में कम पानी आता है। अच्छी वर्षा हो गई तब तो पानी मिल जाता है। नहीं होती तो पानी नहीं मिलता। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसी योजना लागू की जाये, जिससे अमरकंटक के नर्मदा के पानी को खुडिया बांध से जोड़ा जाये। इस तरह से बांध बन गये हैं। पक्की नाली देने की लाइनिंग की आपकी योजना है। आपने पक्की नाली के लिए पास भी कर दिया है। बजट में 12 प्रतिशत अनुसूचित जाति को राशि दे दिया है और 34 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति को, पर आपके बजट का हर वर्ष की राशि स्वीकृत नहीं होती है। प्रशासकीय स्वीकृति नहीं होती। बजट में ऐसी आपकी राशि पड़ी है, पर कुछ काम का नहीं है। बस बजट है तो उस बजट की राशि को खत्म किया जाये, मैं आपसे ऐसा कहता हूं। अब नहर की योजना है।

सभापति महोदय :- केशव चन्द्रा जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप दो ही तो बबा बचे हो, बोलने दो। (हंसी)

सभापति महोदय :- अब इतना तो बोल लिये हैं। अब बोल काहे के लिए रहे हैं, आपने अभी सुना नहीं। (हंसी) अब सौरभ सिंह जी सुन रहे थे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अब उसके बाद आपकी योजना है नरवा, घुरुवा, गरवा, बाड़ी। अब नरवा के पानी को कहां करना है? घुरुवा के पानी को कहां लाना है? घुरुवा में जब तक पानी नहीं होगा तो वह खाद कैसे बनेगा ? अब नरवा का आप स्टापडेम, आप बहुत खेल रहे हैं गेम, पर बनाओगे ज्यादा स्टेपडेम, तभी तो काम आयेगा।

सभापति महोदय :- माननीय केशव चन्द्रा जी शुरू करें। बस हो गया, पुन्नूलाल जी समाप्त करें।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप नरवा के पानी में नरवा तो बना दिये। पानी तो है, पर विद्युत की व्यवस्था नहीं है तो पानी की आपासी कैसे होगी? चाहे स्पिंकलर मशीन के माध्यम से हो। एनीकट बना है तो बिजली जरूरी है। बिजली लोगों की अनिवार्य सेवा है। चाहे वह कर्जा के माध्यम से हो, उसमें छूट दिया जाये। आप जैसा ट्यूबवेल में देते हैं। दूसरा उन्हें आपासी में छूट रहेगा। मैं अपने क्षेत्र की बात बता दूं। पिछले समय आपकी बात हुई थी, बहुत सी नदियों को जोड़ने की बात है ।

समय :

4.00 बजे

छोटे-छोटे डेम बनाना है, दशरंगपुर से सोड़हार नदी पर डेम आपकी योजना में नहीं है, ढोढमा में नहीं है, फरहदा में नहीं है, हथनी में नहीं है इस तरह बहुत सी योजना है। हम आपकी नरवा, गरवा, घुरुवा योजना को कैसे मान सकते हैं । सिर्फ घुरुवा है और नरवा है । इन योजनाओं को जब तक सही नहीं करेंगे । जब तक लोगों को नहीं देंगे, पंचायतों को नहीं देंगे तब तक ठीक तरह से काम नहीं होगा । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस सिंचाई योजना को आप प्राथमिकता दें । लाइनिंग के कार्य जो बजट में थे उनकी प्रशासकीय स्वीकृति अभी तक नहीं हुई है । हाफ नदी डायवर्सन है, उसमें भी नहर बनाने का टेंडर हो गया है और आपने टेंडर को भी कैंसिल कर दिया है । आप सिंचाई का रकबा बढ़ाना चाहते हैं तो नई खेती करना चाहते हैं । किंतु इस तरह से खेती और कम हो जाएगी । सिंचाई सुविधाएं कम हो रही हैं, इस पर ध्यान देंगे । आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्री जी की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं ज्यादा बातें नहीं रखूंगा लेकिन आपका संरक्षण चाहिए । कृषि हर मोर महत्वपूर्ण विषय अउ मैं किसान आदमी हों । सदन मा भी प्रयास करथों किसान मन के हक अधिकार ला या जो कमी है तेला में रख सकों ता थोड़ा सा समय दिहौ, एकर मैं निवेदन करत हों । माननीय मंत्री जी, पूरा देश मा बेरोजगारी के बात होवत हे अउ ए प्रदेश मा भी बेरोजगारी के बात होथे। जहां तक मोर सोच हे अगर बेरोजगारी दूर हो सकत हे तो केवल कृषि के क्षेत्र मा लोगन ला रोजगार

मिल सकत है । कृषि के उत्पादित जे भी फसल है, ओखर छोटे मोटे उद्योग लगाकर ओला हमन बाजार मे बेचे के लायक बना सकत हन तो बहुत सारा बेरोजगार मन ला रोजगार के अवसर मिल सकते है । वैसे भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूरा आर्थिक आधार हा खेती किसानी है, उही मा निरभर है । कृषि मा जतका बेहतर काम किये जा सकत है ओ प्रयास होना चाहिए । कोई विधायक कहिथे कि 15 साल ले तुमन वायरस ला दे हौ तो वायरस ला हटाए बर टाइम लागही । 15 साल एमन रहिन तो एमन कहिन कि तुमन वायरस लाए हौ तो ओला हटाए बर टाइम लागही । आजादी के बाद भी वायरस नइ हटिस, बढ़ते गिस । 15 साल मा वायरस नइ हटिस बढ़ गिस । फिर 3 साल मा वायरस हा बढ़ते जात है, हटे नइ है । जे परम्परा या जे परम्परा पिछले दारी रहिस, ओमा अभी भी मोला सुधार नइ दिखत है, मैं सब्सिडी के बारे मैं बोलना चाहत हौं । आप पिछले 5 साल नइ रहेव लेकिन आपके साथी मन एती रहिन । माननीय कृषि मंत्री रहिन तो बार-बार बोलय जो एजेंसी तय होही तिहें ले आप ला सामान खरीदना है । तो ए तरफ के मन काहंय के भाई आई.एस.आई के जे भी रजिस्टर्ड जे टैक्स देत है ते दुकान ले खरीदे के किसान मन ला स्वतंत्र छोड़ना चाही । लेकिन आप ओती गेव तो उही सिस्टम है, अब कृषि विभाग हा बीज निगम ले ही खरीदही । कृषि विभाग हा उही एजेंसी ले खरीदही । ओखर बर किसान स्वतंत्र नहीं है । जेखर कारण सब्सिडी के जेन लाभ किसान मन ला मिलना चाहिए, किसान ला आपके योजना के कोई लाभ नइ मिलत है । योजना के लाभ कौन ला मिलत है तो वो विलुप्त है, किसान बेचारा बता ही नहीं पाएगा । अभी जांजगीर-चांपा जिला मैं आपके एग्रीकल्चर अउ हार्टीकल्चर, कृषि विभाग अउ उद्यानिकी विभाग ला तेरह करोड़, छप्पन लाख रूपए डी.एम.एफ. फंड से दिये गे है, काबर, सामग्री वितरण करे बर । अउ का बांटत है, ब्रास कटर । अब बताओ ये ब्रास कटर काय है अउ ए ब्रास कटर के उपयोगिता छत्तीसगढ़ में का है । अउ किसान हा ब्रास कटर ला घर ले गे है तो ओकर लाभ का मिलही । ब्रास कटर के कीमत कितना है अउ जे कीमत मैं आपके विभाग हा खरीदे है । वास्तविक मा अच्छे से अच्छा ब्रास कटर के बाजार मा का मूल्य है । आप किसान ला दे देहव अउ वास्तव मैं किसान ला का फायदा होए है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- थोड़-बहुत चलथे ना यार ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- ठीक है महोदय चलथे न कहत-कहत 15 साल तुमन टाल देया। ब्रास कटर केवल यू-ट्यूब म हमन देखे हन। अइसे करके किसान हर करथे त धान हर लुआ जाथे। मैं आपला दावा करथव, एक भी किसान एक भी दिन ओ ब्रास कटर के उपयोग नइ करय। अभी जब बांटे बर एक दिन बुला लिन, त कइसे बुला लिन बाकी दिन तो नइ बुलाइन।

श्री रामकुमार यादव :- चंद्रा जी।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- यादव जी, तुं हर ग्राम कटर ल नइ समझा। तुं हर नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी म बोलिहा।

श्री रामकुमार यादव :- सुना तो मैं एतका जरूर समझथव कि एकर पहली के सरकार मन जो खनिज के पैसा ल एला झुलवा बनाय के काम करय। हम कम से कम किसान ल बांटत हावय। एतका ल जरूर जानथव।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- यादव जी, पैरा किंटिंग के मशीन डेढ़ लाख केला चार-चार लाख म बेचे हावयहमर जिला में। मंत्री महोदय, ओकरो बर ध्यान देतव ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, तो ए हर ब्रास कटर के उपयोगिता नहीं हे। तीन करोड़ रुपये के रोटी थ्रिलर बांटथे। मैं यह नहीं कहथव रामकुमार यादव जी कि मत बांटा, बांटा न भाई, लेकिन बाजार के 2200 रुपये के स्पेयर ल तू हर 5800 रुपये म खरीद कर काबा बांटीहा। 2200 रुपये के स्पेयर ल 2200 रुपये म खरीदा अउ एक किसान के जगह म तीन किसान ल बांटा। अब अधिकारी मन ल हमन बोलथन त बीज निगम ले खरीदे हन। सरकार के एजेंसी हावय त एसना काय एजेंसी हे सरकार के, जेकर बाजार मूल्य ले तीन गुना दाम हावय। अउ एतेक उपकार काबा करथा किसान मन बर कि तीन गुना ज्यादा म ओला स्पेयर ल देथा। मिनी राईस मिल बांटे हे। गांव गांव म लड़ाई झगड़ा हो गये। जे समूह म देहे ते समूह म लड़ाई-झगड़ा हो गइस। अउ जे गांव म अगर दू झन ल दे दीस त उंहा लड़ाई-झगड़ा हो गइस अउ आथे हमन करा। महोदय, ओला हमर अनुशंसा म नइ देहे। आपके छप्पा वाला के अनुशंसा म देहे। मतलब आज हमन जनप्रतिनिधि के एतका कन अधिकार ल भी खो दारे हावन, आपके सरकार हर जनप्रतिनिधि मन के अधिकार के कि अतका एकता कन अवमूल्यन कर देहे कि सामाग्री वितरण होथे तेमा भी आपके विभाग मन हमन ल नइ बुलाथे। ए हर बहुत बड़े दुर्भाग्य के बात हे, अफसोस के बात हे। 1356 रु. में बहुत अकन बात हो जातीस, बहुत अकन विकास के बात हो जातीस, 13 करोड़ म बहुत अकन किसान के बात हो जातीस लेकिन एला करना नइ हे। आपके विभाग म कैलेण्डर बनथे अउ म सब तय हे कि आदमी रोपा लगाही त ओहर नर्सरी कोन समय तय करही। आठ दिन, दस दिन ऊपर-नीचे होही। मोटा बोही त कब ओला बोना हे, कौन समय ओला खाद के जरूरत हे। ऐहर आपके कृषि विभाग के कैलेण्डर म हे, आपके कृषि विभाग के ओतके बड़ टीम। पूरा ब्लॉक म, जिला म जो हे पदस्थ हे। लेकिन आपके जो प्रदर्शन के बीज हे ओहर कब जाथे? प्रदर्शन के बीज आपके अगस्त म जाथे। एक भी प्रदर्शन के बीज, एक भी खेत म नइ लग पाय। पिछले साल आपके कृषि विभाग जांजगीर-चांपा जिला म 5 करोड़ रुपये के मक्का बांटे रहीसे अउ मैं हर दावा करथव कि 5 लाख के भी जांजगीर-चांपा में मक्का पैदा नइ होइस। त अइसनो भी किसान के विकास करे के का बात हे। कि 5 करोड़ के बीज ल बांटा अउ किसान 5 लाख रुपये के मक्का के बीज के उत्पादन नइ कर पात हावय। कैलेण्डर के हिसाब से आप समय पर उपलब्ध करावा। अभी 5 करोड़ रुपये के खरीफ फसल म जैव उर्वरक, कीटनाशक के वितरण करीन हे। डी.एम.एफ. के पैसा हे। 5 करोड़ रुपये के लेकिन बाकी म कोन समय, धान ल लुये के दिन म। धान ल लुये के दिन म खातु के काय जरूरत हावय। कौन कृषि

वैज्ञानिक कहथे धान ल लुये के समय म खातु ल बांटीहा त किसान ओला डालही। कीटनाशक ल धान ल लुये के समय म का जरूरत हे। ओ मालूम हे बांटने वाला ल। एहर काम के लाय नोहय। एहर खातु हर पूरा खातु हे अउ कीटनाशक म कीड़ा नइ मरय। एकर बर ओ समय बाटीन हे। मोन निवेदन हे कि ए चीज मन न जांजगीर-चांपा म ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश म आप देखा। पूरा प्रदेश म आप देखा कि किसान ल खातु देथा तेकर कुछ फायदा होवय। पांच सौ रूपये की दवाई दे दी है, 200 रूपये मजदूर लगाकर बेचारा खेत म छीचही ओ हर काम ही के नइ रही 200 रूपये के ओकर मजदूरी हर चले गइस हावय। बीत उत्पादक किसान मन के बहुत दुर्गति हे। में भी बीज उत्पादन करे हव, में भी बेचे हव। पिछले साल के आपके मण्डी बोर्ड के 200 रूपये प्रोत्साहन राशि अभी तक नइ मिले हे। आउ ओ साल के तो हालत ही खराब हावय। केवल एडवांस मिले हे। जबकि जे किसान हर समर्थन मूल्य धान बेचे हावय ओला पूरा समर्थन मूल्य के पैसा मिल गे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के आप जब-जब किश्त में देहू, तब-तब मिलही, लेकिन बीज उत्पादक किसान ला अभी तक केवल 1500 रूपये क्विंटल के हिसाब से अउ 1200 रूपये क्विंटल के हिसाब से पइसा मिले हे। बाकी ओ मन ला कोई पइसा नइ मिले हे अउ ए पइसा के मिलत तक लगभग-लगभग एक साल हो जथे। मोर हर साल के अनुभव हवे, एक साल हो जथे। तेखर बर निवेदन है ओ मन ला समय मा पइसा मिल जाए। दूसर, खरीफ फसल मा आप बीज उत्पादन करत हवो।

सभापति महोदय :- चंद्रा जी, जल्दी समाप्त करिये।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, ओखरे बर में पहिली कहे रहे हो 10 मिनट-10 मिनट ।

सभापति महोदय :- आप ला 9 मिनट होगे हे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- केवल 10 मिनट महोदय।

श्री रामकुमार यादव :- विधायक जी, जम्मो इहीच ला करत हस अउ कतका अकन बोनस पाथो। ऐला कइसे नइ बतात हस ?

श्री धरमलाल कौशिक :- क्या है सभापति महोदय, उनका जो क्षेत्र है पूरा किसानों का क्षेत्र है सिंचाई की सुविधा है और किसानों की पीड़ा को रख रहे हैं। अच्छा बोल रहे हैं। थोड़ा-सा बोलने दीजिए। वैसे भी ज्यादा उनको...

श्री रामकुमार यादव :- काहे तुमन गोठियाथो, सदन के बाहर घलो देखथे अउ बोनस पाहे तेन कइसे कहात होही, एको ठन नहीं गोठियाथे, ओखरो धन्यवाद देवो न।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- रबी मा बीज उत्पादक किसान मन के पंजीयन नइ होवे। आप बीज उत्पादित करवाथो। आप बीज लेथो लेकिन कुछ समिति बने हे तेखर माध्यम से ओमन किसान मन करा 1200, 1300 रूपया क्विंटल मा ले लेथे अउ ओ बीज ला बेच के ओमन पूरा पइसा कमाथे, ओमन लाभ

कमाथे। मोर आप करा अनुरोध हे कि ग्रीष्मकालीन फसल भी लगत हवे, बीज उत्पादक किसान मन जो समय भी जइसे खरीफ फसल मा आप पंजीयन करके लेथो, वइसने ओला भी ले लिहो तो किसान मन ला फायदा हो जही। बाकी बहुत सारे उद्यानिकी के क्षेत्र मा छत्तीसगढ़ मा अवसर हवे। कुछ किसान मन मेहनत भी करत है ड्रिप के माध्यम से सब्जी के फसल भी लेत हवे। फल के भी फसल लेत हवे। अगर ओमा ओला बढ़ावा दिया जाए ड्रिप मा बढ़ावा दिया जाए, स्प्रिंकलर मा बढ़ावा दिया जाए तो निश्चित रूप से ओखर फायदा होही। अभी आपके विभाग मा एक समूह मा सामूहिक रूप से घेरा के योजना है लेकिन ओमा जमीन के बाध्यता हे। अतके जमीन रही तभे ओला घेरा कर सकत हे। आपके सामान्य वर्ग के तो टार्गेट पूरा हो जथे लेकिन आपके एस.टी.एस.सी. के टार्गेट पूरा नहीं हो सके, काबर कि ओतका जमीन होना अनिवार्य हे, बाध्यता हे तो या तो जमीन के बाध्यता ला हटा दिया जाए या फिर ओ जो कैटीगिरी हे तेला समाप्त कर दिया जाए। जे किसान चाहत हे तेन लगाया जाए तो आपके सब्सीडी के फायदा भी किसान मन ला मिल जाही। मोर जिला हा 85 प्रतिशत सिंचित जिला हे। लंबा समय के नहर बने हे। कुछ जगह अभी भी अधूरा हे कुछ जगह टूट-फूट गेहे अउ लगातार रबी अउ खरीफ दोनों बर पानी देत हवो तेखर कारण अउ ज्यादा मरम्मत के आवश्यकता हे। मरम्मत नइ होए के कारण पानी के दुरुपयोग होवत हे, नाला मा बहत हवे अउ अभी ए साल कलेक्टर साहब पहिली बैठक लीन अउ कहीन हम धान बर पानी देबो। बाद मा जब पानी ढिलीन तो पेपर मा दे दीन कि दलहन-तिलहर बर ही पानी दीही गेहूं, सरसों बर। तो किसान दुविधा मा हो गीस कि दलहन-तिलहन कहां ले लगाये ? दलहन-तिलहन अउ गहूं के समय निकल गेहे। वातावरण अउ परिस्थिति अइसे नइ हे कि हम खुला सिंचाई मा गेहूं अउ सरसों लगा सकन। तो गहूं सरसों लगाये के कोई प्रश्न ही नइ हे। धान कटाई के लिए हमर छत्तीसगढ़ में विलंब से होथे। जेमा अररी प्रजाति के...

श्री रामकुमार यादव :- विधायक जी, इहु बात ला काबर नइ बतात हो कि 15 साल के बाद में यही सरकार में पानी मिले हे, तेन ला।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, रामकुमार यादव जी के भी नाम ला लिख लो, ओ मोर तरफ से बोलही। एक चीज मा तो ओखर समझ मा आए नइ बातचीत हर। मोर निवेदन है कि ओखर नाम लिख दो, ओखर नाम पुकार दीहूं, ओ हा बोलही।

सभापति महोदय :- चंद्रा जी, कृपया आप जल्दी समाप्त करिये।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- जी। तो तय रहाय कि सरकार। ठीक हे फसल परिवर्तन के आप बात करत हो, हम ओखर पक्षधर हन। फसल परिवर्तन होना चाहिए। काबर कि लगातार हम दोनों फसल मा धान लेबो तो हमर धान के उर्वरता शक्ति कम होही अउ आने वाला दिन मा ओखर परिणाम ला भी हमन भुगतबो। तमाम तरह के बीमारी आही। ओला हम समझथन लेकिन ओ परिस्थिति निर्मित करे बर लागही। किसान मन ला ओ चीज जा समझाये बर लागही। ओखर बर किसान मन ला सुविधान देल

लागही। जेखर करा खुद के सिंचाई हे ओ प्रयास ला करत हवे लेकिन नहर के खुला सिंचाई मा जब तक हम कच्चा या पक्का नाली के निर्माण नइ कर लेबो, तब तक दलहन-तिलहन या गेहूं, सरसों के तरफ जो हे, किसान नइ लगा सके। माननीय सभापति महोदय, कई बार कम बोले बर कहात हो, आपके विषय तो अतका अकन हे अउ बोले के इच्छा भी होत हवे लेकिन समय के बाध्यता में अपन क्षेत्र के कुछ मांग ला आप करा में रखना चाहत हो। मांग ला आप स्वीकार भी करे हो। बजट मा सम्मिलित भी करे हो लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 2021-22 के एको ठन काम के नइ मिले हवय । बोराई नदी मा धनवारडेरा एनीकट सह रपटा निर्माण, बोराई नदी मा भरोड़ा एनीकट सह रपटा निर्माण, सोन नदी में अरसिया एनीकट सह रपटा निर्माण, बोड़ाई नदी मा सल्ली नवा गांव सह रपटा निर्माण अउ बहुत सारे नहर के जो छोटे-छोटे आवश्यकता हे ते मन भी 2021-22 के बजट मा सम्मिलित होए हैं, लेकिन एक भी काम स्वीकृत नहीं हो पाए हे । झाररौंदा स्टाप डेम के काजवे निर्माण, लोकल नाला में कंचनपुर स्टापडेम, लोकल नाला में बिछिया स्टापडेम, बोराईनदी मा रनपोटा देवगांव के बीच मा एनीकट रपटा निर्माण, सोनसरी एनीकट के मरम्मत कार्य, ओषण नाला मा सिरली स्टापडेम, काजवे निर्माण । यह 2021-22 के बजट मा ये सब काम सम्मिलित हे । लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिले हे । मोर निवेदन हे कि कभू समीक्षा करवावव कि काबर प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिले हे, आपके विभाग के अधिकारी मन ओ जगह ला जाकर देखिन या नहीं, बने के लायक हे या नहीं, हो सकथे कि हमन के प्रस्ताव मा, विभाग के प्रस्ताव मा, जनप्रतिनिधि के प्रस्ताव मा बजट मा सम्मिलित होही, लेकिन मौका में ओकर आवश्यकता हे या नहीं, ओला देख लेवयं । मोर क्षेत्र मा बहुत सारा स्टाप डेम बने हवय अउ कतको अकन आलोचना पिछले सरकार के भी करिन, आज भी कतको अकन आलोचना करथें, लेकिन एक-एक स्टापडेम के उपयोगिता हे । कम से कम एक स्टापडेम मा 400 से 500 एकड़ खेत किसान ह किसानी करथे। अपन निजी के साधन मा ओ करा पम्प लगा करके 400-500 एकड़ में कोई जगह सब्जी-भाजी के खेती करथे, कोई जगह धान के खेती करथें, कोई जगह गेहूं के खेती करथें, लेकिन तमाम एनीकट और तमाम स्टापडेम जोन बनहे, तेकर हवय । ए साल भी आप मोर मांग मा कुठिया नाला के लोहरा कोट में स्टापडेम, बर्ना नाला के सराईपाली स्टापडेम, लोकल नाला में कोसमपाली में स्टापडेम, धनवारपारा में स्टापडेम, सोन नदी मा धमनी एनीकट, जमड़ीनाला में भौरी एनीकट, एकर अलावा बहुत सारा नहर के भी काम बजट में सम्मिलित करे हवव, एकर बर भी निवेदन हे कि ओ ह बजट तक बस सीमित मत रहाए, बल्कि ओकर भी प्रशासकीय स्वीकृति देवव अउ अंत मा यही उम्मीद के साथ कहना चाहथौं कि जो व्यवस्था या व्यवस्था के कारण किसान मन दुखी हवयं या किसान मन ला लाभ नहीं मिलत हवय, ओमा निश्चित रूप से सुधार करे बर आवश्यक पहल करिहौ । यही निवेदन करत हुए मैं अपन वाणी ला विराम देवथौं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- किसान ला 25 सौ रुपिया देवथे ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- 25 सौ रुपये देवथे तो बढ़िया बात है, ओकर बर कोई किसान नाराज नहीं है। आपो मन करा किसान मन नाराज नहीं होतिस, दो साल बोनस ला नहीं देव त थोड़ा मामला ह बिगड़ गे। सभापति महोदय, आप मोला बोले बर मौका देव, ओकर बर धन्यवाद।

श्री रामकुमार यादव :- गौटिया के कर्जा के घलो माफी होए है।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की धरती 80 प्रतिशत किसान और 40 प्रतिशत वनों से आच्छादित है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसान पुत्र हैं, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी भी किसान पुत्र हैं, वे किसानों के दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं कि किसानों को क्या चाहिए, किसानों की क्या आवश्यकता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल तक राज किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय अग्रवाल भैया ने हमारी सरकार के ऊपर ऊंगली उठाई और शोषक कहा। सभापति जी, शोषक कौन हैं, यह आप बताईए। किसानों ने 21 सौ रुपए समर्थन मूल्य मांगा, इन्होंने नहीं दिया, ऊपर से तीन काले कानून लाद दिया गया। शोषक कौन हुए, यह समझने की बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- चौबे जी, उस काले कानून में आपने धान बेचा है, इस बात का ध्यान रखना और काला कानून कहलवा रहे हैं।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने खाद्य पदार्थ की खपत के लिए 200 फूड पार्क की कल्पना की है। किसानों को एक एकड़ में पेड़ लगाने पर 10 हजार रुपये देने की बात कही गई है। भूमिहीन किसानों को प्रतिवर्ष 7 हजार रुपये देने की बात कही गई है। इससे स्पष्ट है कि हमारे प्रदेश के किसानों के हित की बात, उनके विकास की बात, किसानों को क्या चाहिए, उनका विकास कैसे होगा, हम ऐसी कौन सी योजना लाएं, जिससे किसान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे और किसान समृद्ध कैसे होगा, इस पर काफी विचार-विमर्श किया गया।

सभापति महोदय, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तहत किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके संसाधन का उपयोग कैसे हो, इसके लिए नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी का कार्यक्रम चलाया। हमारी सरकार को चिंता थी कि पानी का कैसे बचाव होगा, जल संरक्षण कैसे होगा। इसके अलावा 'घुरूवा' के तहत हमें जमीन को कैसे उपजाऊ बनाना है, रासायनिक खाद को छोड़कर वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग कैसे करना है, इस पर ध्यान दिया गया। 'गरूवा' योजना के तहत गौठानों को रूरल इण्डस्ट्री पार्क के रूप में कैसे विकसित किया जाये। 'बाड़ी' के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक बाड़ी का विकास कैसे हो, जिससे किसानों के हाथ में पैसा आये, उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़े, इस सपर ध्यान दिया गया है। आप कोरोना काल में देखे होंगे बाकी जगह विपदा की स्थिति थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान खुश थे और कोरोना जैसे महामारी से भी जूझे हैं। इसी तरह से किसानों की आर्थिक स्थिति को ऊंचा करने के लिए गुणवत्तायुक्त बीज, प्रमाणिक बीज, सबमिशन आन प्लांटिंग

मटेरियल और उच्च गुणवत्तायुक्त बीज का वितरण किया गया है। इसके अलावा कृषि सेवा केन्द्र की स्थापना पर अनुदान, हर पटवारी हल्के पर कृषि कार्य माला कार्यक्रम बनाया। क्योंकि जब तक समय पर फसल का उत्पादन नहीं होगा तो कृषि में नुकसान होगा, इस बात को बहुत बारीकी से समझा गया। इसलिए प्रत्येक पटवारी हल्के पर कृषि कार्य माला कार्यक्रम की स्थापना की गई। इसके अलावा कृषकों को उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए 84.90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उसी तरह से किसान और अच्छी तरह से खेती करे। इसके लिए ड्रिप और स्प्रींकलर, बहुवर्षीय फल उद्यान, फूलों की खेती साथ ही साथ खाद्य पदार्थों का कैसे भण्डारण किया जाये, कैसे सुरक्षित रखा जाये, इसके लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना के लिए भी बजट दिया गया है। कीटनाशक और अवशेषों की जांच के लिए एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त फाइटोसेनेटरी प्रयोगशाला की स्थापना पर भी बल दिया गया है। साथ ही साथ फसल बीमा, क्योंकि 35 प्रतिशत वर्षा होती है और 64 प्रतिशत किसान कृषि पर निर्भर रहते हैं। कभी अल्प वर्षा होती है, कभी ज्यादा वर्षा होती है तो कभी किसानों को कीटों के प्रकोप से जूझना पड़ता है। माननीय मंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया है। उन्होंने फसल बीमा योजना के लिए वर्ष 2021-22 में 746 करोड़ 63 लाख 55 हजार और फसल कटाई के बाद इस वर्ष पूरा भुगतान करने की बात कही गई है।

माननीय सभापति महोदय, राजीव किसान न्याय योजना, चाहे धान हो, चाहे गन्ना हो, केन्द्र सरकार ने 271 रूपया एम.एस.पी. घोषित किया था, लेकिन हमारी सरकार ने 355 रूपया देने की बात कही है। राजीव किसान न्याय योजना के लिए 6 हजार करोड़ रुपये तथा बोनस के लिए 112 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह सिंचाई को देखते हैं तो मेरा सिंहावा विधानसभा क्षेत्र बांधों का क्षेत्र है। लघुत्तर सिंचाई, तालाब निर्माण के लिए 17 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। लघु सीमान्त कृषकों को उद्वहन सिंचाई हेतु 75 प्रतिशत अनुदान, सिंचाई पम्प और शाकम्बरी योजना के तहत 20 करोड़ रुपये का प्रावधान है। जल प्रबंधन कार्य के लिए सौ करोड़ रूपया बजट में दिया गया है। सिंचाई परियोजनाओं के तहत वास्तविक सिंचित क्षेत्र 13 लाख 38 हजार हैक्टेयर है। इस बजट में 249 वृहद कार्य, 53 मध्यम कार्य और 835 लघु सिंचाई तथा 404 एनीकट और स्टाप डेम शामिल है। जो आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया है।

सभापति महोदय :- अपने क्षेत्र की बात कहना चाहे तो कहें।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात कहूंगी। माननीय मंत्री जी ने बहुत सारा बजट दिया है। सौंदर्य परियोजना में तुमडीबहार नाला के दोनों ओर तटबंध, बोदलबहरा व्यपवर्तन, भंडारवाली जलाशय, बेलरगांव जलाशय, पनवई व्यपवर्तन, तेंदूभाटा व्यपवर्तन, अर्जुनी जलाशय, दुगली जलाशय, राकाडीह जलाशय, पीपरछेड़ी व्यपवर्तन, कसपुर जलाशय, गोरसा नाला, कुकरेल व्यपवर्तन, गाड़ाघाट व्यपवर्तन, बाजार काटाखुरीडीह व्यपवर्तन, घुरसीडोंगरी, सीता नदी पर नवागांव में भवन भी

दिया है, अनुविभागीय अधिकारी जलसंसाधन कार्यालय, तेंदूभाटा जलाशय का जीर्णोद्धार, लोमष ऋषि आश्रम के पास भी, आमाचानी, बालका नदी..।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें । आपकी सारी बातें आ गई ।

डॉ.लक्ष्मी धुव :- झुंडरा, अमरौद, सभी बजट दिया है । मैं इसके लिए सिहावा विधान सभा की ओर से कृषि मंत्री का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ । उसी तरह से पशुपालन के क्षेत्र में गोठानों के आजीविका का संवर्धन किया है । गोठान अच्छा बने, यह लोग चाहते नहीं है, सरपंच को जाकर भड़काकर गोठानों की ओर ध्यान नहीं देने की बात करते हैं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिये । गोठानों को मल्टी...

सभापति महोदय :- समाप्त करें ।

डॉ. लक्ष्मी धुव :- हमारे आदिवासी क्षेत्रों में कुक्कुट पालन, बकरी, कड़कनाथ, बटेर पालन के लिए भी बजट दिया गया है । रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना, कृत्रिम गर्भाधान, बंध्याकरण, पशु उपचार, पशु संवर्धन के लिए, हमारी सरकार बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है । मैं इसका समर्थन कर रही हूँ ।

सभापति महोदय :- समाप्त करें ।

डॉ.लक्ष्मी धुव :- दो मिनट और बोलना चाहती हूँ । गांवों में किसानों की अर्थव्यवस्था खेती के साथ-साथ पशुपालन में भी उनकी आय में वृद्धि होगी । माननीय सभापति महोदय, मैं मछली पालन के बारे में कहना चाहूंगी कि मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है ।

सभापति महोदय :- बस समाप्त करें ।

डॉ. लक्ष्मी धुव :- माननीय सभापति महोदय, दुधावा में जो मछली पालन हुआ है, हमारे क्षेत्र के इमरान खान स्वर्गीय हो गये हैं, उनको प्रथम पुरूस्कार भारत सरकार ने दिया है । मैं इसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ । आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- माननीय कौशिक जी ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय सभापति महोदय जी, मेरा भी नाम था सर । मैं भी अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को रखना चाहती हूँ । दो मिनट है सर ।

सभापति महोदय :- दो मिनट में अपने क्षेत्र की बात कह दीजिए ।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- जी, मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगी सर । सम्माननीय सभापति महोदय, आज मैं वित्तीय वर्ष 2022-2023 के अनुदान मांगों पर बोलने के लिये खड़ी हुई हूँ । आज

हमारे बहुजन समाज के संस्थापक आदरणीय काशीराम जी की जयंती है, उसकी कही हुई बात मुझे याद आ रही है-

अगर तम्मना सच्ची हो
तो अनेक रास्ते मिल जाते हैं,
अगर तमन्ना झूठी हो,
तो हजारों बहाने मिल जाते हैं,

ऐसी हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार है, इसमें बहुत सारी योजनाओं को तो लाये हैं लेकिन धरातल में उसकी उपयोगिता बहुत कम है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। हमारे कृषि मंत्री जी बहुत विद्वान हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। अपने क्षेत्र के बारे में ज्यादा बोलना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी, सम्माननीय महोदय, उसमें मेरा प्रश्न भी लगा था। मेरे पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत गांव है, जहां सरकार के करोड़ों रूपया से एनीकट निर्माण हो रहा है, बहुत ही घटिया स्तर के सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, अभी बन रहा है, लेकिन दरारे आ चुकी है। जो सामग्री उपयोग में लाई जा रही है, वह बहुत स्तरहीन है।

श्री रविन्द्र चौबे :- नाम।

सभापति महोदय :- जगह का नाम बता दें।

श्रीमती इंदू बंजारे :- ग्राम पंचायत फूलगांव। वहां एनीकट निर्माण हो रहा है। मेरा इसमें प्रश्न भी लगा था। मेरे पामगढ़ विधान सभा अंतर्गत डुमरपाली है, इसमें नहर बना है, लेकिन मिट्टी धंस गई है, कचरा जाम हो चुका है, उससे ग्रामवासी को सिंचाई के लिए काफी दिक्कत होती है, इसमें भी आपका विशेष निवेदन था। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय कौशिक जी। माननीय नेता प्रतिपक्ष।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे विद्ववान साथी और वैज्ञानिक से कम नहीं है, हमारे मंत्री जी। आज उनके अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। छत्तीसगढ़ प्रदेश हमारे किसानों का प्रदेश है। कृषि पर आधारित प्रदेश है। सर्वाधिक यदि लोगों की निर्भरता है तो कृषि पर ही है। कृषि को यदि मजबूत करना है तो सिंचाई का साधन करना चाहिये। जब तक हमारे सिंचाई के साधन पर्याप्त नहीं होंगे, हम खेती के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। इस दिशा में मैं यह कहना चाहूंगा कि अपार संभावनाएँ हैं, लेकिन उन अपार संभावनाओं में जो कार्य होने चाहिए, वास्तविकता में उसका अभाव है। मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और बी.जे.पी. की सरकार बनी, उस समय डॉ. साहब के 15 सालों के प्रयास से

सिंचाई की क्षमता 23 प्रतिशत से 36 प्रतिशत हुई। अभी 38.45 प्रतिशत है मतलब 2.45 प्रतिशत है। यदि हम विचार करेंगे तो जो हमारी प्रतिशत में वृद्धि हुई है, 03 साल में ढाई प्रतिशत से भी नीचे में हैं। इस क्षेत्र में बड़ी-बड़ी बातें हुई हैं और बड़ी-बड़ी बातें होने के बाद में मैं यह कहना चाहूंगा कि हम इस क्षेत्र में कहां पर पहुंचे हैं। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ उस समय 3 वृहद, 29 मध्यम, 19 लघु सिंचाई परियोजनाएं थीं। डॉक्टर रमन सिंह के समय में उन परियोजनाओं को बढ़ा करके 8 वृहद, 37 मध्यम, 800 एनीकट अभी तक हम बोल सकते हैं। अभी हमारी 4 वृहद परियोजनाएं चालू हैं। उसमें अरपा भैंसाझार, केलो, समोदा, सौंदूर परियोजना है। मुझे जानकारी नहीं है, हमारे कृषि मंत्री जी अपग्रेड करायेंगे कि क्या इन तीन सालों में एक भी वृहद सिंचाई परियोजना उनके द्वारा प्रारंभ की गई ? यह उनका दिखेगा कि सिंचाई के प्रति आपकी कितना क्षमता है, उपयोगिता है, आपकी सोच है और उसको आपने धरातल में उतारने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, बजट में प्रावधान करना और प्रावधान करने के बाद में उसको क्रियान्वयन करना, यह दोनों में अंतर है। मैंने एक प्रश्न लगाया था उस प्रश्न में यह आया कि पिछले बजट में लगभग 1800 योजनाओं को शामिल किया गया था और 1800 योजनाओं को शामिल करने के बाद में यह जवाब आया कि 184 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है, यह आपकी जनवरी तक की स्थिति है। यदि उसको और बढ़ा दें, अभी कुछ बढ़ाये होंगे तो उसमें से लगभग 350 के आसपास प्रशासकीय स्वीकृति मिली। लेकिन जब आपने 1800 योजनाओं को बजट के प्रावधान में शामिल किया है तो 1800 योजनाओं में से यदि 350 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति मिल रही है तो हम कहां पर खड़े हुए हैं? केवल आप यदि दिखाने के लिए बजट में प्रावधान करेंगे तो उससे किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। इस बार भी आपने 1 हजार से ऊपर में नवीन परियोजनाओं को बजट प्रावधान में शामिल किया है। आपने शामिल किया है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन नवीन परियोजनाओं को शामिल करने के बाद में उसकी पूरी कार्ययोजना बनाना, कार्ययोजना बना करके उसकी प्रशासकीय स्वीकृति लेना और उसके बाद में उसका कार्य प्रारंभ होना। आपके वर्ष 2020-21 के बजट में जो लेखा में कमी है, मैं उसका बता रहा हूं कि 2020-21 के बजट में अनुमान में सिंचाई हेतु 2826 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया था। जब लेखा प्रस्तुत किया गया तो 1679 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा, अर्थात् 41 प्रतिशत की कमी आई। यदि 41 प्रतिशत की सिंचाई में कमी आई तो हम सिंचाई के क्षेत्र में कहां पर जा रहे हैं और हमारी स्थिति, गति क्या है? जब पहला बजट आया, उस समय जब हम लोग चर्चा किये थे, उस चर्चा के दौरान में उस समय मैं कुछ सुझाव दिया था। मैंने उसमें यह कहा था कि मंत्री जी आप नयी सिंचाई योजना शामिल करें लेकिन जिनका कार्य 50 प्रतिशत से ऊपर हो गया है, यदि ऐसे कार्यों के लिए आप पैसे की व्यवस्था करेंगे, यदि उस कार्य को आप पूर्ण करेंगे तो पूर्ण करने के बाद में आपकी जो सिंचाई की क्षमता है, उसमें वृद्धि होगी और आप कम पैसे में ज्यादा वृद्धि कर सकते हैं, रकबा में हमारी सिंचाई होगी। लेकिन 3 साल के बाद में, मैं आपको याद

दिलाना चाहूंगा कि हमारे यहां पर अरपा मनियारी बैराज की जब मैं बात किया था, मैंने पथरिया बैराज की बात की थी, आपके बैराज बन गये, तैयार हैं, उसमें केनाल निकल गया है। मनियारी बैराज में आपका बैराज बन गया है। बैराज बनने के बाद में केनाल का लगभग कार्य पूरा हो गया है और कुछ कार्य बाकी है। उसको पूरा करने के लिये आपकी इच्छा-शक्ति क्यों नहीं है, आप क्यों पूरा नहीं करना चाहते हैं ? यह दोनों में 10 हजार एकड़ की सिंचाई होगी और उस क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिलेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- नेता जी, इच्छा है, शक्ति नहीं।

श्री धरम लाल कौशिक :- नहीं, इच्छा शक्ति है, हनुमान जी के जैसे थोड़ा जगाना पड़ेगा और जग जायेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे कार्य हो जायेंगे। एनिकट पूरा सीरिज में बना हुआ है।

श्री शिवरतन शर्मा :- नेता जी, क्या है कि जो शक्ति वाला मामला है। वह जो सुग्रीव और बाली की कहानी है, शक्ति जब सामने जाती है तो आधी उधर चले जाती है। छीड़ हो जाता है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, हमारा एनिकट सीरिज में बना हुआ है। मैंने 7 गांवों का, जब हमारे कलेक्टर साहब वहां थे, अभी आपके दुर्ग कलेक्टर है। उन्होंने बहुत प्रयास करके जो हमारे मतकू है, और मतकू से ले करके, जहां मुख्यमंत्री जी जाते रहते हैं एक धाम है, वहां 7 गांवों के लिये वह सर्वे कराया गया। शिवनाथ नदी है, लाइन से एनिकट है, पानी भरा हुआ है, 7 गांवों के लिये, उस शिवनाथ नदी में यदि पूरा बिजली का खंभा लगायेंगे और उसमें आप ट्रांसफार्मर लगायेंगे और लगाने के बाद में उसका 1 करोड़ कुछ लाख का कुल बजट है, मतलब वह बजट 1 करोड़ 20 लाख का भी नहीं है। आप वह फाइल एक बार दिखवा लीजिये, या मैं आपको दोबारा भिजवा दूंगा। आप उसमें 1 करोड़ 20 लाख में 7 गांवों में सिंचाई का काम कर सकते हैं। इससे सस्ता और कुछ नहीं हो सकता और मैं समझता हूं कि यदि आप इसका उपयोग नहीं करेंगे, शिवनाथ नदी के जल का उपयोग नहीं करेंगे और कम राशि में अच्छे से उन किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी तो मुझे लगता है कि ऐसी योजना को स्वीकार करना चाहिये। वैसे हमारे बिल्हा विधान सभा क्षेत्र में पूरे एनिकट का सीरिज बना हुआ है, चाहे वह अरपा में हो, शिवनाथ में हो, मनियारी में हो, 3 नदियां हैं और तीनों में पूरा सीरिज बना हुआ है। आज लोग मांग कर रहे हैं। जब डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने हम लोगों ने उसी समय प्रयास किया और प्रयास करने के बाद में उसका यह प्रभाव पड़ा है कि आपकी जो नदी में जल नहीं था, बारहों महीने प्रवाह नहीं होता था, उसमें आज बारहों महीने जल दिखाई दे रहा है। आपके जो एनिकट है और एनिकट के बगल में जो गांव है वहां बोर में पानी नहीं था लेकिन आज वहां पर कुंआ से पानी निकल गया है और कुंआ के पानी से लोग सिंचाई कर रहे हैं। आपका अपग्रेड हुआ है, जो सतह जल के नीचे जा रही थी, तो ऐसे कार्यों के लिये मुझे लगता है कि यदि हम सिंचाई के क्षेत्र में यदि थोड़ा-थोड़ा प्रयास करेंगे तो उसका लाभ दिखाई देगा और मैं इसलिये चाहता हूं कि ऐसे कार्यों को, जो प्रदेश में है, उनको प्राथमिकता की सूची में जोड़े तो बहुत अच्छा होगा।

माननीय सभापति महोदय, जब बीज निगम बना तो मैं पहले बीज निगम का अध्यक्ष था। आज बीज निगम की क्या गति बन गई है ? दुर्गति। आपने उसको चारागाह बना दिया है। अधिकारी और व्यापारियों का जो सप्लायर है, आप उसको चारागाह बना दिये हैं और अब तो आपका नियंत्रण भी समाप्त हो गया है। आप जो बात बोल रहे हैं उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही है और उसमें वह जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का अड़्डा हो गया है, इससे किसानों का भला होने वाला नहीं है। यदि आप उसको नियंत्रित करना चाहते हैं। जिस उद्देश्य से बीज निगम का निर्माण हुआ उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिये। यदि इसे केवल अधिकारियों के लिये चारागाह बना कर रखेंगे तो उससे बीज निगम का उद्देश्य पूरा नहीं होगा और न ही किसानों का भला होगा। इसलिये मंत्री जी, आप तो ईमानदार छवि के हैं और यदि ऐसे तत्वों को आप संरक्षण देंगे तो उसमें कहीं न कहीं यदि छींटा पड़ेगा तो वह आपके ऊपर भी आयेगा। इसलिये उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है, कंट्रोल करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, डेयरी। आज भी हमारे यहां इतना दूध नहीं है, जितना उसकी consumption है। लेकिन हमारे यहां नदी है, एनिकट है, पानी है, लेकिन उतना होने के बाद में उसकी जो योजना बननी चाहिये, योजना बना करके यहां की जो consumption है उसके अनुसार दूध का उत्पादन करना चाहिये, और मुझे लगता है कि यदि उत्पादन के लिये आपको सब्सिडी बढ़ाने की आवश्यकता है तो डेयरी के लिये सब्सिडी बढ़ानी चाहिये। आप उसमें डेयरी के लिए सब्सिडी बढ़ाकर दें। हम कोई लिंक नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे छोटे दुग्ध उत्पादक किसान हैं, हम उनको प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे हैं। शहर से जो दूरी है तो यदि शहर से दूरी है तो उनके लिए एक योजना बनाकर, काम करेंगे तो मुझे लगता है कि न केवल दूध का उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि ऐसे जो दूध उत्पादक किसान हैं, उनको लाभ मिलेगा और प्रदेश की जो दूध की खपत है, उसकी पूर्ति भी होगी। लेकिन उस दिशा में जो पहल होनी चाहिए, काम करना चाहिए, हम उस दिशा में बढ़े नहीं हैं। हमको जितनी बढ़ने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, अब तो भूल जाओ संगवारी। माननीय मंत्री जी, आप बड़ी-बड़ी हांकते हैं कि हमने इतना किया, इतना किया। आपने उन किसानों का जो गोबर खरीदा। आप गोबर की बात करते हैं कि हमने इतना गोबर खरीदा और हमने इतना रोजगार दिया। जब से आपने इस योजना को शुरू किया है और इस योजना के शुरू होने के बाद जब मैंने विधान सभा में प्रश्न लगाया था तो जवाब में आया कि अभी तक लगभग 10 हजार रुपये की राशि मिली है, ऐसे 90 प्रतिशत किसान हैं। आप जिन डेयरी वालों की बात बोल रहे हैं जो डेयरी लगाकर रखे हैं, उनको भी लाभ मिले, उससे हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो गोबर के भरोसे मोटरसाईकिल की बात कर रहे हैं, आप गोबर के भरोसे बाकी उन्नति की बात कर रहे हैं तो उन लोगों को 10 हजार रुपये से ज्यादा राशि नहीं मिली है, ऐसे 90 प्रतिशत किसान हैं तो वह आपके 10 हजार रुपये से क्या विकास करेंगे? और आप 10 हजार रुपये का कितना गुणगान गायेंगे। माननीय मंत्री जी, यह आपकी

स्थिति बन रही है। इतना ही नहीं, अब तो माननीय मंत्री जी उससे बिजली बनवा रहे हैं। वह कहां का एम.ओ.यू. किये हैं और अभी एम.ओ.यू. होने के बाद, देखने के लिए जाना है। नहीं उन्हीं के जिले में देखने जाना है। उनके यहां तो गोबर खरीदना बंद हो गया है। अभी समाचारपत्रों में बहुत जगह छपा था कि गोबर खरीदी का भ्रष्टाचार। जैसे डेयरी वाले जाते हैं और वहां जाकर लिख देते हैं कि इनके यहां आधा किलो दिया और इनके यहां आधा किलो दिया तो वह महीनों चलते रहता है। वैसी आपके गौठान में है कि इनके यहां से 100 किलो आ रहा है, जो आ रहा है उसका अता-पता नहीं है, लेकिन वह 100 किलो दर्ज हो रहा है और उसके हिसाब से भुगतान हो रहा है। उसके बाद मैं आप बिजली में आ गये। क्योंकि आप गोबर, वर्मीकम्पोस्ट बेच रहे थे, वह वर्मी कम्पोस्ट तो नहीं बिका। कोई लेने को तैयार नहीं है तो आपने उसको सहकारी सोसायटी में डाल दिया कि यदि यूरिया लेना है तो आपको इतना लेना पड़ेगा। यदि आपको डी.ए.पी. लेना है तो इतना लेना पड़ेगा। आपने किसानों के ऊपर थोपना प्रारंभ किया, लेकिन वहां पर जो लोग जाकर, स्वतः खरीदे। आप थोड़ा सा बतायेंगे कि कितने लोग स्वेच्छा से ले गये हैं? आप केवल उनके ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। आप मिट्टी को ले जाकर, वर्मीकम्पोस्ट के नाम से परोस रहे हैं माननीय मंत्री जी, यह ठीक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं किसान सम्मान निधि, जो प्रधानमंत्री जी की एक महती योजना है। किसान के खाते में 6 हजार रुपये जाना है। पहले इसे राजस्व विभाग देख रहा था, अभी आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को जो 6 हजार रुपये राशि मिलनी चाहिए, इसमें कहीं न कहीं लेकना है जिसके कारण आज भी 5 लाख किसान वंचित हैं, यदि हम उसको दिखवा लेते हैं, आप राजस्व विभाग में बात कर लें, हमारे जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, वह बात कर लें। जब उनको मुफ्त में राशि मिल रही है तो हमारे कारण से वंचित क्यों हों? ऐसे लोगों को जो राशि नहीं मिल रही है, आप उसको लेकना को दिखवा लेंगे, ठीक करवा लेंगे या जो दस्तावेज भेजने की आवश्यकता है यदि हम वह करेंगे तो इससे हमारे किसानों को लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने जनघोषणापत्र को आत्मसात किया है। आप जनघोषणापत्र को आत्मसात करने के बाद, उसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? आपके 4 बजट आ गये, एक बजट और आना है, लेकिन 4 बजट में 2 साल के बोनस का कहीं भी उल्लेख नहीं है। 2 सालों का बोनस दिया जाना है। आपने 2 सालों के बोनस का उल्लेख नहीं किया। इसके साथ में अनेक ऐसे हैं जिनका उल्लेख नहीं हुआ है बाकी विषय अलग हैं, मैं उसको गिनाना नहीं चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने फुड पार्क की बात की। आपने उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी से बोलवा दिया तो माननीय राहुल गांधी जी से बोलवाने के बाद, अब तो लज्जा कीजिए। हम अपने नेताओं से असत्य बातें बोलवा रहे हैं तो यदि वह हमारे प्रदेश में आए तो हम उसको जाकर दिखा सकें। हम इस काबिल तो हो जाएं। हम एकाध-दो फुडपार्क में ले जाकर दिखा सकें, हम इस काबिल तो हो जाएं

और एकाध दो फूडपार्क में ले जाकर दिखा सकें। बड़ी-बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, आपको लोगों ने आईना दिखाया है और आईना दिखाने के बाद में आपको यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि यदि हम वहां बात कर रहे हैं तो हमारी योजना दिखनी भी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आपकी फूडपार्क का अता-पता नहीं है। अभी भी 96,724 किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है, आप नोट कर लीजिए। वह भी आपकी घोषणा पत्र में है। "कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का कर्ज माफ"। यह भी आपकी घोषणा पत्र के विषय हैं। लगभग एक लाख किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है और यह कर्ज माफ करने के लिए आपको काम करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां की जो खेती है, मैंने जिस बात का उल्लेख किया था। आज भी यदि किसी के ऊपर सबसे ज्यादा निर्भरता है तो वह खेती के ऊपर है। यदि सबसे ज्यादा रोजगार किसी में है तो हमारी कृषि है। यदि गांव में लोगों को सबसे ज्यादा काम कहीं मिल रहा है तो हमारी खेती से मिल रहा है। क्योंकि खेती के बाद आपका उद्योग है और उद्योग में हमारी जो स्थिति है, आज यदि खेती और उद्योग में तुलना करेंगे तो प्रतिशत में काफी अंतर है। इसलिए हमारी खेती में संसाधन की वृद्धि हो, सुविधा की वृद्धि हो, हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सकें।

सभापति महोदय :- नेता जी, काफी समय हो चुके हैं। शिवरतन जी आपकी गाड़ी छूट गयी। नेता प्रतिपक्ष के बोलने के बाद बोलना उचित नहीं है। आप भी जल्दी समाप्त कर लें।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, मैं जल्दी बंद कर दूंगा। हमको खेती में सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, संसाधन बढ़ाने चाहिए, बजट बढ़ानी चाहिए। चौबे जी, हम खेती में जितना बजट बढ़ाएं, हमको बहुत अच्छा लगेगा। यह कम से कम किसानों के हित में होगा, प्रदेश के हित में होगा। इसलिए खेती में संसाधन बढ़ाना चाहिए। आज हमारे यहां लगभग 40 लाख कृषक परिवार हैं, 39 लाख कुछ हैं। उसमें 81 प्रतिशत लघु और सीमांत कृषक हैं जो हमारे छोटे किसान सबसे ज्यादा हैं। इसमें हमारे 32 प्रतिशत लगभग 12.77 लाख परिवार एस.टी. किसान हैं। 12 प्रतिशत हमारे एस.सी. किसान हैं और बाकी हमारे किसान हैं। लेकिन जब हम बजट की बात करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी दूसरी तरफ जब खेती को बढ़ाने की बात करते हैं। प्रचलित भाव वर्ष 2019-20 की तुलना में कृषि दर वर्ष 2020-21 में 5.48 प्रतिशत थी। वर्ष 2021-22 में 3.88 प्रतिशत संभावित है। मतलब हम नीचे आ रहे हैं। राज्य सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत में क्षेत्रवार कमी, वृद्धि। वर्ष 2020-21 और 2021-22 में संभावित अंतर है। फसलों में 9.79 प्रतिशत से 9.56 प्रतिशत कमी हो रही है। मछली उद्योग में 11.43 से 10.48 प्रतिशत कमी हो रही है। अब आपका कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्र के बजट हैं। वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र और उससे जुड़े हुए बजट का हिस्सा 17.6 प्रतिशत है और वर्ष 2021-22 में कम होकर पुनरीक्षित 16.8 प्रतिशत में आ गया है। मतलब आपकी कहीं वृद्धि नहीं बता रही है। जबकि कृषि के मामले में हम लोगों का दृष्टिकोण यह है कि कृषि के मामले में जितना ज्यादा बजट देंगे उतना

ही प्रदेश को लाभ होगा और किसानों के हित में है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय चौबे जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से खेती को बढ़ावा और प्रोत्साहन मिल रहा है, चाहे आपने धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया हो, आप उस लक्ष्य में फेल रहे हैं। दूसरी बात, धान खरीदी आपका मामला नहीं है लेकिन उत्पादन आपका मामला है। यदि उत्पादन कृषि विभाग का मामला है तो यह जो 1 दिसंबर से धान खरीदी की व्यवस्था कर रहे हैं, मंत्रिमंडल का सामूहिक दायित्व है। आखिर 1 नवंबर से खरीदी क्यों नहीं करते ? उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, हमारे जो गरीब किसान हैं, जो एक एकड़, डेढ़ एकड़ वाले हैं, वह 1 दिसंबर का कोई इंतजार नहीं करते। इस बार अक्टूबर में धान कटाई शुरू हो गयी थी और दीवाली के समय में दीवाली मनाना है। आपकी सोसायटी में खरीदी शुरू नहीं हुई तो उसको रोककर रखने की उनमें ताकत भी नहीं है। औने-पौने में 1100-1200 रुपये में धान बेचने के लिये मजबूर हुए उसके बाद में आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया उसमें हमारे 2 लाख किसान अपना धान नहीं बेच पाये। आखिर नुकसान किसका हुआ ? नुकसान हमारे उन्हीं किसानों का हुआ है जो हमारे गरीब किसान हैं इसलिये मुझे लगता है कि इस बात को आने वाले समय में अभी से मंत्रिमण्डल चूंकि आप उप समिति की बैठक में रहते हैं। उसमें अभी से निर्धारित करना चाहिए कि किसानों का शोषण न हो, इसमें विशुद्ध रूप से किसानों का शोषण हो रहा है और यदि आप किसानों के हित की बात करते हैं तो किसानों को शोषण से रोकना पड़ेगा। उनको उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके यह दाम हमको उन्हें दिलाना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बजट का इसलिये विरोध करता हूं क्योंकि जो बजट निर्धारित किया वह कम है और बजट में जो प्रशासकीय स्वीकृति मिलनी चाहिए वह भी आपने नहीं दिया तो आपके दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग इसलिये आप किसानों को धोखा देना बंद करें। आप किसानों के हित में काम करें इसलिये मैं आपके इस बजट का विरोध करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति महोदय, कल से विभिन्न विभागों के डिमांड की चर्चा हो रही है लेकिन आज अच्छा लगा कि लगभग 5 घंटे श्री बृजमोहन जी से शुरू हुआ और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष भाई धरमलाल कौशिक जी ने समापन किया। हमारे सभी विभागों में विशेष रूप से पूरे 5 घंटे चर्चा हुई।

समय :

4.52 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय :- कितने घंटे चर्चा चली ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 5 घंटे ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सबका समय आपसे काटूंगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वैसे भी संक्षिप्त उत्तर दूंगा क्योंकि सारे विद्वान सदस्यों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका क्या दोष है ? आपको उधरवालों का समय काटना था । एक घंटे तो अग्रवाल जी ने बोला और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जी को कम बोलने दिया । ये कैसे हो सकता है कि अग्रवाल जी एक घंटे बोलें और वे दस मिनट बोलें ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले कटौती प्रस्ताव के माध्यम से माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उसमें जो भी संभव हो पायेगा, सरकार की ओर से उसमें हम लोग कार्यवाही करेंगे । आदरणीय बृजमोहन जी ने शुरुआत की । हमारे पक्ष से आदरणीय मोहन मरकाम जी ने अपनी बात कही, भाई शैलेश जी, आदरणीय सौरभ जी, दलेश्वर साहू जी, भाई धर्मजीत सिंह जी, आदरणीय प्रकाश नायक जी, भाई नारायण चंदेल जी, आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी, भाई केशव प्रसाद चंद्रा जी, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी, श्रीमती इंदु बंजारे जी और अंत में नेता प्रतिपक्ष जी ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप मेरा यानी माननीय अजय चंद्राकर का तो नाम ही भूल गये।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसको आखिरी में बोलने वाला हूँ । आदरणीय अजय चंद्राकर जी ने भी बोला ।

श्री कवासी लखमा :- वे बहुत ज्यादा चिल्ला-चिल्लाकर बोलते हैं न।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं सरकार उसमें जो संभव हो पायेगा हम लोग करने का प्रयास करेंगे । छत्तीसगढ़ ऐसे भी कृषि प्रधान राज्य है । हालांकि हमारे यहां का लगभग 43 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग मैक्सिमम एरिया में खेती का काम करते हैं । कृषि, उद्यानिकी, जलसंसाधन ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं । मछली पालन और पशुपालन भी बहुत महत्वपूर्ण है । हम लोग यह मानकर चलते हैं कि हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है और गांव का मतलब ही किसान होता है । किसान, खेती, हरियाली, सशय श्यामला धरती, उत्पादन, अन्न, गौधन हम लोग इसी की तो पूजा करते हैं । हिंदुस्तान में प्रकृति की पूजा करने की हमारी परंपरा है और सारे सदस्यों ने कुछ अच्छे सुझाव दिये, कुछ बजट में जो कमियां हैं उसके बारे में अपनी चिंता भी व्यक्त की । कुछ आलोचना के भी शब्द व्यक्त किये । आज के इस अवसर पर मैं सबसे पहले अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दूंगा, बधाई भी दूंगा और आने वाले समय में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कृषि को प्रमुख विकास का आधार बनाया जा रहा है । आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने..।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बोलिए, अच्छा बोलते हैं। सुनेंगे। कृषि को आधार बनाया जा रहा है और कृषि प्रधान है, सब है और इतनी सुविधा दे रहे हैं तो आपका आर्थिक सर्वेक्षण तो यह बोलता है कि आपके राज्य शासन में जी.डी.पी. में कृषि की भागीदारी लगातार गिर रही है। उसका कारण क्या है, यह जरूर बताइएगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, उसमें भी आउंगा। माननीय अध्यक्ष जी, बृजमोहन अग्रवाल जी ने शुरुआत की। संसदीय कार्य विभाग की अपनी बात से कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान को जोड़ते हुए कुछ माननीय विधायकों का जिक्र करते हुए विधान सभा में उसके बारे में काफी कुछ चर्चा हो गई है और कल भी आपके निर्देश पर हम लोगों ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान है, लेकिन कानून में जनप्रतिनिधि और अन्य सामान्य नागरिकों में कितना अंतर हो सकता है? जनप्रतिनिधियों के काम की भी गुंजाइश कितनी है? हमारी मर्यादाएं क्या हैं? हम किस सीमा तक जा सकते हैं? सीमा से बाहर जाकर अगर हम कोई काम करेंगे तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान में कोई कमी नहीं है। आपने 3, 4, 5 नामों का जिक्र किया। अलग-अलग कारणों से जिक्र किया। आपने 2-3 बातें कहीं। माननीय विधायकों के संदर्भ में कुछ कही, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी जनप्रतिनिधियों के सम्मान के संदर्भ में जो बातें हो सकती हैं, संसदीय मर्यादाओं के रहते, उसे करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय बृजमोहन जी ने पूरा भाषण कर्ज माफी, किसानों के 2500 रुपये धान खरीदी से शुरुआत की और अंत भी वहीं की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसान यहां आत्मनिर्भर हो रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या है? अगर आप किसानों को 2100 रुपये नहीं दे सके, हमारी सरकार अगर 2500 रुपये दे रही है तो उसमें आपको तकलीफ क्या है? हम अगर 2500 रुपये दे रहे हैं। लगातार केन्द्र सरकार उसमें आपत्ति करती है, उस लड़ाई और विवाद के बावजूद भी ये सरकार अगर किसानों की धान खरीदी लगातार करती है तो उसमें आपको तकलीफ क्या है? अगर आपने केवल 70 लाख मीट्रिक टन धान का मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खरीदी की थी तो अगर 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार ने की है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या है? 20 हजार करोड़ रुपये की राशि किसानों के खाते में अगर पहुंच गयी तो आदरणीय बृजमोहन जी आपको तकलीफ क्या है? आपने भाषण की शुरुआत कर दी। कांग्रेस है तो यह है। कांग्रेस है तो देश का बंटवारा हुआ। कांग्रेस अगर नहीं होती तो देश की आजादी, पता नहीं क्या-क्या 1885 से आपने क्या-क्या..।

श्री शिवरतन शर्मा :- श्रीमान जी, तकलीफ यह है कि पिछले साल की खरीदी का आखिरी किश्त का पैसा अभी तक नहीं मिला है। तकलीफ यह है कि आपके जनघोषणा पत्र में किसान का दाना-दाना खरीदने की बात थी। आपने 15 क्विंटल की सीमा बांध दी है। तकलीफ यह है कि पिछले साल आपने किसान को बारदाने का पैसा देने की बात की थी, वह बारदाने का पैसा आपने नहीं दिया। तकलीफ यह

है कि किसान का धान 31 अक्टूबर को कट जाता है, आप 1 दिसंबर को खरीदना शुरू करते हैं। ये सारी तकलीफें किसानों की हैं, जिसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, हमारी जनता को यह भी एक तकलीफ है कि नरेन्द्र मोदी साहब 15-15 लाख बोले थे। 15 पैसा नहीं मिला। वह ज्यादा तकलीफ है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- कवासी जी, ते तो पिया पिया के छत्तीसगढ़ ला न ओ बना दे। पिया पिया के ओ बना दे ते।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, भाई शिवरतन जी ने कहा कि यह तकलीफ है तो हमें सुनकर अच्छा लगा। इन्होंने कम से कम इस सदन में बोलने की इतनी हिम्मत तो की। लेकिन क्या कभी देश के प्रधानमंत्री जी से एक बार आग्रह कर लेते कि उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइज से ज्यादा एक रुपया भी नहीं मिलना चाहिए। एक रुपया भी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2500 रुपये से एक रुपया कम नहीं होना चाहिए। आप नहीं बोल सकते।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रधानमंत्री ने सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बात कही है न?

समय :

5.00 बजे

श्री सौरभ सिंह :- प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के लिए बोला है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एम.एस.पी. पर रबी या खरीफ की फसल खरीदने का जो कानून है वह एक है।

श्री बृहस्पत सिंह :- तो 2500 रुपया देने में आप लोगों को पेट दर्द क्यों हो रहा है ?

श्री सौरभ सिंह :- कानून आपके लिए अलग नहीं बनेगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अहमदाबाद से लेकर गुवाहटी तक कानून एक है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है तो उसको धन्यवाद दे दो ना।

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बृजमोहन जी ने सिंचाई के रकबे की भी बात कही। आप 15 साल हुक्मत में रहे हैं, कितना काम कर पाए थे, अरपा भैंसाझार, मोंगरा बैराज 15 साल में केवल इतना ही काम कर पाए थे। छत्तीसगढ़ की जनता और यहां के किसान आपकी कारगुजारियों को पता नहीं कितने वर्षों तक भुगतेंगी। महानदी में चंद उद्योगपतियों के लिए आपने बैराज बनाया और उसके कारण छत्तीसगढ़ और ओडिशा का विवाद ट्रिब्यूनल में चल रहा है, उसका एक मात्र दोषी अगर कोई है तो डॉ. रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है (मेजो की थपथपाहट)। आपको मालूम नहीं था कि पूरा छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन में बसा हुआ है, थोड़ा सा गंगा बेसिन का हिस्सा और थोड़ा सा गोदावरी बेसिन का हिस्सा और एक कोने में नर्मदा बेसिन का हिस्सा छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। लेकिन पूरे महानदी बेसिन में आप उसके बजाय 4-5 बड़े रिजर्वायर बना

देते । छपराटोला का सर्वे आपके समय में ही हुआ था । पैरी का सर्वे उसके पहले हुआ था । शिवनाथ में कितना पानी है आप जानते थे । अरिहन्-खारंग से पानी कैसे लाया जा सकता है आप जानते थे । आप रिजर्वार बनाने के बजाय, आप ने जलाशय बनाने के बजाय, महानदी में चंद उद्योगपतियों के लिए 5-7 एनीकट क्या बना दिया, आज छत्तीसगढ़ में 3 साल की बात जो आप कह रहे हैं कि काम क्यों नहीं हो पा रहा है । पूरे महानदी बेसिन का काम केवल इसीलिए रुका हुआ है और दुर्भाग्य से केन्द्र सरकार में आदरणीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी से हमने कई बार चर्चा की । हमने कहा आप मिडिलमेन की भूमिका निभा दीजिए । उड़ीसा को कितना पानी देना है, छत्तीसगढ़ को कितना पानी देना है यह तो कृष्णा-कावेरी विवाद हो जाएगा, बीसों साल फैसला नहीं होने वाला है । इसका नुकसान कौन उठाएगा ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मंत्री जी, जो इंटर वाटर डिस्प्युट बेसिन है, उसमें यह कहा गया था कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच में एक नापने का सिस्टम लगाया जाएगा, उसका बजट में क्या प्रावधान किया गया है ? जिससे हम प्रूफ करके बताएंगे कि हमारा कितना पानी जा रहा है ।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष जी, एमन ओमा अइसन कानून बना दे हे कि किसान मन ओमा एक टीपा पानी नइ ले सकय । खाली उद्योग बर हे, ओ बैराज एमन बनाए हे तेमा ।

श्री रविन्द्र चौब :- बृजमोहन जी ने थोड़ा गोधन न्याय योजना की बात कही। कहा कि 1 साल से गौशालाओं के गोबर की खरीदी बंद है । आदरणीय बृजमोहन भइया, एक ही साल तो गोधन योजना शुरू किये हुआ है । अभी तो केवल एक ही साल हुआ है अभी तो गौठान बनना है, इसकी खरीदी होना है, आपसे किसने कह दिया कि पूरे गौशालाओं से खरीदी बंद है । अगर खरीदी नहीं हो पा रही है तो इस पर भी हम विचार करेंगे । माननीय मोहन मरकाम जी ने बस्तर में सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए काफी सुझाव दिये । भाई अजय चन्द्राकर जी ने बहुत सी बातें कहीं, थोड़ा फ्रस्टेशन दिख रहा था । पता नहीं अजय जी को क्या हो जाता है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका फ्रस्टेशन या मेरा । मैंने तो आपके फ्रस्टेशन से भाषण शुरू किया था । उसको क्लीयर कर दीजिए, आप फ्रस्टेट नहीं हैं ना ? यदि आप नहीं हैं, तो मैं मान लेता हूं मैं हूं फ्रस्टेट ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने संसदीय सचिव का मामला उठाया, आपने पूछा कि इधर से संसदीय सचिव के कोट ।

श्री अजय चन्द्राकर :- छाया विधायक ।

श्री रविन्द्र चौबे :- छाया विधायक की बात कही, मैंने उसमें कह दिया कि ऐसी कोई परम्परा है, न कोई व्यवस्था है, न कोई प्रथा है । आपको कोई पूर्व मंत्री कह दे, उसको कोई क्या कर सकता है । आदरणीय सौरभ भाई ने भी कुछ सुझाव दिया, शैलेश पाण्डेय जी ने तो आज सिंचाई की बड़ी योजनाओं के बारे में, बिलासपुर के बारे में, वहां जो बन रहे एनीकट के बारे में अच्छे सुझाव दिये। भाई सौरभ जी

ने कुछ अच्छा सुझाव दिया। हालांकि यह मेरी समझ से थोड़ा बाहर का है। वहां पर जमनापाली बकरी का वितरण क्यों नहीं हो पा रहा है। विभाग से जो जानकारी है, जमनापाली भी हो रहा है, उस्मानाबादी भी वितरण हो रहा है। लेकिन अगर आपके जिले का सुझाव होंगे तो। आपने एक एफ.पी.ओ. के बारे में सुझाव दिया, ये प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में चल रही है। फिशरी के क्षेत्र भी और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी। हम लगातार इस दिशा में बनाने जा रहे हैं। आपने पोल्ट्री के प्राइवेट किसानों को जोड़ने की बात कही, डेयरी की सब्सिडी की बात कही। आपने कहा कि मछली पालन में केज बढ़ाना चाहिये। हमने इस विभाग में निर्णय लिया है कि कम से कम इसी साल डेढ़ हजार केज बड़े-बड़े जलाशयों में हम लोग बढ़ायेंगे। आपने कहा ट्रक और अन्य साधन उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। आदणीय हम लोगों ने मार्केटिंग के लिये तो मोटर-सायकल भी दे रहे हैं। उसकी भी शुरुआत हम लोगों ने किया हुआ है। आपके शहरों में जैसे जोमैटो और स्वीगी दिखता है न, उसी तरीके से ताजा मछली के लिये मोटर-सायकल से हमारे जो मछुआरे हैं, वह इसका काम करेंगे। दलेश्वर जी ने काफी अच्छे सुझाव दिये। धर्मजीत जी भैया आपनी बात में कुछ मांग भी रखा और सुझाव भी दिया। आपने खुड़िया जलाशय में मरम्मत के बारे में कहा। 8 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान इस साल के बजट में किया गया है। आपने कहा कि मुंगेली जिला के लिए कोई कार्य योजना बननी चाहिये। विभागीय बैठक करके हम लोगों ने तय किया है कि जिस तरीके से बेमेतरा, कवर्धा, राजनांदगांव और दुर्ग, थोड़ा सा रायपुर यह एक इंच भी जमीन खाली नहीं रहती। एग्रीकल्चर और हर्टीकल्चर के क्षेत्र में खूब काम हुआ है। हम लोगों ने कार्ययोजना बनाई हुई है कि आपके मुंगेली में भी इसकी शुरुआत करेंगे। आदरणीय, जांजगीर-चांपा जिले को भी इसमें लेंगे। भाटापारा-बलौदाबाजार और धमतरी के कार्ययोजना बनाये हैं कि आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर में और क्या कुछ किया जा सकता है। हल्टीकल्चर के सेक्टर में क्या कुछ किया जा सकता है। उससे जुड़े हुए और भी जो सर्विसेस हैं, उसमें क्या कुछ किया जा सकता है।

श्री अजय चंद्राकर :- आप कुछ घोषणा कर सकते हैं क्या?

श्री रविन्द्र चौबे :- आप बोलेंगे तो कर देंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या है मैं जिस दिन से आप कृषि मंत्री हैं उस दिन से धमतरी जिले का बात मैंने इसलिए कहा कि मिल्क रूट बनाने के लिए आपको बोलता हूं। आप एक बार उधर ले गये, बेमेतरा में। तो आज घोषणा कर दीजिए कि धमतरी में मिल्क रूट बनायेंगे, नई समितियों के साथ।

श्री रविन्द्र चौबे :- डेयरी डेव्हलपमेंट हमारी योजनाओं का एक हिस्सा है। अब एक लाईन की घोषणा है, कुछ तो बोलना पड़ेगा। आपने कहा संभावनाएं भी कुरूद, धमतरी में ज्यादा है और उस दिशा में हम पहल करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- दे बर करबे त घोषणा कर नहीं त मत कर।

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीय आपने कृषि महाविद्यालय के लिए भवन की बात कही है। हालांकि यह अभी बजट में नहीं है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इजाजत लेकर के आपके यहां के लिए कृषि महाविद्यालय के लिए हम लोग स्वीकृति जारी करेंगे। अरिहन खारंग के बारे में माननीय बृजमोहन जी ने प्रश्न किया था, वहां बहुत सारी योजनाओं के बारे में आपने कहा कि तांदूला गंगरेल का लिंक का क्या हुआ, मोंगरा अरिहन खारंग का लिंक का क्या हुआ? सब बजटेड है और आप मेरे से ज्यादा समझते हैं। महानदी के विवाद के कारण बहुत सारी परिस्थितियां रूकी हुई हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप आगे इस दिशा में पहल किया करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने आदरणीय मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। हम लोग कई बार पत्र व्यवहार करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे बड़े भैया डॉ. चरणदास महंत जी जब केन्द्र में कृषि मंत्री थे, तब यहां स्वायत्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन प्रारंभ किया था, 200 करोड़ रुपये का। मैंने केन्द्रीय कृषि मंत्री आदरणीय भाई नरेन्द्र सिंह तोमर जी से भी आग्रह किया, यहां छत्तीसगढ़ के आदरणीय सुनील सोनी से भी कहा कि वह तो मेरे दोस्त हैं। मैं तो ऐसी करा दूंगा। मैंने कहा सांसद जी आप करा दीजिये। मैंने कहा उस इंस्टीट्यूशन में डिग्री के कोर्स केवल प्रारंभ कर दीजिये। आपके 9 लोकसभा के सांसद हैं, दो राज्य सभा के सांसद हैं। 9 और 2 कुल 11 सांसद हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- 10 और 3, कुल 15।

श्री सौरभ सिंह :- के.टी.एस. तुलसी साहब जी को एक बार बोल दीजिये न।

श्री अजय चंद्राकर :- हमारे पास 14 सांसद हैं।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, तो मैं, अब अजय भैया तो..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय रविन्द्र जी, महानदी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार भी गई है और हमको पहल कर के सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को रखकर कि जो ट्रयबनल बना है उस ट्रयबनल में जल्दी से जल्दी निर्णय करने के निर्देश दें। अगर यह बात हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से तेजी से पहली होना चाहिए क्योंकि 3 साल पहले तक यह था कि आपसी समझौते से मामला निपट जाएगा और वह निपट और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट में गयी है। मुझे लगता है कि हमारी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पहल होना चाहिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए ट्रयबनल में भी, न्यायालय में भी और तो और हमने बैठक में एक बार जल जीवन मिशन की बैठक थी, मैं और आदरणीय गुरु रूद्र जी गये थे। आदरणीय गजेन्द्र सिंह शेखावत जी से हमने कहा कि अगर जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल तो जल कहां से आएगा ? आप रिजरवायर नहीं बनाएंगे और इरिगेशन का काम केवल सिंचाई करना नहीं है मुझे इंडस्ट्री को भी पानी देना है जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर गांव में पानी भी पहुंचाना है। निस्तार के लिए भी पानी देना है। पानी कहां से आएगा ?

उसके लिए तो हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा और हमने केंद्रीय मंत्री जी से कहा कि आप मीडिल मैन की भूमिका निभा दीजिए। महानदी में जितना पानी है उसका आधा हिस्सा हमें और आधा हिस्सा उड़ीसा को मिलना चाहिए। उसमें आप 10-10 परसेंट कटौती कर दीजिए, लेकिन आप इजाजत तो दे दीजिए लेकिन केंद्र सरकार आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मान लो, महानदी उसमें फंसा है तो पहला निर्णय आपको लेना है।

श्री रविन्द्र चौबे :- मुझे अभी आपकी इस लाइन की बात को सुनकर तरस आ गया। महानदी बेसीन की लड़ाई है। केवल महानदी रिवर की नहीं है और उसी के कारण महानदी बेसीन का कोई काम, पैरी किसमें आता है ? और अजय चन्द्राकर जी जैसे विद्वान सदस्य अगर इस तरीके से बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। आदरणीय प्रकाश शक्राजीत नायक जी ने कुछ अच्छे सुझाव दिये। आपने कहा कि बरमकेला में वहां 9 जलाशय हैं लेकिन वहां पानी नहीं भरता है तो महानदी से हम लोग उसमें एक मेगा लिफ्ट इरिगेशन का प्रोजेक्ट ले रहे हैं। शायद अभी के बजट में है या पिछले बजट में इसमें कुछ राशि है। हम लोग इसका फिर से सर्वे कराने के लिए निर्देश जारी करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप नौ दो ग्यारह की बात रहे थे, क्या आप भी नौ दो ग्यारह हो गये ?

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं-नहीं, मैंने कहा न कि मैंने मांग किया। मैं नेता प्रतिपक्ष जी से कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी आपने आपके कार्यकाल में हम लोगों को इतना बड़ा संस्थान दिया तो केवल वहां केंद्र सरकार सॉइल मेनेजमेंट में ही डिग्री कोर्स शुरू कर दे। मैं कई बार पत्र लिख दिया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने जिक्र कर दिया तो मैं आपसे आग्रह करूंगा। होना चाहिए न, आप लोग छत्तीसगढ़ के विकास के लिए चिट्ठी लिखने में इतना भय क्यों खाते हैं ? दिल्ली से डरते हैं ? आदरणीय नारायण चंदेल जी ने एक छोटी-सी मांग रखी है, हर जिला मुख्यालय में किसान सदन होना चाहिए। निश्चित रूप से होना चाहिए। प्रस्ताव, उस तरीके से हम लोग उसकी तैयारी करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तैयारी नहीं, माननीय मंत्री जी, मंडी बोर्ड में आपके पास 500 करोड़ रुपये हैं अगर आप फाइलों को देखेंगे तो हर जिले में, हर मंडी में किसान सदन बनाने के लिए हमने निर्णय कर लिया था और उस निर्णय को आपने निरस्त कर दिया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- दुर्भाग्य है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर आप चाहे तो मंडी बोर्ड के पास में इतना पैसा है कि हर मंडी में किसान बन सकता है। आपने रायपुर का किसान सदन निरस्त कर दिया। यहां पर छत्तीसगढ़ के पूरे किसान आते हैं। किसान मॉल, किसान सदन, किसान हॉस्टल आपने सबको निरस्त कर दिया। आपके लिए निर्णय करने के लिए और उसमें आपको सरकार के पास भी नहीं जाना है। मुख्यमंत्री जी के पास भी नहीं जाना है। मण्डी बोर्ड आपके अधिकार क्षेत्र में है कि आप हर जिले में किसान सदन बना सकते हैं।

श्री नारायण चंदेल :- घोषणा कर दीजिए। अभी रिप्लाई दे रहे हैं उसी में घोषणा कर दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- कइसे घोषणा कर दीही। ओ अधिकार के...।

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीय बृजमोहन जी ने जो कहा न, उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने निर्णय लिया है वह फाइलों में है। पिछली सरकार के बहुत सारे निर्णय केवल और केवल फाइलों में रह गये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- फाइलों को निकाल लो न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा नहीं है मंत्री जी, जब बोलना होगा तो मैं बोलूंगा। आपने निर्णयों को निरस्त कर दिया।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने वैसा ही कहा न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने निर्णयों को निरस्त कर दिया। जो कार्य टेण्डर प्रोसेस में था, उसको आपने निरस्त कर दिया। रायपुर में 200 कमरों का किसान हॉस्टल बनना था, किसान मॉल बनना था और टेण्डर प्रोसेस हो गया था, आपने उसको निरस्त कर दिया, खाली एक जगह का निरस्त नहीं किया। मंडी के पैसे से 500 हॉट बाजार बनाए हैं, अभी आप उसकी स्वीकृति नहीं दे रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 15 साल में खाली टेण्डर ही करते रहे। आपका टेण्डर कभी पास ही नहीं हुआ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, आदरणीया इंदू बंजारे जी ने कोईगांव एनीकट की बात की। उसकी एक बार जांच हो चुकी है। डूमरपाली के बारे में आपने अपनी बात कही है। मैं इसको फिर से दिखवा लूंगा। माननीय मोहले जी ने बहुत सुन्दर सुझाव दिया है। स्वाईल टेस्ट के बाद कौन सी फसल कहां के लिए उपयुक्त होगा, इसके बारे में निर्देश जारी होना चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, लोरमी में एक पेयजल की योजना बनी थी। मैंने डहरिया जी और आपसे बात की थी तो वह तो निरस्त हो गया। अब लोरमी, तखतपुर और मुंगेली के लिए एक नई योजना बन रही है तो कृपा करके मनियारी जलाशय से पानी देने का इंतजाम करा दीजिएगा, वहां पानी बहुत है। इन तीनों प्रोजेक्ट को पानी सप्लाई जरूर करवाईएगा, नहीं तो टेण्डर लगता है, फिर टेण्डर के बाद निरस्त हो जाता है। समय भी नहीं है इसलिए इसकी ओर जरूर ध्यान दीजिएगा। ये तीनों प्रोजेक्ट संभवतः 76 करोड़ रूपए का है। इसमें पानी जरूर खुडिया से दिलवा दीजिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैंने भी छोटे-छोटे स्टापडेम के बारे में बात की थी।

श्री रविन्द्र चौबे :- का बोलेस ममा ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- दो चार ठन नदिया के बारे में, छोटे-छोटे स्टाप डेम एनीकट के बारे में बोले हवं।

श्री रविन्द्र चौबे :- तै दे देबे न, हो जही।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- एक चीज अउ बोले रेहेंव । अमरकंटक के नर्मदा नदी के पानी ला खुडिया बांध में गिराएबर केहे रेहेंव, ओकरो बारे में प्रयास कर । आज तो नहीं, पर प्रयास कर ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अजय जी, मोहले जी क्या बोल रहे हैं, वह आप समझ रहे हैं न ? नर्मदा जी के पानी को अरपा-भैंसाझार में गिराने की बात कह रहे हैं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- भैंसाझार में नहीं, खुडिया डेम में बोल रहा हूं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- बात तो वही हुई न ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- उससे पूरे जिले को 12 महीना पानी मिलेगा । वह योजना पहले थी । उसका सर्वे हुआ है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा वाली मांग बस मत करो, वे नहीं कर सकते ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- घोषणा की बात नहीं कर रहा हूं, उनके नॉलेज में ला रहा हूं । समझदार के लिए ईशारा काफी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा करने के लिए कोई मंत्री सक्षम नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब मैं नर्मदा ला लाए के कईसे घोषणा कर दौं । (हंसी) तहूं कुछ ज्यादा बोल देस ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप यह बोल सकते हैं कि हम सर्वे कराएंगे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब ममा मांग दिस तो अब तहूं कुछ ज्यादा बोलथस जी । हम कहां से लाएंगे । आदरणीय भाई केशव चन्द्रा जी ने कृषि पर आधारित उद्योग की बात की । आपने बहुत अच्छी बात कही है और उसकी शुरुआत हम लोग छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों से कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सब आपके घोषणा-पत्र में आएगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- घोषणा-पत्र की बात नहीं है, फिर वही बात कर रहे हैं । हम अपने घोषणा-पत्र की बात करें या केन्द्र सरकार के घोषणा-पत्र की बात करें। उसको आप सुन नहीं सकते । आदरणीय भाई केशव चन्द्रा जी ने कृषि आधारित छोटी-छोटी उद्योग की बात कही है । हम लोग यह मानकर चलते हैं कि छत्तीसगढ़ का विकास कृषि पर आधारित उद्योग लगना है, कृषि पर आधारित आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है । कृषि पर आधारित रोजगार किस तरीके से बढ़ सके, यही तो हमारा काम है । आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया । आपने जांजगीर-जिले की स्पेशिफिक दो-तीन शिकायतें की । हमारे विभाग के द्वारा डी.एम.एफ. की राशि से 13 करोड़ रूपए की खरीदी हुई है । अब क्या-क्या खरीदी की गई है, आप लोगों ने क्या-क्या प्रस्ताव किया है ? चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, आदरणीय केशव चन्द्रा जी ने कही है । निश्चित रूप से मैं विभाग से अधिकारियों को भेजकर इसकी जांच कराऊंगा । इस तरीके से न केवल आपके जिले में, कहीं भी इस तरीके से खरीदी नहीं होनी

चाहिए। जो किसानों के लिए उपयुक्त चीज है, उसकी खरीदी करने में हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं दो-तीन बातें और करना चाहूंगा। सारे माननीय सदस्यों ने जो-जो सुझाव दिए हैं..

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय मंत्री जी, मैंने भी कुछ बोला था, उसको शायद आप भूल गए।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपका तो मैंने सबसे शुरू में कहा, आप सुन नहीं पाए। आपने जन घोषणा-पत्र की बात कही कि उसमें क्या-क्या हुआ ?

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं 7 गांव का नाम दिया था। दुर्ग कलेक्टर ने प्रस्ताव बनाया था। उस समय 1 करोड़ कुछ रुपये की लागत थी। यदि आप एनीकट पर खम्भा लगवा देंगे तो उस 7 गांव को पानी मिल जायेगा। 7 गांव के लिए बड़ी राशि नहीं है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कोई बात नहीं। हम लोग आपके सुझावों को कार्यान्वित करेंगे। लेकिन आपने एक और बात कही।

श्री धरमलाल कौशिक :- दूसरा, जो पथरिया बैराज और मनिहारी बैराज था, उस पर 50 प्रतिशत से ऊपर काम हो गया है। आप एक बार अधिकारी से दिखवा लीजिये। यदि आप पूरा करेंगे तो किसानों का लाभ मिलेगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अंतिम बात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में कहा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अन्तर्गत छत्तीसगढ़ के लगभग 29 लाख किसानों को पहली बार पहली किश्त मिली थी। केन्द्र सरकार बार-बार ये दस्तावेज लाईये, आधार कार्ड से जोड़िये, लिंक करिये कहती है। इसके कारण किसान बहुत परेशान हैं। किसान ने एक बार दस्तावेज जमा कर दिया, पंजीयन हो गया, उसको पहला किश्त मिल गया। केन्द्र सरकार बार-बार नीतियों में परिवर्तन करते हैं, उसके कारण ही यह समस्या पैदा हुई है। वरना आपने एक बार ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- मतलब आफलाईन, आनलाईन दोनों रहना चाहिए, बोलिये, उनसे किसानों को फायदा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- यदि किसान ने एक बार फार्म भर दिया और उसको पहला किश्त मिल गया तो उनको पैसा मिलते रहना चाहिए। उसमें क्या समस्या है ? इसमें क्या आपत्ति हो सकती है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं कहां कह रहा हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं कह रहा हूं कि यदि किसान को एक बार पहली किश्त मिल गया तो उसको दोबारा दस्तावेज जमा करना, आधार कार्ड से लिंक करना...।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके साधन में आनलाईन-आफलाईन है न ? हम आपको उसका उदाहरण आपके भाषण के बाद बतायेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं-नहीं। आप यह क्यों नहीं कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के ज्यादा से ज्यादा किसानों को उसका लाभ मिलें, हम उसके लिए कोशिश करेंगे, आप यह क्यों नहीं बोलते ? हर चीज में क्रीटिसिजम से क्या फायदा है ? अगर छत्तीसगढ़ के 35 लाख किसानों को उसका फायदा मिल सकता है तो आप बोलिये कि हम इसमें कार्यवाही कर ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिले, इसकी कोशिश करेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं तो आपके माध्यम से मांग भी कर देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जितने किसान पहली बार पंजीकृत हुए हैं, उन सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलना चाहिए। किसको आपति हो सकती है ? किसी को आपति नहीं हो सकती।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जो आपको करना है, उसके लिए तैयार नहीं हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- केन्द्र सरकार।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह आपको करना है। आपको फार्मलेटीज पूरा करवाना है। उससे 35 लाख किसानों को मिलेगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मैंने अधिकांश माननीय सदस्यों के बिन्दुओं पर जवाब देनेका प्रयास किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे एक भी बिन्दु पर जवाब नहीं दिए हो।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये। माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था माननीय श्री रविन्द्र चौबे संसदीय कार्यमंत्री की ओर लॉबी स्थित कक्ष और पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, हम लोग 2-3 साल कोरोना से प्रभावित रहे हैं। पूरे हिन्दुस्तान की आर्थिक गतिविधियां ठप्प रही हैं। औद्योगिक, व्यापारिक, व्यवसायिक सारी गतिविधियां ठप्प रही हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में कृषि की कोई गतिविधि कम नहीं हुआ। बल्कि कृषि ही एक मात्र आधार रहा, जिसके कारण धान खरीदी भी हुई, किसानों के हाथ में पैसा भी गया, किसानों को सुविधाएं भी मिली, किसानों के जेब में पैसा जाने के कारण छत्तीसगढ़ में रोजगार भी सृजित हुए, यहां

का बाजार भी गुलजार रहा। हिन्दुतान में कोरोना का जिस तरह असर हुआ, छत्तीसगढ़ में ऐसा असर नहीं हुआ। उसका एक मात्र कारण है कि कृषि के क्षेत्र में लगातार काम हुआ है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आप कृषि में विकास किसको कहेंगे ? किसानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। किसानों के रकबे में लगातार इजाफा हो रहा है। किसानों ने जो शार्ट टर्म लोन लिया है, वह लगातार बढ़ रहा है। किसान जिस सीड का उपयोग करते हैं, वह लगातार बढ़ रहा है। किसान जिस खाद का उपयोग करते हैं, वह लगातार बढ़ रहा है। यह पहली बार हुआ है कि विगत 3 सालों में गांवों से शहरों की ओर जो माइग्रेशन था, वह शहरों से गांवों की तरफ बढ़ा है। आप चाहे आलोचना करें या उसको राजनीतिक चश्मे से देखें, इसका कारण, धान 25 रुपये क्विंटल में खरीदी और किसानों के कर्जमाफी को इसका श्रेय देना चाहिए। उसका सारा श्रेय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को देना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट)

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में खाद की कमी के बारे में थोड़ी चर्चा हुई। केन्द्र सरकार के पास फर्टिलाइजर कन्ट्रोल एक्ट है, लेकिन लगातार मांग करने के बावजूद भी ये परिस्थितियों का निर्माण हुआ। बजट के बारे में आप लगातार चर्चा कर रहे थे, कृषि का बजट गत वर्ष की तुलना में 4.41 प्रतिशत बढ़ा है। मछली पालन का भी बजट लगभग 7 प्रतिशत बढ़ा है। उद्यानिकी में भी समान है, पशु चिकित्सा में पिछले साल की तुलना में माइनस एक परशेंट कम हुआ है। कोरोना जैसी स्थिति के चलते पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा इजाफा हुआ है। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया है। किन परिस्थितियों में लागू हुआ, मैं यहां पर राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। अभी आदरणीय बृजमोहन जी भाषण देते हुये कह रहे थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइज के बढ़ने से आपके राजीव गांधी किसान न्याय योजना को जोड़कर 2500 के हिसाब से कितना किसानों का नुकसान हुआ ? भाई बृजमोहन जी, 15 साल आपने हिसाब क्यों नहीं किये ? 270 रुपये बोनस देने की बात जब कही थी, तब किसानों को कितना नुकसान हुआ था ? 300 रुपये देने की बात कही थी, तब किसानों को कितना नुकसान हुआ था ? 2100 रुपये देने की बात कही थी, तब किसानों को कितना नुकसान हुआ ? इस बात को जान लीजिए, इस बार तय हो गया है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना 9 हजार रुपया प्रति एकड़ दिया ही जायेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइज इस साल 1940 रुपया हुआ है, इसी रेशो में मिनिमम सपोर्ट प्राइज अगले साल बढ़ेगा, कम से कम 130 रुपया बढ़ेगा। उसके अगले साल चुनावी साल में पौने दो सौ रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइज बढ़ता है ना, आप नोट कर लीजिएगा, आने वाले समय में चुनाव के आते-आते छत्तीसगढ़ में धान की कीमत किसानों को 2800 रुपया प्रति क्विंटल मिलेगा। (मेजों की थपथपाहट) यह है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। हमने 2500 रुपये देने का वादा किया था, स्मूथली चल रहा था, पहले साल दे दिये थे, केन्द्र सरकार ने अडंगा किया, सपोर्ट प्राइज से एक रुपया ज्यादा देंगे तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। हमारा धान कहाँ जायेगा ? किसानों से हम धान

परचेज करेंगे, लगातार किसानों का रकबा बढ़ रहा है, इस साल भी किसानों का रकबा बढ़ा है, आने वाले वर्ष में और कितना बढ़ने वाला है। हम लोग 9 हजार रुपया प्रति एकड़ तय किये हैं, आने वाले समय में आप देखियेगा, किसानों को इसका कितना लाभ होने वाला है, अन्य फसलों में भी धान के अलावा किसान दिगर फसल ले रहे हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने योजना बनाई है, धान के बदले जो किसान फसल लेगा, 10 हजार रुपये प्रति एकड़ देंगे। हमने मिलिट्रेशन यहां लागू किया है। कोदो, कुटकी और रागी का हम खरीदी प्रारंभ किये हैं, आने वाले समय में इसका प्रदेश में पूरा विस्तार करेंगे और इसका रकबा लगातार बढ़ रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी, आप बता दो, कोदो, कुटकी, रागी और मिलट मिशन में किसानों को कितना पैसा मिलेगा? कितना क्विंटल आपने खरीदा है और बजट कितना है? आप यह बता दें। जिनमें पैसा नहीं लगना है, ऐसी घोषणा आप कर देते हो। जरा आप बताओ, कोदो, कुटकी रागी कितना खरीदा है और मिलट मिशन में किसानों को कितना पैसा मिला है, जरा यह बता दें?

श्री अजय चन्द्राकर :- खरीदने के लिए बजट कितना है?

श्री कवासी लखमा :- बृजमोहन अग्रवाल साहब वरिष्ठ है, प्रश्नकाल है, उत्तर देते रहेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- कोदो का समर्थन मूल्य 3000 रुपये प्रति क्विंटल है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत इस साल 6 हजार करोड़ रुपया का बजट प्रावधान किया गया है, यह हमारा शामिल है। मेजों की थपथपाहट आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अन्य फसलों को भी हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल किया हुआ है, छत्तीसगढ़ में गन्ना की कीमत 355 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाता है उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया हुआ है। बस्तर, सरगुजा संभाग के 25 विकासखंडों में पोषण सुरक्षा कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार और कृषि उत्पाद के लिए हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में वर्ल्ड बैंक की सहायता से "चिराग परियोजना" लागू की है। उसके लिए भी 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जल क्षमता में वृद्धि के लिए, कृषि और उद्यानिकी फसलों के लिए ड्रिप सिस्टम स्थापित करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया हुआ है। प्रदेश में जैविक खेती के बारे में भी चर्चा हुई थी, इसके लिए बजट में 18.65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया हुआ है। जैविक खेती का रकबा वर्ष 2017-18 में 4480 हेक्टेयर था, वह खेती का रकबा बढ़कर के 30,980 हेक्टेयर किया जा चुका है। आप यह समझ लीजिए कि 85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्राकृतिक खेती हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 37.20 करोड़ रुपये और भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति हेतु 30 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। स्वाईल टेस्टिंग के लिए कृषकों को स्वाईल हेल्थ कार्ड वितरित करने के लिए भी बजट में 21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आप बीमा के बारे में चर्चा कर रहे थे, हर साल के बीमा में कितनी राशि किसानों को प्राप्त हुई है। वर्ष 2019-20 में लगभग 1264 करोड़ रुपये,

2020 में 853 करोड़ 18 लाख रुपये, 2021-22 में 746 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। शाकंभरी योजना में जरूर बजट में कुछ कमी आई है लेकिन अन्य योजनाओं से हम लोग छोटी सिंचाई योजनाओं का विस्तार करेंगे। कृषि यांत्रिकीकरण के बारे में लगातार आप प्रश्न कर रहे थे। यांत्रिकीकरण की जहां जितनी जरूरत है, वह सारे यंत्र किसानों को सब्सिडी में दिये जा रहे हैं। ट्रैक्टर की खरीदी 2017-18 में 81 नग, 2018-19 में 205 नग और इस साल 666 नग खरीदी की गई है, किसानों को ट्रैक्टर खरीदी सब्सिडी में तीन गुना वृद्धि हुई है। यह लगातार विस्तार हो रहा है। आपके पूरे 15 साल के कार्यकाल में 741 कृषि सेवा केन्द्र खुले थे, अभी 03 तीन साल में 1461 कृषि सेवा केन्द्र प्रारंभ किये गये हैं। ड्रिप और स्प्रिंकलर में भी विस्तार हुआ है। सारे आंकड़े में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन यह क्रमशः विस्तार हो रहा है। एकात कुछ घटक हो सकता है, जैसा मैंने शाकंभरी में स्वीकार किया कि उसमें बजट में राशि कुछ कम प्रावधान किया हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार कृषि के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बजट में प्रावधानित की गई हैं। उद्यानिकी फसलों के विस्तार के लिए भी छत्तीसगढ़ में अब लगातार इसका विस्तार किया जा रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- कमी क्यों हो रही है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- किसमें कमी आ रही है ?

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, चलने दीजिए न। माननीय मंत्री जी को जल्दी समाप्त करना है। बीमार आदमी हैं, आप धैर्य नहीं कर पा रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022-23 के लिए उद्यानिकी अंतर्गत संचालित योजनाओं के माध्यम से 10,404 हेक्टेयर में फल, 9600 हेक्टेयर में सब्जी, 3300 हेक्टेयर में मशाले, 1895 हेक्टेयर में पुष्प और लगभग सुगंधित और औषधीय पौधे 100 हेक्टेयर में, इस प्रकार 31,320 हेक्टेयर की कार्ययोजना तैयार की गई है। इस हेतु बजट में उद्यानिकी फसलों के विकास के लिए जो राशि है, 2021-22 में मूल बजट का प्रावधान लगभग 500 करोड़ रुपये था, इसमें एक प्रतिशत के आसपास वृद्धि करते हुए 503 करोड़ 52 लाख रुपये की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गोठानों के बारे में लगातार कभी चर्चाएं हो रही हैं। हम लोगों ने सुराजी ग्राम योजना लागू किया हुआ है। नरवा, गरुआ, घुरूवा, बाड़ी के बारे में पता नहीं आप व्यंग्य में कहते हैं या उसकी प्रशंसा में कहते हैं, यह शब्द तो मुझे समझ में नहीं आ पाता। लेकिन आज भी कृषि विभाग, पशुपालन, मछलीपालन और उद्यानिकी में चर्चा का केन्द्र बिन्दु गौठान, गोधन न्याय योजना ही रहा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी दो बातें हैं और गंभीर बाते हैं। पहली बात मैंने आपको कही कि सुराजी गांव का कांसेप्ट क्या है, हम नहीं जानते, हमको बता दीजिए। इस कांसेप्ट में विधानसभा में कोई ड्राफ्ट रखा जाये कि यह सुराजी गांव है तो हम लोग भी भाषण दे सकें। आपने पूरा

बजट पढ़ा, नरवा, गरुआ, घुरुआ, बाड़ी के लिए बजट कितना है, मैं यह पूछा। आपने मुझे फ्रस्ट्रेड कर दिया, लेकिन जब आप पूरा बजट पढ़ लिये तो आप बजट में उस बात को पढ़े या नहीं पढ़े कि नरवा, गरुआ, घुरुआ, बाड़ी में बजट कितना है? और यह आपकी फ्लैगशिप की योजना है और आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, उसको आप सबसे आखिरी में पढ़ रहे हैं। आप बताईये बजट को, यदि बजट पढ़ रहे हैं तो इन चारों घटक में इतना है, कि सुराजी गांव यह है और आपकी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की क्या अवधारणा है? मुझे आत्मनिर्भर गौठान का अर्थ समझाएंगे, यह मैंने मांग की थी, तो आपने मुझे फ्रस्ट्रेट बोल दिया तो मुझे छोड़ कर सदन को बता दीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, मैंने इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था कि आप लाट निकाल ले, और 5 गौठानों का लाट निकाल कर के सारे सदस्यों को दिखाने ले चले। 8 हजार गौठान बन चुके हैं। तो गौठान का कॉन्सेप्ट किना सक्सेस है, हम लोग भी देख ले और समझ ले। लाट निकाल कर के। मुख्यमंत्री जी ने हां कहा था, लगातार दो सत्र में बात हो गयी।

श्री ननकीराम कंवर :- इसके लिये बजट भी पूछ लो।

श्री अजय चंद्राकर :- बजट पढ़ रहे हैं, अभी सब का बजट बतायेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको निकाल लीजिये, कान में लगा करके मत सुनो (माननीय सदस्य अजय चंद्राकर की ओर देखते हुये) । नरवा, गरुआ, घुरुआ, बारी और गोधन न्याय योजना। आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही।

श्री अजय चंद्राकर :- आप टर्न कर रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपकी चर्चा का केंद्र बिन्दु ही वही रहा। मैं तर्क नहीं कर रहा हूँ।

श्री अजय चंद्राकर :- टर्न not तर्क।

श्री ननकीराम कंवर :- टर्न means घूमा रहे हो।

श्री रविन्द्र चौबे :- भाटो, कहां घुमाये के काम आ गये। ऊ पाछो वाले के बात मा मत जाये कर।(हंसी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना साबित होने वाली है। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को देखने के लिये पार्लियामेंट की भी कमेटी आयी है।

श्री अजय चंद्राकर :- बनायेंगे लेकिन बतायेंगे नहीं।

श्री रविन्द्र चौबे :- यहां गुजरात और राजस्थान के भी लोग देखकर के चले गये हैं और मुझे यहां बताते हुये खुशी है कि उत्तरप्रदेश में आपकी सरकार बनने जा रही है। दो दिन पहले ही वहां से पत्र आया है कि उत्तरप्रदेश से अधिकारियों की टीम भी यहां देखने आने वाली है।

श्री अजय चंद्राकर :- वह हम लोगों को बता दो, दस्तावेज दे दो कि ऐसा होगा, उसको बताने में क्या दिक्कत है।

श्री रविन्द्र चौबे :- जो बता रहा हूं, यही तो दस्तावेज है, इसमें और क्या बताऊं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप जो उत्तरप्रदेश को दिखाने वाले हो, वह पहले हमको तो दिखा दो, हम बार-बार निवेदन कर रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- यह तो आपका दुर्भाग्य है कि आप अपने क्षेत्र के भी गौठान नहीं देख पा रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं अपने क्षेत्र का देख लिया। मैं प्रदेश का देखना चाहता हूं, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके बारे में। मुख्यमंत्री जी ने दो बार सदन में हां कहा है, आप दिखाने तो ले चलो, पर लाट निकाल करके।

श्री शिवकुमार डहरिया :- आप देख ही नहीं सकते, आपकी नजर बहुत कमजोर है।

श्री अजय चंद्राकर :- आप सिर्फ बजट नहीं बताएंगे बाकि सब बताएंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप विभाग का बजट नहीं बना पा रहे हैं, फिर और क्या है।

श्री शिवकुमार डहरिया :- आपकी नजर बहुत कमजोर है, आप नहीं देख सकते।

एक माननीय सदस्य :- आप कहां का देखना चाहते हैं, वह बताइये।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय मंत्री जी यह बता दीजिये कि जो 10 हजार रुपये देने वाले हैं, जो फसल में परिवर्तन का है, उसको कब दे रहे हैं बता दीजिये। वह आपने नहीं बताया है, मैं इसलिये पूछ रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- जवाब दीजिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां, जवाब तो देना पड़ेगा।

श्री ननकीराम कंवर :- नहीं देना है तो मत दीजिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं, दूहु। ते बैठ तो।

श्री ननकीराम कंवर :- यह ठगुआ सरकार है। जवाब मत दीजिये, आप बोल करके जवाब नहीं देंगे तो मत दीजिये, उसमें क्या है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय ननकीराम कंवर जी बहुत वरिष्ठ सदस्य है, स्वयं कृषि मंत्री रहे हैं। यह सारी योजनाएं, जब किसान पंजीयन कराता है, पंजीकृत किसान को धान में 9 हजार रुपये अतिरिक्त फसल जो लेगा, उसको 10 हजार रुपये। हमने जो इस साल से शुरू किया है तो भाटो, जो पंजीकृत लोग होंगे, उनको मिलेगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो ?

श्री ननकीराम कंवर :- मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा। साल भर तो हो गया, कब मिलेगा ?

श्री कवासी लखमा :- रोज थोड़ी न देंगे, साल में एक बार देंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- अब वह घोषणा पत्र में आयेगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति महोदय, कृषि विभाग के अंतर्गत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, बहुत अधिक बात नहीं कहूंगा, उसके लिये भी 234 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी है और हमारा सौभाग्य है कि हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय, हमारा यह कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। 3700 सीट, देश के किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में नहीं है, जो छत्तीसगढ़ के कृषि विश्वविद्यालय में है। 10 कृषि महाविद्यालय, 2 उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने के कारण।

श्री अजय चंद्राकर :- आपको एक जानकारी और दे देता हूं कि हिसार और पंतनगर में आप पूछ लीजियेगा कि आपको कितना पेटेंट है।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपको बार-बार छेड़ने की आदत हो गयी है, थोड़ा-सा होने दो न, बाकी विभागों की भी चर्चा होनी है। भैया बार-बार क्यों कर रहे हो, जो करना है, एक ही बार में कर लो।

श्री कवासी लखमा :- दिन भर बोलते हो, आपका उसके बाद भी नहीं होता है।

श्री अजय चंद्राकर :- मंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं तो आप क्यों बोल रहे हो। भैया, ले चल पास कर दे।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुधन विकास के अंतर्गत सारे माननीय सदस्यों ने कितने गौठान हैं, कितनी स्वीकृति है, कितने कार्य हो रहे हैं, उसके बारे में बताया। इस योजना को प्रारंभ किये लगभग एक साल होने जा रहा है और इस योजना में जो गोबर की खरीदी हुई, मैंने आपके सामने उसके भी आंकड़े दे दिये हैं इस योजना के अंतर्गत 2 लाख, 92 हजार 892 किसान, गौपालक जिनसे हम लोगों ने गोबर की खरीदी की है और यह पशु पालक सीधे लाभान्वित हुए हैं। अभी माननीय बृजमोहन जी कह रहे थे कि केवल डेयरी वाले जाकर, कुछ लोग बेच देते हैं, गोबर विक्रय करने वाले पशु पालकों में 45 प्रतिशत महिलाएं, 48 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के 7.8 प्रतिशत और जनजाति के 40 प्रतिशत और इसमें भूमिहीन किसान 98 हजार, 710 हैं। इस प्रकार से यह हमारी योजना है। इसके द्वारा जो 11 हजार, 493 स्वसहायता समूह के लगभग 80 हजार सदस्यों के द्वारा हमारे विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, यहां वर्मी कम्पोस्ट के बारे में चर्चा हुई, कोई जबरदस्ती वर्मी कम्पोस्ट को देने की बात नहीं हो रही है। माननीय शिवरतन जी आप कह रहे थे कि किसान खुद वर्मी कम्पोस्ट उठाते हैं और ...।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, जब तक किसान ने 2 बोरी खाद नहीं लिया। तब तक किसान को बाकी यूरिया खाद, फर्टीलाइजर नहीं दिये गये। यह रिटर्न में नहीं है, पर किसान के ऊपर दबाव बनाकर, यह स्थिति निर्मित की गई है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय शिवरतन जी, आपके शासनकाल में जो लादन बोलते थे, वह क्या होता था?

श्री शिवरतन शर्मा :- यह आपने लाद दिया और वर्मी कम्पोस्ट के नाम पर छेने की खरसी दे रहे हो।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चौबे जी, आप इनसे मत उलझिये। आप अपना भाषण जारी रखें और जल्दी समाप्त करें।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत गौठानों में 21 तेल, 28 दाल, 40 आटा और 680 मिनी राईस मिल प्रसंस्करण स्थापित किया जा चुका है। पशुधन संरक्षण, व्यवस्थापन नस्ल सुधार के लिए जो प्रशासकीय प्रतिवेदन में सारे आंकड़े हैं, वह मैं आपके सामने बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता हूँ। वर्ष 2021-22 के अंतर्गत 3.54 लाख कृत्रिम गर्भाधान और 1.31 लाख मत्स्य उत्पादन और 3 लाख नाटो का बधियाकरण किया गया था, इसका विस्तार किया जा रहा है। 4 नये नवजन नाइट्रोजन टैंकर परिवहन के लिए उसकी नई व्यवस्था की गई है। पशु चिकित्सा और नवीन पशु औषधालयों की स्थापना हेतु 245 करोड़, 13 लाख रुपये का टोटल प्रावधान किया गया है। माननीय सौरभ जी डेयरी विकास के बारे में प्रश्न कर रहे थे। अभी इसमें 7 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आदरणीय बृजमोहन जी ने जो डेयरी के 12 लाख की सबसीडी के संदर्भ में प्रश्न उठाया था। जांजगीर जिले में अधिकांश लोगों का पेमेण्ट कुछ शेष था, वह भी लगभग पूरा हो चुका है कि यह सबसीडी किसी की शेष नहीं है। दाऊ वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत इस वर्ष दो नये डेयरी पॉलिटेक्निक कॉलेज एक बेमेतरा और एक तखतपुर में प्रारंभ किया है। मछली पालन की बहुत ज्यादा चर्चाएं हुईं, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता। माननीय सौरभ जी मत्स्य उत्पादन के संदर्भ में एक प्रश्न कर रहे थे। मनरेगा शेड, मुर्गी शेड, बकरी शेड, उसके आंकड़े हैं, वह बहुत सारे बनाये गये हैं। छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन हेतु जो जल क्षेत्र है वह 2 लाख, 20 हजार से अधिक मछुआरों के लिए 98 प्रतिशत जल क्षेत्र 1 लाख 999 हेक्टेयर दिया गया है। तीन वर्षों में मत्स्य पालन में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य बीज उत्पादन में आत्म निर्भर हो गया है देश में 5 वां सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ में 294 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन किया जा रहा है। 3 वर्षों में राज्य का मत्स्य का उत्पादन 4 लाख 57 हजार से बढ़कर, 5 लाख, 77 हजार मीट्रिक टन किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में जो मछली पालन है उसको हमने कृषि का दर्जा देने का सबसे बड़ा निर्णय किया है। मछली पालन करने वाले किसानों को हम ब्याजमुक्त ऋण देने की बात है जैसे बिजली में किसानों को सबसीडी दी जाती है उस तरीके से सबसीडी देने का काम किया गया है। के.सी.सी. तो प्रारंभ कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से मछुआरों के लिए सबसे बड़ा निर्णय हुआ है कि छत्तीसगढ़ में मछली पालन को भी कृषि का दर्जा दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जल संसाधन के बारे में काफी बातें पहले कर दी थी। आपके सामने दो, तीन प्रमुख बातें रखना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं, डिजाइन के

मुताबिक एरिगेशन का जो गैप है, उसके बारे में काफी चर्चा हुई। मैंने आपको बाकी सारी योजनाओं के बारे में पहले भी कह दिया है, हम लोगों की माईनर एरिगेशन की जितनी भी स्कीम है, एरिगेशन का जो गैप है, उसको पूरा करके समाप्त करना चाहते हैं। हम आने वाले वर्षों तक सिंचाई का रकबा बढ़ाना चाहते हैं। सिंचाई का जो सबसे बड़ा लाभ है, रिजरवायर बनाएंगे, जल बनाएंगे, जैसे मैंने शुरूआत में कही कि पेयजल हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जल संसाधन की पूरी बात कह रहा हूँ। केवल सिंचाई करने की बात नहीं है। केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जब केन्द्र सरकार की योजना है, हर घर नल से जल की योजना है तो जल तो लाना ही पड़ेगा न। पानी का स्टोर करना ही पड़ेगा। नदियों में एनीकट बनाना ही पड़ेगा। रिजरवायर बनाना ही पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले आवश्यकता है, चाहे वह पेयजल की स्कीम हो, निस्तार की योजना हो, सिंचाई क्षमता में बढ़ोत्तरी, यह हमारी योजना है। अभी लगभग एस पर डिजाईन 20 लाख 96 हजार हेक्टेयर डिजाईन के मुताबिक सिंचाई होना चाहिए, वह 10 लाख 70 हजार हेक्टेयर में होती थी। इस सरकार के बनने के बाद 3 साल में 13 लाख 79 हजार हेक्टेयर, इस साल का अंतिम आंकड़ा है। बृजमोहन जी, पूछ रहे थे कि कौन सी योजना पूरी हुई। बिलाईगढ़ में चंद्र देव राय जी बैठे हैं, मैं समझता हूँ अकेले जोंक से 8 से 10 हजार हेक्टेयर है, आपने अरपा भैंसाझार में पूछा, हेडवर्क्स का काम लगभग 100 प्रतिशत हो गया है। अगर नहर का काम 90 प्रतिशत हो गया है तो पूरी सिंचाई क्यों नहीं हो पा रही है ? केवल एक रेलवे के ब्रिज पार करने के नाम से सिंचाई रुकी हुई थी, उसका भी काम इस साल पूरा हो गया है। आने वाले समय में उसका भी विस्तार किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पानी अगर होगा तो मछली पालन का भी विस्तार होगा, जो हाइडर पार जनरेशन है, उसका भी विस्तार होगा। हम लोग इंडस्ट्रीलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके लिए भी पानी की जरूरत होगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, एक मिनट। हैदराबाद, आंध्रप्रदेश में मछली को जिनके पास खाली जमीन है, वह मुश्किल से दो तीन फीट गड्ढा खोदकर ट्यूबवेल लगाकर उसमें टेक्निक से खेती करते हैं और बहुत मछली पैदा होती है। आप यहां से अधिकारियों की टीम हैदराबाद भेजिए या यहां के विधायकों को भेजिए, हैदराबाद में जो मछली की खेती होती है, उससे हमारा भी बहुत फायदा होगा, बहुत सी जमीन खराब पड़ी हुई है, बेकार पड़ी है। उसमें मछली पालन के लिए कोई नीति बनाएंगे तो मछली का प्रोडक्शन बढ़ेगा और आर्थिक हालत भी सुधरेगी। मछली हैदराबाद में है।

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीय धर्मजीत भैया, आप सुन नहीं पाए, मछली पालन के विस्तार के लिए हम लोग डेढ़-डेढ़ हजार नया केज लगाने वाले हैं। उसमें किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, उसको नया तालाब बनाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारी जो पुरानी खदानें हैं, जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें केज लगाने की अनुमति दी गयी है। उसमें मछली

पालन करने की अनुमति दी गयी है। आप जो सुझाव दे रहे हैं, इन सबका विस्तार किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में सिंचाई....।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय मंत्री जी, आप नये तालाब की अनुमति तो दे रहे हैं, अगर किसी का पुराना तालाब निजी है, उसमें अगर आवश्यकता है तो उसमें भी सब्सिडी दे दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- किसमें ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अगर पुराना तालाब जर्जर है या नाममात्र को है लेकिन वह तालाब है, पानी के नीचे है। अगर वह मछली पालन करना चाहता है तो उसमें बारे में बता दीजिए। दूसरा, वह प्रशासकीय स्वीकृति के बारे में पिछले साल और इस साल का बता दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब बजट पेश किया जाता है टोटल बजट अनस्कूटनाइज्ड रहता है। लमसम राशि दी जाती है। उसके बाद किन-किन योजनाओं की आपकी प्राथमिकता है, हम लोगों के पास कितना वित्तीय संसाधन है, उसको देखते हुए किया जाता है। आदरणीय केशव चंद्रा जी उसके बावजूद भी आप कोई विशिष्ट प्रस्ताव देंगे तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से उस बात की आग्रह कर लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में सिंचाई जल कर माफी के संबंध में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार घोषणा की थी लेकिन आज तक इन तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ के किसानों को 342 करोड़ 44 लाख रूपए सिंचाई टैक्स माफ किया है और आखिरी बात इंडस्ट्री के जो राजस्व की वसूली के संदर्भ में किसी एक उद्योग के बारे में शायद चंद्रा जी ने जिक्र किया या सौरभ जी ने किया या आपने किया, जांजगीर जिले के ही किसी उद्योग के बारे में तो हम लोग लगातार प्रयास करते हैं लेकिन इस साल देख रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में राजस्व की प्राप्ति जलकर के रूप में...।

श्री अजय चंद्राकर :- बहुत बकाया है उसके बाद भी उसको पानी क्यों दे दिये?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर उद्योग चलाना है तो पानी तो देना ही है। आने वाले समय में और पानी देंगे। उसके लिये मैंने तो पहली ही लाइन में बोला न कि हमें रिजरवॉयर बनाना है, जलाशय बनाना है लेकिन कोरोनाकाल में कई उद्योगों की स्थिति बहुत खराब हो गयी थी। बहुत सारे उद्योग बंद होने के कगार में थे। यदि हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो छत्तीसगढ़ में उद्योग कैसे चलेंगे? लेकिन आपने जो सुझाव दिया तो राजस्व की वसूली भी की जायेगी और उद्योगों को पानी भी दिया और सिंचाई क्षमताओं का विस्तार किया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया धन्यवाद। मैं अंत में सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि मेरे इन सभी विभागों की मांगों को आप सब लोग पारित करें।

अध्यक्ष महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 28, 13, 14, 16, 54, 23, 45 एवं 75 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 28	राज्य विधान मण्डल के लिये - उनहत्तर करोड़, तिरालीस लाख, साठ हजार रुपये,
मांग संख्या - 13	कृषि के लिये - पांच हजार तीन सौ छः करोड़, उनसठ लाख, बत्तीस हजार रुपये,
मांग संख्या - 14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय के लिये - चार सौ अड़सठ करोड़, अठासी लाख, सात हजार रुपये,
मांग संख्या - 16	मछलीपालन के लिये- तिरासी करोड़, बयासी लाख, छप्पन हजार रुपये,
मांग संख्या - 54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिये- दो सौ बहत्तर करोड़, बारह हजार रुपये,
मांग संख्या - 23	जल संसाधन विभाग के लिये- एक हजार एक सौ बयासी करोड़, उनसठ लाख तिहत्तर हजार रुपये,
मांग संख्या - 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिये- सात सौ उनसठ करोड़, पैंसठ लाख, तैंतीस हजार रुपये,
मांग संख्या - 75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये- छः सौ नवासी करोड़, इकहत्तर लाख रुपये तथा
मांग संख्या - 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये- दो करोड़ रुपये तक की राशि दी जाये ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी, बधाई हो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी, बजट की बधाई के साथ-साथ मैंने पत्र भेजा है देख लें । लादेन का सरकारी आदेश है, उपसंचालक कृषि धमतरी ने लिखा है कि उसको देना अनिवार्य है । सरकारी आदेश की कॉपी है । आप जो बोल रहे थे न कि ऐसी कोई शर्त नहीं डाली गयी है । आप आदेश की कॉपी देख लीजिये ।

(2) मांग संख्या - 82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
मांग संख्या - 33	आदिम जाति कल्याण
मांग संख्या - 41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना
मांग संख्या - 42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
मांग संख्या - 49	अनुसूचित जाति कल्याण
मांग संख्या - 53	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या - 64	अनुसूचित जाति उपयोजना
मांग संख्या - 66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
मांग संख्या - 68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन
मांग संख्या - 15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
मांग संख्या - 83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या - 27	स्कूल शिक्षा
मांग संख्या - 17	सहकारिता

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये- पांच सौ अठहत्तर करोड़, बयानवे लाख, तैंतीस हजार रुपये,
मांग संख्या - 33	आदिम जाति कल्याण के लिये - पांच हजार दो सौ चौबीस करोड़ छियासठ लाख, छियालीस हजार रुपये,

- मांग संख्या - 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये- उन्नीस हजार दो सौ नब्बे करोड़, छियानबे लाख, सत्ताईस हजार रुपये,
- मांग संख्या - 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिये- एक हजार दौ अड़तीस करोड़, सोलह लाख छः हजार रुपये,
- मांग संख्या - 49 अनुसूचित जाति कल्याण के लिये- पांच करोड़, छब्बीस लाख, दस हजार रुपये,
- मांग संख्या - 53 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये- अस्सी करोड़, निन्यानबे लाख, चालीस हजार रुपये,
- मांग संख्या - 64 अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये-छः हजार दौ सौ अड़सठ करोड़, अड़तीस लाख, सैंतालीस हजार रुपये,
- मांग संख्या - 66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिये - दो सौ तिरपन करोड़, इकहत्तर लाख, तीस हजार रुपये,
- मांग संख्या - 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन के लिये- एक सौ अट्ठाईस करोड़, छिहत्तर लाख, तैंतीस हजार रुपये,
- मांग संख्या - 15 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये- दो सौ तिरसठ करोड़, छियासी लाख, बयालीस हजार रुपये,
- मांग संख्या - 83 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये-एक सौ बाईस करोड़, इक्कीस लाख रुपये,
- मांग संख्या - 27 स्कूल शिक्षा के लिये- पांच हजार छः सौ बत्तीस करोड़, पचास लाख, नब्बे हजार रुपये तथा
- मांग संख्या - 17 सहकारिता के लिये- दो सौ सत्तावन करोड़, अट्ठावन लाख, इंक्यानबे हजार रुपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या-82**अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता**

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | श्री रजनीश कुमार सिंह | 1 |
|----|-----------------------|---|

मांग संख्या-33**आदिम जाति कल्याण के लिये**

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | श्री धरमलाल कौशिक | 5 |
| 2. | श्री रजनीश कुमार सिंह | 5 |
| 3. | श्रीमती इंदू बंजारे | 1 |

मांग संख्या-41**अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये**

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | श्री धरमलाल कौशिक | 1 |
| 2. | श्री शिवरतन शर्मा | 4 |
| 3. | श्री रजनीश कुमार सिंह | 1 |
| 4. | श्री प्रमोद कुमार शर्मा | 1 |

मांग संख्या-49**अनुसूचित जाति कल्याण के लिये**

- | | | |
|----|-------------------|---|
| 1. | श्री शिवरतन शर्मा | 5 |
|----|-------------------|---|

मांग संख्या-53**अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये**

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | श्री धरमलाल कौशिक | 1 |
| 2. | श्री रजनीश कुमार सिंह | 1 |

मांग संख्या-64**अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये**

- | | | |
|----|-------------------|---|
| 1. | श्री शिवरतन शर्मा | 3 |
|----|-------------------|---|

मांग संख्या-66**पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिये**

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | श्री शिवरतन शर्मा | 6 |
| 2. | श्री नारायण चंदेल | 1 |
| 3. | श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू | 1 |
| 4. | श्री रजनीश कुमार सिंह | 1 |

मांग संख्या-68**अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन के लिये**

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | श्री धरमलाल कौशिक | 2 |
| 2. | श्री शिवरतन शर्मा | 5 |
| 3. | श्री डमरूधर पुजारी | 2 |

मांग संख्या-15**अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता**

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | श्री प्रमोद कुमार शर्मा | 1 |
|----|-------------------------|---|

मांग संख्या-27**स्कूल शिक्षा के लिये**

- | | | |
|----|-------------------|----|
| 1. | श्री धरमलाल कौशिक | 12 |
| 2. | श्री नारायण चंदेल | 1 |
| 3. | श्री शिवरतन शर्मा | 33 |

4.	श्री डमरूधर पुजारी	6
5.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	5
6.	श्री रजनीश कुमार सिंह	9
7.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	6
8.	श्रीमती इंदू बंजारे	3

मांग संख्या-17

सहकारिता के लिये

1.	श्री धरमलाल कौशिक	3
2.	श्री अजय चन्द्राकर	3
3.	श्री शिवरतन शर्मा	15
4.	श्री रजनीश कुमार सिंह	3
5.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	2

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री अजय चन्द्राकर जी।

(माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर एवं माननीय सदस्य श्री नारायण चंदेल द्वारा एक-दूसरे को भाषण प्रारंभ करने के लिए कहने पर)

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- चन्द्राकर जी, आपकी तैयारी नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरुद) :- ये प्रारंभ करेंगे। मैं दूसरे नंबर पर हूँ। शुरू करिए ना।

श्री बृहस्पति सिंह (रामानुजगंज) :- ये सिर्फ छेड़ना जानते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप शुरू करेंगे। मैं दूसरे नंबर पर हूँ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- एक ही बात है। कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नारायण जी शुरू करेंगे।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- आप ला तो जरूरत ही नहीं है। बीच-बीच में तो गोठिया ही डारथस। का बोलबे। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- अब कइसे मेछराबे नहीं। (हंसी)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मेछराना क्या होता है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- कइसे ? पास होंगे हे तेखर सेती मेछराथस।

अध्यक्ष महोदय :- श्री नारायण चंदेल, अपना संक्षिप्त भाषण प्रारंभ करें।

समय :

6.00 बजे

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 82, 33, 41, 42, 49, 53, 64, 66, 15, 83, 27 एवं 17 का विरोध करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और शिक्षा विभाग अभी चर्चित विभाग भी है। शिक्षा विभाग के साथ ही माननीय मंत्री जी के पास आदिम जाति कल्याण विभाग है, पिछड़ा वर्ग एवं सहकारिता विभाग है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का कुल बजट 16, 650 करोड़ का है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 233 हाईस्कूलों के भवन नहीं हैं, वे भवनविहीन हैं। हाईस्कूल या तो मिडिल स्कूल में संचालित है या किसी अन्य स्थानों में संचालित है, यह बड़ी संख्या है।

समय :

6.01 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)

174 हायर सेकेण्डरी में भवन नहीं है, वे भी भवनविहीन हैं। आपने घोषणा तो कर दी लेकिन आज भी वहां के छात्र उस भवन से वंचित हैं। राज्य में 357 शाला आज भी शिक्षक विहीन हैं, इन शालाओं में कोई शिक्षक नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार द्वारा मात्र 12 हाईस्कूल और 11 हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। राज्य का शिक्षक छात्र अनुपात 21/1 है। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में इस सरकार के द्वारा एक भी नवीन विद्यालय प्रारंभ नहीं किया गया। ये स्थिति शिक्षा विभाग की वर्तमान में है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में थे, वे कहीं चले गये। मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को सदन में ध्यान दिलाने के पहले एक पंक्ति शिक्षा विभाग के लिए जरूर पढ़ूंगा - "उजियारे पर उसी का अधिकार है, जो अंधेरे से लड़ने को तैयार है।"

श्री अजय चन्द्राकर :- वाह-वाह, क्या बात है।

श्री नारायण चंदेल :- थोड़ा राह ना। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी आप लोगों ने चुनाव के पहले जन घोषणा पत्र में शिक्षा से संबंधित जो वायदा किया था। मैं उसे आपको स्मरण कराना चाहता हूँ। वायदे तो बहुत बड़े बड़े हुए थे कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुधार देंगे, शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करेंगे। माननीय मंत्री जी, जन घोषणा पत्र में जो वायदे थे, सरकारी स्कूलों को बेहतर करेंगे एवं विद्यार्थी कल्याण की योजना को लागू किया जाएगा, किंतु अभी तक स्वयं के कल्याण की योजना ही लागू की गई है। बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। आपने कहा था कि शिक्षा का अधिकार को आंगनबाड़ी, प्री-स्कूल से कक्षा बारहवीं तक किया जाएगा। आपने कहा था छात्राओं के लिए नर्सरी से

पोस्ट ग्रेजुवेट तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। आपने कहा-कहां, कौन-कौन से जिलों में प्रारंभ किया है, अपने जवाब में बताने का कष्ट करेंगे। उपाध्यक्ष जी, आपने कहा था कि शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के आंकड़े क्या हैं, हमने इन तीन सालों में कितनी तरक्की की है। हम इन तीन सालों में सरकारी स्कूलों में प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता को जांचने के लिए 5वीं कक्षा में मूल्यांकन पद्धति शुरू की जाएगी। कमजोर विद्यार्थियों को आगे लाने के लिये अनुपूरक कोर्स शुरू किये जायेंगे ताकि 5वीं कक्षा तक हर विद्यार्थी पढ़ने लिखने तथा मूल गणित में परिपक्व बन सकें।

श्री रामकुमार यादव :- बड़े-बड़े डी.पी.एस. के लड़का मन जो इंग्लिश पढ़्य, आज ए गांव के लड़का मन स्वामी आत्मानंद स्कूल म इंग्लिश पढ़थे।

श्री अजय चंद्राकर :- एमझ में आथे?

श्री रामकुमार यादव :- बिल्कुल समझ में आथे।

श्री नारायण चंदेल :- सुन न, तैं हर चुप बइठ न।

श्री रामकुमार यादव :- सरसरी लबारी मारत रइहा त में कइसे बइथे रइहा।

श्री नारायण चंदेल :- कक्षा आठ में बोर्ड परीक्षाएं संचालित की जायेंगी। छात्रों के पालकों के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करने के लिये तकनीकी एवं प्रोफेशनल कोर्स हेतु शिक्षा लोन पर अनुदान प्रदान किया जायेगा। इस हेतु आपने तीन वर्ष में कितना दिया? अभी कितना प्रावधान है, कृपया बताने का प्रयास करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में निरंतर शिक्षा की जो गुणवत्ता है, वह गिर रही है। हमारा पिछले दो साल कोरोना में गया। सारे स्कूल बंद रहे, चाहे वह शासकीय स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो या निजी संस्थान हो। उस गुणवत्ता को सुधारने के लिए आपके पास में क्या कार्ययोजना है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड के 98 प्रतिशत रिजल्ट आए हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- ओ तो 100 प्रतिशत भी आहे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- 100 प्रतिशत भी ऊपर घलो आ हे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा बोल लूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- बोलो, बोलो।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आंकड़े हैं, उसके मुताबिक प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थायी रूप से एकल शिक्षक वाले कई स्कूल हैं। इसमें महासमुंद में 273, बलौदाबाजार में 85, गरियाबंद में 47, रायपुर में 16, धमतरी में 39, कवर्धा में 64, बेमेतरा में 5, दुर्ग में 22 बालोद में 10, राजनांदगाव में 73, बिलासपुर में 95, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 64, मुंगेली में 29, कोरबा में 265 और सक्ति शैक्षणिक जिले में 47, जांजगीर-चांपा जिले में 19, रायगढ़ में 72, कांकेर उत्तर बस्तर में 287,

नारायणपुर सुदूर बस्तर के उस वनांचल क्षेत्र में 159, कोन्डागांव में 438, जगदलपुर में 542, दंतेवाड़ा में 163, बीजापुर में 146, सुकमा जैसे सुदूर इलाकों में 276, आपके सरगुजा में, कोरिया जिले में 174, बलरामपुर और रामानुजगंज में 230 जहां से आप लोग आते हैं। सुरजपुर में 241, जशपुर में 196 और सरगुजा में 175 स्कूलों में एक ही शिक्षक है।

श्री रामकुमार यादव:- माननीय उपाध्यक्ष जी, ए हर आंकड़ा बताथे। ओमन तो 15 साल म कुछ नइ करीस। 15 साल म एमन कुछ नइ करे हे। इ आंकड़ा बताथे।

उपाध्यक्ष महोदय :- यादव जी बैठिये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी आप सरगुजा से आते हैं और यह इस प्रकार की स्थिति है। हमारे जो आदिवासी भाई के बच्चे हैं, जो गरीब हैं। उन शालाओं में भी मात्र एक-एक शिक्षक हैं। आपको उस व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। आपके विभाग में जिस प्रकार की अनियमितता है। लगातार आपका विभाग सुर्खियों में रहा है। चाहे शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर हो, ट्रांसफर, पोस्टिंग को लेकर हो, पदस्थापना को लेकर हो या चाहे डायरी के मामले को ले करके हो। वह पहले एक हवाला डायरी था, कोई जैन की डायरी निकली थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हम पहली बार देख रहे हैं, यह डायरी आपके विभाग में निकला है। आपके विभाग में जो अनियमितता है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। कल सरगुजा के लिए गणित शिक्षक के लिए एक ऑनलाईन एडमिट कार्ड जारी किया गया है और जो प्रार्थी है गायत्री करके, वह बालोद की है। एडमिट कार्ड 14 तारीख को जारी किया गया है और 15 तारीख को आज उसका सरगुजा में साक्षात्कार है। यह आपके यहां इस प्रकार की अनियमितताएं हैं और वह जान-बूझ कर के आप उसको दिखवा लीजिए कि मामला क्या है? और कितना गंभीर मामला है। वह कैसे सरगुजा बालोद से पहुंच पाएगी? माननीय शिक्षामंत्री जी, डी.एम.एफ. फंड से सभी स्कूलों के लिए योजना बनाकर भवन बने। राज्य सरकार ने बजट में 11 मीडिल स्कूल, 12 हायर सेकेण्डरी स्कूल के उन्नयन व 40 नये हाई स्कूल व 14 हायर सेकेण्डरी स्कूलों के लिए महज 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। क्या 50 करोड़ रुपये में इतने भवन बन जाएंगे? यह सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा है और स्कूल शिक्षा विभाग जो है वह डी.एम.एफ. फंड का भी वह बंदरबाट कर रहा है। माननीय बृजमोहन जी ने उस दिन ध्यानाकर्षण लगाया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वामी आत्मानंद जी का पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश सम्मान करता है। हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं लेकिन स्वामी आत्मानंद जी के नाम से जिस प्रकार से आपने स्कूल खोला है आत्मानंद इंग्लिश मीडियम के समान शासकीय स्कूल में भी निःशुल्क हो। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 32 नये हिंदी मीडियम आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे। अंग्रेजी मीडियम स्कूल की संख्या 170 है सरकार अन्य हिंदी मीडियम से पढ़ रहे बच्चों की चिंता क्यों नहीं कर रही है? ठीक है आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिया लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ रहे हैं जो हिंदी मीडियम के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं आज से नहीं, वर्षों से, उनका क्या

होगा? वह कहाँ जाएंगे? आपने उनके लिए एडमिशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल का हम स्वागत करते हैं लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिना प्लानिंग के, बिना सोचे-विचारे छात्रों के भविष्य के साथ मैं इस प्रकार का खिलवाड़ करना, यह ठीक नहीं है। माननीय शिक्षामंत्री जी, इन सारी चीजों को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। 5 विधायक, एक मंत्री शिक्षा विभाग के ऊपर में आरोप लगता है। अनियमितता को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, ट्रांसफर, पोस्टिंग को लेकर के शिक्षा विभाग को कटघरे में खड़ा करते हैं और वह 5 विधायक हमारे दल के नहीं हैं। वह 5 विधायक सत्ताधारी दल के लोग हैं। इसलिए आपको अपने काम-काज को सुधारने की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग दिशा देने वाला विभाग है। शिक्षा विभाग भविष्य को संवारने वाला विभाग है। बच्चों के भविष्य को गढ़ने वाला विभाग है। बच्चों के मन और मस्तिष्क में क्या प्रभाव पड़ेगा? जिस विभाग में वह पढ़ते हैं वह भ्रष्टाचार का गढ़ बन जाए, भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाए, वह ट्रांसफर और पोस्टिंग का अड्डा बन जाए। वर्तमान में जो परिस्थिति है माननीय उपाध्यक्ष जी...

उपाध्यक्ष महोदय :- चंदेल जी, अब समाप्त करियेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- 5 ही मिनट तो हुआ है जी। अभी शुरू हुआ है।

श्री नारायण चंदेल :- अभी तो शुरू हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं, 15 मिनट हो गया है।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं अभी तो खेल शुरू हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चंदेल जी, आप समझदार हैं 5 मिनट में बहुत खेल हो जाता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे तरफ से कुल 2 वक्ताओं का नाम है बाकी वक्ताओं का नाम हमने कांट दिया है। तो प्रथम वक्ता को तो पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- केवल 20 मिनट का समय दिया गया है।

श्री रामकुमार यादव :- अभी खेल शुरू नइ होहे, तुहर पिक्चर खतम होने वाला हवे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, 2 मिनट बोलियेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, पौन घण्टा।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे जो जानकारी मिली है कि उनके यहां पर जो फर्निचर व अन्य सामान की खरीदी के आदेश जारी हुए हैं उसका भी नियंत्रण किसी के हाथ में है। दूसरे के हाथ में है। हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो अनियमिता है उस पर रोक लगाएं। पदस्थपना और नई नियुक्ति में करोड़ों का भ्रष्टाचार, यह छत्तीसगढ़ मॉडल है। शिक्षकों की पदोन्नति, शिक्षकों की नवीन पद स्थापना और शिक्षकों की नवीन नियुक्ति में विभाग के द्वारा करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसमें बिलासपुर में दो शिक्षक को गिरफ्तार भी किया गया है किंतु उच्च अधिकारियों को बचाया गया है। उस समय बिलासपुर के कलेक्टर ने तो अति कर दी।

उसके ऊपर इतने संगीन आरोप हैं । जिसको चाहा, किसी को पेंड्रा से बुलवा लिया, मारवाही से बुलवा लिया, चंद्रपुर से बुलवा लिया । यह किसके आदेश पर हुआ और उस कलेक्टर को कितना अधिकार है ? माननीय मंत्री जी, इन सारी चीजों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है । आप उस विभाग के प्रमुख हैं । स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है, उसको मंत्री जी ने कभी चखा है कि उसकी क्या गुणवत्ता है, उसको कौन संचालित करता है ? बच्चों के मुंह में जो निवाला जाता है, उस पर भी भ्रष्टाचार की बू आती है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है । सरस्वती साईकिल योजना की क्या स्थिति है ? यह हमारी सरकार ने शुरू किया था । आपकी सरकार को बने तीन साल हो गए ।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन साईकिल दे रहेव, ओमा दू आदमी बैठत रिहीसे न टूट जात रिहीसे । तुहर मन के साईकिल में खातु बोरा रखतेन त टूट जात रिहीसे।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अउ तुहर साईकिल मा पूरा मंत्रिमण्डल बइठथे।

श्री नारायण चंदेल :- उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में इन्होंने हमारी बच्चियों को, बेटियों को जो साईकिल देना शुरू किया है, उसकी क्वालिटी एकदम स्तरहीन है। आपने कहां से अनुबंध किया, कौन सी कम्पनी को ठेका दिया, कौन सी एजेंसी सप्लाई कर रही है ? मंत्री जी, यह बच्चियों का सवाल है इसलिए इस ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में शिक्षा विभाग में जिस प्रकार का खेल चल रहा है, जो बहुत से स्कूल बने हुए हैं, वह गुणवत्ताविहीन है । मेरे ही जिले की बात मैं बता देता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में खोकसा गांव हैं, नैला जहां मैं रहता हूं। वहां पर हाईस्कूल भवन तो बन गई है, लेकिन उद्घाटन के पहले ही, शिक्षा विभाग को हैण्ड ओव्हर होने के पहले ही वह भवन जर्जर हो गया है, उसके दीवाल क्रेक हो गए हैं । बच्चे वहां जाने से कतरा रहे हैं । यह सिर्फ हमारे क्षेत्र की या हमारे जिले की बात नहीं है, इस प्रकार की घटना पूरे प्रदेश में है । ठीक है, लोक निर्माण विभाग उसको बनाता है, लेकिन आज भी उस भवन में स्कूल नहीं लग पा रहा है । जब हम लोगों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत की कि तीन-चार साल हो गए, आप वहां पर हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल क्यों नहीं चलाते ? तो उनका कहना था कि वह भवन विद्यार्थियों के बैठने लायक नहीं है । कभी भी कोई घटना घट सकती है । माननीय मंत्री जी, माननीय उपाध्यक्ष जी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखण्ड में कुटरा गांव है । अभी मीडिल स्कूल में जो पुराना जर्जर भवन था, उसका स्लैब गिर गया । बच्चे और स्कूल के शिक्षक बाल-बाल बचे । मैं सिर्फ एक घटनाओं का जिक्र नहीं कर रहा हूं । आपके यहां कौन मानीटरिंग करता है । क्या आपके डी.ई.ओ. या बी.ई.ओ. कभी मानीटरिंग करने नहीं जाते ?

श्री रामकुमार यादव :- ये सब ह तुहरे जमाने के बने हे । अउ तीन साल पहिली के साईकिल में बैठ जावव और साईकिल ह सह डरही त मोला कहिहव । तो खुद बैठ के देख लौ ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के अधिकार कार्यक्रम के लिए आपको केन्द्र से राशि मिलती है, लेकिन आपने उस राशि का क्या उपयोग किया ? वह राशि कहाँ गई ? वह राशि जमीन पर, धरातल पर दिखनी चाहिए । उसमें आपने क्या काम किया, जितना केन्द्रांश मिलता है, केन्द्र की जितनी योजनाएं हैं, वह शिक्षा विभाग को दी जाती हैं । जितनी राशि प्राप्त होती है । दुर्भाग्य है कि उस राशि का सतही तौर पर कोई उपयोग नहीं किया जाता, उसका कोई सदुपयोग नहीं किया जाता। आज भी निजी स्कूलों की हालत ठीक नहीं है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की गुणवत्ता पर छत्तीसगढ़ की क्या रैंकिंग है, आपको मालूम है ? अभी शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की व्यवस्था पर जो सर्वे हुआ है, उसमें पूरे देश में छत्तीसगढ़ 30वें नंबर पर है। आपकी यह परिस्थिति है। यानि छत्तीसगढ़ सबसे पीछे से पहले नंबर पर है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्कूलों में जो रसाइयां भोजन बनाती है, आज पूरे प्रदेश की रसाइयां हड़ताल पर थीं। उनका राजधानी में हड़ताल हुआ, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, सभी जिलों में हुआ। लेकिन आपकी तरफ से उनसे बातचीत करने के लिए कौन गया था ? कौन वार्ता करने के लिए गया था ? वे बहुत छोटे लोग हैं। काम करने वाले लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं। क्या आप उनका मानदेय नहीं बढ़ा सकते, उनका भत्ता नहीं बढ़ा सकते ? उनको जो राशि मिलती है, वह न्यूनतम राशि है। इसलिए माननीय मंत्री जी, आपको इन सारी चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके डी.ई.ओ. और बी.ई.ओ. कार्यालय में जो बाबू बैठते हैं, वह तनखाह निकालने, पेंशन निकालने के लिए एक बार नहीं, किसी शिक्षक को तो 10-10 बार चक्कर कटवाते हैं।

सभापति महोदय :- चंदेल जी, प्लीज, जल्दी समाप्त करिये।

श्री नारायण चंदेल :- एक बार नहीं, 10-10 बार चक्कर कटवाते हैं और इस कारण बहुत से शिक्षक लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। ये बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं। इसलिए जितने भी डी.ई.ओ. कार्यालय और बी.ई.ओ. कार्यालय हैं, वहां पर ठीक-ठाक लोग बैठे, जब आप डी.ई.ओ.ज. लोगों की बैठक लेते हैं तब इसकी भी मानीटरिंग करिये। जब आप दौरे पर जायें तो कम से कम सुदूर गांव के 2-4 सरकारी स्कूलों में चले जायें, आप वहां जाकर भोजन चेक कर लें। कक्षा में जाकर बच्चों से बातचीत कर लें। हम सिर्फ सर्किट हाऊस तक सीमित ना रहें या सिर्फ कलेक्टर की बैठक तक सीमित ना रहें, यह मेरा आपसे आग्रह है। लोगों को भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि शिक्षामंत्री जी हमारे कक्षा में आये, हमसे बातचीत किये, संवाद किये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास सहकारिता विभाग भी है। सहकारिता विभाग किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है और बहुत बड़ा विभाग है। गांव-गांव में आपके सहकारी बैंक हैं। हर जिले में, हर ब्लाक में हर प्रमुख स्थानों पर सहकारी बैंक हैं। जब कृषि मंत्री जी अपने बजट भाषण पर जवाब दे रहे थे तो यूरिया खाद का विषय चर्चा में आया था। माननीय सहकारिता मंत्री मेरा आपसे निवेदन है कि

जितने भी धान खरीदी केन्द्र हैं, क्या आपने उन धान खरीदी केन्द्रों में निरीक्षण किया है ? धान खरीदी केन्द्रों की क्या स्थिति है ? हम किसानों की बहुत बड़ी-बड़ी बात करते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, 15 साल में जांजगीर जिले में 5 सौ सोसायटी नइ खुले रहिस होही। अभी हमर सरकार बने के बाद कै ठो खुलीस हे, बता देवा।

श्री नारायण चंदेल :- धान खरीद केन्द्रों में किस प्रकार की अव्यवस्था है, मैं वह बताता हूं। छत्तीसगढ़ का भूमि पुत्र, अन्नदाता किसान वहां पर जाता है तो धान खरीदी केन्द्रों में पूरा एक रैकेट बना हुआ है। अभी जांजगीर चांपा जिले में क्या हुआ ?

सभापति महोदय :- चंदेल जी, चलिये समाप्त करिये। शैलेश पांडे जी।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकारी जमीन और तालाब को खेत बताकर धान बेच दिया गया। उसका खसरा और रकबा नंबर दे दिया गया। इस प्रकार की बात हो रही है। जितने सहकारी बैंक हैं, जब किसान उन सहकारी बैंकों में जाता है तो वह याचक की भूमिका में आ जाता है। वह अपने पैसे को निकालने के लिए, अपने भुगतान के लिए याचना करता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर भी दलाल सक्रिय हैं। जो दलाल से सौदा करता है, बातचीत करता है, उन साहूकारों का जल्दी पेमेंट मिलता है। इसको भी आपको दिखवाने की जरूरत है, दुरुस्त करने की जरूरत है। किसान जो है, याचक मत बने रहे। मेरा आपसे आग्रह है, एक खिड़की ऐसी होनी चाहिये, जिसमें किसान बेचारा गरीब आदमी है, बहुत से किसान निरक्षर हैं, बहुत से कम पढ़े-लिखे हैं, वह बैंक के कायदे-कानून को नहीं जानते हैं। वह फार्म को फिल अप नहीं कर सकते। इसलिए एक खिड़की, एक व्यक्ति ऐसा बैठे, जो सहकारी बैंकों में किसानों को उनके फार्म भर सके, उनको बता सके, उनको गाईड कर सके, यह व्यवस्था भी सुनिश्चित होनी चाहिये, दुरु्यवहार बंद होना चाहिये। मेरा आपसे आग्रह यह है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन दोनों विभागों को आप दुरुस्त करने की कोशिश करे। आपके पास आदिम जाति कल्याण भी है, आदिम जाति कल्याण में जितने हॉस्टल हैं, जो बच्चे रहते हैं, चाहेवह बालिका छात्रावास हो या बालिका छात्रावास हो, वहां भी बहुत अव्यवस्था का आलम है, मेरा निवेदन है कि जब भी आप दौरे में जाये, किसी न किसी छात्रावास में अचानक पूर्व सूचना के वहां निरीक्षण करे, इसी आशा और विश्वास के साथ, मैं अंत में माननीय मंत्री जी के लिए, शिक्षा विभाग के लिए इतना ही कहूंगा कि- चलो जलायें दीप वहां, जहां अभी भी अंधेरा हो। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री शैलेश पाण्डेय।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- शैलेश भईया, आपसे निवेदन है कि जरा जल्दी जायेंगे। सब की इच्छा है, शार्ट कट करियेगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- बढ़िया बोलें, जल्दी बोले।

श्री शैलेश पाण्डेय (बिलासपुर) :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चंदेल जी ने आखिरी में बहुत ही अच्छा शेर सुनाया । मैं सम्माननीय मंत्री जी, बड़े भईया प्रेमसाय सिंह टेकाम जी के विभागों की सभी अनुदान मांगों का समर्थन करते हुये अपनी बात को रखूंगा । माननीय उपाध्यक्ष जी, शिक्षा जो है, हमारे भारत के संविधान में इस प्रकार है कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार भी काम करेगी और केन्द्र सरकार भी अपना काम कर सकती है । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, विषय है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे स्कूल बनाये, उन्नयन किया, बहुत सारे स्कूलों का काम किये, लेकिन इन 15 वर्षों में ऐसा कोई काम नहीं किया, जिसका उल्लेख किया जाये । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 वर्षों में अगर छत्तीसगढ़ को यादगार दी है तो 3 हजार स्कूलों को इन्होंने बंद किया है । चंदेल जी, दीप जलाने की बात कर रहे थे, 3 हजार स्कूलों का दीप वह खुद ही बुझाये हैं । यह इनकी उपलब्धि थी, दूसरी उपलब्धि इनकी यह थी कि जो भारत सरकार द्वारा मॉडल स्कूल खोले गये थे, वह मॉडल स्कूल भी आपकी सरकार नहीं चला पाई थी । उनको भी टेण्डर करके निजी संस्थानों को देना पड़ गया था । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत इम्पार्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि इनकी सरकार में एक ऐसे शिक्षा मंत्री भी थे, जो अपने विभाग को चला नहीं पाते थे, स्कूल के प्रबंधन को देख नहीं पाते थे, उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि सरकार बच्चे पैदा करती है क्या ? पेपर में छपा था । नाम नहीं बताऊंगा । वह जानते हैं कौन है ? इनकी सरकार की यह उपलब्धियां थी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जरूरत है, आज दो साल कोरोना का काल आया, क्या कर लिया हमने, आप क्या करके गये थे, क्या हमारे पास डिजिटल प्लेटफार्म था, हमारे पास कौन सा प्लेटफार्म था, स्कूल बंद थे, बच्चे घर में थे, उनका भविष्य न खराब हो, उनको कैसे पढ़ा सकेंगे, इस पर आपने क्यों नहीं सोचा ? आप इसके लिए क्यों काम करके नहीं गये ? हमारा जो छत्तीसगढ़ का भोला-भाला बच्चा है, जो इस प्रदेश का भविष्य है, उसके लिए आपने क्या किया? आज घर में काम करने वाली जो मेड होती है, वह भी चाहती है कि उसका बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। एक विधवा माँ हम सबके दरवाजे आती है वह बोलती है कि विधायक जी इसकी फीस कम करवा दीजिए क्योंकि उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाता है। कोई परित्यक्ता भी अपने बच्चों को लेकर आती है, वह भी एक अर्जी लगाती है, वह बोलती है कि विधायक जी मुख्यमंत्री जी से स्वेच्छानुदान दिला दीजिए, मेरे बच्चों की फीस जमा करनी है। मेरे बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है। आपने इसके लिए क्या प्लेटफार्म बनाया। आप प्राइवेट स्कूल खोलने की मान्यता देते रहे, लेकिन प्राइवेट स्कूल छत्तीसगढ़ के पालकों से तो फीस वसूलते रहे। कितने बच्चे, कितनी मातायें, कितने पिता के बच्चे, मजदूर, रिक्शेवाला, नाई, मोची का बच्चा हर गरीब आदमी का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहता है। आपने इसके लिए 15 वर्षों में कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि आपके पास विजन नहीं था, क्योंकि आपकी सोच वैसी नहीं थी। यह बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल

में पढ़ना चाहते हैं, इनके लिए हम सोचें। हम सोच ही नहीं पाये। हम उन्हीं योजनाओं में लगे रहे कि हम सायकिल बाटेंगे, बिल्डिंग बना दी, छोटा-छोटा काम कर दिया। मैं अभी पढ़ूंगा कि हमारी सरकार भी बहुत सारा ऐसा काम कर रही है जो आप करते थे। लेकिन हमारी सरकार वह काम भी कर रही है जो आप 15 साल नहीं कर पाये। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम जी के द्वारा जो ऐतिहासिक, क्रांतिकारी निर्णय लिया, वह निर्णय स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का लिया गया। पहले फेज में 52 स्कूल खाले गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उधर के बुलेट वाले वक्ता हो। प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं थोड़ा बजट पुस्तिका देखकर बताइये कि आत्मानंद स्कूल के लिए बजट कितना है।

श्री शैलेश पाण्डे :- मैं आपको बजट की बात बताता हूँ। मेरे क्षेत्र में 3 आत्मानंद स्कूल हैं, उसके लिए मैंने डी.एम.एफ. फंड से पैसा मांगा, सी.एस.आर. से पैसा मांगा, राज्य सरकार से पैसा मांगा। मैंने मांगा न। हाँ पैसा नहीं है, हमने जाकर पैसा मांगा। हम ने भीख जाकर मांगी। लेकिन हमने स्कूलों को पैसा दिया। हमने शिक्षा के लिए काम करके दिखाया, क्योंकि हमारी इच्छा भी। हम बच्चों का भविष्य बनाना चाहते थे। उसके लिए हम जाकर लड़े।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- पांडे जी, उसमें सभी विधायक लोगों की भूमिका है। दूसरी पार्टी वाले लोगों की भी भूमिका है।

श्री सौरभ सिंह :- आप जो डी.एम.एफ. फंड की बात कर रहे हैं, महाराज उसकी कहानी मत चालू करो। यह पवित्र सदन में डी.एम.एफ. की गंदी कहानी को मत कहलवाओ।

श्री शैलेश पाण्डे :- डी.एम.एफ. आपके जमाने में भी होता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप आसंदी से आदेश दीजिए, माननीय सौरभ भैया के निवेदन पर पिछले 15 वर्षों का डी.एम.एफ. का पूरा चिट्ठा पटल पर रखवाईये और पूरे सदन के विधायकों को बताईये कि आपके 15 साल में क्या हुआ और हमारे 03 साल में क्या हुआ। यह ग्रास कटर भूल जायेंगे।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि ऑडिट करवा लीजिए। डी.एम.एफ. में 2019 तक का ऑडिट हो गया है, उससे कुछ नहीं निकला है। अब क्या ऑडिट की आवश्यकता है।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम 15 वर्षों का भी ऑडिट करायेंगे। एक अच्छी योजना है। धर्मजीत भैया, बैलेन्स बात करते हैं। एक अच्छी योजना है, उसका सम्मान करते हैं। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल एक अच्छा योजना है, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे गरीब बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने को मिला। मैं अपने क्षेत्र के स्कूलों को जाकर देखता हूँ, वहां के बच्चों से बात करता हूँ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मॉडल स्कूल को भी इन लोगों ने प्राइवेट हाथों में दे दिया था। इनका पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके हमारी सरकार ने दिया है। यह तो सबको बेच खायेंगे।

श्री शैलेश पाण्डे :- हमने कैसे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया, हमसे पूछिये न। यह अधिकारी बैठे हुए हैं। वहां पर रोज बिलासपुर में खड़े रहते थे। विधायक जी, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, आप इनसे पूछिये, माननीय मंत्री जी का निर्देश रहता था, हमें पता है।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय हमेशा गौठान घूमने की बात करते हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप एक बार चिरमिरी का स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल आकर देखियेगा। मेरे विधानसभा का चिरमिरी का स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आज उसकी एक विजिट करियेगा। कोरिया में जो माननीय के यहां गौठान है, उसका विजिट करियेगा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- वह एस.ई.सी.एल का पैसा है।

डॉ. विनय जायसवाल :- वह कहां का पैसा है, उसमें गरीब के बच्चें पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं, गौठान अलग है। .. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- अजय भाई, आप सीनियर हैं, बैठिये।

श्री अजय चंद्राकर :- एक सेकण्ड, क्या है कि जैसे वह आत्मानंद स्कूल के लिये बजट नहीं बता पाये। वह सबसे बड़े मंत्री बैठे थे, मुख्यमंत्री के संभावित उम्मीदवार, श्री रविन्द्र चौबे जी। वह नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी और गौठान के लिये नहीं बता पाये कि क्या बजट है। यह बिना बजट के हवा-हवाई, हवाई फायर मार रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है। अजय भाई बैठिये। श्री शैलेश पाण्डे जी।

डॉ. विनय जायसवाल :- जादू से चल रहा है। जादू से 175 आत्मानंद स्कूल चल रहे हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चंद्राकर जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। श्री अजय जी यहां के पूर्व मंत्री रहे हैं, वह खुद जानते हैं कि किस प्रकार से।

श्री शिवरतन शर्मा :- पाण्डे जी, जैसे आप पुलिस विभाग में रेट लिस्ट की बात किये थे, इनसे भी रेट लिस्ट पूछो कि ट्रांसफर का क्या रेट है, काम स्वीकृत कराने का क्या रेट है, रेट लिस्ट सब जगह होगी। दूसरी बात, माननीय पाण्डे जी आप कितना भी बोल लो, यहां आपकी सी.आर. सुधरनी नहीं है, आपकी गिनती अंबिकापुर के साथ ही है।

श्री शैलेश पाण्डे :- टाइम कम है, बैठ जाओ न। बैठ जाओ बाबा, मालिक बैठो न।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लोग अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- पाण्डे जी, यह ध्यान दीजियेगा, उनको देखकर मत बोलियेगा, मेरी तरफ देखकर बोलियेगा और जल्दी समाप्त करियेगा।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पूरा ध्यान आपके ऊपर है और प्रमुख सचिव जी के ऊपर है, आप निश्चित रहिये।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वामी आत्मानंद स्कूल की जो योजना है, जो पॉलिसी है, वह वास्तव में पूरे देश में इसको प्रचार की जरूरत है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह जो काम किया है, यह काम अन्य प्रदेश की सरकारें भी करें, मैं सदन से इस बात की मांग करूंगा और दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूँ कि आज छत्तीसगढ़ का जो छोटा बच्चा है, आज वह अच्छा ब्रेन बन रहा है। हम उसे इंग्लिस मीडियम में पढ़ा रहे हैं, लगभग 1.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं, कहां से पैसा आता है, वह अलग विषय है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। दूसरी बात, आपको याद होगा कि जब डॉ. मनमोहन जी की सरकार थी, जब हमारा नेशनल ई गवर्नस प्लान लॉन्च हुआ था। जब उसमें आपके सी.एस.ई., एस.डी.पी. और सारे बने थे। आपको याद होगा तब उन्होंने असंगठित और संगठित क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में उन्होंने skill development के व्यावसायिक पाठ्यक्रम की launching की थी। मुझे माननीय मंत्री जी ने, शिक्षा मंडल का सदस्य भी बनाया। मैं शिक्षक मंडलों की बैठक में जाता था उसमें देखता था कि कितने सारे बच्चे व्यावसायिक पाठ्यक्रम opt करते हैं। आज वह बच्चे जो काम करना चाहते हैं, उसे स्कूल लेवल से ही उसे सीख रहे हैं, आगे जा कर यू.जी.सी. देती है। आपको याद होगा दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, भारत सरकार बनाती है। हम विश्वविद्यालयों में और स्कूलों के अंदर भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ में हमको इसकी जरूरत है। आज हमारे छत्तीसगढ़ का बच्चा, छत्तीसगढ़ का होनहार बच्चा, वह केरल में, वह आंध्रप्रदेश में, वह दिल्ली में, वह महाराष्ट्र के बच्चे से competition करें, यह हम चाहते हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार वह करें और हमारी सरकार वह काम कर रही है। आज 3000 स्कूलों में यह काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ के 3000 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में हम बच्चों को कौशल विद्या की training दे रहे हैं और उसमें बहुत सारे पाठ्यक्रम opt किया जाता है और इससे बच्चों का भविष्य बन रहा है। आगे जाकर यही बच्चे, वह हमारे लिये एक अच्छे बच्चे बनेंगे और छत्तीसगढ़ का नाम रौशन करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मैंने अपना समय कटौती करने के लिये कहा था क्योंकि हमारी बहन बोलना चाहती थी और दो वक्ताओं को ही बोलने का मौका दिया जा रहा था इसलिये मैं अपने खाते से उनको 5 मिनट देता हूँ। लेकिन इस बात को जरूर कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- पाण्डे जी, हो गया। समय हो गया।

श्री शैलेश पाण्डे :- मैं अपनी बात को अंत करूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जो काम शिक्षा विभाग के लिये किया, निःशुल्क पाठ्यक्रम, गणवेश प्रदाय, साईकिल प्रदान करना, मध्याह्न भोजन, निःशुल्क दुर्घटना बीमा, राज्य छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना, कन्या साक्षरता योजना, जैसी बहुत सारी योजनाओं में फंड दिया है। दूसरी बात, कि जो छत्तीसगढ़ में 57 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं ,

उसमें से 50 प्रतिशत से भी ज्यादा छत्तीसगढ़ की बेटियां पढ़ रही हैं, यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। मैं इसके लिये माननीय मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं माननीय मंत्री जी की समस्त मांग संख्याओं का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह विभाग छत्तीसगढ़ का बुनियादी विभाग है। जो उसका भविष्य तय करता है, बुनियादी शिक्षा तय करता है और साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का भविष्य भी तय करता है इसलिए यह बुनियादी शिक्षा का एक आधार स्त्रोत है, लेकिन माननीय मंत्री जी और उनके विभाग के लोग अपनी असक्षमता से छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। सिवाए उनको धोखा देने के काम के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये कैसे धोखा दे रहे हैं, यह किस तरीके से छत्तीसगढ़ की बुनियादी शिक्षा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। मैं इसको उदाहरण सहित बताता हूँ। अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत बजट है यानि 12 हजार करोड़ रुपये और इस 12 हजार करोड़ बजट में इनका उद्देश्य है कि उनकी शिक्षा को बढ़ाना, शैक्षणिक स्तर को बढ़ाना, आर्थिक स्थिति को बढ़ाना और सामाजिक स्थिति को बढ़ाना। मैं अनुसूचित जाति के आंकड़ों को बताता हूँ कि अपने जितने विभाग में अन्य विभागों को जो बजट आवंटित किया गया था, इस बजट से इनका शैक्षणिक स्तर एक भी नहीं सुधर रहा है अर्थात् इसे बर्बाद किया। इनके विकास से उनकी आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है अर्थात् उनके भविष्य को चौपट कर दिये। अब इसका छोटा सा उदाहरण है जितने विभागों में बजट का आवंटन किया गया है उसके पूरे पैसे खर्च करने का अक्ल, कार्यक्षमता, विवेक भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन इसमें पूरे बजट को भी खर्च नहीं किया है। इनका जो पूरा प्रतिवेदन है इस बजट प्रतिवेदन में देखा जाए तो इन्होंने बजट की राशि का उपयोग ही नहीं किया। इसमें नुकसान किसका हुआ ? इस बजट के उपयोग नहीं होने से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का नुकसान हुआ और उनका शैक्षणिक स्तर बर्बाद किया जा रहा है। इन्होंने कभी समीक्षा करके नहीं देखा कि यह बजट हमारे हित में उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन्हें इतनी भी अक्ल नहीं है। इतनी भी क्षमता नहीं है, इतनी भी विद्वता नहीं है तो फिर यह कैसे बनेगा। अब इन्होंने कार्य की योजना बनायी है कि हमने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए यह-यह योजना है तो इनकी क्या-क्या योजनाएं हैं। अगर इनके विकास की योजनाओं को देखा जाए तो इन्होंने जो प्रतिवेदन में दिया है, मैं उसको पढ़ रहा था। आप इनके पूरे प्रतिवेदन को पढ़कर देखिए, इससे क्या उनकी शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति में बदलाव आ सकता है क्या ? इन लोगों ने कभी योजना मण्डल में बैठकर बातचीत की है, हमें इसकी समीक्षा किस सिरे से करनी चाहिए। हम इतने बजट को किस सिरे से आवंटित

करके, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हित में काम करना चाहिए। यह कहीं नहीं किया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग बड़ी ईमानदारी और विश्वास के साथ इनके पक्ष में खड़े रहते हैं और उनको यह धोखा दे रहे हैं। जिस दिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विश्वास में कमी आयी, जिस दिन उनको लगेगा कि उनके साथ छल हो रहा है, जिस दिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ कपट हो रहा है तो फिर एक बात याद रखिएगा कि उत्तरप्रदेश की भांति स्थिति आएगी।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय बांधी जी, आप मेरी बात को सुनिये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए यह सरकार...

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय बांधी जी, यदि धोखा देते तो आप डॉक्टर नहीं बनते और न ही आप एम.एल.ए. बनते।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय बांधी जी, आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात बोल रहे हैं उसमें हमारा अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण बना हुआ है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उसमें अनुसूचित जाति को कितना पैसा है, आप बता दीजिए ? आप कितना बजट देते हो, उसको बता दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय राठिया जी आप बैठिए।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय बांधी जी, अनुसूचित जनजाति के लिए बस्तर में संभाग में अभी बजट में पूरा पैसा जा रहा है। उनको वन अधिकार पट्टा दिया जा रहा है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मैं तो वही बोल रहा हूँ कि आप 12 हजार करोड़ में उनको कितना पैसा दे रहे हो ? आप यह बता दीजिए ? वही तो धोखा है कि जिस दिन भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग अपने हितों का अर्थ समझ जाएंगे, संविधान के अधिकारों को समझ जाएंगे, उस दिन आपका साथ छोड़कर, उत्तर प्रदेश की तरह स्थिति हो जाएगी। आपका कहीं कोई पूछने वाला नहीं रह जाएगा।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय बांधी जी, वहां स्कूल बना हुआ है। अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में पूरे विकासखण्ड में संचालित हो रहा है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने छात्रों की छात्रवृत्ति की बात की। अब इनकी जितनी भी छात्रवृत्तियां हैं, केन्द्र सरकार भी छात्रवृत्ति देती है अभी तक कई जगहों पर छात्रवृत्तियां ही नहीं बंटी है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय बांधी जी, उनके बैंक के खाते में डायरेक्ट छात्रवृत्ति गई है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर छात्रवृत्ति डायरेक्ट खातों में जा रही है, लेकिन आपने जो इसमें बताया है, जो वर्ष 2020-21 में बजट में प्रावधान किया है तो उनके खातों में

कैसे जा रहा है। आपने प्रशासकीय प्रतिवेदन रखा होगा तो आप अपने प्रशासकीय प्रतिवेदन में पत्ते खोलकर देख लीजिए। मैंने इसलिए कहा...

श्री लालजीत सिंह राठिया :- आप स्कूल के बच्चों से पूछिएगा, वे लोग बताएंगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष महोदय, उनके खातों में जा रहा है, यह अच्छी पारदर्शिता है। नहीं तो वही एक जमाना था कि हम वहां से एक रूप भेजते थे, 15 पैसा पहुंचता था। ऐसा डायलाग था। अब ऐसी स्कीम बनाई हुई है, उसका धन्यवाद दीजिए, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए आज बड़ी-बड़ी स्ट्रक्चर खड़ी हुई है। एक रूप 15 पैसे में ही आज सारे विकास के कार्य हुए हैं, एयरपोर्ट बने हैं, रेलवे लाईन बनी है, किसान लोग आगे बढ़े हैं, डेम बने हैं, बिजली पहुंची है। आपको एक रूप का चावल मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- राठिया जी, बैठिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह एक प्रतिवेदन है, मैं तो प्रतिवेदन को देखने के लिए बोल रहा हूं। प्रतिवेदन को एक बार खोल लीजिए। आपका ही दिया हुआ प्रतिवेदन है। इसमें वर्ष 2021-22 में केन्द्र सरकार से 854 लाख रूपए और 2,614 लाख रूपए बजट का प्रावधान हुआ है। अब इसमें से कितने पोस्ट मैट्रिक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्तियां दी ? यह भी तो एक प्रश्नचिह्न है। हम अभी तक उनके साथ क्या न्याय कर रहे हैं। पहले प्रतिवेदन को देख लीजिए उसके बाद आंकड़ों के साथ बात करना।

श्री रामकुमार यादव :- तुहर जमाना मे ए प्रदेश के आदिवासी समाज, चौरा, पाव, बुदिया, खरिआ, मांझी, उरांव, धववार, कोड, कोडाकू, ए मन के जाति प्रमाण पत्र नई बनत रहिस। अभी भी लंबित हे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अभी तो पूरा पैसा ला खा देव। यही बात तो बोल रहा हूं, धोखा दे रहे हैं। हम तो यही बात कह रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग को धोखा देने का काम कर रहे हैं। इस जमाने में उससे ज्यादा गंदगी आ गयी है। उसका अधिकार आ गया है। आप एक बार अपनी किताबें खोल लें।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. साहब जल्दी समाप्त करिएगा। 8 मिनट हो गए हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने शुरू ही किया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा होती है। एक-एक विभाग में पांच सात वक्ता बोलते रहे हैं। आसंदी के निर्देश का (व्यवधान) उनको अवसर नहीं मिलेगा तो फिर (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय :- सौरभ भाई से पूछ लीजिए।

श्री गुलाब कमरो :- 15 साल तक बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन थे, यह बता दीजिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मैं तो पूछ रहा हूं, उसमें पैसा कितना है ?

श्री गुलाब कमरो :- पैसा जितना भी रहे, आप यह बता दीजिए कि 15 साल तक आदिवासी (व्यवधान) को नहीं दिए थे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष महोदय, युवा कैरियर में आ जाता हूं। अब जो युवाओं का कैरियर है, जो हमारा छत्तीसगढ़ का बुनियादी भविष्य अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, ओबीसी हैं, कैरियर गार्डेंस में कितना पैसा खर्च करते हो और कितना उपयोग कर रहे हो ? आपकी बजट क्षमता कितनी है ? आप छत्तीसगढ़ के लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोगों ने तो बजट में ही कम कर दिया है। 52 को 32 में ला दिए हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आंकड़े बता रहा हूं, आपको पेज नंबर बता देता हूं, आप अपना पेज नंबर 17 खोल लीजिए। उसमें बताईए कि आपने युवा कैरियर पर कितना खर्च किया है ? यह धोखा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि माननीय मंत्री जी आप योजना मंडल में, योजना आयोग में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए शैक्षणिक सामाजिक उत्थान के लिए आप निश्चित तौर पर एक बार समीक्षा करिए, एक बार अधिकारियों के साथ चर्चा करिए, कोई एक क्रांकीट बनाईए। क्योंकि अनुसूचित जाति के पास, एस.टी., एस.सी., फायनेंस, कार्पोरेशन, अंतःव्यवसायी निगम है। इसमें जिलों को कितना पैसा दे रहे हैं, उसका किस तरीके से डेव्हलपमेंट हो रहा है। दो लाख, तीन लाख रूपए के लिए लाईन लगा रहे हैं, जबकि उनके उद्योग का असर बढ़ रहा है। हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है, हमारी प्लानिंग भी उसके अनुरूप नहीं बना पा रहे हैं। किसी अनुसूचित जाति, जनजाति को देने की भी नहीं है। जबकि 12000 हजार रूपए केवल एस.सी. में है, उपाध्यक्ष जी, कम से कम 20 से 25 हजार करोड़ रूपए है। आप सब विभागों को एलाटमेंट करेंगे तो थोड़े-थोड़े पैसे बहुत आ जाएंगे। उसमें नई योजना नई सोच की आवश्यकता है। जो आप फेल हो गए हैं। दूसरा, आपके पास सहकारिता विभाग है।

श्री रामकुमार यादव :- तुहर जमाना में 16 प्रतिशत ला 12 करे रहिस, याद हे कि नहीं हे। डॉ. साहब एला बतावव, एस.सी. ला 16 ला 12 करिस अऊ हमर ला 13 कर दिस।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- आप लाल डायरी की चिंता करो, लाल डायरी में क्या है ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- रामकुमार हमन कुछ पाप करेन ता, ए तरफ आ गेन, अऊ तुमन महापाप करहू ता तुहर अऊ कतका संख्या घट जही।

श्री रामकुमार यादव :- बाबा साहब हा कहे रहिस, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसका उतनी हिस्सेदारी। ता ओखर खातिर हमन संख्या के आधार पे 12 ला 13 करे हन।

श्री कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष महोदय जी, तैं कहां जाबे, यू.पी. भर ला याद रखे रहा, अभी सबसे बढ़िया थर्मामीटर यू.पी. के हे। अभी किसान लोग धान को बेच दिए, उस पैसे को प्राप्त करने के लिए बैंक में जिस तरीके से किसान लोग लाईन लगा रहे हैं, उसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा है। कोई रत्ती भर का सुधार नहीं दिख रहा है। क्या किसानों को ए.टी.एम. लागू है, सुबह से गए रहते हैं, वहां पर दलालों का ऐसा संगठन काम करता है, जो पैसे लेने के लिए आए हैं, सुबह पांच बजे से किसान उठकर जाते हैं और 6-7 बजे पैसा लेकर आते हैं। कभी सर्वर डाउन, एटीएम चालू नहीं है। कूपन नहीं देते, अगर किसी भी बैंक में किसानों को पैसा देने के लिये कूपन एलॉट करते हों, कूपन की व्यवस्था बनाये होंगे तो आप बता देना। अगर आपने किसी को निर्देश दिया हो तो बता देना। किसानों हेतु लेनदेन में व्यवस्था बनाने की किसी ने कल्पना की हो तो बता दें। कोई भी कल्पना नहीं है। बैंक की पूरी व्यवस्था चरमरा गयी है और दलालों के माध्यम से और आज ये मौनी भगत बनकर बैठे हुए हैं। मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात करना चाहता हूं। मैं तो केवल ड्रापआउट संख्या की बात करूंगा। आप बता दीजिये कि छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक स्तर पर कितनी ड्रापआउट की संख्या है? माननीय मंत्री जब आप सायकल की व्यवस्था अच्छी कल्पना के साथ बना रहे हैं, जब भोजन निःशुल्क दे रहे हैं तो कम से कम मिडिल स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल में हम दे रहे रहे हैं, उनको पासआउट कर रहे हैं तो मिडिल स्कूल में हमारी दर्ज संख्या परफेक्ट होनी चाहिए, ड्रापआउटों की संख्या नहीं है। आप तो कभी समीक्षा करने के लिये तैयार नहीं हैं कि हमारे इतने सारे ड्रापआउट क्यों हो रहे हैं? हमारी ड्रापआउट होने की संख्या कितनी है आप कभी इसकी कल्पना नहीं कर सकते और हम छत्तीसगढ़ को उज्जवल छत्तीसगढ़ की ओर ले जाने की कल्पना कर रहे हैं। आपकी सोच से, आपकी कल्पना से छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्जवल हो ही नहीं सकता क्योंकि आप तो केवल भ्रामात्मक और भ्रमपूर्वक लोगों को...

श्री मोहन मरकाम :- डॉ. साहब उज्जल छत्तीसगढ़ है, आप देखते जाईये न।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मोहन जी, आप मुझे ड्रापआउट की संख्या बता देना कि इतनी अधिक क्यों हो रही है, जबकि आप फ्री में दे रहे हैं, पॉसआउट कर रहे हैं, सब-कुछ कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा शिक्षा में कोरोनाकाल में सूखा चावल देने में जो भ्रष्टाचार किया गया। चूंकि जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था लेकिन अधिकांश स्कूलों में उसका वितरण नहीं हुआ। क्या आपने कभी उसकी जांच कराने के बारे में सोचा है? क्या उन बच्चों को उनका अधिकार देने के बारे में सोचा है कि किस तरह से होना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी चर्चा कराने से क्या फायदा जब पूरी लाईन खाली है? अकेले मंत्री बैठे हैं, पूरी सरकार गायब है। इससे अच्छा आगे बढ़ा दीजिये, कल के लिये कर दीजिये। मैं समझता हूं कि ट्रेजरी बेंच में ऐसी निराशा, चूंकि कोई एक भी

नहीं है। केवल मंत्री अकेले बैठे हैं, उनको छोड़कर चले गये हैं। पूरी लाइन खाली है। ऐसी चर्चा कराने से क्या फायदा? उसको बंद करा दीजिये। हताश और निराश।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- आप सुन तो लीजिये। हम बैठे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप अकेले बैठे हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- नहीं, पूरे अधिकारी बैठे हैं। वे पूरा नोट कर रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं तो सामान्यतः अधिकारियों की चर्चा करता नहीं हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय :- চলিয়ে, ডॉ. সাহাব সমাপ্ত করিয়েগা।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो विषय उठाया है उस संबंध में आपके कोई निर्देश तो जारी होने चाहिए। पूरा ट्रेजरी बेंच खाली है, सरकार की पूरी कुर्सीयां खाली हैं। यह बजट किसके लिये है? सरकार हमसे मांग रही है, सामूहिक जिम्मेदारी है और माननीय मंत्री जी अकेले बैठे हुए हैं। उनको अकेले छोड़कर पूरी सरकार भाग गयी है तो ऐसी चर्चा कराने का औचित्य क्या है? अभी तो हमारे पास में 6 दिन का समय है, अभी और विधानसभा चलेगी। जिस दिन सरकार आ जाये फिर आप कल चर्चा करा लीजियेगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- চলিয়ে, ডॉ. সাহাব বোলিয়ে।

श्री शिवरतन शर्मा :- कोई व्यवस्था तो आये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था नहीं आ रही है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय टी.एस. बाबा के आदमी हैं न।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कोई व्यवस्था दे दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- সংখ্যা বড়ানোর লিয়ে এক বহান গিয়ে हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या है कि ये सत्तारूढ़ पार्टी की गुटबाजी दिख रही है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय टी.एस.बाबा के आदमी हैं तो क्या अकेले रहेंगे?

श्री शिवरतन शर्मा :- ये माननीय टी.एस.बाबा के आदमी हैं इसलिये अकेले बैठे हैं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- यदि उनके आदमी हैं तो उनके ऊपर अपराध कायम हो जायेगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- उन्हीं के आदमी बैठे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे माननीय टी.एस.बाबा के एकदम खासमखास आदमी हैं इसलिये कोई मंत्री नहीं है। (व्यवधान) उनकी स्कूल शिक्षा विभाग में परफार्मेंस के हिसाब से उनको कोई आदमी पसंद नहीं कर रहा है, किसी का तो स्कूल खुला ही नहीं है, वे उस विभाग में चिट्ठी

भर लिखते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत जी बैठे हुए हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधायक भी नाराज होकर चले गये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये । चलिये, डॉ. साहब आप समाप्त करिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप अपनी बात बोलिये न भई । अधिकारी नोट कर रहे हैं, मंत्री जी नोट कर रहे हैं । आपको क्यों चिंता हो रही है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- आपको तो मजा आ रहा है । मंत्री जी को उत्तर देना है । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- जो जहां भी हैं, कैमरे से भी देख रहे हैं न । (व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- कोई नोट करे या न करे, विधानसभा के रिकॉर्ड में तो आ रहा है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, बैठिए । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- मंत्री जी, जवाबदारीपूर्वक नोट कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप जो आरोप लगाते हैं उसको बोलो न । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- आप अपनी बात कहिए न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनके गुट से आपकी जान को खतरा है, हम बोल देते हैं। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- आपसे बड़ा खतरा किसी से नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके गुट से इनकी जान को खतरा है या नहीं।

श्री बृहस्पत सिंह :- अगर सच मैं इन्हें खतरा रहता तो बताते।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, बैठिए। बांधी जी आप बोलिए। समाप्त करिएगा।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- ये हमारे गुट के हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- टी.एस. सिंहदेव के गुट को जान का खतरा है। (व्यवधान)

श्री लालजीत सिंह राठिया :- सरगुजा के रहने वाले हैं। सर भी सरगुजा के रहने वाले हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- बांधी जी, समाप्त कीजिएगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- सर, ये भड़काऊ वाला कोर्स करके आते हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मुझे जितना डिस्टर्ब हुआ, उसका एडिशनल लाभ मिलना चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बिल्कुल-बिल्कुल। बोलो-बोलो।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक घंटा।

उपाध्यक्ष महोदय :- ये जबर्दस्ती सारी चीजें करके आपको समय दे रहे हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- जंगल में मोर नचवाते हैं। किसने देखा ? किसने देखा।? कोई है ही नहीं, जो देखेगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- वैसे भी आपका 15-16 मिनट हो गया है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अब थोड़ा सा शिक्षा में।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बांधी जी, उपाध्यक्ष जी, पूरी बात सुन रहे हैं और वे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- धन्य हुए। धन्य हुए। (हंसी) माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए हम अनुसूचित जाति के 12 हजार..।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके बजट को पारित करवा देते हैं न।

श्री शिवरतन शर्मा :- थैंक यू बोलने के बाद पारित करा दो।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- पारित करा दीजिए। चलिए हो गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम ला जवाब घलो के नहीं सुनना है। पारित।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. साहब बंद कीजिएगा। चलो ठीक है। श्रीमती संगीता सिन्हा जी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मैं तो बोला ही नहीं हूं। आप मेरा टाइम निकालकर देख लीजिए। मुझे तो बोलने ही नहीं दिया गया। मेरे साथ अन्याय होगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- सबसे ज्यादा आप ही बोला है। आपने शैलेश भाई से भी ज्यादा बोला है।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आप फालतू बात करते हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- दो मिनट और दे दीजिए। मैं कुछ बातें करके समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपने जितना अच्छा बोला है, उतना कोई नहीं बोला है। कहने का मतलब यह है कि आप स्वतंत्र रूप से बोले हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, दो मिनट।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में हमने 12 हजार करोड़ रुपया अनुसूचित जाति का फाइनेंस किया है और अनुसूचित जनजाति के लिए भी हमने लगभग 20 हजार करोड़ के आसपास कुछ होंगे, जो भी होंगे, लेकिन हमने इन क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थाएं कितना खोला ? कितनी संख्या में खोला ? किस स्तर पर हमारा शैक्षणिक स्तर बढ़ेगा ? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि अनुसूचित जाति को धोखा देने का काम कर रहे हैं। हमने कितना खोला ? हमने उन क्षेत्रों में शिक्षकों की भर्ती करने के लिए इसमें कितना प्रावधान किया है ? कितनी संस्थाएं खोली हैं ? इसमें कोई चीज नहीं है। जो शिक्षकों की पदस्थापना है। आत्मानंद स्कूल की बात कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में खुलना अच्छा है, लेकिन यह पूर्णतः कल्पनाओं पर आधारित है। व्यावहारिकता के आधार पर अभी नहीं जा पाये

हैं और व्यावहारिकता के आधार पर जायेंगे। मैं नहीं कहता कि यह गलत है। व्यावहारिकता में जायेंगे तो निश्चित रूप से इसका अच्छा रिजल्ट आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, धन्यवाद आपका। श्रीमती संगीता सिन्हा।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- परंतु कार्ययोजना से देखने से ऐसा लगता है कि ये नहीं जायेंगे, वहां उन स्कूलों में जहां आत्मानंद प्रारंभ है, वहां के बच्चों का जो हिंदी मीडियम के बच्चों का है, उनके भविष्य को खतरे में रख दिये। यह कैसा शिक्षा प्रणाली रहेगी ? हम बच्चों के किसी एक वर्ग को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरे के भविष्य को अंधकार में करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कैसी नीतियां हैं ? यह कैसी कल्पना है ? उपाध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी का अपने शिक्षा विभाग में ट्रांसफर करने का भी भगवान ही मालिक है। मैं कुछ नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय :- दो मिनट हो गया।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं भगवान से क्या कहूं, वे भी दुखी हैं और हम लोग भी कुछ नहीं कह सकते।

उपाध्यक्ष महोदय :- बांधी जी, आप निराश मत होइए। सबसे ज्यादा आप ही बोले हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय जी, इतना मौका देने के लिए आपको धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- थैंक यू।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जी, मैं शिक्षा विभाग के मांग प्रस्ताव के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के अनुदान की मांगों का समर्थन करती हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, शिक्षा समाज की रीढ़ होती है और शिक्षा का परिवार में और समाज में और राज्य के तरीके में विशेष योगदान रहता है। विद्या एक ऐसा धन है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता।

श्री मोहन मरकाम :- आप लोग टोका-टाकी मत करो न। बहुत अच्छा बोलथे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अगर आपके पास सोना है..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सिन्हा जी, टी.एस. सिंहदेव के गुट में शामिल हो गयी क्या ? (हंसी)

समय :

7.00 बजे

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं पूरी कम्प्लीट कांग्रेस पार्टी में हूं। (हंसी) विद्या ऐसा धन है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अगर आपके पास सोना है तो सोने को चुरा सकता है। अगर आपके पास पैसा है, वह भी चोरी हो सकता है। लेकिन विद्या को और नॉलेज को, चाहे वह चंद्राकर जी का नॉलेज ही क्यों ना हो (हंसी) उसे कोई नहीं चुरा सकता। साथ में हमारी सरकार ने शिक्षा की मूलभूत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो प्रावधान रखा है, उसका मैं समर्थन करती हूं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी

सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, कुछ विरोध और समर्थन की बातें हुई, लेकिन आप लोगों ने विरोध की बातें कीं। उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय का संचालन हुआ है। जिसमें 1 लाख 35 हजार विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे गरीब के बच्चे हैं, किसान भाइयों के बच्चे हैं जो प्रायवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, कारण यही है कि प्रायवेट की फीस बहुत ज्यादा रहती है। जिसके कारण वे अपने बच्चों को पढ़ाने में समर्थ नहीं रहते। हर जनप्रतिनिधि के पास ऐसे लोग आते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, जबकि उनके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे रहते हैं। आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं यह हमारी सरकार का बहुत अच्छा काम है। साथ में हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसमें 17500 बच्चे लाभान्वित होंगे। साथ में जो कोरोनाकाल में माता-पिता की मृत्यु के कारण बच्चे अकेले रह गए हैं। ऐसे बच्चों को महतारी दुलार योजना में फ्री में शिक्षा देने का निर्णय सरकार ने लिया है, यह भी बहुत सराहनीय है। इस वर्ष 11 पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में तथा 12 हाईस्कूलों का हायर सेकेंडरी में उन्नयन किये जाने का प्रावधान है। मैं इसी में कहना चाहती हूँ कि मेरे संजारी बालोद विधान सभा में बालोद ब्लॉक में नेवारीकला हाईस्कूल है, उसके उन्नयन की मांग वर्षों से की जा रही है। हम लोग 7 सालों से इस मांग को कर रहे हैं कि उसका उन्नयन किया जाए। वहां के गांव वाले चंदा करके 12 वर्षों से ग्यारहवीं और बारहवीं क्लास का संचालन कर रहे हैं। मैंने महोदय जी के पास उसके उन्नयन के लिए मांग भेजी थी, 12 वर्षों से गांव वालों द्वारा किये जा रहे परिश्रम को ध्यान में रखते हुए उनकी परेशानियों को समझते हुए, इसका उन्नयन करने की कृपा करेंगे। साथ ही भाजपा शासनकाल में 2015-16 से केवल 12वीं से ऊपर की कक्षाओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती थी। हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार ने वह 11वीं एवं उच्च कक्षाओं को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को भी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसके लिए 272.29 करोड़ का प्रवधान है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में मेरे विधान सभा में कुछ शालाओं की स्थिति बहुत ही जर्जर है इसके लिए मैं मंत्री महोदय जी से मांग करती हूँ कि गुरुर जो कि मेरा गृह निवास है, वहां की स्कूल बहुत ही जर्जर है, छत से पानी टपकता है। पीपरछेड़ी का शाला भवन है तथा शासकीय स्कूल माध्यमिक विद्यालय जगन्नाथपुर शाला भी बहुत ही जर्जर है।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी धुव :- माननीय मंत्री जी मेरे भी विधान सभा क्षेत्र में है थोड़ा देख लीजिएगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मैंने जितनी भी मांग आपके सामने रखी है, उसे जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट, सिर्फ एक मिनट ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उंगली क्यों बार-बार करते हो भाई ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अजय भाई, इनका समाप्त होने दो ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मोहले जी आप बैठिये न।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उपाध्यक्ष महोदय, अब ओमन खड़े हो जाथे, मोला बोले नइ देवथे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, अजय भाई आधा सेकण्ड।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, आपने 20 महापुरुषों को पढ़ाने का निर्णय है, ऐसा मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है। तो 20 महापुरुषों का चयन कैसे हुआ? और एक की मैंने पाण्डुलिपि देखी है, जिससे भी आपने लिखाया, उसका मैं यहां नाम नहीं बताऊंगा। आप विवाद में पड़ने वाले हैं, उसको जल्दी छपवाईये, एक। दूसरा, जो आप किताब बनाते हैं। कितने दिन में किताब बनता है, यह मैं जानता हूं, क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री था। तो 7वीं कक्षा में जो आपने राजीव गांधी जी के जीवनी को शामिल किया है, वह आपकी एकमात्र उपलब्धि है। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, केशव चंद्रा जी दो मिनट बोलियेगा।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- पांच से दस मिनट महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं, दो मिनट।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्कूल शिक्षा जी के विभाग के अनुदान मांग पर बोल रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी हो जाये। सबसे पहले मंत्री जी आपको धन्यवाद। आपने 171 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले हैं। लेकिन हिंदी माध्यम का क्या होगा? जब आप उत्तर देंगे तो कृपया बता देंगे क्योंकि आपके सरकार की नीयत उसको बंद करने का है। सभी जिस स्कूल में वह संचालित हो रहा है, वहां के सभी शिक्षकों का आपने ट्रांसफर कर दिया है। शिक्षक विहीन कैसे चलेगा? आपने उस दिन माननीय अग्रवाल जी के ध्यानाकर्षण में आपने जवाब दिया कि हम स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों की समझ कम है या समझ नहीं पा रहे हैं कि बिना शिक्षक के स्कूल कैसे चलेगा? तो यह कृपया बता देंगे। आपने जिला में एक विभाग में एक पत्र लिखा है कि डी.एम.एफ. मद से जो बजट पर पैसा जाता है, उसके लिए किसी प्रकार की राशि स्वीकृत न करें, जिसके कारण डी.एम.एफ. में भी भवन विहीन स्कूल का भवन का निर्माण नहीं हो रहा है। नहीं तो शिक्षा मद में वह भवन बन जाता।

श्री अजय चंद्राकर :- प्रतिवेदन में लिखा है, कितना भवन विहीन है और कितना नहीं है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- और आज बजट में पैसा नहीं दे रहे हैं। तो बिना भवन के बच्चे लोग कैसे पढ़ेंगे? आपका समय और हमारा समय अलग था। हम लोग पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ लेते थे। आज बिना भवन के स्कूल कैसे संचालित होगा? जबकि एक तरफ बजट में जो प्रावधान है, उसमें पैसा नहीं देना है करके आपने पत्राचार किया है। आपके जिलाध्यक्ष का कहना है दूसरी तरफ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जांजगीर क्रमांक-2, शासकीय हाईस्कूल कसेर पारा सक्ति, इसके लिए डी.एम.एफ. मद से 2 करोड़ 23 लाख की स्वीकृति हुई है और यह सिर्फ उसकी मरम्मत के लिए स्वीकृत हुई है। यह कोई नया बिल्डिंग नहीं बन रहा है। जबकि आपकी हायर सेकण्डरी स्कूल 1 करोड़ 45 लाख रुपये में बनता है। अग्निशामक के लिए 1 करोड़ 36 लाख रुपये की स्वीकृति हुई है। माननीय मंत्री महोदय, आप अपने विभाग की तरफ से आपके छात्रावास में क्या-क्या व्यवस्था करते हैं, यह मैं नहीं जानता हूं। आपके अधिकारी लोग भी नहीं बनाते। लेकिन अभी मरम्मत आप लोग खूब करा रहे हैं और मरम्मत के अलावा आप तो अपनी व्यवस्था करते होंगे, लेकिन यह किस तरह की व्यवस्था है कि जिला जांजगीर-चांपा में छात्रावास के किये मच्छरदानी के लिये, स्वच्छता सामग्री के लिये, स्टील चेंबर के लिये, आरो स्थापना के लिये, गद्दा-चादर के लिये..।

श्री अजय चंद्राकर :- खेलगढ़ी के लिए। खेलगढ़ी भी बोलना यार।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- स्टील टेंट के लिये 7 करोड़ 10 लाख रुपये डी.एम.एफ. मद से दिये हैं। हो सकता है आपके विभाग का भी सामग्री गया होगा। डी.एम.एफ. का भी सामग्री गया होगा। सामग्री एक गया होगा और पैसा दो खाये होंगे।

श्री धरम लाल कौशिक :- आपके यहां गया होगा क्यों बोल रहे हो?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- खेलगढ़ी की बात कर रहे हैं, खेलगढ़ी में आपने स्कूल को पैसा दिया। हायर सेकण्डरी, हाई स्कूल और मीडिल स्कूल को। आपने पैसा दे दिया और आपके विभाग का ...।

उपाध्यक्ष महोदय :- चंद्रा जी, समाप्त करियेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, कोटा के भी स्कूल पिछली दो साल बंद रही। रही या नहीं? और उसमें खर्चा 100 प्रतिशत हुआ है। बच्चे एक भी नहीं थे। एक प्रश्न के उत्तर में हैं और दूसरे प्रश्न में 100 प्रतिशत खर्चा हुई है। यह नहीं मालूम कि आपने 100 प्रतिशत का खर्चा कैसे किया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ठीक है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- खेलगढ़ी में आपने स्कूल को पैसा दिया है। अब स्कूल अपनी व्यवस्था के अनुसार से सामग्री खरीदता है लेकिन आपका आदेश गया है कि सामान जाएगा, आप वहां विकासखण्ड मुख्यालय से उठा लो। यह कौन-सी व्यवस्था है? आप सामान खरीद कर भेज देंगे वह बच्चों का काम नहीं आएगा, स्कूल के काम नहीं आएगा, तो या तो पैसे सीधे यही खर्च करके सामग्री भेजो या फिर अगर

आप स्कूल में पैसा दे रहे हो तो स्कूल की जन भागीदारी समिति है, वहां के प्रधान पाठक हैं, वहां के प्राचार्य हैं उस स्कूल की आवश्यकता के अनुरूप आप उसकी खरीदी करवाइये। माननीय मंत्री जी, कुछ जाति का, वह भी आपकी बिरादरी के अनुसूचित जनजाति के जाते हैं मात्रात्मक त्रुटि के कारण उनका प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। जैसे मांझी समाज, केवल मात्रात्मक त्रुटि के कारण उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है शिक्षा में, नौकरी में उनको तकलीफ हो रही है। कृपया यह कहां से, कैसे संभव होगा, मात्रात्मक त्रुटि के कारण वह वंचित न हो, इस पर भी आप ध्यान दें। पदोन्नति में आरक्षण, आपने एक कमेटी बना था पिंगवा कमेटी। पिंगवा कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे रहे हैं और लगातार विभिन्न विभागों में पदोन्नति की जा रही है तो यह आरक्षित वर्ग हैं चाहे वह अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, यह अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं तो पिंगवा कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर इनको आरक्षण दिया जाए। माननीय मंत्री जी, यह भवन विहीन स्कूल हैं मैं पढ़ रहा हूं या तो आप अपने फण्ड से पैसा दीजिए या डी.एम.एफ. से पैसा दिलवाइये, लेकिन इसमें भवन का निर्माण कीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमारे लिखने से तो होना नहीं है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- शासकीय प्राथमिक शाला छीरडीह, शासकीय प्राथमिक शाला भाठापारा (खजरानी), शासकीय प्राथमिक शाला रोहदा, शासकीय पूर्व प्राथमिक शाला शिलादेही, शाला पूर्व माध्यमिक शाला पचौरी, शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला कोटेतरा, शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला जैजैपुर, शासकीय हाई स्कूल कपीसदा, शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल सुलोड़ीखेरा, शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल काशीगढ़, शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल गुचकुलिया, शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल नंदेली।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, चंद्रा जी। समाप्त करिय।

श्री अजय चन्द्राकर :- एको जगह भवन नइ है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अंतिम। अतका मा भवन नइ है। इतने जगह में भवन नहीं है। बिना भवन के स्कूल संचालित हो रहे हैं कहीं अतिरिक्त कक्षा में हो रहा है, कहीं मंगल भवन में हो रहा है, कहीं पेड़ के नीचे हो रहा है और कहीं-कहीं जगह निजी घर में भी स्कूल संचालित हो रहा है। दूसरा, आपका एक स्टेण्डर्ड स्टीमेट है, चाहे हाई स्कूल का हो या हायर सेकेण्डरी स्कूल का। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप स्टेण्डर्ड स्टीमेट के आधार मत बनाइये। बच्चों की उपस्थिति कमरे की आवश्यकता के अनुसार आप वहां बनाये। किसी जगह इतना बड़ा हायर सेकेण्डरी स्कूल बन जाता है कि 4 ही कमरे का उपयोग होता है और बाकी कमरा अनावश्यक रूप से पड़ा रहता है। किसी जगह आप इतना बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं वहां इतने ज्यादा बच्चे होते हैं कि वह बिल्डिंग भी कम हो जाता है तो एक परीक्षण कराकर या आवश्यकता के अनुरूप आप भवन का बनाये। स्टेण्डर्ड स्टीमेट में मत बनाये। विगत 3 सालों से माननीय मंत्री महोदय आपने मेरे क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का एक भी स्कूल नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- महोदय, अंतिम एक मिनट।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब धान खरीदी हो रही है तो शिक्षा की बात ही नहीं करनी चाहिए।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- तांदुलडीह अनुसूचित जनजाति का सौ प्रतिशत गांव है। वहां प्राइमरी स्कूल भी नहीं है 3 किलोमीटर से बच्चे लोग पढ़ने जा रहे हैं और यह आपके बिरादरी के ही हैं। कृपा करके वहां स्कूल खोलवा दीजिए। तांदुलडीह में प्राइमरी स्कूल नहीं है। आज की स्थिति में यह शर्मनाक बात है। मैंने हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी उन्नयन के लिए रायपुरा, भोथीडीह, बेलादुला और भवरेली का प्रस्ताव दिया था। मीडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन के लिए लखाली, झाररौंदा, परसदा, भात माहुल, भड़ोरा और बसंतपुर के लिए प्रस्ताव दिया था और प्राइमरी स्कूल को मीडिल स्कूल में उन्नयन के लिए देवरीमत और बरकुट के लिए प्रस्ताव दिया था।

श्री अजय चन्द्राकर :- अगले साल के बजट में...।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- पूरे प्रदेश में नहीं खुला तो मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि मेरे यहां खुल जाएगा लेकिन अगर भविष्य में आपकी योजना रहेगी, आपकी सरकार की सोच शिक्षा को बढ़ाने की रहेगी तो इसमें बिल्कुल ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मोहले जी।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय मंत्री जी, आप धान अभी खरीदे हैं जांजगीर-चांपा जिला में जीरो शार्टेज आपके रिकॉर्ड में आ गया लेकिन वह कैसे-कैसे आया है, हम जानते हैं। क्या-क्या गड़बड़ी हुई है उसको भी हम जानते हैं। यह वही जांजगीर-चांपा जिला है जहां तुलसी और कीरीथ में उस गांव के पूरे रकबे से भी ज्यादा का पंजीयन हो गया और पंजीयन के आधार पर बोनस को खा दिये। दोषी कोई और है और एकमात्र खरीदी प्रभारी के ऊपर आपने अपराध कायम किया है उसमें भी थानेदार कार्रवाई नहीं कर रहा है। आपके पंजीयक जो वहां जांजगीर में बैठे हैं, बिना विज्ञापन के किसी भी समिति पर जो है वह सेल्समैन बना रहे हैं। संस्था प्रबंधक बना रहे हैं। एक बार की धान खरीदी में 3-3 बार संस्था प्रबंधक बदला है।

श्री अजय चन्द्राकर :- कितनी सोसायटी डिफाल्टर हो रही है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- और ऐसे ही आप संस्था प्रबंधक बदलेंगे तो वहां निश्चित रूप से कमी आएगी और गड़बड़ी होगी। दूसरी चीज, वह गड़बड़ करते हैं कमी आती है। फिर समिति का नुकसान होता है, किसान का नुकसान होता है। जब कमी आती है तो जो कमीशन की राशि मिलती है, आप उसको काट देते हैं। ऐसे में समिति कैसे चलेगी, समिति के कर्मचारियों का वेतन तो समिति को देना है, समिति के आय के ऊपर ही वहां के कर्मचारियों का भविष्य सुनिश्चित है। मैंने पंजीयक के खिलाफ व्यक्तिगत भी शिकायत की है, लेकिन वे ऐसे अधिकारी हैं, लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी तक उनकी

पहचान है । पहचान रहे, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए आप पहचान मत बढ़ाएं, आप ईमानदारी के साथ काम करें । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति विभाग की मांगों पर मैं बोलना चाहता हूं । पहले मैं शिक्षा विभाग पर कहना चाहता हूं, समय कम है, आप पहले से ही सबको रोक रहे हैं । मैं शिक्षा विभाग में कहना चाहता हूं कि हाईस्कूल में 233 पद रिक्त हैं और हायर सेकेण्डरी में 174 स्कूल भवनविहीन हैं । इनमें अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत जब राशि दी जाती है तो किस मद में खर्च की जाती है । अन्य मदों में खर्च करके पैसा वापस कर दिया जाता है तो वह राशि प्रत्येक वर्ष खर्च नहीं होती, वह राशि वापस हो जाती है । मैं मांग करता हूं कि वह राशि रहे, साल भर के अंदर खर्च हो और अनुसूचित जाति के क्षेत्र में खर्च हो । अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है । बाहुल्य क्षेत्र में खर्च करके कम बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं, उनमें भी राशि खर्च करने के लिए अनदेखी की जाती है, मैं यह कहना चाहूंगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरक्षित पदों के जो रिक्त पद हैं, उन पदों पर संविदा में एक वर्ष के लिए भर्ती कर ली जाती है । उसको बढ़ाया जाता है और आरक्षित पद रिक्त का रिक्त ही रहता है । चाहे वह अधिकारी हो या कर्मचारी हो, जो संविदा के पद हैं, उसमें सामान्य वर्ग को लिया जाता है । अगर वह रिक्त पद है तो रिक्त पद में उसी वर्ग के लोगों को लिया जाये । प्रमोशन में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जाता, रोस्टर का भी पालन नहीं किया जाता । पिछले समय में अनुसूचित जाति के लिए 12 और अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत आरक्षण था । मान लो कि आरक्षण के 2 पद हैं तो आरक्षण में उन दो पदों में एक पद पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का प्रमोशन होता था और दूसरे पद पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का प्रमोशन होता था । पहले इनको प्राथमिकता दी जाती थी, पर अब वह प्राथमिकता न देकर तीसरे वर्ग को प्रमोशन दिया जाता है या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को प्रमोशन दिया जाता है या सामान्य वर्ग को प्रमोशन दिया जाता है और अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता । इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है । पिछले समय में मैंने इस बात को उठाया था। आरक्षण में भर्ती के मामले में अधिकारी-कर्मचारी के जितने पद रिक्त हैं, उनके लिए विशेष भर्ती अभियान चलायी जाये, लेकिन विशेष भर्ती अभियान चलाया ही नहीं जाता, जिससे आम लोगों को फायदा नहीं होता । पद रहता है और आरक्षण में प्रमोशन की बात है तो प्रमोशन में भी रोस्टर का पालन न होते हुए सरकार अनदेखी कर रही है । इस ओर सरकार को सोचना चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अंतव्यवसायी योजना है, उसे समाप्त कर दिया गया है । उसमें जीप, कार, उद्योग धंधों, मिनीमाता योजना के लिए दो लाख रुपये दी जाती थी, उसमें डेढ़ लाख रूप

का अनुदान था । उसको भी दिया जाये । इस तरह से सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लिए बेईमानी कर रही है, अनदेखा कर रही है । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण में कहना चाहता हूं कि इसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या जैसे उदाहरण के लिए मुंगेली जिला, मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में 27 प्रतिशत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। उनमें नगण्य राशि दी जाती है और जहां अनुसूचित जाति, जनजाति का कम क्षेत्र है, उसमें राशि नहीं दी जाती । एक मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, उसमें मुंगेली जिला आंशिक रूप से शामिल है । मैं मांग करता हूं कि मुंगेली जिला को पूर्णतः शामिल किया जाये । उस विधान सभा में 50 गांव अनुसूचित जनजाति के लोग हैं तो ऐसे गांव के लिए मैंने कई बार पत्र लिखा, उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया जाता । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सरकार की ओर से विभाग के प्रति राशि देने की अवहेलना की जाती है, उसे दूसरे मद में खर्च कर दी जाती है । उस राशि को उसी मद में खर्च किया जाये, उस वर्ग के अधिकारी-कर्मचारी की नियुक्ति दी जाये और जो व्यावसायिक परीक्षा है, आई.ए.एस., आई.पी.एस. की परीक्षा के लिए कोचिंग सेंटर की आवश्यकता है । मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो अनुदान मांग के प्रतिवेदन में दिया गया है । संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा में तैयारी के लिए एक लाख रुपए की राशि दी जाती है । मात्र एक लाख रुपए एक वर्ष में एक लड़के को दिया गया है। क्या यहां इतने लोग हैं, मेरिट के आधार पर राशि दी जाती है, इनके लिए आप राशि को देखें। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, इसको मैं पेजिंग करके बता देता हूं । दूसरा, आईएएस और आईपीएस कोचिंग सेंटर प्रत्येक जिले में हो। जहां अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, वहां कोचिंग सेंटर की आवश्यकता है जिससे योग्य लोगों की ट्रेनिंग हो, उनके लिए हवाई जहाज की विशेष सुविधा थी, नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए सुविधा थी । इन सभी सुविधा को बंद कर दी गयी है, इन सुविधाओं को फिर आगे बढ़ाने के लिए ध्यान देंगे । उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, निवेदन है कि कृपया संक्षेप में बोले।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विभाग की अनुदान मांगों में आदरणीय नारायण चंदेल जी, आदरणीय शैलेश पांडे जी, आदरणीय डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी, आदरणीया श्रीमती संगीता सिन्हा जी, आदरणीय श्री अजय चन्द्राकर जी, आदरणीय श्री केशव चन्द्रा जी, आदरणीय श्री पुन्नूलाल मोहले जी ने भाग लिया है। आप लोगों की तरफ से बहुत ही बहुमूल्य सुझाव मिले हैं। यहां विभाग के अधिकारी भी बैठे हुए हैं, उन सबने आपकी बातों को नोट किया है। हम लोग उस पर यथासंभव प्रयास करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, आप भाषण में इसको भी शामिल कर लीजियेगा कि क्या आप नूतन राईस मिल रायपुर को बेचने जा रहे हैं ? विपणन संघ जितनी जगहें हैं, 29-30 जगह

है, क्या आप उसकी जमीन को बेचने जा रहे हैं ? यदि बाकी का मालूम नहीं होगा तो आप नूतन राईस मिल रायपुर के बारे बता दीजियेगा।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नारायण चंदेल जी ने चर्चा की शुरू की। उन्होंने कहा कि हाईस्कूल में भवन नहीं है। हम लोगों ने घोषणा-पत्र में वादा किया था, कोरोना के समय स्कूल बंद थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई जगह स्कूल भवन नहीं हैं, सभी यह बात स्वीकाराते हैं। इतने सारे स्कूल हैं, ये कब के बने हैं ? आपके जमाने में जो स्कूल बने हैं, वे आधे-अधूरे बने थे। वहां पर शाला विकास समिति को एजेंसी बनाया था, वे सब पैसा लेकर भाग गये, वे लोग कोई काम नहीं किये। उसके भी कुछ काम अधूरे पड़े हैं। हम लोगों ने जन घोषणा-पत्र में वादा किया था कि अच्छे स्कूल बनायेंगे और जो शिक्षा कर्मी दो साल पूरे कर लिए हैं, हम उनको भी नियमित करेंगे। आज पूरे शिक्षाकर्मी नियमित हो गये हैं। आज विभाग में कोई भी शिक्षाकर्मी नहीं हैं। आज सभी के सभी नियमित शिक्षक हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाये, इसी उद्देश्य से 171स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय खोले गये हैं और उसमें अच्छी पढ़ाई हो रही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप जन घोषणा-पत्र की बात कर रहे हैं। तो आपके जन घोषणा-पत्र में एक लाइन लिखा है कि 50 हजार रिक्त शिक्षकों के पदों को भरकर छात्रों एवं अध्यापकों के मध्य अनुपात को कम किया जावेगा।

श्री मोहन मरकाम :- हमने शुरूआत कर दी है। 14,500 पदों की भर्ती शुरू हो गई है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने 14,580 लोगों में से 6 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया। जन घोषणा-पत्र की बात कर रहे हैं, मैं आपकी जन घोषणा-पत्र को साथ लेकर चल रहा हूं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- शर्मा जी, आप पहले मेरी बात सुनिये। आप आधी-अधूरी बात में खड़े हो जाते हो। वहां पर कोई कील लगा है क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आधा-अधूरा नहीं, मैं आपके जन घोषणा-पत्र को साथ लेकर आया हूं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मैं आपको बता रहा हूं। जो जन घोषणा-पत्र में लिखा गया था, हम लोग उसको पूरा किया है। जो शिक्षाकर्मी दो साल पूरा कर लिये थे, उनको पहले नियमित किया। आज 23 साल के बाद नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है। आप 15 साल में क्यों नियमित नहीं किये ? आपने कभी इस विषय में सोचा ही नहीं कि कितने स्कूल में शिक्षक नहीं हैं। आपने कभी विचार किया, कभी सोचा ? आपकी तो सोच ही ऐसी नहीं थी। आप तो ठेकेदारी से काम कर रहे थे। हम लोगों ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ट खोले हैं, उसकी सब जगह तारीफ हो रही है। सबने सराहा है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसको सबने सराहा है। एक अच्छी शुरूआत हुई है कि कम से कम एक ब्लाक में ऐसा स्कूल खोले। उस स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से अच्छी पढ़ाई हो सकती है। उसमें

अच्छा लैब हो अच्छे क्लास रूम हों, उसमें सब कुछ हो। उसमें अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए शिक्षक हों। हम लोगों ने उसी के तर्ज पर कहा कि हम प्रत्येक जिले में उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम के स्कूल खोलेंगे और हमने ऐसे 23 स्कूलों की स्वीकृति दी है। ताकि हिन्दी माध्यम से भी अच्छी पढ़ाई हो सके। आप लोगों ने जो ध्यानाकर्षित किया है, अभी टीचर की जो भर्ती हो रही है, कई जगह हाईकोर्ट से स्टे लगा हुआ है, कई जगह कैण्डिडेट नहीं मिल रहे हैं, फिर भी हमारी कोशिश है कि शिक्षा सबसे पहले जितनी भर्ती हो सकती है, उन सभी का हम करेंगे। एक बात आप सभी लोगों ने कहा है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले हैं..।

श्री धरमलाल कौशिक :- देख-देख के पढ़ रहे हैं। बजट पास हो..।

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- बजट पास तो हो ही जायेगा। जहां अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने हैं, आप लोगों ने शंका जाहिर की है, हिन्दी का क्या होगा। हिन्दी माध्यम के भी स्कूल चलेंगे। दोनों माध्यम से पढ़ाई हो रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप खाली यह जवाब दे दो, बृहस्पत सिंह जी ने जो आरोप लगाया था, उस आरोप में कितनी सच्चाई थी। (व्यवधान)

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- शर्मा जी, किसी भी हिन्दी माध्यम के स्कूलों को बंद नहीं किया जायेगा। व्यवधान जितने वहां पर पढ़ने वाले बच्चे होंगे, वहां पर शिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी। किसी भी हिन्दी माध्यम के जो स्कूल चल रहे हैं, उसको हम बंद नहीं करेंगे। अपने दिमाग से उसको निकाल दीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शैलेश पाण्डेय जी ने बहुत अच्छे से सरकार की बात को कही है। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था कि आपके धान खरीदी केन्द्र है, वहां व्यवस्था अच्छी नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सहकारी संस्थायें पहले थी, कृषि साख सहकारी समितियां, वह पहले 1033 थी, हम लोगों ने उसको बढ़ाकर 2058 किया है। ताकि धान खरीदी बेहतर ढंग से हो सके। इस साल जो धान खरीदी हुई, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ है। समय पर तौलाई हुआ है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग से चीफ सेक्रेटरी के निर्देश हैं कि ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से टीप आयेगी, वही फाईल जायेगी। इनके ओ.एस.डी. के क्यों हटाया गया। वह कारण बता दें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री अमरजीत भगत :- उपाध्यक्ष जी, यह गलत है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- ओ.एस.डी. को क्यों हटाया गया। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, बार-बार टोका-टाकी करना, इस प्रकार ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, आप इधर बैठिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- भाषण शुरू हुआ तो सचिव उठकर चल दिये ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओ.एस.डी. एडवांस लेकर चला गया है, जगह-जगह बात हो रही है, वापस आयेंगे कि नहीं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- जिम्मेदार अधिकारी नोट कर रहे हैं, आप चिंता मत करिये ।

श्री सौरभ सिंह :- बृहस्पत सिंह जी, ओ.एस.डी. को बहुत अच्छे से जानते हैं।

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में 56 हजार 494 विद्यालय हैं, उसमें 56 लाख 94 हजार विद्यार्थी उसमें पढ़ रहे हैं, जहां-जहां पर प्राथमरी स्कूल की व्यवस्था होनी थी, वहां हो गयी । आवश्यकतानुसार, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल, जहां-जहां आवश्यकता है..।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तांक-झांक करना ठीक नहीं है । आदत को सुधारें । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- सदन की जांच समिति और बृहस्पतसिंह जी सर्वसम्मत अध्यक्ष ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- प्रदेश में 2 लाख 65 हजार 328 टीचर हैं, टीचर का जो रेशो होना चाहिये, कितने विद्यार्थियों के ऊपर कितना टीचर होना चाहिये, 28 विद्यार्थी पर एक टीचर होना चाहिये । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- कोई फर्क नहीं पड़ता है । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- सदन की समिति से जांच कराये और बृहस्पत सिंह को अध्यक्ष बना दें । (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह :- हमने शिक्षाकर्मियों के समय में किया । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुकम्पा नियुक्ति आप लोगों ने कभी किया नहीं । 10 प्रतिशत का जो सिलिंग था, उसको हटाया । हमारे विभाग में 1772 अनुकम्पा नियुक्ति दी गई ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, एक मिनट ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, केवल एक बात बोलना चाहता हूँ । सदन के चार-पांच सदस्य एक साथ मिलकर किसी विषय पर, किसी मंत्री पर आरोप लगाये, उस मंत्री के अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही हो, उसका जवाब माननीय मंत्री जी के माध्यम से आना चाहिये कि नहीं आना चाहिये या नहीं आना चाहिए। सार्वजनिक रूप से आरोप लगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आसंदी से निर्देशित करें कि वह उन आरोपों का जवाब दें। आज बड़ी संख्या में ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनने इनके ओ.एस.डी. को एडवांस में दे दिया था, उनका काम हुआ, उसका जवाब आना चाहिए।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय मंत्री जी को परेशान कर रहे हैं। दोनों को प्रताड़ित करिये।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष जी, लाल-लाल का भी किस्सा पूरे प्रदेश में फेमस है, उसका भी उत्तर आ जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत भैया, आपको क्या बोलना है, जल्दी बोलिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। मंत्री जी आप कुछ स्कूल, हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किये हैं, शायद गिनती के 5-6 हैं। हमारे क्षेत्र में भी एक-दो हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करना है, आप इसी वित्तीय वर्ष में करेंगे या नहीं करेंगे, यह जरूर बता दीजिए। वह बस 8 के 8 ही रहेंगे। बहुत सी जरूरत है। आप बोल रहे हैं न कि जहां जरूरत है, तो बता रहे हैं कि जरूरत है। आप उसको कर दीजियेगा। भले आप ज्यादा मत करिये, एक, दो का ही उन्नयन करिये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि जहां-जहां आवश्यकता है, बजट की उपलब्धता के अनुसार हम लोग उनका उन्नयन करेंगे। आपके यहां भी उसमें विचार करेंगे। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, एक मंत्री जी यहां पर खड़े होकर जवाब दे रहे हैं। शासन का एक आदेश निकला है कि माननीय मंत्री जी के आदेश से कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। जो भी ट्रांसफर इनके विभाग में होगा, वह मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बाद होगा। जब ये मंत्री जी को कोई अधिकार ही नहीं है तो किस अधिकार से वह यहां पर भाषण पढ़ रहे हैं। ऐसा आदेश जारी हुआ है। हम लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि शिक्षा विभाग का कोई भी आदेश बिना मुख्यमंत्री जी की अनुमति, सहमति के नहीं जारी होगा। यह केबिनेट के सदस्य हैं या नहीं हैं?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभाग में नियम के तहत कार्यवाई होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई बात नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रोटोकाल के तहत मंत्री जी के अधिकारों पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री भी अतिक्रमण नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल जी, कृपया आप बैठिये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी जब जवाब दे रहे हैं, अपने विभाग का जब बजट भाषण दे रहे हैं तो छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोरोनाकाल था, बहुत से लोग काल कवलित हो गये। उनके बच्चों को भी महतारी दुलार योजना के तहत एडमिशन दिया जा रहा है, उनको स्टार्डफंड भी दिया जा रहा है और जहां जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हमारे विभाग की अनुदान मांगों को पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 82, 33, 41, 49, 53, 64, 66, 68, 15, 27 एवं 17 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

- मांग संख्या - 82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये- पांच सौ अठहत्तर करोड़, बयानबे लाख, तैंतीस हजार रुपये,
- मांग संख्या - 33 आदिम जाति कल्याण के लिये- पांच हजार दो सौ चौबीस करोड़, छियासठ लाख, छियालीस हजार रुपये,
- मांग संख्या - 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये- उन्नीस हजार दो सौ नब्बे करोड़, छियानबे लाख, सत्ताईस हजार रुपये,
- मांग संख्या - 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिये- एक हजार दो सौ अड़तीस करोड़, सोलह लाख, छः हजार रुपये
- मांग संख्या - 49 अनुसूचित जाति कल्याण के लिये- पांच करोड़, छब्बीस लाख, दस हजार रुपये,
- मांग संख्या - 53 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये- अस्सी करोड़, निन्यानबे लाख, चालीस हजार रुपये,
- मांग संख्या - 64 अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये- छः हजार दो सौ अड़सठ करोड़, अड़तीस लाख, सैंतालीस हजार रुपये,
- मांग संख्या - 66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिये- दो सौ तिरपन करोड़, इकहत्तर लाख, तीस हजार रुपये,
- मांग संख्या - 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन के लिये- एक सौ अट्ठाईस करोड़, छिहत्तर लाख, तैंतीस हजार रुपये,
- मांग संख्या - 15 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राजसं स्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये - दो सौ तिरसठ करोड़, छियासी लाख, बयालीस हजार रुपये,
- मांग संख्या - 83 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये - एक सौ बाईस करोड़, इक्कीस लाख रुपये,

- मांग संख्या - 27 स्कूल शिक्षा के लिये - पांच हजार छः सौ बत्तीस करोड़, पचास लाख, नब्बे हजार रुपये तथा
- मांग संख्या - 17 सहकारिता के लिये - दो सौ सत्तावन करोड़, अट्ठावन लाख, इंक्यानबे हजार रुपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इसका टोटल करेंगे तो लगभग 35 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा, टोटल बजट का 35 प्रतिशत पैसा मंत्री जी को दे रहे हैं और मंत्री जी जो है वह सूखा-सूखा सब चीज निपटा रहे हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- नहीं, होली की व्यवस्था है तो पूरा गीला करेंगे, रात 12.30 बजे तक बैठ के।

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या गीला होली मनाना चाहे रहे हैं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- होली की व्यवस्था है, चिंता मत करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मोहन मरकाम जी को तो प्रताड़ित करिये, वह भाषण देते हैं और चले जाते हैं। (हंसी) उसके बाद वह दिखते नहीं हैं तो क्या हम लोग उनका भाषण सुनने के लिये बैठे हैं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नहीं, वह जरूरी काम से गये थे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नारायण चंदेल जी का(व्यवधान)।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, इनका भाषण सबसे आखिरी में कराईये, जब हम सब लोग बोल लें तब।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मोहन मरकाम जी का भाषण आप आखिरी में करवाइयेगा, जब सब लोग बोल लें उसके बाद, जिससे वह बैठेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह होता क्या है कि मोहन मरकाम जी का भाषण यहां पहुंचता है, उधर हवाई जहाज खड़ा रहता है। फौरन बैठकर उड़ जाते हैं। आप आखिरी में बोला करो, हम लोगों का भी सुनो ।

समय

07.37 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुये)

श्री धर्मजीत सिंह :- आप कभी नहीं सुनते, आज तक नहीं सुने।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय जयसिंह अग्रवाल जी।

(3)	मांग संख्या	9	-	राजस्व विभाग सं संबंधित व्यय
	मांग संख्या	8	-	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन
	मांग संख्या	35	-	पुनर्वास
	मांग संख्या	58	-	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 9	राजस्व विभाग सं संबंधित व्यय के लिये, इक्कीस करोड़, तिरानबे लाख, पैंतालीस हजार रुपये,
मांग संख्या - 8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिये - एक हजार पांच सौ तीन करोड़, सत्तानबे लाख, पांच हजार रुपये,
मांग संख्या - 35	पुनर्वास के लिये - एक करोड़, चौरानबे लाख, तीन हजार रुपये तथा
मांग संख्या - 58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिये - एक हजार एक सौ दस करोड़, चौहत्तर लाख, साठ हजार रुपये तक की राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथक्तः वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या 9

राजस्व विभाग सं संबंधित व्यय

1.	श्री धरमलाल कौशिक	6
2.	बृजमोहन अग्रवाल	2
3.	श्री अजय चंद्राकर	1
4.	श्री धर्मजीत सिंह	1
5.	श्री केशव प्रसाद चंद्रा	3
6.	श्री रजनीश कुमार सिंह	1

मांग संख्या 8

भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | श्री अजय चंद्राकर | 1 |
| 2. | श्री रजनीश कुमार सिंह | 1 |

मांग संख्या 35

पुनर्वास

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | श्री धरमलाल कौशिक | 1 |
| 2. | श्री रजनीश कुमार सिंह | 1 |

मांग संख्या 58

प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | श्री धरमलाल कौशिक | 1 |
| 2. | श्री अजय चंद्राकर | 1 |
| 3. | श्री रजनीश कुमार सिंह | 1 |

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की मांगों पर विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का यह 2675 करोड़ रुपये का बजट है और इस बजट में 687 करोड़ सिर्फ जिलों की व्यवस्था और अन्य जिलों की व्यवस्था के लिए रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत जोर शोर से 4 जिलों की घोषणा की गई। आपका भी एक जिला बनेगा, सारंगढ़ भी एक जिला बनेगा, सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिला बनेगा, मनेन्द्रगढ़ जिला बनेगा, मोहला-मानपुर जिला बनेगा, परन्तु न तो बजट में नये जिलों की व्यवस्था है, कब ओ.एस.डी. बैठेगा, कैसे बैठेगा ? भवनों के लिए क्या व्यवस्था की गई ? अनुपूरक बजट में थोड़ी बहुत व्यवस्था की गई थी और वहां कब ओ.एस.डी. बैठेगा, 01 अप्रैल से बैठेगा, 01 मई से बैठेगा, कब बैठेगा ? इन जिलों का संचालन कब होगा ? और वह जिला तो ऐसी राजनीति की भेंट बना, वह जिला किसके कहने, किसके प्रपोजल पर बनाया गया था ? उन जिलों पर सारा आन्दोलन चालू हो गया। हर एक जिले पर आन्दोलन है। सकती में थोड़ा बहुत आन्दोलन नहीं है, पर सकती में यह है कि कौन सा क्षेत्र कहां रहेगा ? कौन सा क्षेत्र कहां नहीं रहेगा ? इसकी कोई तरह की कोई नीति नहीं है। कोई पारदर्शिता नहीं है कि नये जिलों का संचालन कैसे होगा ? कब होगा, कौन सा क्षेत्र होगा और कहां से होगा ? मैं इस पर माननीय मंत्री जी से निवेदन करना

चाहूंगा कि आप इस पर जवाब दें यह सबसे ज्वलंत मुद्दा है। इन जिलों का क्या होगा और कैसे होगा ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का विभाग, जमीन, रजिस्ट्री, पुनर्वास है। तो यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब से यह सरकार बनी है तो सरकार किसी भी भारत की कोई भी सरकार और किसी भी राज्य की सरकार, किसी पार्टी की सरकार, अपनी जमीनों का उन्मूलन नहीं करती है। अपनी जमीन की रजिस्ट्री का जो गाईड लाईन रेट होता है उसको नीचे नहीं उतारी। यही एक सरकार है जिसने रजिस्ट्री की गाईड लाईन रेट पहले 30 प्रतिशत किया, फिर नीचे और अब उसका 10 प्रतिशत बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, उन किसानों का क्या होगा ? आपने उनका रेट उन्मूलन कर दिया, मध्यम वर्गीय लोग जाकर, जो जमीनों के आधार पर बैंक से लोन लेते हैं, उनके valuation के आधार पर बैंक से लोन लेते हैं, उनका क्या होगा ? उनके रेट का क्या है ? पर सरकार के राजस्व का नुकसान नहीं हो रहा है, जनता के रेट को नुकसान हो रहा है, पर सरकार के राजस्व को नुकसान नहीं हो रहा है क्यों ? अन्य जो दर होते हैं उन दरों को बढ़ा दिया गया। सरकार को उतना राजस्व मिल रहा है एक तरफ जनता को नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ ब्लैक मनी की पार्किंग का अड्डा बन गया। जमीनों में जितनी ब्लैक मनी की पार्किंग हो रही है, पूरी दुनिया के लोग आकर, पूरे भारत के लोग छत्तीसगढ़ में आकर जमीन ले रहे हैं और जमीन किसकी ले रहे हैं ? कितने छत्तीसगढ़ियों के पास जमीन रह जाएगी ? जिस जमीन का एक नंबर का पैसा देना था, वह एक नंबर का पैसा 40 प्रतिशत कम हो गया। अगर वर्ष 2018-19 से 5-5 प्रतिशत, 10-10 प्रतिशत भी रेट बढ़ता तो 25 प्रतिशत रेट बढ़ जाता। तो करीब-करीब 65 प्रतिशत गैप आ गया। तो यहां सारा ब्लैक मनी आ रहा है और बाहर के प्रदेश के लोग दो नंबर का पैसा लाकर, हमारे छत्तीसगढ़वासियों की जमीन खरीद रहे हैं। यह यहां की परिस्थिति हो गई है और उसमें एक दूसरा जो नुकसान हो रहा है, वह नुकसान यह हो रहा है capital gain का नुकसान हो रहा है। अगर आज calculation लगाईये कि जमीन खरीदी और जो जमीन बेची तो इंकम टैक्स में capital gain बनता है उस capital gain का एक भाग राज्य सरकार को भी केन्द्रांश से मिलता है। उस capital gain का भी नुकसान होना चालू हो गया। यह किस तरह की नीति है ? किस तरह का सिस्टम है ? अपनी चीजों का उन्मूलन हो रहा है, यह तो पहली बार देखने को मिला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के बनने के बाद, आदिवासियों की जमीनों का परमिशन, कोटवारों की जमीनों का परमिशन में जो खेल चल रहा है हर जगह खेल रहा है मैं बोलना नहीं चाहता कि माननीय मंत्री जी कृपापूर्वक कितनी आदिवासियों की जमीन की परमिशन हुई, कलेक्टर अपनी मर्जी से 120 एकड़, 125 एकड़ आदिवासियों की जमीन की परमिशन कर रहा है, कोटवारों की जमीन में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की रूलिंग है कि जो कोटवारों की जमीन है दो तरह की कोटवारों की जमीन

थी, आप उस प्रकरण से अच्छे से वाकिफ हैं कि जो सेवाभूमि थी और जो मालगुजारी भूमि थी। इन दोनों भूमि में कौन सी भूमि वापस की जाएगी और भूमि वापस नहीं की जाएगी, इस पर कोई clarity नहीं है। वह कोटवार कहां जाएंगे, जिन्होंने सालों सेवा की है, उनकी जमीन को फिर वापस दो, फिर जमीन दो, फिर जमीन वापस दो, इस पर clarity की आवश्यकता है कोई उनकी जमीन नहीं खरीद रहा है और जो जमीन खरीद ले रहा है तो अन्य समस्याएं आ रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बड़ा रैकेट चल रहा है। माननीय नारायण चंदेल जी जिस रैकेट के बारे में चर्चा कर रहे थे, वह चर्चा यह है कि जो उद्योगों के लिए जमीन ली गयी थी, जिन पुराने उद्योगों के पास जमीन थी, उसमें नया भू माफिया आ गया है। वह भू माफिया उन जमीनों को धीरे-धीरे खरीद रहा है। एम.बी.पी.एल. का एक मामला सामने आया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे पुख्ता जानकारी है। कोरबा जिले में जो देवू पावर प्लांट के लिए जमीन खरीदी गयी थी, जो प्लांट नहीं लग पाया, पर जो देवू का पावर प्लांट था, वह देवू पावर प्लांट के लिए जो जमीन खरीदी गयी थी, उसमें भी कुछ खेल चालू होने वाला है। सबसे ज्यादा जो खेल रकबा बदलना, गिरदावली में आगे करना, खसरा को आगे करना, खसरा को पीछे करना, इस तरह से जमीनों का खेल चल रहा है और जमीनों को खेल तो है ही। इसके साथ जो एक और बड़ा खेल चालू हुआ है, वह यह हुआ है कि भारत माला एक्सप्रेस हाईवे है, जो नये-नये राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं। उन राष्ट्रीय राजमार्गों में जो जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, पता नहीं, कहां-कहां से लोग आ जाते हैं। किसानों की जमीन खरीद लेते हैं और किसानों को समझ में नहीं आता। किसानों को समझ नहीं आता और एलाइमेंट लिंक हो जाता है। एलाइमेंट कौन लिंक करता है ? एलाइमेंट कहां से लिंक होता है ? वह किसानों की जमीन है, उनकी जमीन आ जाती है और ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- यह क्लीयर करना चाहिए कि क्या एलाइमेंट, किसका एलाइमेंट खराब हो गया है।

अध्यक्ष महोदय :- रोड का एलाइमेंट बोल रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- मतलब इसको क्लीयर करना चाहिए, इसका यह मतलब है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझ रहा हूं न।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भू माफिया को पहले से पता रहता है कि सड़क किस खसरा नंबर से निकलेगी, खसरा नंबर कैसे निकलेगी। वह पहले जाकर जमीनों को खरीद लेते हैं। किसानों को समझ में नहीं आता है, उनकी जमीनों की खरीदी हो जाती है, वे बाद में ठगा हुआ महसूस करते हैं। यह एक नया काम चालू हुआ है। माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई है और आपने जमीन की रजिस्ट्री रोक दी है। वह गरीब किसान कहां जाए। शादी करना है, बच्चे को पढ़ाना है या तो आप प्रक्रिया को समय सीमा में कर लें और समय सीमा में करके प्रक्रिया को

समाप्त कर दें। प्रक्रिया को समाप्त करके उसकी क्लीयेरिटी आ जाएगी, उसकी कितनी जमीन छूटी है, कितनी जमीन उसकी है, कितनी जमीन चली गयी, उसको समय सीमा में पैसा मिल जाए।

अध्यक्ष महोदय :- जल्दी करिए।

श्री सौरभ सिंह :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सबसे बड़ा कोई भ्रष्टाचार कहीं पर है और प्रत्येक नागरिक परेशान है, वह अगर परेशान है तो राजस्व के मामलों में है। नामांतरण, फौती कांटना, सीमांकन करना, नक्शे में गड़बड़ी, माननीय मुख्यमंत्री जी को इंटरविन करके बोलना पड़ा कि सारे प्रकरणों को समय सीमा में निपटाईए। आज अगर नामांतरण आनलाईन हो रहा है तो आनलाईन होने के बाद भी लोगों को डेढ़-डेढ़ महीने तक कागज नहीं मिल रहे हैं। राजस्व के निचले अधिकारियों को जब तक पैसा नहीं मिलता तो वह किसी का काम करते ही नहीं हैं। सीमांकन के आवदेन लंबे पकड़े हैं, पैसा अगर हो जाएगा तो 6 महीने बाद का सीमांकन पहले, पहले का बाद में सीमांकन, बाद का आगे, आप सीमांकन का सीरियल नंबर को फॉलो करिए न। सीमांकन का कोई सीरियल नंबर नहीं है। नामांतरण का कोई सीरियल नंबर नहीं है, फौती कांटने का कोई सीरियल नंबर नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आनलाईन पेंडेंसी पर भी बात करने की आवश्यकता है। चीजें आनलाईन हो गयी ठीक है लेकिन आनलाईन की जो पेंडेंसी है, उस पेंडेंसी पर काम करने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के पास एक विभाग पुनर्वास है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आवश्यकता है, यहां पर वर्षों से उद्योग लग रहे हैं। 70 के दशक से उद्योग लग रहे हैं। उद्योग तो लग गए, जिनकी जमीन गई, उनका प्रापर पुनर्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनको प्रापर नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उनको नियमों में जो मिलना चाहिए, वह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उनका जो हक अधिकार है वह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस पर एक योजना बनाने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एसईसीएल की खदानें हैं। एसईसीएल की खदानों का विस्तार इसलिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पुनर्वास की नीति में कोई क्लीयेरिटी नहीं है। जमीन अधिग्रहण की कोई क्लीयेरिटी नहीं है। उसके कारण कोल प्रोडक्शन मार खा रहा है। कोल प्रोडक्शन मार खाने के कारण कोल प्लांटों में दिक्कत आ रही है। उसके कारण प्रदेश को राजस्व की हानि हो रही है। उस पर क्लीयेरिटी होनी चाहिए कि हम कितने दूर तक जाएंगे, क्या रोडमैप है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कलेक्टरों को समय समय पर यह निर्देश दें कि आपकी जो भू स्थापन की कार्यवाही है और जो पुनर्वास की कार्यवाही है, उसको समय सीमा में करना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब नई सरकार बनी तो नई सरकार ने कहा कि हमने टाटा की जमीन किसानों को वापस कर दी। बहुत सारे और भी उद्योगों के लिये एमओयू हुआ था। बहुत सारे उद्योगों के लिये जमीन का अधिग्रहण हुआ था। किसानों ने अपनी जमीन को यह सोचकर दिया था कि यहां पर उद्योग आयेगा। हमारे बगल की जमीनों का रेट बढ़ेगा, हमको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। यहां का व्यापार बढ़ेगा

लेकिन वह उद्योग नहीं आये और किस कारण से नहीं आये वह एक अलग कहानी है। मैं माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है तो क्या उस लिस्ट में उद्योगों को जमीन वापस की जायेगी ? वर्ष 2013 का जो लेण्ड एक्वीजिशन का जो कानून है उसमें भी यह है कि समय-सीमा पर अगर उपयोग नहीं हुआ तो आपको वापस देना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा हो रही थी और माननीय कृषि मंत्री जी बोल रहे थे कि किसानों ने बहुत सारा पंजीयन किया, किसानों का रकबा बढ़ा, धान खरीदी बढ़ी लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को एक चीज बताना चाहूंगा कि यदि जांजगीर-चांपा जिले में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है तो पंजीयन में घोटाला हुआ है । शासकीय जमीन का पंजीयन हुआ है, तालाबों की जमीन का पंजीयन हुआ है और उसमें धान बेचा गया है । इस हल्के की जमीन का दूसरे धान खरीदी केंद्र में पंजीयन हुआ है । जो हल्का वहां से 20 किलोमीटर दूर है उसका पंजीयन वहां पर दूसरे हल्के में जाकर, दूसरे धान खरीदी केंद्र में पंजीयन हो रहा है और एक पंजीयन में 6-6 अलग-अलग आदमियों का पंजीयन किया गया है । एक पंजीयन में मृत व्यक्तियों का पंजीयन किया गया है । जो तुलसी के धान खरीदी केंद्र की एक शिकायत थी, तुलसी और किरीत की जो शिकायत थी । उसमें तहसीलदार द्वारा जो अपनी पॉसवर्ड और आई.डी. थी उसको एक सीएससी केंद्र में दे दिया गया था । उस सीएससी केंद्र में पैसा लेकर पंजीयन हो रहा था, धान खरीदी केंद्र का पंजीयन वहां से हो रहा था और उस पंजीयन के बाद आज तक तहसीलदार के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई । आपने धान खरीदी वाले को जेल में डाल दिया, तहसीलदार के ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए और राजस्व विभाग का यह अमला हो गया है कि रायगढ़ के तहसीलदार और वकीलों के बीच में मारपीट हो रही है, उस मारपीट के बाद यह परिस्थिति हो गयी है कि पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहा है ।

श्री अजय चंद्राकर :- उसमें कुछ तय नहीं हो रहा है । वे बोल रहे हैं कि ये लोग पैसा खा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि वे लोग पैसा खा रहे हैं । अब निर्णय आपको करना है, वकील ज्यादा खा रहा है कि राजस्व विभाग ज्यादा खा रहा है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है कि पूरे प्रदेश में पिछले एक महीने से राजस्व न्यायालयों में किसी भी मामले की सुनवाई नहीं हो रही है । मेरी जानकारी में मुख्यमंत्री जी से भी वे लोग मिल चुके हैं इसका निराकरण करना चाहिए । दोनों राजस्व न्यायालयों में एक महीने से किसी मामले की सुनवाई नहीं हो रही है और केस पेंडिंग होते जा रहे हैं । हमारे किसान, मजदूर, गरीब लोगों के मामले निपट नहीं रहे हैं । एक महीने से सुनवाई नहीं हो रही है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमिहीन कृषक न्याय योजना । इसके बारे में बहुत

सारा एडवर्टाईजमेंट है लेकिन बजट में प्रावधान केवल 200 करोड़ रुपये का है। छत्तीसगढ़ की 63 परसेंट जनसंख्या ऐसी है जिसके पास जमीन नहीं है। वह भूमिहीन है तो क्या 200 करोड़ में सभी भूमिहीन कृषकों को आवेदन लेकर दे दिया जायेगा कि केवल कुछ चिन्हांकित लोगों को दिया जायेगा जो मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में बोला कि पुजारी को, इसको-इसको। जिसको हम राजनीतिक भाषा में बोलें कि वह की-वोटर है उसको अनुग्रहित किया जायेगा कि चुनाव में वह काम आयेगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, धन्यवाद।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट में अपनी बात रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- दो मिनट तो हो चुके हैं न।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 6-4 के प्रकरण बाढ़ से क्षति, मकान से क्षति, सर्पदंश से क्षति। इसमें भी ऑनलाईन मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। एक-एक साल हो जाता है और 6-4 के प्रकरण का निर्णय नहीं होता। वे लोग जिनके परिवार में ऐसी घटनायें हुई हैं, जिनका घर टूटा है, जिनका घर गिरा है वे लोग दर-दर भटकते हैं इसकी भी ऑनलाईन मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। 30 करोड़ रुपये फसल क्षति के लिये व्यवस्था की गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पिछले 2-3 सालों में यह फसल क्षति का पैसा कितना खर्चा किया गया है? 45 करोड़ रुपये खदान डूबान, गैस पटने की व्यवस्था की गयी है इसकी क्या व्यवस्था की गयी? इसके लिये कितना पैसा खर्च किया गया और सबसे बड़ी बात आपदा मोचन की जो राशि है। आपदा मोचन से 506 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। आपदा मोचन की जो राशि है, उस राशि का कितना खर्च किया जायेगा, कितना खर्च नहीं किया जायेगा? माननीय डॉ. रमन सिंह जी के एक प्रश्न के जवाब में आया है कि 357 करोड़ रुपये कोरोनाकाल में खर्चा किया गया। तो सिर्फ आपदा की राशि जो केन्द्र सरकार से आती है, उस केन्द्र सरकार की राशि को सिर्फ कोरोना में खर्चा किया जायेगा या कोरोनाकाल में ही खर्चा किया जायेगा। और कोई आपदा नहीं है? कभी बाढ़ नहीं आती? कभी आग नहीं लगती? कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होते। तो ये आपदा मोचन की राशि क्यों खर्च नहीं की जा रही है?

अध्यक्ष महोदय :- आपका धन्यवाद हो गया। आप किताब मत निकालिए।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के विभाग में राज आपदा नवीनीकरण निधि 230 करोड़ रुपये है और अधोसंरचना का विकास उपकर पर्यावरण विकास उपकर का 244 करोड़ रुपये है। क्या ये पैसे अभी भी हैं या ये पैसे खर्च किये जायेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- शैलेश पाण्डे जी। यथा संक्षिप्त।

श्री अजय चन्द्राकर :- मोहन मरकाम जी, आप कौन से नंबर में हैं?

श्री मोहन मरकाम :- मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के दबंग मंत्री हमारे राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री जी श्री जयसिंह अग्रवाल जी के विभाग की अनुदान मांगों के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सौरभ भैया बहुत अच्छी बातें कह रहे थे। सरकार की इतनी चिंता कर रहे थे। मुझे अच्छा लगा। उनकी जो चिंता इस विभाग के लिए थी, इस प्रदेश के भलाई के लिए थी, मैं तो चाहूंगा कि वे उधर से छोड़कर इधर आ जायें तो वे चिंता सही जगह पर कर पायें। मैं उनसे जरूर कहूंगा। उन्होंने एक बात और भी कही कि जो छत्तीसगढ़ है, वह काली कमाई का अड़्डा हो गया है। ये बात उन्होंने अपने वक्तव्य में कही। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 3 साल में ऐसा कोई बिल्डर, ऐसा कोई कॉलोनाइजर छत्तीसगढ़ में बता दीजिए।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- पाण्डे जी, पहली आरोप आपके हे खुला मंच मा।

श्री शैलेश पाण्डे :- जिसे कि हमारी सरकार ने पनपाया हो। ये जितने बिल्डर, जितने कॉलोनाइजर हैं, वे 15 वर्षों में आपकी सरकार के समय में आगे बढ़े और वही काली कमाई का अड़्डा बने।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप विषय पर आइए। विषय पर आइए।

श्री शिवरतन शर्मा :- शैलेश जी, ये आक्रमण हमारे ऊपर है या माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, क्योंकि आपका खास प्रतिद्वंदी भी वही काम करता है।

अध्यक्ष महोदय :- विषय पर आइए।

श्री शैलेश पाण्डे :- नहीं, आदरणीय इसका जवाब था।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, आरोप किनके ऊपर है ? या माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है ?

श्री शैलेश पाण्डे :- आपके ऊपर है। हमारे ऊपर क्यों है ? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस बात को कहूंगा कि आज जो जमाना है वह टच स्क्रीन का है। टच करने पर सुविधाएं चाहिए। आज हर नागरिक के पास टच स्क्रीन मोबाइल है। वह चाहता है कि मैं टच करूं और मेरे पास सुविधा आ जाये। मैं टच करूं तो मेरा काम हो जाये। आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जिसमें कि हमने एक सुशासन लाने का प्रयास किया।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ इतना बढ़ रहा है कि तेज करने के लिए टच बस करना है।

श्री शैलेश पाण्डे :- हम सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आपदा प्रबंधन में 600-700 रुपये राजस्व का भुगतान चाहते हैं..।

अध्यक्ष महोदय :- विभाग से संबंधित चर्चा करिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- सरकार ने जो काम किया, मैं वही बताना चाहता हूं कि हमने 69 तहसीलें बनायीं। हमने क्यों बनायी, क्योंकि आज जो सरकार है, वह हर नागरिक के द्वार पर खड़ी रहे। सब कोई जानता है कि सबसे ज्यादा समस्या है, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है अर्थात् किसी विभाग की जरूरत पड़ती है तो वह राजस्व विभाग की जरूरत पड़ती है। राजस्व विभाग वह विभाग होता

है जो एक गरीब आदमी से लेकर एक बड़े आदमी हर व्यक्ति से जुड़ा होता है। हर व्यक्ति से संबंधित होता है। आज हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय मंत्री जी ने पूरे प्रदेश में 69 तहसीलें बनायीं। 11 अनुविभाग बनाये और 4 जिले बनाये। आप जानते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं। हमारी सरकार चाहती है कि हम छत्तीसगढ़ का अच्छे से विकास करें। साथ ही साथ जो जनता है, आम जनता को जो सुविधाएं मिल सके, उन सुविधाओं को हम अधिक से अधिक लोगों तक दे पायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने और राजस्व मंत्री जी ने लिया कि भूमिहीन किसानों को भूमि देने का जो काम है, वह सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने यह निर्देश दिया कि उन्होंने चिंता जाहिर की कि हम 22 लाख किसानों से 2500 रुपये क्विंटल में धान देते हैं, उनका धान खरीदते हैं। लेकिन हम उन 10 लाख किसानों को जो कि गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको भी लगभग 7 हजार रुपये प्रतिवर्ष देने की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। अध्यक्ष महोदय, उसमें पहले सौरभ जी ने पूछा था, इस साल में 3 लाख, 71 हजार लोगों को चिन्हांकित किया गया और उन भूमिहीन किसानों को 3 लाख, 71 हजार लोगों को 7 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये कौन से प्रतिवेदन में लिखा है।

श्री शैलेश पाण्डेय :- मुख्यमंत्री जी के मुख्य बजट में लिखा हुआ है। आप पढ़िये, उसमें लिखा हुआ है कि 71 करोड़ का प्रावधान है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे, मजदूर लिखा है, किसान नहीं लिखा है।

श्री शैलेश पाण्डेय :- वही बात है। अध्यक्ष महोदय, समय कम है इसलिए मैं एक मांग करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी घोषणा है और साथ ही साथ हमारी सांसद महोदया आदरणीया ज्योत्सना महंत, हमारे क्षेत्र के राजा और हमारे यहां की विधायक अंबिका सिंहदेव जी की भी मांग थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब समय मिल जाएगा महाराज, सही पकड़ लिये हो (हंसी)

श्री शैलेश पाण्डेय :- कोरिया जिले के खड़गवां तहसील अंतर्गत ग्राम पोड़ीबचरा को तहसील बनाने की घोषणा की जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में हैं, माननीय मंत्री जी भी सदन में हैं मैं उनसे यह मांग करना चाहता हूं। साथ ही साथ कवर्धा में पिपरिया को भी तहसील बनाने की मांग विधायक महोदया ने रखी थी, माननीय मंत्री जी का भी वो था, मैं इसकी मांग करता हूं कि इसको तहसील बनाया जाए और चूंकि समय ज्यादा हो गया है, आप अगर अनुमति देंगे तो मैं ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, एक लाईन सर, एक लाईन।

अध्यक्ष महोदय :- दे रहा हूं, मैंने धर्मजीत जी को बुलाया है।

श्री शैलेश पाण्डेय :- कई और विधायक हैं, उनकी भी मांगें हैं लेकिन आपने बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- अध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी चौड़ी बात नहीं करूंगा। मैं अपनी 5-7 मांगें रखना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- वे व्यस्त हैं, आप 1 मिनट में अपना बात कह दीजिए।

(माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय राजस्व मंत्री द्वारा खड़े होकर आपस में बात करने पर)

श्री अजय चंद्राकर :- आसंदी की तरफ किसी की पीठ नहीं रहती साहब।

श्री धर्मजीत सिंह :- अरे, ठीक है, हमको माफी मांगना पड़ा था।

अध्यक्ष महोदय :- समझाइए।

श्री धर्मजीत सिंह :- बिल्कुल जल्दी से। माननीय राजस्व मंत्री जी को बताना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक परसवारा गांव है और लोरमी विधान सभा क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं, जहां कृषि सहकारी साख समितियां बहुत दिनों से काम कर रही हैं। बाकी जगह के पट्टे तो बंट गए हैं, कृषि सहकारी साख समिति परसवारा गुनापुर को मैं पूरा फाइल रखा हूँ, पूरे गांव वालों को आपसे मिलवाया भी हूँ। कृपा करके जो नियम बाकी जगह के गांव में लगा है, वही नियम उनके ऊपर लागू करके किसानों को पट्टा दे दीजिए ताकि वे अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। दूसरा, जब श्री अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे तब मोहम्मद अकबर साहब और डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम जी मंत्री थे। वहां पर पट्टा वितरण हुआ। खुडिया सिंचाई ग्राम है, वहां 1 हजार एकड़ जमीन जोगी जी ने 2001 में पट्टा बांटा था। आज तक उस गांव वाले उसे राजस्व ग्राम बनाने की मांग कर रहे हैं। खुडिया सिंचाई ग्राम है, उसको राजस्व ग्राम बना देंगे तो उनको बैंक से लोन लेने के लिए, खाद, बीज आदि की व्यवस्था और सुविधा हो जाएगी और ये कोई बहुत खर्चीला काम नहीं है, आपको सिर्फ सिंचाई ग्राम से राजस्व ग्राम का दर्जा देना है। इसको भी करियेगा, खुडिया लोरमी तहसील में एक गांव है।

लालपुर थाना जो है, मुख्यमंत्री जी के आदेश से और आपकी मेहरबानी से वहां तहसील बना है। लोगों सुविधा मिल रही है। उसमें 8-10 गांव के लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल लोरमी से लगे हुए हैं वो भी धोखे से उसमें शामिल हो गए हैं, वे चाहते हैं कि उनको लोरमी में कर दिया जाए, मैंने उनको आपसे मिलवाया भी था। कृपा करके उसको भी आप करा दीजिएगा। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ ये बाढ़ नियंत्रण भी आपके विभाग में है। हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन बाढ़ नियंत्रण में कोई पैसा मिल नहीं पाता। कई गांवों में नदी-नालों के कारण इतना कटाव हो रहा है। मुझे आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना पड़ा कि आप कृपा करके पैसा दे दीजिएगा, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। लोरमी में एक तेलियापुरान गांव है उसमें कोतरी नाला या ऐसा ही कुछ है, उसमें आदिवासी मोहल्ला आधे से ज्यादा कट चुका है। उसमें बसढ़ नियंत्रण करने के लिए एक रिटर्निंग वाल बनवा

दीजिए । उसी तरह से एक घानाघाट गांव है वहां मनियारी नदी के कारण कट रहा है । उसी तरह से कन्सरी गांव में एनीकट बना है, उसके पानी के फोर्स में वहां का श्मशान घाट उजड़ गया, लार्शें बह गई हैं । गांव वालों ने लिखित में आवेदन दिया है, उसी तरह से एक आदिवासी गांव सरगड़ी है, वन ग्राम है, वन ग्राम है। वहां के स्कूल तक के नाला पहुंच गया है। तो यह दो, चार, पांच नाले हैं, जिनके कारण कटाई का काम हो रहा है। तो यह पैसा, आपसे बोला था तो आप बताये थे कि कोई इसे चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखना पड़ेगा। अभी तो मुख्यमंत्री जी है, मैं उन्हीं से आवेदन करता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- उसका लिखित में भी आवेदन दे दीजियेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा।

श्री धर्मजीत सिंह : हां सर।

अध्यक्ष महोदय :- आ जो बोल रहे हैं, उसको लिखित में भी एक आवेदन दे दीजियेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, मैं लिखित में दूंगा सर। मैं यहां पर रिकार्ड में ले रहा हूं। सर, एक मिनट। एक आखिरी बात।

अध्यक्ष महोदय :- जी, धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, पंडरिया में एक मोहल्ला सतीष है। वह बसा हुआ है, वहां पर सब सतनामी समाज के लोग रहते हैं। पर वह कोटवार की जमीन है। कोटवार की जमीन है तो जायज है कि उसमें भी उसका अधिकार बना हुआ है। यह चार एकड़ जमीन है। तो वे गरीब लोग हैं, उनको उजाड़िये मत। वहीं पर चार एकड़ सरकारी जमीन है। उसके बदले में सरकार की चार एकड़ जमीन कोटवार को दे दीजिये और उनको बेचारे को पट्टा दे दीजिये। वे बहुत गरीब लोग हैं। वे मुझसे बोले थे तो मैं आपको निवेदन करने के लिए मैं अपनी अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में आपके और मुख्यमंत्री जी के समक्ष मांग की थी कि पंडरिया के ग्राम कुण्डा को तहसील का दर्जा दिया जाय। आपने मुझे आश्वासन भी किया था कि देंगे लेकिन फिर बीच में कुछ राजनीति आ गई। मैं किसी का नाम लेकर आरोप नहीं लगाना चाहता। कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा कि यह मांग मैंने क्यों की। पंडरिया मेरा गृह नगर है, मैं वहां पर पैदा हुआ हूं। मैं मर कर भी वहीं जाऊंगा। इसलिए मैंने मांग की थी। अगर मेरी मांग से बुरा लगे और उसे रोकने की कोई कोशिश करें तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहां पर 150 से ज्यादा गांव के लोग रहते हैं। आपके समाज के लोग सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं। वहां सतनामी समाज के लोग रहते हैं। ग्राम कुण्डा में 1990 के आसपास का वहां पर उप तहसील है। तो जब आप 70-80 तहसील बना दिये हैं तो उसको भी तहसील बना दीजिये और जिसको क्रेडिट देना है, दे दीजिये। मैं वहां पर अभी कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूं। मेरा वहां राजनीतिक दृष्टि नहीं है। चूंकि मैं वहां पर शुरू से जा रहा हूं। वे मेरे को बोलें इसलिए मैंने मांग किया था और आपने कृपापूर्वक बोला भी था। लेकिन अब

किसी को विकास के काम को राजनीतिक चश्मे से देखना है और उसके कारण कोई चीज रूकी है तो मुझे पीड़ा हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह :- इसलिए मैंने कहा है कि अगर अभी आप बनायेंगे तो उसमें जरूर विचार करियेगा। कुण्डा को तहसील बना दीजियेगा और जिसको क्रेडिट देना है, आप विधान सभा में भी बोल कर क्रेडिट दे दीजियेगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- केशव चंद्रा जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, आप मेरी मांगों को ध्यान देकर पूरा करियेगा।

अध्यक्ष महोदय :- दो मिनट में खत्म करेंगे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- बिल्कुल।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सर्वाधिक क्षतिपूर्ति हाथी के कारण देनी पड़ रही है। उसको यही नियंत्रित करेगा।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री के अनुदान मांग पर मैं बोल रहा हूँ। बहुत जल्दी मेरी कुछ मांग है, मेरी क्षेत्र की कुछ समस्या है, उसको मैं रखना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बजट में मालखरौदा को वन विभाग कार्यालय का घोषित हुआ है। धन्यवाद सरकार को। उसमें भी मेरा विधान सभा का गांव आता है। लेकिन उसके पहले जैजैपुर जो है राजपत्र में प्रकाशन हुआ है, दावा आपत्ति हुई है, दावा आपत्ति का निराकरण भी हो गया। माननीय राजस्व मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं। मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैजैपुर को भी बाकी जो प्रक्रिया रूका है, उसको आगे बढ़ाकर जैजैपुर में वन विभाग कार्यालय राजस्व भी खोला जाय। पहले जब छत्तीसगढ़ बना और आपकी सरकार बनी तो आपने दो उप तहसील खोला। एक उप तहसील हसौद और उप तहसील भोथिया। माननीय अध्यक्ष महोदय के मुख्य आतिथ्य में उप तहसील भोथिया के सामने महात्मा गांधी जी के प्रतिमा भी लगाया गया है। क्षेत्र बड़ा है। बहुत सारे गांव हैं। मेरा अनुरोध है कि हसौद को और भोथिया को तहसील आप बना दे। दोनों को एक साथ तहसील नहीं बनाते तो पहले हसौद को और उसके बाद भोथिया को बना दे। माननीय मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र में मुआवजा का बहुत प्रकरण रूका हुआ है। सड़क बन गया, नहर बन गया, पर मुआवजा का प्रकरण आज भी लंबित है। टावर का मुआवजा अभी भी नहीं मिल पाया है। आप एक बार बहुत गंभीरतापूर्वक लेते हुए हमारे ध्यानाकर्षण पर मीटिंग भी किये, निर्देश भी दिये, बहुत सारा मुआवजा मिला भी, लेकिन बहुत सारा मुआवजा अभी भी बाकी है और आप अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इसका भी कोई समय-सीमा तय करे। क्योंकि सड़क बन जाता है, नहर बन जाता है, उसके बाद में किसान लोग कई साल तक भटकते रहते हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। इस कार्यालय, उस कार्यालय, यह विभाग, वह विभाग, पी.डब्ल्यू.डी. का है

तो वहां जाओ, वहां वाले राजस्व के पास, तो यह दुविधा मत हो और किसान लोगों को उनकी जो जमीन है, उनको मुआवजा मिल जाए।

श्री धर्मजीत सिंह :- आखरी फाइल घुम गया है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अभी पिछले रबी फसल में पानी गिरा तो फसल को नुकसान हुआ था। आपके विभाग ने आंकलन किया और 06-04 में करीब-करीब जैजैपुर तहसील में 2100 किसानों की 61 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। 61 लाख रुपये का मुआवजा 06-04 में। लेकिन एक साल हो गया है वह किसानों के खाते में नहीं गया है। अभी मैं उसमें ध्यानाकर्षण लगाया था। ध्यानाकर्षण ग्राह्य भी किया गया है अगर सदन में चर्चा होगी तो बाकी बात करूंगा लेकिन वह ध्यानाकर्षण आए या मत आए। आपसे निवेदन है कि किसान लोगों की क्षति की बात है, एक साल तक वह मुआवजा किसान के खाते में नहीं गया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- कृपया आप इसको भी ध्यान देंगे और बाकी जो थोड़ा-बहुत नामांतरण में, फाउती में, बंटवारा में जो दिक्कत आ रहा है आपकी नयी ऑनलाइन व्यवस्था के कारण लोकसेवा केंद्र में जो आवेदन कर रहे हैं, ग्राम पंचायत अब अधिकार से वंचित हो गया है। लिखित में आप वंचित नहीं किये हैं लेकिन मूल रूप से वह वंचित हो गये हैं। लोक सेवा केंद्र में आवेदन करेंगे तो यहां तहसीलदार और पटवारी लोगों का मनमानी चल रहा है। कई-कई महीने तक कई-कई साल तक लोग भटक रहे हैं तो इसकी भी समय-सीमा तय करके समय-सीमा में ऐसे प्रकरणों के निपटारा की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बहुत-बहुत धन्यवाद। चंद्राकर जी आपको एक मिनट बोलना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज बहुत दिन बाद, बहुत वर्षों बाद मुझे अपनी कांसटेंसी की बात करने का अवसर मिल रहा है उसके लिए आपको धन्यवाद। साहब मैं आपको एक मौखिक रूप से बताया था सिरी और बड़े करेली में उप तहसील खोल दीजिए करके।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका तो नाम नहीं है यह कहां से टपक गये? क्या आप अनुमति दिये हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- टाइम खराब मत करो न यार।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने एक मिनट की अनुमति दी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सिरी और बड़ी करेली उप तहसील, एक। दूसरा एक विषय यह है कि शहरी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ रही है किसी को जगह मिलता नहीं है। अवैध कब्जा करते हैं तो जहां-जहां नजूल घोषित नहीं हुआ है शहरी क्षेत्र जो भी नगर-पंचायत से लेकर नगर-निगम तक, उसको नजूल घोषित कर दे तो शायद हम व्यवस्थित शहरीकरण की तरफ बढ़ें। गरीबों को पट्टा देने का अधिकार किसी के पास

रहे। लेकिन लोगों को वर्षों से नहीं मिल रहा है। हमने अपने स्तर पर कई बार मांग की, जहां बोल सकते थे अब थोड़ी-सी दूसरी बात, आज से मुझे गिरदावरी देखना है बरसात में कैसे गिरदावरी करते हैं ? आप डीमाइंडेशन करवाइये न। किसानों की धान खरीदी के लिए गिरदावरी करते हैं उसको देखना है। मैं आज तक नहीं देखा हूं। मैंने एस.डी.एम. को 3-4 बार आवेदन दिया कि बारिश में कैसे गिरदावरी करते हैं ? जहां होगी वहां मैं देखने जाऊंगा करके। मुझे 3 साल में एक बार भी नहीं दिखाये। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बरसात में धान खरीदी के गिरदावरी करते हैं तो उसको मैं देखना, समझना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक लाइन और है।

अध्यक्ष महोदय :- एक लाइन है, बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, इसमें आपने यह जिले का नक्शा छापा है।

अध्यक्ष महोदय :- क्या ? जिले का नक्शा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, इसमें जिले का नक्शा छापा है तो छत्तीसगढ़ में कितना जिला है ? आप मुझे अभी बता दीजिए क्योंकि इसमें पुराना नक्शा है। 4 जिले के लिए इसमें बजट भी है। ढोल-धमाकड़ भी बज गया है तो छत्तीसगढ़ में कितना जिला है? आप यह भर बता दीजिए। राजस्व न्यायालय में, मैं आपको एक सुझाव दे देता हूं। आप राजस्व देखते हैं तो मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा था कि किसान एकदम सीमांत किसान, छोटा-सा वृद्ध किसान राजस्व कोर्ट में बैठने के डेट में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एस.डी.एम., कलेक्टर या राजस्व मण्डल का चेयरमेन हो, वह दौरा मत करे और मंत्री या वी.आई.पी. के साथ किसी को रखना है, माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इन सबसे दूर हैं। मतलब, उनका दूसरा प्रोटोकॉल है तो आप 16 जिलों में सत्कार अधिकारी बना दीजिए। जो कागज मंत्रीगण देंगे उसको संबंधित विभाग में हम पहुंचाएंगे करके। आप सत्कार अधिकारी नियुक्त कर देंगे तो गरीबों को पेशी के ऊपर पेशी मिलती है, कम से कम वह नहीं मिलेगी। उसको अनिवार्य कीजिए कि आप जिस दिन कोर्ट का समय का तय करें और उसमें बैठें। आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद। शर्मा जी ने भी एक मिनट मांगा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मेरा सिर्फ दो सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय :- हां, सुझाव दे दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरे सिर्फ दो सुझाव हैं। आर.बी.सी. के अंतर्गत जो क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, यह इतना कम है कि जो क्षतिपूर्ति के लिए कोर्ट का चक्कर लगाता है, उसको पोशाता नहीं। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और क्षतिपूर्ति की राशि बढ़नी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आपका सुझाव अच्छा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा सुझाव यह है कि आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब लोक सेवा गारंटी योजना के अंतर्गत आ गए हैं और इसके सारे आवेदन आजकल ऑनलाईन लगते हैं। कई बार किसी व्यक्ति को किसी प्रमाण-पत्र की तत्काल जरूरत है और जब वह ऑनलाईन आवेदन करता है तो तहसीलदार का जवाब आता है कि आपका तो 100वां नम्बर है, आपका 150नम्बर है इतने आवेदन बनने के बाद आपका प्रमाण-पत्र बन जाएगा। कई बार काम अटकता है। ऐसे लोगों के लिए कोई व्यवस्था निर्धारित कर दें कि किसी को अर्जेंट चाहिए तो चाहे कोई शुल्क निर्धारित करें, उनको वह प्रमाण-पत्र तत्काल उपलब्ध हो जाये। अगर ऐसा हो जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आगरनदी में गाढ़ाघाट के पास में कटाव हो चुका है, उसकी पिचिंग का कार्य हो जाये तो अच्छा रहेगा। दूसरा, बिलासपुर से मंडला तक राष्ट्रीय राजमार्ग है। उस मार्ग में दशरंगपुर, जरहागांव, सोढ़हार और बरदूल गांव है, पर इन गांवों में मुआवजा नहीं दिया गया है, सर्वे हो चुका है, जांच हो चुकी है और कलेक्टर के पास विचाराधीन है तो उसमें कम से कम राष्ट्रीय राजमार्ग का मुआवजा दिलवाएं। मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में शेड गंगा उपतहसील को तहसील बनायी जाये और अमोरा में उपतहसील है, वहां भवन नहीं है तो उसके लिए भवन की व्यवस्था की जाये, ऐसी में मांग करता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, राजस्व विभाग सरकारी विभागों को एक रुपये स्कवेयर फीट में जमीन देता है और उसमें यह नियम होता है कि जब एक रुपये में जमीन दी जाएगी तो उसका व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा, उसका पैसा नहीं वसूला जाएगा, वह सार्वजनिक उपयोग के लिए होगी, उसमें शर्तें होती हैं, परन्तु सार्वजनिक संस्थाएं उन शर्तों का पालन नहीं करती हैं, उनको शर्तों में बेचती हैं तो कृपया इसके बारे में आप निर्देश जारी कर दें और कौन-कौन से सरकारी विभागों को एक रुपये में जमीन दी गई है और किन शर्तों पर दी गई है। क्या वे उन शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसके बारे में आप देख लें ?

अध्यक्ष महोदय :- आपका सुझाव अच्छा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग आबादी भूमि पर बसे हुए हैं, उसको पट्टा देने की घोषणा हमारी सरकार के समय भी हुई थी। आपने भी वह घोषणा की है। हमारी सरकार के समय वह निःशुल्क देने की घोषणा हुई थी। आज भी लाखों लोग हैं, जिनको ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टा नहीं मिल रहा है और पट्टा नहीं मिलने के कारण लोन लेना या बाकी काम करना नहीं कर पा रहे हैं। रायपुर शहर में भी आबादी भूमि में जो लोग बसे हुए हैं, उनको पट्टा मिलने की कार्यवाही हो रही है, परन्तु सर्वे का काम नहीं होने के कारण पट्टा मिलने की कार्यवाही नहीं हो रही है। इसके होने से सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। आपको दो प्रतिशत राशि मिलने वाली है, परन्तु वह काम लंबे समय से

रूका हुआ है, अगर आप इस काम को करेंगे तो राजस्व के खजाने में भी पैसा आएगा और अतिक्रमण भी कम होगा ।

(श्री ननकीराम कंवर के हाथ उठाने पर)

अध्यक्ष महोदय :- आप कुछ कहेंगे ?

श्री ननकीराम कंवर (रामपुर) :- अध्यक्ष महोदय, राजस्व में नहीं कहूंगा तो और किसमें कहूंगा । मेरा नाम था ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका पहला नाम था, आपने मना कर दिया, उसके बाद इन्होंने हाथ उठा लिया ।

श्री ननकीराम कंवर :- अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- इनको थोड़ा गोठियाने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- गाठियाईए न, मैं मना कहां कर रहा हूं ? आपका तो हक है, राजस्व मंत्री भी आपके ही जिले से हैं ।

श्री ननकीराम कंवर :- अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । सबसे पहली बात तो यह है कि नेशनल हाईवे में जो क्षतिपूर्ति देने का नियम बना है, उसको भी देने के लिए आपका विभाग नकार रहा है, जबकि कोरबा-बरपानी में काम शुरू हो गया है । दूसरी बात, इसमें 4 प्रतिशत अधिक देने का नियम है, उसमें भी आपने ठीक से नहीं दिया है । उसमें कई लोग हाईकोर्ट में गए हैं, होईकोर्ट से पास भी हो गया है । आप लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं । सुप्रीम कोर्ट में इतना ही गए हैं कि जो कंटेम्प्ट लगा है, उस पर फिर से सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया है । इस तरह से एक तो हाईवे में जितना गाईड लाईन है, उतना बनाने का निर्देश दें । क्योंकि सब गरीब हाईकोर्ट नहीं जा सकते । दूसरी बात, नक्शा परिवर्तन करने का जो आपके यहां कोरबा में अधिकारी हैं, कोरबा खास की बात बता रहा हूं, एक प्रकरण में मैंने मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा है । उसमें नक्शा ही बदल दिए हैं। उसमें प्रायवेट लैण्ड को सड़क में तथा नजूल जमीन को दूर में डाल दिया गया है। जमीन का खसरा नं. 188/1-क, 188/1-ख, इन दोनों में परिवर्तन किया गया है। मैंने कलेक्टर को लिखा है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है। लेकिन शायद ननकीराम ने पत्र दिया है तो क्यों कार्रवाई करना चाहिए ? क्यों कार्रवाई नहीं करना चाहिए ? मैं विधायक हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, अभी एक और एक नेशनल हाईवे बन रहा है। उसके लिए जो प्रस्तावित जमीन है, उस नक्शे में भी चेंज किया गया है। मतलब जिसकी जमीन रोड में नहीं आ रहा है, उसको रोड में लाने के लिए या जिसकी जमीन को नजदीक में लाना है, उसके लिए भी नक्शा परिवर्तित कर दिया गया है। राजस्व विभाग वाले इस तरह से फोरजरी करेंगे, सरकारी काम में फोरजरी करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- शायद, आप भी राजस्व मंत्री थे।

श्री ननकीराम कंवर :- साहब, मैं उस समय मंत्री नहीं था, संसदीय सचिव था।

अध्यक्ष महोदय :- हां, राजस्व संसदीय सचिव। 1978-79 में।

श्री ननकीराम कंवर :- जी हां। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं संसदीय सचिव रहते हुए कितना काम किया है, आप मध्यप्रदेश के किसी भी गांव में जाकर देख लीजिये, आज वह बतलायेंगे कि हां कम से कम यहां हुआ था।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ननकीराम कंवर :- मेरी बात तो अभी हुई नहीं है। मैं आज बतलाऊ कि जितना भी नामान्तरण, फौती के काम है, उसके लिए कम से कम 25 हजार, 50 हजार, 1 लाख रुपये तक की मांग कर रहे हैं। आप इसमें कहाँ जा रहे हैं। यह किसानों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी देखिये, विभाग को थोड़ा ठीक कीजिये। भ्रष्टाचार कम कीजिये। यदि भ्रष्टाचार का प्रणेता आप ही बन जायेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश का क्या होगा। भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं प्रूफ दे सकता हूँ। नजूल जमीन में तहसीलदार और एस.डी.एम. क्या करते हैं ? दोनों मेरे सामने भवन खाली कराने जाते हैं। मैंने एस.डी.एम. को कहा कि आप खाली करवाकर देख लो यदि तुममे ताकत हो तो। ये हाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जोगी जी ने जो पट्टा दिया है, उसमें एस.डी.ओ. क्या बोलता है कि यह पट्टा बोगस है। मैंने कहा कि खबरदार, इस तरह से किसी भी मुख्यमंत्री के बारे में या किसी भी सरकार के बारे में बोला। उस एस.डी.एम. को ऐसा बोलने का क्या अधिकार है ? मैंने इस सम्बन्ध में भी लिखा है। लेकिन वाह भाई साले साहब, कम से कम जनता के बारे में सोचो। यह मैं जनता के लिए बोल रहा हूँ। मैं किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं बोलता। अधिकारी के बीच बोलता हूँ, तो मैंने आपको आवेदन दिया हूँ, मैंने 3 नक्शा दिया है। तीनों नक्शे में अलग-अलग है। मैंने एक जमीन का नाम बताया न, 188/1, 188/1-ख,क। अगर हम लोग इस तरह से प्रूफ सहित आवेदन देते हैं। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगा तो फिर यहां बैठने से, हम लोगों के यहां आने से क्या फायदा है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये धन्यवाद। पुरुषोत्तम कंवर, जो भी कहना है, आधा मिनट में कहिये।

श्री पुरुषोत्तम कंवर (कटघोरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र कटघोरा के उप तहसील दीपिका को तहसील बनाये, इसके माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय राजस्व मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, जहां चारो तरफ जंगल और पहाड़ से घिरा है, जिसको अभ्यारण क्षेत्र कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राजस्व मंत्री जी से वहां दौराकुचली नवीन तहसील को बनाने के लिए निवेदन कर रहा हूँ। क्योंकि वह चारो तरफ से जंगल, पहाड़ से घिरा हुआ है। अभ्यारण क्षेत्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी बलरामपुर प्रवास

के दौरान घोषणा भी किये थे। उसकी स्वीकृति हो जाये, ऐसा मेरा निवेदन है। मेरे क्षेत्र के बलरामपुर जिले का एक गांव केवली है, जहां बांकी नदी बहता है। लगभग 50 से 100 एकड़ जमीन कटकर बह गया है और आगे कटते जा रहा है। यदि संभव हो तो उसे रोक दिया जाता तो आगे गांव बच जाता, ऐसा मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. प्रीतम राम (लुण्ड्रा) :- अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ बहुप्रतीक्षित मांग है, मैं उसके सम्बन्ध में आदरणीय राजस्व मंत्री जी बताना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में अनुविभागीय कार्यालय का लंबे समय से मांग किया जा रहा है। तो धौरपुर में अनुविभागीय कार्यालय की स्वीकृति प्रदान करें। इसी तरह से मेरे विधानसभा क्षेत्र के रघुनाथपुर में उप तहसील की लंबे समय से मांग की जा रही है। उसी तरह से उप तहसील पुन्नी के लिए लंबे समय से मांग किया जा रहा है। कृपया इसे भी स्वीकृत करने का कष्ट करेंगे।

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र से महानदी निकली है, सीतानदी के गांव के पास तटबंध नहीं बना है, वह गांव कभी भी बह सकता है। कृपया ध्यान देंगे। मैं राजस्व मंत्री जी को डाभा, करेली, बालका नदी में भी तटबंध बनाने की बहुत आवश्यकता है, मैं लिस्ट दे दी हूँ, कृपया उस पर ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- राजस्व मंत्री जी।

श्री गुलाब कमरो (भरतपुर सोनहट) :- आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का, राजस्व मंत्री जी को, धन्यवाद दूंगा कि मुझे मनेन्द्रगढ़ जिला का सौगात मिला, भरतपुर अनुभाग का सौभाग्य मिला, केल्हारी तहसील, कोडाटोल तहसील का सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। माननीय कई सदस्य ने कहा कि बहुत सारी समस्या है, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी के माध्यम से कैप लगा था। हमारे पूरे कोरिया जिले में 30 हजार एस.टी.एस.सी. का जाति प्रमाण पत्र ऑन स्पॉट शिविर के माध्यम से बना है, फार्म भी वही, फोटो कापी भी वही, सेट अप वहीं लेकर बनाया है। ऑन स्पॉट लेकर घर-घर पहुंचाये हैं। यह हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार। यह है हमारी जयसिंह अग्रवाल जी की सरकार। इसके साथ ही हमारे किसान भाई 10 हजार लोगों ने धान बेचा है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- उनका आपने इतना तहसील खोला, सार्वजनिक रूप से भी धन्यवाद है। अच्छा लगता है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- पूरे प्रदेश में तहसील खोले हैं भई, एक नहीं। मुख्यमंत्री जी ने इतनी तहसीलें खोले हैं, एक भी विधायक यह नहीं बोल सकता कि मेरी तहसील नहीं खुली है। कोई भी पार्टी से हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम लोग तो आपकी तारीफ ही कर रहे हैं ना ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पामगढ़ क्षेत्र में एक भी तहसील नहीं खुला है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक काम और करिये, लोरमी में एक डिंडौरी बाजार है, वहां उप तहसीलदार को बिठा देना । उप तहसील खोलोगे तो ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, तिल्दा नेवरा को अनुभाग का दर्जा देने के लिए मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ । मैं माननीय मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, राजस्व मंत्री जी ।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विभाग से संबंधित बजट के संबंध में बहुत से हमारे माननीय सदस्यों के विचार सुनने को मिले हैं, जिसमें श्री सौरभ सिंह, शैलश पाण्डेय जी, धर्मजीत सिंह जी, केशव चन्द्रा जी, अजय चन्द्राकर जी, प्रीतम राम जी, पुरुषोत्तम कंवर जी, पुन्नूलाल मोहले जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, ननकीराम कंवर जी, बृहस्पत सिंह जी, लक्ष्मी धुव जी, गुलाब कमरो जी, प्रमोद शर्मा जी, इंदू बंजारे जी, सभी माननीय सदस्यों के अपने-अपने विचार आये हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अजय चन्द्राकर जी । (हंसी)

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दो बार अजय चन्द्राकर जी को बोलना पड़ा कि मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं । यह अच्छी बात है । नाम लिये हैं भई, आप सुनते नहीं हो । मशीन नहीं लगाये हो क्या ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बैठेंगे ना, आज बजट पारित हो जायेगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह खड़े इसलिए हैं कि आपका कोई कमेंट्स नहीं आया है कि अजय उपस्थित है । आपका कमेंट्स आ गया, संतुष्ट हो गये ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- लेकिन अजय चन्द्राकर जी, धन्यवाद नहीं दिये भईया ।

मंत्री राजस्व एवं आपदा प्रबंधन (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जिला प्रशास, भू-अभिलेख संधारण, राजस्व सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त, श्रमिक आपदाओं की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य, मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा पुनर्वास से संबंधित कार्य संपादित किया जाता है ।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत अनुदान संख्या-08,09,35 एवं 58 के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के व्यय हेतु निम्नानुसार बजट की मांग की गई है:-

वर्ष 2022-2023

1. मांग संख्या - 08 भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन 15 अरब, 03 करोड़, 97 लाख, 05 हजार
2. मांग संख्या - 09 शासकीय प्रेस 21 करोड़, 93 लाख 45 हजार

3. मांग संख्या - 35 पुनर्वास 1 करोड़, 93 लाख, 03 हजार

4. मांग संख्या - 58 राहत कार्य 11 अरब, 10 करोड़ 74 लाख, 60 हजार

भूमि का प्रबंधन एवं भू प्राचीन काल से संचालित होताराजस्व- रहा है । राजस्व विभाग जहां एक ओर भूमि संबंधी अभिलेखों का संधारण करता है वहीं शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन एवं उसे आम जनता तक पहुंचाने का काम राजस्व विभाग के माध्यम से किया जाता है । राज्य के प्रत्येक नागरिक को चाहे उसके पास भूमि हो या न होकता विभाग से संबंधित कार्यों एवं अभिलेखों की आवश्यकता राजस्व , अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचाने कता को देखते हुए उन्हें पड़ती है । इसलिए आम जनता की आवश्यकता से विभागीय उद्देश्य प्रक्रियाओं नियमों एवं विभाग द्वारा प्रकाशित अधिनियमों में लगातार सुधार , यन करने के साथ नवीन तकनीक का उपयोग किया जा रएवं उन्नत है । तहसीलों की जो अभी मांग आई है परीक्षण कराकर ,मंत्री जी से भी चर्चा हुई है उसका हम लोग परीक्षण करा लेंगे । माननीय मुख्य , जो बनाने लायक होगी ,तहसील अभी तक हुई है 79 सभी तहसीलें बनाई जायेगी । ,6-7 तहसील की जो मांग आई है उसका परीक्षण कराकर जल्दी , ने मांग रखी है जिन सदस्यों- मेरे पास है जिन उसकी लिस्ट , मंत्री जी निर्णय कर देंगे ।ही मुख्य

श्री अजय चन्द्राकर :- उप-तहसील का भी बोल दीजिए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- तहसील, उप-तहसील सभी है, उप-तहसील खोलना तो और इजी है । भूमि का प्रबंधन एवं भू-राजस्व प्राचीन काल से संचालित होता रहा है। राजस्व विभाग जहां एक ओर भूमि संबंधी अभिलेखों का संधारण करता है, वहीं शासन की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं उसे आम जनता तक पहुंचाने का काम राजस्व विभाग के माध्यम से किया जाता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह गांव वाले मेरे को बोलकर भेजे हैं कि आप राजस्व ग्राम करा दीजिए। खुड़िया को राजस्व ग्राम का दर्जा दे देंगे।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- राजस्व ग्राम का भी दिखवा लेंगे। उसका परीक्षण करा कर अगर..।

श्री धर्मजीत सिंह :- खुड़िया सिंचाई ग्राम है, उसको राजस्व ग्राम बना दीजिए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- हां तो ठीक है न। पहले भी किये हैं। जिस-जिस विधायक का प्रस्ताव आया है, हमने पहले भी बनाये हैं। उसका परीक्षण करा लेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- परीक्षण करा लीजियेगा। धन्यवाद।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- राज्य के प्रत्येक नागरिक को, चाहे उसके पास भूमि हो या न हो, राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों एवं अभिलेखों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आम जनता तक की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से विभागीय प्रक्रियाओं, नियमों एवं विभाग द्वारा प्रकाशित अधिनियमों में लगातार सुधार एवं उन्नयन करने के साथ नवीन तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग के बढ़ते कदम- हमारे कदम आधुनिकीकरण की ओर हैं। ऑनलाईन नागरिक सुविधाएं में अभिलेखों को सुलब्धतापूर्वक उपलब्ध कराया जा रहा है। राजस्व अभिलेखों की सुलभ उपलब्धता, डिजिटल सिग्नेचर, बंधक भूमि की जानकारी, बैंक में बंधक कृषि भूमि की ऑनलाईन जानकारी भुईयां में उपलब्ध है। इस व्यवस्था से भूमि के बंधक होने की जानकारी पूर्व से होने से भूमि अंतरण पश्चात होने वाले भूमि विवादों में कमी आयेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि अभिलेखों में परिवर्तन की SMS के माध्यम से सूचना, पंजीयन पश्चात् नामांतरण की कार्यवाही, ई-कोर्ट की व्यवस्था की गई है। साहूकारी लाईसेंस के अंतर्गत आम जनता की सुविधा एवं त्वरित निराकरण हेतु साहूकारी लाईसेंस को ऑनलाईन किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मसाहती एवं असर्वेक्षित ग्रामों का सर्वेक्षण- राज्य में 1015 ग्रामों का क्षेत्र नक्शा तैयार कर सत्यापन हेतु जिला कलेक्टरों को उपलब्ध कराया गया है। 1015 ग्रामों में प्रथम चरण, 408 ग्रामों में द्वितीय चरण का सत्यापन पूर्ण कर लिया गया है एवं 356 ग्रामों में तृतीय चरण का सत्यापन कार्य प्रक्रियाधीन है। 123 ग्रामों का प्रारंभिक प्रकाशन किया जा चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय क्षेत्र के नक्शे के पैमाने में परिवर्तन एवं डिजिटाइजेशन कार्य- पटवारियों के पास उपलब्ध 1:4000 पैमाने के कैडेस्ट्रल नक्शे में छोटे भू-खण्डों का अंकन संभव नहीं होने के कारण राज्य के नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल ग्रामों के कैडेस्ट्रल नक्शे को 1:500 के पैमाने में परिवर्तित करने का कार्य छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद रायपुर से कराया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व प्रकरणों का निराकरण- कोविड-19 संक्रमण के कारण पूरे प्रदेश में लॉकडाउन होने के उपरांत भी नियमित रूप से राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसके फलस्वरूप विगत राजस्व वर्ष में नामांतरण के 2,87,172 प्रकरण, खाता विभाजन के 27,654 प्रकरण, सीमांकन के 36,681 प्रकरण प्रकरण एवं व्यपवर्तन के 23,889 प्रकरणों का निराकरण हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व वसूली- वित्तीय वर्ष 2022-23 में नजूल एवं डायवर्सन से प्राप्त प्रब्याजि अंतर्गत कुल 48 करोड़ एवं नजूल एवं डायवर्सन से प्राप्त भू-भाटक अंतर्गत 19 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। अधोसंरचना एवं पर्यावरण उपकर अंतर्गत 262 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। राजस्व विभाग के अंतर्गत कुल 592 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वृक्षों की कटाई के नियमों का सरलीकरण भी सरकार द्वारा किया जा रहा है। भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240 एवं धारा 241 के तहत वृक्षों की कटाई के संबंध में नियम बनाये जाने का प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपका तो कोई विरोध ही नहीं कर रहा है। आपका सब समर्थन कर रहे हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सब अच्छा काम कर रहे हैं, विरोध किस चीज का करेंगे।

अध्यक्ष महोदय:- आप मांग करिये कि आपके विभाग की अनुदान मांगों को पास कर दिया जाये।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री जी, ग्राम पंचपेड़ी में पूर्ण तहसील की आप स्वयं घोषणा करके आये थे, आप जरा बता दीजिए कि वह हुआ है या नहीं हुआ है?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचपेड़ी में पूर्ण तहसील की घोषणा करके आये थे, उसके लिए प्रकाशन हो चुका है। मैं आपको कापी दे दूंगा। उसकी प्रक्रिया चल रही है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- बधाई हो, आपको बधाई भी लेना चाहिए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- पूरे सब जनप्रतिनिधि और पूरे गांव के बीच हमने घोषणा की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी से सहमति लेकर हमने उसका प्रकाशन शुरू करा दिया है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि मेरे विभाग संबंधी जो बजट है उसको सर्वसम्मति से पास किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 9 राजस्व विभाग सं संबंधित व्यय के लिये - इक्कीस करोड़, तिरानबे लाख, पैंतालीस हजार रुपये,

मांग संख्या - 8 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिये - एक हजार पांच सौ तीन करोड़, सत्तानबे लाख, पांच हजार रुपये,

मांग संख्या - 35 पुनर्वास के लिये - एक करोड़, चौरानबे लाख, तीन हजार रुपये तथा

मांग संख्या - 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिये - एक हजार एक सौ दस करोड़, चौहत्तर लाख, साठ हजार रुपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी चीजों को कल ले लीजियेगा।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आप लोगों से मत ले चुका हूँ और आप लोगों ने हां कह दिया है। माननीय शिवकुमार जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तो उसको प्रस्तुत करवा लीजिये, और प्रस्तुत करवाने के बाद मैं बाकी कल चर्चा करवा लीजियेगा, क्योंकि 169 नगर निगम, नगर पालिका, एवं नगर पंचायत हैं और लगभग

50 एम.एल.ए. के क्षेत्र में पड़ता है, तो उसमें बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, तो अगर आप उसको कल ले लेंगे तो ठीक रहेगा, आज आप उसको प्रस्तुत करवा लीजिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, यह तो दो-तीन दिन से तैयारी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, पहले आप प्रस्तुत करिये, फिर देखते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज उसको प्रस्तुत करवा लें, बाकी कल ले लीजियेगा।

- (4) मांग संख्या - 22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय
 मांग संख्या - 69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण
 मांग संख्या - 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
 मांग संख्या - 18 श्रम

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

- मांग संख्या - 22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिये - तेरह करोड़, पचहत्तर लाख, इकहत्तर हजार रुपये,
 मांग संख्या - 69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण के लिये - आठ सौ अड़सठ करोड़, छियानबे लाख, बहत्तर हजार रुपये,
 मांग संख्या - 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये - दो हजार छः सौ इकतालीस करोड़, सत्तावन लाख, बारह हजार रुपये तथा
 मांग संख्या - 18 श्रम के लिये - एक सौ छप्पन करोड़, चार लाख, सत्रह हजार रुपये तक की राशि दी जाये

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या 22**नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिये**

1.	श्री धरमलाल कौशिक	1
2.	श्री अजय चंद्राकर	5
3.	श्री शिवरतन शर्मा	8
4.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	3
5.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	11

मांग संख्या 69**नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण के लिये**

1.	श्री धरमलाल कौशिक	3
2.	डॉ. रमन सिंह	1
3.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	1
4.	श्री अजय चंद्राकर	1
5.	श्री धर्मजीत सिंह	3
6.	श्री शिवरतन शर्मा	3

मांग संख्या 81**नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये**

1.	श्री धरमलाल कौशिक	1
2.	श्री अजय चंद्राकर	4
3.	श्री शिवरतन शर्मा	3

मांग संख्या 18**श्रम के लिये**

1.	श्री धरमलाल कौशिक	3
2.	श्री अजय चंद्राकर	1
3.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	1
4.	श्री नारायण चंदेल	1
5.	श्री शिवरतन शर्मा	6
6.	श्री ननकीराम कंवर	1
7.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	1

8. श्री प्रमोद कुमार शर्मा 2
9. श्री डमरूधर पुजारी 1

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- बृजमोहन अग्रवाल जी, आप तो रात के राजा हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, कल, कल।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बाकी सदस्य भी हैं न, सबको देखना है।

श्री भूपेश बघेल :- आपको सबकी बड़ी चिंता है।

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन अग्रवाल जी, आप शुरू तो करिये, बाकी को कल बोलूंगा बोल दीजिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 8.45 बज गये हैं। बाकी सदस्य भी बोलना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि पारित ही करना है, तो अभी सप्लिमेण्ट्री ले आईये और सबको पारित कर दीजिये। औपचारिकता की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि सब चर्चा हो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी की बजट मांगों का विरोध करते हुये, अपने भाषण की शुरुआत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे भाषण को कल करवा दीजिये, जिससे सभी माननीय सदस्य भी उसमें भाग ले सकें।(हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तीन दिन से तैयारी करते आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि मैंने बहुत तैयारी की है, रात-रात भर जागकर तैयारी की है, तो अभी क्यों चुप हो रहे हैं, बोल दीजिये, अभी तो समय है। अभी तो 8.45 हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 16 मार्च, 2022 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित।

(रात्रि 8 बजकर 41 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2022 (फाल्गुन 25, शक संवत् 1943) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गयी।)

रायपुर (छत्तीसगढ़)

दिनांक : 15 मार्च, 2022

चंद्र शेखर गंगराड़े

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा